राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या: 04

गुरुवार,
08 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा। आज ठीक दिख रहा है। बैंचेज आज भरी हुई हैं। प्रश्नकाल। श्री नन्दकिशोर महरिया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में किसानों की संपूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना

54. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में किसानों का ऋण माफ करने के लिए सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त कमेटी द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के किसानों की सम्पूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या समर्थन मूल्य पर खरीद होने वाली फ़सलों में मोठ, मेहंदी, चौला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबग़ोल, ग्वारपाठा व अरंडी को शामिल किया गया है? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त फ़सलों को समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली फ़सलों में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: देखिए, यह आपने कृषि विभाग को संबोधित किया था।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): हां।

श्री अध्यक्ष: कृषि विभाग ने इसको सहकारिता विभाग में ट्रांसफर कर दिया। सहकारिता विभाग का आज अवसर नहीं है देने का, इसलिए यह सहकारिता विभाग के रोज ले लिया जाएगा।

(स्थगित)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यह तो कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे। इनको जवाब नहीं देना है इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। क्वेश्चन लगाया क्यों?

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): +++ कि कौनसा क्वेश्चन कहां लगाना है। यह उस दिन ही सहकारिता को भेज देते। अगर इनको किसानों की मांग पर चर्चा नहीं करनी है तो मना कर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुबह साढ़े 10 बजे "ना" पक्ष में ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या तमाशा लगा रखा है यह ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब आसन ने व्यवस्था दे दी कि सहकारिता के दिन यह आ जाएगा ...(व्यवधान)... जिस दिन सहकारिता को आवंटित है उस दिन इस प्रश्न को ले लिया जाएगा तो क्या दिक्कत की बात है ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सिर्फ पगड़ी लगाने से किसान नहीं बन जाते। यहां पगड़ी लगाकर के मंत्री आ गए और किसान बन गए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनको हल्ला करने दो...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): जवाब दिलाओ किसानों से संबंधित है...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आप जवाब दिलवाओ इसका ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाओ पूरे प्रदेश का किसान इंतजार कर रहा है इसका ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, साढ़े 10 बजे ना पक्ष लॉबी में जो प्रश्न मिला है। पहला प्रश्न किसानों का नन्दकिशोर जी महरिया का है ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आप जवाब दिलाओ। कैसे प्रिंट हुआ यह ...(व्यवधान)...

(श्री रमेश, माननीय सदस्य का सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: और आओ कोई, बैठ जाओ ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, सब आएंगे। किसान के लिए सब आएंगे ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): इसके सिवाय चारा क्या है हमारे पास। यह बताएं आप ...(व्यवधान)... आप समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रहे, आप कर्जा माफी नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। अंकित नहीं हो ।..(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आपको शुरू में ही कह दिया कि बैठ जाओ। कार्यवाही में एक शब्द नहीं जाना चाहिए। मैं एक की नहीं सुनता ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल की एक व्यवस्था है। प्रश्न उन्होंने भेज दिया सहकारिता विभाग को ...(व्यवधान)... नो, नो, एक शब्द नहीं जाना चाहिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द नहीं जाना चाहिए। यह तो छप गया। व्यवस्था दे रहे हैं, आपको बता दी व्यवस्था मैंने। बैठिए, आप भी बैठिए ।..(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: बैठो, आप बैठो। इनकी आदत है, एक शब्द नहीं आना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठिए। सब बैठिए। हां करो भाई, बकवास करो ...(व्यवधान)...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं। आप भी बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए ...(व्यवधान)... विधान सभा है कि मछली बाजार बना रखा है ...(व्यवधान)... बैठिए, आप बैठिए। नहीं, अभी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं सुनूंगा मैं ...(व्यवधान)... कुछ नहीं सुनूंगा, बैठिए आप ...(व्यवधान)... एक शब्द नहीं जाना चाहिए। बकवास करने दो इनको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। नहीं बैठना तो खड़े रहो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, बैठ जाओ। नहीं सुनूंगा। प्रश्नकाल में नहीं सुनूंगा। कह दिया आपको। बैठ जाइए। महरिया साहब, आप भी बैठ जाइए। बहुत लिहाज रखता हूं मैं आपका। एक व्यवस्था दे दी इसको आप चैलेंज मत कीजिए। बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: हां, जाइए आपको जाना हो तो। आप भी आकर के यहां बैठ जाओ। आप भी यहां आकर के बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, यहां बैठ जाओ ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो, विधान सभा नियमों से चलेगी। व्यवस्था से चलेगी। स्पीकर की व्यवस्था से चलेगी ...(व्यवधान)... फेंक दो इनको फाड़कर के ...(व्यवधान)... जाओ, बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नो, आप भी यहां आ जाओ। आप भी यहां आकर के बैठ जाओ। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)... क्वेश्चन आवर पूरा होने तक मैं किसी की नहीं सुनूंगा ...(व्यवधान)... हां, आप भी आ जाइए सुखराम जी, बैठिए यहां। हां, हां, बैठिए। मैं चाहता हूं आप यहां बैठो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: और कोई हो तो आ जाओ। बैठ जाओ। नहीं सुनूंगा एक भी शब्द। एक शब्द नहीं सुनूंगा। हां, बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कह दिया बैठ जाओ। व्यवस्था को चैलेंज नहीं, यह विधान सभा है ...(व्यवधान)... हर बार खड़े हो जाते हो। बैठ जाओ आप। मैं कह रहा हूं न, बैठ जाओ। बैठो न, आपका साथी बैठा है। आप भी बैठ जाओ।

(श्री सुखराम विश्नोई, माननीय सदस्य का सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो, नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा कह दिया आपको। आप बैठ जाएं नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा कह दिया आपको ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आप बैठ जाओ ...(व्यवधान)... प्रश्नकाल। श्री गोरधन।

धोद में नॉन-पैचेबल सड़कें

55. श्री गोरधन (धोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में कौन-कौनसी नॉन पैचेबल सड़कें हैं? क्या सरकार उक्त सभी सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्टेट हाइवे या थ्रो रूट्स प्रस्तावित हैं? क्या सरकार उनको पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां,

(श्री गोरधन)

तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व थ्रो रूट्स का द्वितीय चरण पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: हां। मंत्री जी जवाब दें। नो, क्वेश्चन काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासरा, मैं नाम से पुकारूंगा फिर। क्या मजाक है ...(व्यवधान)... बैठ जाओ। जवाब आने दीजिए। हां, आ जाओ। सब आ जाओ। इनका एक शब्द नहीं जाना चाहिए ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र धोद की नॉन पैचेबल सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों का नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ। हां, बैठ जाओ ...(व्यवधान)... हां, नारे लगाओ। जोर से लगाओ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (2) पीपीपी योजना में एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर ई.पी.सी. पद्धति पर ट्रांच प्रथम में एक सड़क सीकर-गनेड़ी-जसवंतगढ़ एस.एच.20 एवं 20ए कुल लंबाई 75.13 किलोमीटर स्वीकृत राशि रुपए 212.96 करोड़ का विकास एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस सड़क का 19 किलोमीटर भाग विधान सभा क्षेत्र धोद में है।

विधान सभा क्षेत्र धोद में विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित राजमार्गों लोसल-सालासर-रतनगढ़ एस.एच. 92 एवं एस.एच-7 तथा खूड़-दातारामगढ़-रेनवाल एस.एच. 8ए का विकास पीपीपी योजना में क्रमश: एशियन विकास बैंक एवं विश्व बैंक से ऋण लेकर किया जा रहा है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धोद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 19.50 किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण व नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है। जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है तथा उक्त कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि दिसम्बर, 2018 है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में काफी सड़कें ऐसी हैं जो माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा दी गई थी। चाहे मिसिंग लिंक सड़क हो, चाहे नॉन पैचेबल हो, चाहे गौरव पथ हो। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र धोद जो पिछले 25 वर्षों से विकास को तरस रहा है।

श्री अध्यक्ष: सीट पर जाओ। पहले सब अपनी-अपनी सीट पर जाओ, Go to your seats. I am warning you. Go to your seats. ...(व्यवधान)... मैं यह बर्दाश्त नहीं करुंगा ...(व्यवधान)... Go to your seats. भँवर जी, समझाओ इनको। आप तो सीनियर हो ...(व्यवधान)...

श्री गोरधन (धोद): मुझे जनता ने 47 हजार वोट देकर के, विजयी कराकर के भेजा था और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया था।

श्री अध्यक्ष: आकर के खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)... यह बच्चों का गेम थोड़े ही है ...(व्यवधान)... Go to your seats. Please go to your seats ...(व्यवधान)... सबको सीटों पर भेजिए ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गोरधन (धोद): जनता के विश्वास पर खरा उतरें, इसके लिए सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का सहयोग बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 वर्षों में काफी काम करवाये गए हैं। फिर भी माननीय मंत्री महोदय के विभाग के द्वारा हमारी जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनका विवरण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: जाइए अपनी सीटों पर। सबको सीटों पर भेजिए। एक की नहीं सुनूंगा मैं। इन सबको ले जाओ। आ गए, अच्छी बात है ...(व्यवधान)... सदन के बीच में, Go to your seats. बैठ जाओ।

श्री गोरधन (धोद): उसमें आने वाला क्षेत्र ओसियां से सीकर वाया पंचाला सीधा खींवसर, खोदवा, लालपा, गवाकला और खाटू कलां, खाटू खुर्द, तोसिना, मोलासर, धनकोली, लोसल छोटी और धोद, यह जो हमारा स्टेट हाईवे घोषित किया है। इसमें काफी बीच का रास्ता टूटा हुआ है। इसके अलावा सीकर से टांटरवा, बींजासी, शाहपुरा, दयालपुरा, डीडवाना, बारांगा, कड़ौद, चाँदी सफेद, असरवां, मनाना मोदी, चारना, बेसरली, जिनग्या, हरनावा, गूलर, बाखड़ी, रिड, पिड, बड़ी घाटी पुष्कर, यह जो सड़क है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में बिलकुल टूटी हुई है।

खूड़ी से कूदन-दादिया जो सड़क है, वह बिलकुल हमारी टूटी हुई। धोद से सेवद बड़ी सड़क, क्योंकि उसमें अभी तक मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा, क्योंकि खड्ड़े इतने पड़ गए हैं इसलिए उस सड़क को नया बनाना बहुत जरूरी है। मूंडवाड़ा से मांडोली वाया मुकंदपुरा, पेवा, धोद, अनोखू, जस्सूपुरा, यह सड़क भी हमारी टूटी हुई है। कदमा का बास, बिडोली, गोठड़ा तगेलान, यह भी काफी टूटी हुई है। ताजसर बड़ी से जगतपुरा, यह भी हमारी टूटी हुई सड़क है। किरडोली से परडोली यह भी टूटी हुई है। झीगर छोटी से आकवा थोरासी लालासी जो एक छोटा-सा टुकड़ा है ढाई किलोमीटर का वह भी काफी टूटा हुआ है। फागलवा पाटोदा डोटासरा, यह क्योंकि कांग्रेस ने कुछ करवाया नहीं और यह माननीय सदस्य, गोविन्दजी डोटासरा के क्षेत्र को छूता है तो मैंने सोचा कि इनको भी जोड़ दें तो यह भी एक किलोमीटर का है इसको भी पूरा किया जाए।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्‌वारा हंगामा एवं बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दीपपुरा से अनोखू, जो चार किलोमीटर है जो नोन पैचेबल है इसको भी पूरा करवाया जाए। चोखा का बास से ताखरों की ढाणी वाया कुण्डलपुर जो साढ़े तीन किलोमीटर का है उसको भी पूरा करवाया जाए। बाडलवास से भिखणवासी, जो टूटा हुआ है वह लगभग तीन किलोमीटर है उसको भी पूरा करवाया जाए। तासर बड़ी से तासर छोटी जो

(श्री गोरधन)

लगभग सवा दो किलोमीटर है इसको भी पूरा करवाया जाए। सीकर से रूपपुरा वाया कंवरपुरा माजीपुरा, यह काफी लम्बा है जो लगभग 11.60 किलोमीटर है, इसको भी पूरा करवाया जाए। सिंगरावट से लोसल छोटी, करणी माता मंदिर, यह भी लगभग सात किलोमीटर सड़क है, इसको भी पूरा करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछें, आप पूरा उत्तर पढ़ रहे हैं।

श्री गोरधन (धोद): धोद से रामबक्सपुरा, इसको भी पूरा करवाया जाए। जीणमाता से माण्डोता वाया जीणवास, बिडोली, जो एक धार्मिक स्थल को जोड़ता है, चार किलोमीटर का नोन पैचेबल टुकड़ा है इसको भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी पूरा करवाया जाए। झीगर छोटी से आकवा थोरासी लालासी, यह सड़क भी चूंकि काफी टूटी हुई है, अब यह मंत्री महोदय यह सोचेंगे कि इतनी सड़कें जो नोन पैचेबल हैं, मैंने मंत्री महोदय, आपके विभाग की सूचना के अनुसार आपको बताया है, इसलिए इनको पूरा करवाएं, पूरा करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का आचरण सदन के प्रति और आसन के प्रति अशोभनीय रहा। सरकार ने पहले से आपसे लिखित में कहा था कि इस सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं, सहकारिता विभाग में जिस समय उनका दिन होगा उस दिन पहले स्थान पर आप इसको लेंगे सवाल को तो हम जवाब देंगे लेकिन सिर्फ हल्ला मचाना, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मान के प्रतीक के रूप में आप वहां विराजे हैं, आपके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, यह सदन इनके इस तरह के रवैये की निंदा करता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष का व्यवहार निंदनीय है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं और इसलिए वह चले गए, बहुत अच्छा हुआ, बाहर ही रहना चाहिए उनको, वह इसी पक्ष में हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिए, आपको क्या कहना है? बैठिए आप।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं, आप बैठिए, मैं कह रहा हूं। बीच में खड़े हो गए, बैठिए। मैं कहूं तब, बिना मेरी परमीशन के नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, बैठ जाएं। माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... बातें नहीं करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पूरक प्रश्न में एक बात कही। उन्होंने कहा कि धोद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है और वह जन प्रतिनिधि के रूप में यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे, जो अभी ही हाउस से बायकाट करके गए हैं, उन्होंने मेरे क्षेत्र में विशेष रूप से आधारभूत ढांचे पर ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से मेरा क्षेत्र पिछड़ गया और उन्होंने धन्यवाद भी दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि पिछली जो सरकार थी 2008 से 2013 तक उसमें उन्होंने धोद क्षेत्र में सब खातों में मात्र 48 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि इन चार साल में धोद अकेले में 200 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत करके हमने काम करने का काम किया है। मैं अभी देख रहा था धोद में कि वास्तव में धोद में जो काम हमने पिछले चार वर्षों में शुरू किए हैं और जिन क्षतिग्रस्त सड़कों की माननीय सदस्य ने बात की है, यह कुल हमने आपको इसमें एनेक्चर के रूप में 149 किलोमीटर सड़के आपके क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बताई हैं उनमें से आज मैं हाउस में घोषणा करना चाहता हूं कि हमने इनसे वह सारी सूची ले ली जो सूची आपने अभी पढ़ी उसमें भी आपने जो मांग की है उससे भी ज्यादा सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सहृदयता दिखाते हुए पिछले वर्षों में धोद पिछड़ गया था। उसको ध्यान में रखते हुए उसमें से 109 किलोमीटर सड़कें जो क्षतिग्रस्त हैं उनको इसी वर्ष 2018 में हम नवीनीकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा और बोलूंगा मैं। माननीय सदस्य से ओसियां से सीकर वाया पांचलासिद्धा, खींवसर, खींवसर विधायक भी बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, खींवसर का भी नाम आ रहा है, खींवसर, खोदवा, लालाप, गांवा कलां, खाटू कलां, खाटू खुर्द, तोषिना, मोलासर, धनकोली, लोसल छोटी, धोद, ये जो

(श्री युनुस खान)

सड़क है इसमें धोद का जो हिस्सा 28 किलोमीटर है, पहले हम इसको 3.75 मीटर करना चाहते थे, आपने मांग की कि इसको जो क्षतिगस्त सड़क को ठीक कर रहे हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मांग की कि इसको 7 मीटर किया जाए। इसलिए आज मैं हाउस में यह कहना चाहता हूं जो ये क्षतिग्रस्त सड़कें हैं इनके विधान सभा क्षेत्र की 28 किलोमीटर की उसको हम 7 मीटर चौड़ा बनाएंगे। यह मैं आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने सीकर-टाटनवां-बिन्ज्यासी-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना-बारंगा-आसरवा यह जो सड़क है, इसको भी चूंकि यह नागौर क्षेत्र में तो 7 मीटर है लेकिन जब सीकर में आते हैं तो 3.75 मीटर है और वह सड़क भी वास्तव में मैं इस बात को भी स्वीकार कर रहा हूं कि क्षतिग्रस्त है लेकिन पहले हमने घोषणा की थी कि इस क्षतिग्रस्त सड़क को आरआईडीएफ 23 में ठीक करेंगे लेकिन अब चूंकि माननीय विधायक महोदय ने समय-समय पर मिलकर इसको भी 7 मीटर करने की बात कही है तो यह जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं इनको हम ठीक करेंगे ही लेकिन जो धोद क्षेत्र में 28 किलोमीटर पड़ती हैं उसको भी हम 7 मीटर चौड़ा करेंगे, यह मैं घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे आप?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत बोल रहे हैं आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, निवेदन है, मैं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न का जवाब दे दिया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप बहुत सारी बातें कहनी हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अभी तो कागजों में बहुत कुछ देना है। ...(व्यवधान)...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

सीकर से सेवद इनका क्षेत्र पड़ता है जो हमारे नागौर जिले के जसवंतगढ़ तक रोड जा रही है, वह भी लगभग हमने इनके क्षेत्र में 53.85 करोड़ से, कागजों में नहीं, मैं माननीय सदस्य को आमंत्रित करता हूं कि सीकर से जसवंतगढ़ जाएं जिसमें धोद विधान सभा क्षेत्र पड़ता है वह भी 10 मीटर चौड़ा करने का काम वहां पर चल रहा है। इसलिए वह सड़क भी 53 करोड़ 85 लाख रुपए की इनके क्षेत्र में पड़ती है जो कुल 212 करोड़ की है।

लोसल बाईपास ...(व्यवधान)... बोलने दीजिए। वह तो चले गए, वह आरोप लगा रहे हैं कि प्रश्नकाल में प्रश्न तो है नहीं इसलिए जो बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो कहनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगरावट सरवड़ी धोद 15 किलोमीटर सड़क, यह भी माननीय सदस्य ने मांग की थी। इसको भी हम ठीक करेंगे। लोसल सिंगरावट, मोरडूंगा, शाहपुरा नेछवा सालासर, यह भी इनके क्षेत्र में 71.76 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर पड़ती है जो कुल लागत 183 करोड़ है उसमें से 71.76 करोड़ रुपए की इनके क्षेत्र में आएगी। यह भी 3.75 मीटर है उसको भी हम 7 मीटर करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में खूड़ से दांतारामगढ़, रेनवाल सड़क जो हम 77 करोड़ से बनाएंगे उसमें आपका खूड़ का क्षेत्र उसमें भी हम 4.55 करोड़ रुपए का काम इसी वर्ष करेंगे। सीकर पालवास टाटनवां इसका मैंने कह ही दिया। सेवद बड़ी से बिंज्यासी, उसको भी हम 7 मीटर करेंगे तो मैं समझता हूं कि जब यह काम पूर्ण होगा तब तक इनके विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से विकास को तरस रहा है और वहां पर 47 हजार की वोटों की लीड देकर जनता ने मेरे को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा है, तो यह माननीय मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया था, मैं माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आपने जो यह घोषणाएं की हैं, इनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं तो आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री गोरधन)

पीएमजीएसवाई का जो सैकिंड फेज है उसको जल्दी चालू करवाएं और पीएमजीएसवाई का थर्ड फेज भी चालू करवाएं जिससे हमारे क्षेत्र में कुछ और सड़कें शामिल की जा सके और पीएमजीएसवाई की हमारे जो गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी लगभग 250 के लगभग हैं, जिनमें हो सकता है संख्या 2-5 संख्या कम हो सकती है, उन गांवों को भी जोड़ा जाए जिसमें हमारा विकास नगर, ओला की ढाणी, ढाका की ढाणी, बुरड़कों की ढाणी है।

5-7 क्षेत्र हैं जो पीएमजीएसवाई सड़क से वंचित हैं, उनको भी जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात कही। राजस्थान प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें लगभग 5 हजार 335 किलोमीटर सड़कें हमने दूसरे चरण के प्रथम भाग में ली हैं जिनके टेंडर कर दिए हैं। उसमें से आपके क्षेत्र मंडावरा से खूड़ वाया चोखा का बास, बिडोली, मांडोता में 19.50 किलोमीटर की सड़क है, जिस पर 10 करोड़ 56 लाख 25 हजार रुपए खर्च होंगे। वह टेंडर प्रक्रियाधीन है और इसका टेंडर इसी महीने के अंत तक खुल जाएगा। उसके बाद में हम इस काम को शीघ्र शुरू कर देंगे। प्रधान मंत्री सड़क योजना के फेज 2 का पार्ट 2 के लिए भी सिद्धांतत: लगभग पूरे राजस्थान के लिए 7 हजार किलोमीटर सड़कों की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है, जो सड़क आप देंगे, उसको भी हम ले लेंगे। मैं सोचता हूं कि उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो बजट घोषणा करेंगी, उस समय आपको क्या देती हैं, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक। श्री नारायण सिंह देवल।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, मैंने उनको पुकारा है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह धोद से संबंधित है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): जी। राजस्थान में सड़कों के मामले में बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है और रानीवाड़ा में करीब 130 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जालौर, वीरवाल, सांचौर, भवातड़ा एमडीआर17 को बजट घोषणा में.....

श्री अध्यक्ष: यह अलग सवाल है, यह अलग सवाल है। आप धोद से संबंधित पूछिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): नहीं सर, यह प्रदेश सरकार का है। राजस्थान प्रदेश का है।

श्री अध्यक्ष: आप कर लीजिए, कर लीजिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): दिनांक 17-01-2018 को बजट में नेशनल हाइवे बनाए जाने की घोषणा की गई थी। डीपीआर का काम चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसका काम कब तक प्रारंभ होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब है तो ठीक, नहीं तो ये सवाल से संबंधित नहीं है। अगर जवाब हो तो आप दे दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आज सुबह ही मेरी आप से बात हुई है। वैसे सारी बात इनको बता दी है। इनके एसई और एक्सइएन को परसों मैंने बुलाया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला पूरक प्रश्न। रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि धोद विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा भी कई सड़कें बनी हुई हैं। उन सड़कों की रिपेयरिंग का वर्क कृषि विपणन बोर्ड नहीं कर रहा है। वह कह रहा है कि हमने पीडब्यलूडी को हैंडओवर कर दिया। क्या आप कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयरिंग करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। ...(व्यवधान).....नहीं तीन सवाल होंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिए आप, बैठिए। आप अलग से मिल लीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने धोद क्षेत्र में जो कृषि विपणन बोर्ड की सड़कें हैं, जिन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया, उन सड़कों के पुनर्निर्माण की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने पूरे राजस्थान में सर्वे करवाया है। उसमें लगभग 14 हजार 100 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जो या तो कृषि उपज मण्डियों से ट्रांसफर हुई हैं या पीडब्ल्यूडी की स्वयं की हैं। नहरी क्षेत्र में अभी 2014 में कुछ सड़कें ऐसी थीं जो पुराने टाइम में बनीं थीं, उन सड़कों को भी पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि उनकी भी मरम्मत नहीं हुई। हमारे पास इस तरह की 14 हजार 100 किलोमीटर सड़कें आई हैं। 22 दिसम्बर को हमारे प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने अपनी घोषणा में यह कहा था कि राजस्थान की जितनी टूटी हुई सड़कें हैं, जिसमें से अब तक हमारे पास सर्वे में 14 हजार 100 किलोमीटर आई हैं। हम उन सभी सड़कों को 2350 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी रिपेयरिंग करेंगे और वह प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने को है। इसी महीने के अंत तक हम उनकी स्वीकृतियां जारी कर देंगे। जो चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं तथा जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप हम उनकी स्वीकृति जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरी कई बार बात हो चुकी है और मुझे उम्मीद है ये कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सिवाना....

श्री अध्यक्ष: धोद से संबंधित है, धोद से।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): यह पूरे प्रदेश के लिए है। आपकी मेहरबानी है....

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप, सिर्फ धोद से संबंधित प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 56

अगला प्रश्न श्री गिर्राज सिंह। एब्सेंट।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से लाभान्वित गांव व ढाणियां

57. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले की खींवसर तथा नागौर विधान सभा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अब तक कितने-कितने गांवों व ढाणियों को नहरी पानी से लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनो विधान सभा क्षेत्रों में नहरी परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले गांवों व ढ़ाणियों में चल रहे कार्य की लक्ष्य के अनुरूप प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों क्षेत्रों के किन-किन गांवों में नहरी पानी की सप्लाई चालू करने के बाद बंद कर दी गई एवं इसके क्या-क्या कारण रहे तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नहरी परियोजनाओं से लाभान्वित हो चुके व होने वाले गांवों में सुलभ तरीके से जल की उपलब्धता के लिए हाईड्रेंट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र, खींवसर के समस्त 156 ग्राम एवं विधान सभा क्षेत्र, नागौर के कुल 103 ग्रामों में से 85 ग्रामों सहित नागौर जिले के कुल 494 ग्राम एवं 5 कस्बों (नागौर, बासनी, मुण्डवा, कुचेरा एवं मेड़ता) को इन्दिरा गांधी नहर आधारित नागौर लिफ्ट वृहत् पेयजल परियोजना से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रथम चरण की परियोजना की मूल स्वीकृति अगस्त, 2006 में राशि रुपये 761.01 करोड़ एवं संशोधित योजना की स्वीकृति माह अप्रैल, 2016 में राशि रुपये 1194.26 करोड़ की जारी की गई।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रथम चरण की उक्त स्वीकृत परियोजना के पैकेज द्‌वितीय के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, खींवसर एवं नागौर के क्रमश: 95 एवं 71 ग्रामों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। लाभान्वित ग्रामों की सूची परिशिष्ट - क पर संलग्न है।

(2) प्रथम चरण की उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रगतिरत पैकेज तृतीय में विधान सभा क्षेत्र, खींवसर एवं नागौर के शेष क्रमश: 61 एवं 14 ग्रामों को क्रमश: माह जून, 2018 एवं मार्च, 2018 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है। पैकेज तृतीय अंतर्गत माह जनवरी, 2018 तक 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्यादेशित राशि रुपये 299.91 करोड़ के विरुद्‌ध रुपये 253.17 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

नागौर लिफ्ट वृहत् पेयजल परियोजना के स्वीकृत द्‌वितीय चरण के पैकेज संख्या 7 (क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन 4 - डेगाना) में सम्मिलित विधान सभा क्षेत्र, नागौर के शेष रहे 18 ग्राम सहित कुल 176 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु मैसर्स एल एण्ड टी, चेन्नई को दिनांक 09.11.2017 को राशि रुपये 250.90 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्यादेश अनुसार इन ग्रामों को दिनांक 08.08.2020 तक लाभान्वित करना लक्षित है।

प्रथम एवं द्‌वितीय चरण की उक्त परियोजनाओं में विधान सभा क्षेत्र, खींवसर एवं नागौर के लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

नागौर जिले में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 3758 ढाणियों में से 2745 ढाणियों को विभागीय नीति अनुरूप (100 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाली समस्त तथा वितरण पाईप लाईन के रास्ते से 300 मीटर की दूरी तक आने वाली 50 से 99 तक जनसंख्या वाली ढाणियां) लाभान्वित किया जाना है।

परियोजना के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र, खींवसर एवं नागौर की प्रारम्भिक अनुमान अनुसार क्रमश: 688 एवं 346 ढाणियों सहित कुल 1305 ढाणियां तथा द्‌वितीय चरण में विधान सभा क्षेत्र, नागौर की 83 ढाणियों सहित 1440 ढाणियों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

प्रथम चरण के अंतर्गत लाभान्वित की जाने वाली समस्त 1305

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ढाणियां एवं द्वितीय चरण की शेष 377 ढाणियों (विधान सभा क्षेत्र, नागौर की 83 ढाणियों सहित कुल 1063 ढाणियों को क्लस्टर कार्यों के साथ लाभान्वित करना स्वीकृत) के सर्वेक्षण एवं पैकेज बनाने के कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम वेपकोस लिमिटेड को राशि रुपये 93.10 लाख का कार्यादेश दिनांक 08.01.2018 को जारी किया जा चुका है तथा यह कार्य 6 माह में पूर्ण करना अपेक्षित है। सर्वेक्षण उपरान्त तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति पर विचार संभव हो सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र, खींवसर एवं नागौर के क्रमश: 18 एवं 9, कुल 27 ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बकाया जल राजस्व राशि विभाग में जमा नहीं के कारण तथा क्रमश: 8 एवं 6, कुल 14 ग्रामों से संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उनके अनुरोध पर पेयजल आपूर्ति वर्तमान में बंद है। अत: इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

बंद पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट - ग पर संलग्न है।

(4) नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय चरण में ग्रामीण जल को सुलभ तरीके से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम में 250 जन पर 1 पी.एस.पी. लगाने का प्रावधान स्वीकृत है तथा इसी अनुरूप ग्रामों में पी.एस.पी. स्थापित की गईं / जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 70 साल बाद, थोड़ा बोल दूं, पहले भूमिका बना दूं एक बार।

श्री अध्यक्ष: भूमिका ज्यादा....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज खाली पड़ा है न सारा।

श्री अध्यक्ष: ज्यादा लम्बी भूमिका नहीं आप सवाल करो डायरेक्ट। आप तो बहुत बड़ी भूमिका पांध सकते हो, लेकिन ज्यादा लम्बी नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज शुद्ध पीने का पानी गांवों के अन्दर नहीं पहुंच रहा है, आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को लोग मजबूर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है, और नागौर वह जिला है अध्यक्ष महोदय, जहां सबसे ज्यादा फ्लोराइडयुक्त पानी नागौर जिले के अन्दर आता था और हमारी डीडवाना वाले मंत्रीजी चले गये। डीडवाना और जायल विधान सभा क्षेत्र के करीब दर्जनों गांव, जिन्हे बांकापट्टी के नाम से देश के अन्दर विख्यात थे वहां का पानी पीकर लोग बांके टेढ़े हो जाते थे, लोगों के दाँत खराब हो जाते थे, हड्डियों की बीमारियां हो जाती थी। ये योजना अध्यक्ष महोदय, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। नागौर लिफ्ट परियोजना 2006 के अन्दर 761 करोड़ रुपये नागौर, खींवसर के अन्दर पानी के और बाद में एक संशोधित आदेश निकाला 1194.26 करोड़, यह नागौर खींवसर सहित 5 कस्बे जो मेड़ता, नागौर, मूण्डवा, बांसणी, कूचेरा और मेड़ता के अन्दर पानी पिलाने का लक्ष्य रखा था और एक रामकी कम्पनी को यह काम दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर उनको एक निश्चित तारीख दी गई थी कि इस तारीख तक रामकी कम्पनी अपना प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के अन्दर डेढ़ हजार से ज्यादा गांव हैं और 2006 के अन्दर सरकार आपकी थी और अब आ गया 2017 मतलब 12 साल हो गये। अध्यक्ष महोदय, 12 साल के अन्दर आप अब डीडवाना की तरफ भी ले जा रहे हों, जायल की तरफ भी ले जा रहे हों। अध्यक्ष महोदय, जबकि नागौर खींवसर जिसका प्रथम चरण का काम आपको करना था। प्रथम चरण के द्वितीय पैकेज का अभी भी 156 खींवसर के और 103 जो गांव नागौर के हैं उनमें से आपने 95 खींवसर के और 71 गांव नागौर के जोड़े हैं नहरी पानी से। उसके अन्दर अध्यक्ष महोदय, मेरे और नागौर के इलाके के अन्दर ढाणियां ज्यादा हैं तो ग्रामीण इलाकों में साथ-साथ लोग ढाणियों में रहते हैं। आपने गांव में तो पॉइन्ट लगा दिया अलग-अलग, लेकिन उन ढाणियों की अभी तक क्या व्यवस्था की, वो भी तो गांव का हिस्सा है। एक भी ढाणी के अन्दर अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं गया.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए, प्रश्न कीजिए। भूमिका बना दी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह भी जानना चाहूंगा एक तो रामकी कम्पनी और दूसरी जो एस.पी.एम.एल. को दूसरा काम आपने दिया। उन्होंने देरी की और उस देरी करने का क्या कारण था? कौन अधिकारी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जिम्मेदार थे? कौन मोनीटरिंग कर रहे थे? और जो 3-4 साल से आपने एक चीफ इंजीनियर वहां पर बिठा दिया और अब वह रिटायर होने वाला है। मेरे हिसाब से तो उसने अपने घर का जरूर काम कर लिया होगा। अब रिटायरमेन्ट के बाद सात पुश्तें उसकी खाएगी उस पैसे से, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिली। आपको ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी करनी चाहिए। चुनावी साल है, कुछ आप मैसेज दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी मंत्रीजी। ये मतलब पानी आपका 3-4 साल का जो था और आज 12 साल में भी नागौर खींवसर के अन्दर पानी नहीं पहुंचा, तो जायल......

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अब सवाल कीजिए, नहीं-नहीं अब सवाल कीजिए, भूमिका बहुत लम्बी हो गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बताएं कि जो कम्पनियां इसके अन्दर जिम्मेदार थीं, जिन कम्पनियों ने एक अवधि के अन्तर्गत काम लिया था, उन पर आपने क्या पैनल्टी लगाई? कौन सा उनको डिबार किया? क्या कार्यवाही उन पर की, क्या ब्लैक लिस्टेड किया? और पानी नहीं पहुंचने का क्या कारण था? मेरा पूरक प्रश्न एक तो यह हो गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा बाद में कर लेना, इसका जवाब आ जाएं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि नागौर लिफ्ट परियोजना जो सबसे बड़ी योजना है, इसके अन्दर करीब 4132 करोड़ रुपये पूरे पैकेज पर खर्च आएगा, इतनी स्वीकृतियां जारी की हैं। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि आपके खींवसर और नागौर, जैसा कि आपने कहा कि प्रथम चरण के पैकेज-2 में आपके 95 गांव हैं, तो 95 गांवों को सबको लाभान्वित कर दिया। नागौर के प्रथम चरण के-2 में 71 गांव थे, 71 गांव को लाभान्वित कर दिया है। प्रथम चरण का तीसरा पैकेज है उसके अन्दर 61 गांव स्वीकृत हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जून, 2018 तक लाभान्वित कर देंगे। जो बचे हुए गांव है उनको भी और जहां तक नागौर का सवाल है प्रथम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

चरण के 3 के शेष स्वीकृत 14 गांव मार्च 2018 तक, मतलब इसी मार्च, 2018 तक लाभान्वित कर देंगे और जो द्वितीय चरण के सी.डी.एस. पैकेज 4 जो डेगाना क्लस्टर में है, जिसका अभी टेंडर हुआ है, तो उनमें 18 गांव आते हैं, उनको भी अगस्त, 2020 तक लाभान्वित कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य मैं निवेदन करूं कि यह फर्स्ट पैकेज है सैकिण्ड पैकेज का यह मामला है। रहा सवाल आपने कहा नागौर की ढाणियों का, कि ढाणियों को लाभान्वित करने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं, माननीय मुख्य मंत्री जी आपके वहां पधारे थे, उन्होंने घोषणा की थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कहा था। अक्टूबर, 2015 में नागौर में दिये गये निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा वृहत् पेयजल योजनाओं से ढाणियों को जोड़ने हेतु एक नीति बनाई गयी। जिसके अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी वाली सभी ढाणियां तथा पाइप लाइन अलाइनमेंट से 300 मीटर की दूरी पर 50 से मिनिमम आबादी वाली ढाणियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस नीति के अनुरूप नागौर जिले में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 1480 गांवों की 3758 ढाणियां आती हैं। प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 1305 ढाणियां और द्वितीय चरण के अन्दर 1440 ढाणियां, कुल 2745 ढाणियां नीति के अनुरूप लाभान्वित किये जाने की श्रेणी में आती हैं। मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं, इनमें से अभी जो जाइका पोषित द्वितीय चरण का पैकेज हुआ, इसमें परबतसर है, मकराना है, डीडवाना है, डेगाना है उसके अन्तर्गत 1063 गांवों की ढाणियों को सम्मिलित कर लिया गया है और क्लस्टर कार्यों के साथ ही ढाणियों को भी लाभान्वित किया जाएगा। इन गांवों में क्लस्टर का जो काम स्वीकृत हुआ है, जिसके टेंडर हो गये हैं, वर्क ऑर्डर दे दिया गया है, उनका काम शुरू हो गया है। उनके अन्दर 1063 ढाणियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब प्रथम फेज के तीन पैकेज- नागौर, खींवसर, मूण्डवा, कुचेरा, मेड़ता फेज द्वितीय की प्रगति लाडनूं और कुचामन पैकेज के अन्तर्गत आने वाली ढाणियों के सर्वेक्षण एवं पैकेज बनाने हेतु लगभग 84 लाख व्यय करने की सैद्धान्तिक अनुमति वित्त विभाग द्वारा जारी की गई है। इस कार्य हेतु कार्यादेश भारत सरकार के उपक्रम वैपकोस (WAPCOS) लिमिटेड को अभी इस 08.01.2018 को 93 लाख 10 हजार

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

का जारी हो चुका है। कार्य 6 माह में पूर्ण करवाना प्रस्तावित है और वहां की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद में वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार आगे की कार्यवाही करके उन ढाणियों को भी जोड़ने का काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, ढाणियों के लिए भी हमने ये काम जो आपको बताये हैं, 1063 ढाणियों को तो उनमें ले लिया है और बाकी की ढाणियों के लिए वैपकोस को सर्वे करने के लिए आदेश 08.01.2018 को कर दिया है, उसकी भी 6 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक साथ ही पूछ लूं, दो हैं।

श्री अध्यक्ष: सीधा सीधा ही करो, अब आपने भूमिका बहुत बांध ली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि देरी का कारण क्या रहा और एक मिनट.. जो रामकी और एस.पी.एम.एल कम्पनियां थीं। रामकी बीच में छोड़ कर भाग गई, तीन साल तक तो आई नहीं, आपने देरी के कारण से जो पैसा रेवेन्यू का लौस इस सरकार को हुआ, लोगों तक पानी नहीं पहुंचा तो उसके अन्दर आपने उन पर क्या जुर्माना लगाया? क्या ब्लैक लिस्टेड किया? उसका एक तो आप उत्तर दें। दूसरा सुन लो, एक साथ ही बोल देता हूं, एक मेरे वहां पर आपने जो सप्लाई की थी, वहां पर आपने कई गांवों के अन्दर करीब 1 दर्जन से जहां नहरी पानी आ रहा है, वहां एक दर्जन से ज्यादा मतलब 2 दर्जन के लगभग गांवों के अन्दर आपने पानी की आपूर्ति बन्द कर दी। पहले तो आप मुझे यह बताओं पानी की आपूर्ति यदि आपने बन्द की है तो आपका आदेश था क्या नम्बर एक, नम्बर दूसरा कोई लिखित में निर्देश जारी किया क्या नहरी पानी दे रहे हो, मन पड़े जहां बन्द कर दिया। ये पोपा बाई का राज थोड़े ही है राजस्थान के अन्दर, चाहे जैसे आप कर दो। दूसरा मेरा यह है कि किस के आदेश से बन्द हुआ और अगर ऊपर-सापर में वैसे ही कर दिया आपने तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो, जिन्होंने टेलीफोनिक, अध्यक्ष महोदय मैं प्रत्युत्तर चाहूंगा कि आपने नहरी पानी पिला दिया, यहां तो आप भाषण दे रहे हो कि हमने नहरी पानी वृहत् परियोजना, इन भाषणों से कुछ नहीं होगा। 24 जो गांव के अन्दर आपने...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, सवाल कर लिया आपने।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, नहरी पानी बन्द किया है तो उसमें कोई आदेश होगा, उस आदेश की प्रतियां आप हमें बता दें कि यह आदेश है और मैंने ही आदेश किया और कारण क्या था। जल स्वच्छता समिति आप बता रहे हो, किसी समिति ने यह आपको रिकमन्ड नहीं किया कि पानी बन्द करो, सारे हमको ज्ञापन दे रहे हैं और तीसरा....

श्री अध्यक्ष: विराजिये। 3-3 सवाल कर रहे हो, आपका हो गया न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज कोई है ही नहीं है न साहब, मुझे एक मिनट करने दो। एक तो यह हो गया, मेरे बाद में राजकुमार जी। मंत्रीजी मेरी भी सुनो एक तो मैंने कहा कम्पनियों पर क्या कार्रवाई हुई देरी के लिए नम्बर एक और दूसरा अब चुनावी साल है और डेढ़ हजार गांव पूरे जिले के अन्दर हैं तो अब चुनाव के अन्दर जाओगे तो खाली पाइप देख कर के और उससे तो आपको कुछ मिलना नहीं। आप सोच रहे हो कि चुनाव के अन्दर जो वहां पानी हमारा पीछे प्रथम चरण का आ रहा है उसका पानी...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करो सीधा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब द्वितीय चरण में डाल रहे हो और हमारा पानी क्या बन्द करोगे, कैसे पहुंचाओगे आप पानी बताओ जिले के अन्दर और एक.....

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये दो-तीन मेरे बता दो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जल सम्बन्ध करने के विषय में कहा तो मैं बता दूं कि हमारे नियम हैं और उन नियमों के तहत प्रथम चरण के अन्दर लाभान्वित गांवों में पेयजल वितरण हेतु जल एवं स्वास्थ्य समिति के माध्यम से पेयजल वितरण जल शुल्क जमा कराने पर कार्य अनुबन्ध के तहत किया जाता है। अनुबन्ध के अनुसार जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा चालू माह के जल शुल्क एवं अन्य सभी बकाया, यदि हो, तो लिखित नोटिस की दिनांक से एक माह की समयावधि में विभाग को जमा कराया जाना होता है। ऐसा नहीं होने के कारण खींवसर विधान सभा क्षेत्र के 18 गांव और नागौर विधान सभा क्षेत्र के 9 गांवों के जल सम्बन्ध काटे गये हैं

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जिनके ऊपर कुल 12.22 लाख रुपये की राशि बकाया है। इसके अलावा खींवसर के 8 और नागौर के 6 गांवों की कमेटियों ने स्वैच्छा से जल सम्बन्ध कटवाया है क्योंकि उनके वहां पानी की व्यवस्था ऑलरेडी है और उन्होंने स्वैच्छा से लिखकर दिया है कि हमारा कनेक्शन काट दो। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह जो नहरी पानी दिया जाता है इसकी राशि ली जाती है और दूसरे जो कंज़ूमर हैं उन्होंने पिछले वर्ष 2016-17 में 20.43 लाख रुपये जमा करवाये हैं और इस वर्ष जनवरी, 2018 तक 27.19 लाख की राशि शुल्क पेटे जमा करावायी है। ये तो जमा करवा रहे हैं पर आपके जो खींवसर और नागौर के 27 गांव बता रहे हैं वो पैसा जमा करवाना ही नहीं चाहते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा प्रश्न है। मैं यह कह रहा हूं कि जो पानी पहुंचाने में देरी हुई उस देरी के लिए जो कम्पनियां जिम्मेदारी थीं, एक तो उसका बता दो। एक साथ ही बता दो न ताकि इनका नम्बर आ जाए पहले।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं बता रहा हूं न, पहले मेरी बात तो सुन लो। ढाणियों का पूछा, ढाणियों का बता दिया मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पी.एच.ई.डी. में नियम बने हुए हैं कि अगर समय पर काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एल.डी. लगाई जाती है। मैं बता रहा हूं कि जिस कम्पनी ने काम नहीं किया तो समय-समय पर उसके ऊपर एल.डी. का प्रावधान है और एल.डी. लगाई है। एक कम्पनी के ऊपर 8 करोड़ 65 लाख की एल.डी. लगाई है जो काम समय पर नहीं करने के कारण लगाई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बाकी समयबद्ध तरीके से उनके टाइम में एक्सटेंशन करने का प्रावधान है तो समय-समय पर कारणों का पता करके उनका टाइम एक्सटेंड किया जाता है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर दूं कि आपके खींवसर के जो गांव बचे हुए हैं उनमें जून तक और नागौर के जो गांव बचे हुए हैं उनमें मार्च तक काम कम्प्लीट कर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

दिया जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। छोटू सिंह जी। यह केवल खींवसर और नागौर का है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लास्ट। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी क्षेत्र की और उसी नहर की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): छोटू सिंह जी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय बेनीवाल साहब, आपका हो गया। (व्यवधान) छोटू सिंह जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, आप इतना सा बता दें कि जो 23 गांवों का कनेक्शन आपने काटा है.... (व्यवधान) एक मिनट, छोटू सिंह जी। छोटू सिंह जी, एक मिनट।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आपके तो दो प्रश्न हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे इलाके का क्यों कर रहे हो, जैसलमेर को छोड़ो एक मिनट। गोयल साहब, मैं कह रहा हूं कि आप यह बता दें कि 23 गांवों का जो आपने कनेक्शन काटा है वो किसके आदेश से काटा है? चलो आपने धुप्पलबाजी में काट दिया, एक तो आप वो चालू कराओ और एक यह पानी का आप किस बात का पैसा ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठो। माननीय बेनीवाल जी, विराजिए। (व्यवधान) बेनीवाल जी विराजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पानी तो कम से कम मुफ्त होना चाहिए गांवों के अन्दर। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, लोगों को पानी मुफ्त पिलाओ राजस्थान की जनता को। (व्यवधान) पानी के पैसे लोगे तो फिर तो हम मिनरल वाटर की बोतल खरीद लेंगे। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत् मैं

मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह मामला है आईजीएनपी नहर का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में 245 आर.डी. से 7 ग्राम पंचायतों और....... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसा मैंने बताया है कि जो 12 लाख और समथिंग पैसा बकाया है वो पैसा जमा कराते ही इन 27 गांवों के कनेक्शन कर दिए जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मिस्टर बेनीवाल, अब नहीं। बेनीवाल का एक शब्द अंकित नहीं हो। मिस्टर बेनीवाल का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। नो-नो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं दिया जाएगा। आपका जवाब बिलकुल नहीं आएगा। बेनीवाल साहब, बैठिये। नहीं, जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान) जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं आएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि यह तरीका नहीं है। नहीं, वो नहीं देंगे। मेरी बिना इजाजत के कैसे दे देंगे, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया है। छोटूसिंह जी। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वही आईजीएनपी नहर, उस नहर की एसएमजी, एसएमजी की 245 आर.डी. 2004-05 में शुरू हुई थी, उसकी एस्टिमेटेड कोस्ट 6 करोड़ रुपये थी उस कार्य में आज तक 7 ग्राम पंचायतों और 17 ढाणियों का काम पूरा नहीं हुआ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में भी रिवाइज्ड एस्टिमेट बना जो 2012-13 में शुरू हुआ और करीब 9 करोड़ की स्कीम बनी।

श्री अध्यक्ष: इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन से सम्बन्धित नहीं है और माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि मुझे बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: छोटू सिंह जी, यह खींवसर और नागौर से सम्बन्धित नहीं है, बैठिये आप। श्री श्रीराम भींचर।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 2004-05 की शुरू हुई स्कीम 245 आर.डी. से 7 ग्राम पंचायत और 17 ढाणियों के लिए बनी, दो बार एस्टिमेट बना लेकिन आज तक शुरू नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: छोटू सिंह जी, बैठिये। छोटू सिंह जी, यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, बिलकुल नहीं। (व्यवधान) बिलकुल नहीं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): नहीं, आईजीएनपी का ही मामला है और पेयजल का मामला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, वो ही सवाल है जो आईजीएनपी नहर से पानी मिलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल से सम्बन्धित नहीं है। श्रीराम भींचर। (व्यवधान) नहीं, बैठिये आप। हीरालाल जी, आप सवाल पूछ रहे हैं?

श्री हीरालाल (निवाई): मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना से सदन को अवगत कराना है कि पंचायत मुख्यालय थड़ोली तहसील टोडारायसिंह.....

श्री अध्यक्ष: यह सवाल खींवसर और नागौर से सम्बन्धित है, बैठिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आज से 6-7 महीने पहले माननीय मंत्री महोदय नागौर में जिला परिषद की मीटिंग में पधारे थे और तब मैंने आपसे यह प्रश्न किया था कि आप हमारे मकराना क्षेत्र की जनता को पानी कब तक पिलाएंगे। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पूरे क्षेत्र को पानी पिलाने में तो काफी समय लगेगा लेकिन अप्रैल तक मकराना शहर और बोरावड़ को पानी पिला दिया जाएगा। आज स्थिति यह है कि जब आप वहां पर कोई काम चालू ही नहीं हुआ तो माननीय मंत्रीजी

(श्री श्रीराम भींचर)

ने जो घोषणा की है उसके अनुसार आप पानी कब तक कैसे पिलाएंगे? यह स्थिति स्पष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आपके मकराना, डेगाना, डीडवाना, परबतसर, इन गांवों में इन्फ्रा का काम चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो काम कम्प्लीट होने वाला है और अगस्त तक किसी भी सूरत में आपको, इन शहरों को पानी मिल जाएगा।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा की थी अप्रैल तक पानी पिलाने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री राजकुमार शर्मा। नहीं, यह नहीं, हो गया। मिस्टर भींचर सवाल हो गया, जवाब आ गया। नहीं, बिलकुल नहीं। अगला सवाल श्री राजकुमार शर्मा।

नवलगढ़ में सुराज संकल्प 2013 के तहत कराये गये कार्य

58. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुराज संकल्प 2013 में विभाग से संबंधित क्या-क्या संकल्प/घोषणाएं की गयी थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संकल्प/घोषणाओं में से किस-किस संकल्प/घोषणा पर अब तक क्या-क्या व कितना-कितना कार्य किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय की जाकर कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी? प्रत्येक संकल्प/घोषणावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प 2013 में शामिल अनेक संकल्प/घोषणाओं पर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है या लक्ष्य के मुकाबले आंशिक काम हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संकल्प/घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभाग से

(डा. राजकुमार शर्मा)

संबंधित किन-किन योजनाओं में क्या-क्या कार्य कहां-कहां किये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? योजनावार कार्यों तथा व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) सुराज संकल्प 2013 में युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित संकल्प / घोषणाओं का विवरण परिशिष्ट- क पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट- ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित कुल 23 संकल्पों में से 10 संकल्पों की क्रियान्विति पूर्ण की जा चुकी है। 2 संकल्प विभाग से संबंधित नहीं है। शेष संकल्पों पर क्रियान्विति की जा रही है। इस प्रकार कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

(4) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक भारत सरकार की पायका/राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने हेतु राशि रुपये 2,60,000/- रुपये एवं खेल मैदान विकास हेतु राशि रुपये 2,50,000/- स्वीकृत किये गये।

31 दिसम्बर, 2013 से अब तक अनुदान नियमों के तहत् नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 11 खिलाड़ियों को राशि रुपये 3,71,000/- की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2015-16 में ब्लॉक स्तर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राशि रुपये 60,000 व्यय किये गये। नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के नवलगढ़ में फुटबॉल खेल के अल्पकालीन प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मेरा झुंझुनू जिला नवलगढ़ यहां पर काफी खिलाड़ी निकलते हैं हर वर्ष और माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी मेरे सवाल का जवाब दिया है, इन्होंने सुराज संकल्प के अंदर 23 बिंदु रखे थे 2013 के अंदर। अभी आपने खुद ने कहा कि 23 आपने खुद ने रखे थे, फिर कह रहे हो कि 2 मेरे विभाग से

(डा. राजकुमार शर्मा)

संबंधित नहीं है। चलो नहीं मानते हैं, 23 में से आपने 10 किए सवा चार साल के अंदर 13 अभी तक बाकी पड़े हैं। इन्होंने कहा था, आपने बिंदु संख्या 20 में लिखा था कि युवाओं के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए एक नई युवा नीति बनाई जाएगी, ये 2013 में आपने कहा। इसमें खेल-कूद रोजगार और रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब चार साल बाद में आपने उत्तर में कहा है कि अब ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है। मंत्री महोदय, आपने चार साल में तो ड्राफ्ट किया है, 2013 के बाद में 18 तक तो अब आप उसकी क्रियान्विति कैसे कर पाओंगे? एक तो इसका जवाब दे दो मुझे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरी इनसे यह प्रार्थना है कि बिन्दु संख्या 8 में राज्य के शहरी क्षेत्रों में और ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर आपने खेल मैदान विकसित करने की घोषणा की थी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बता सकता हूं, एक भी खेल मैदान आपने शहर या गांव के अंदर विकसित किया हो उसकी सूची मुझे ही नहीं सदन को भी आप अवगत कराये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने युवाओं के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में यूथ हॉस्टल बनाने की इन्होंने घोषणा की थी, एक भी यूथ हॉस्टल आपने कौनसे जिले में बनाया है, यह आप एक बार बता दे मुझको?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 में से 23 जो हमने सुराज संकल्प यात्रा के दरमियान वायदे किए थे। वे पूर्ण हो चुके हैं और 11 जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं वे अक्टूबर से पहले पूर्ण हो जाएंगे। माननीय सदस्य को मैं उनकी पूर्ण डिटेल डैट-बाई-डैट बता दूंगा वे कब तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में दो जो है एक तो टीएडी के अंडर काम हो रहा है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हो रहा है जिसके अंदर हमने हर पंचायत में खेल मैदान बनाने का किया था। वो मेरे ख्याल में हजार से ऊपर, मुझे जहां तक सूचना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी, वे उनके ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका बहुत ही तीव्र गति से कार्य चल रहा है। माननीय सदस्य ने अरबन और रूलर एरियाज में ग्राउण्ड्स के बारे में कहा था कि पैसा जो खर्च हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर गांव, हर सिटी को एक साथ कवर करना बिलकुल असंभव है, इतना फंड कभी भी

(श्री गजेन्द्रसिंह)

अवेलेबल नहीं रहा है, अरबों में खर्चा होगा। हम धीमे-धीमे, हम पहले क्या है कि स्पोक और व्हील हमने एक पूरा् प्रोग्राम बनाया है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक तो बता दें। मैं तो एक पूछ रहा हूं। किसी शहर में एक किया हो, गांव की पंचायत में एक किया हो, एक बता दें पूरे राजस्थान में।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): चूरू में किया है, हमने राजसमंद में किया है, हमने खींवसर में किया है। आप एक की बात कर रहे हो, मैं आपको चार-पांच बता दूं। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2009-2010 के अंदर खाली 3 करोड़ रुपए स्पोर्टस डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट-इन-एड वगैरह पर खर्च हुए। 2009-2010 में 3 करोड़। 2010-11 में साढ़े सात करोड़, 2011-12 में 12 करोड़, 2012-13 में 18 करोड़ और पिछले वर्ष जो है हमने 61 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए हैं। इसके अंदर हम जो हबर्स स्पोक मॉडल कर रहे हैं। हम सबसे पहले एसएमएस स्टेडियम के अंदर 12-15 एकेड्मीज एक यूथ का हॉस्टल बच्चे जहां आकर फ्री में रह सके, हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ओएसिस जो है उसको भी हम पीपीपी मोड पर डवलप करेंगे और उसके बाद में डिविजनल हैडक्वाटर्स को हम पहले टेकल करेंगे। ऐसा पैसा जो अपने पास लिमिटेड आता है, उसको पूरा फैला दे तो किसी को भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। आपके जो कार्य हुए हैं। आपके फुटबाल ग्राउण्ड बसावा में बना, आपके जाखल में बना, निवाई में बना, बड़वासी में बना, नवलगढ़ में बना और अब कबड्डी, फुटबाल, हैंडबाल ये आपके नवलगढ़ में ऑलरेडी काम हो चुके हैं। जब पाइका स्कीम थी उसके अंदर आपके हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो कहा है सदन में कहा है। एक बार कृपया करके आप नहीं जा सकते तो अपने एक जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर जिन गांवों के आपने नाम गिनाए हैं, एक बार देखो तो सही वहां पर जाकर। मैं आपका कोई विरोध नहीं करना चाह रहा। मैं आपको कह रहा हूं एक बार धरातल पर देखों। कागजों में ये जो

(डा. राजकुमार शर्मा)

अधिकारी है न ये मिट्टी में मिला देगे आप लोगों को। इनको मिला चुके हैं। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनके अच्छे मंत्रीजी हैं, ये सीधे मंत्रीजी हैं इनके मुंह से +++ बुलवा रहे हैं, मिथ्या वचन करवा रहे हैं सदन के अंदर। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि मेरे नवलगढ़ में जिस सूर्यमंडल स्टेडियम की आप बात कर रहे हो, वहां जाकर देखों। वह तो विधायक कोटे से हमने तैयार करवाया है। गांव के भामाशाहों से पैसा इकट्ठा करके शुरू करवाया है। ये सदन के अंदर आप जैसे एक संभ्रान्त मंत्री से ये लोग +++ बुलवा रहे हैं। आप इन पर एक्शन लीजिए। मैं कह रहा हूं यूथ हॉस्टल वाली बात, आप कह रहे हैं चार माननीय विधायकों ने पीठ थपथपा दी, हो सकता है आपके चार के हो गए हो, आपको मुबारक हो। लेकिन बाकी सारे जितने भी बैठे हैं, उनके कोई भी काम नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने रोजगार उपलब्ध करवाए हमारे उन बच्चों को जो स्पोर्टस में रूचि रखते हैं, जो पदक लेकर आए। आपने कहा तीन सौ रुपए से पांच सौ रुपए हमने बढ़ा कर उनका भत्ता कर दिया। मुझे आज यह बता दो पांच सौ रुपए के अंदर तो एक थाली नहीं आती, आप पदक जीतने की उनसे कहा से उम्मीद करोगे। पांच सौ-पांच सौ रुपए देकर कहोगे पदक जीतकर लेकर आओ और आने के बाद पदक भी कोई जीत कर लेकर आ गया, वह खिलाड़ी मारे-मारे घूम रहे हैं इस सरकार के मंत्रियों के पास, सरकार के पास में। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और जो घोषणा कर देती है सरकार उनकी आज तक क्रियान्विति यह सरकार नहीं करती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय आप संजीदा व्यक्ति हैं। 01 जनवरी, 2014 के बाद आपके विभाग में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको कितने लोगों को नौकरी मिली, ये भी आप बताए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप अवार्ड, जहां एक लाख रुपए हम हर खिलाड़ी को देते हैं, पिछले सात साल से वो अवार्डस नहीं दिए गए। हमने उनको अवार्डस दिए। हमने टेलेंट हंट के अंदर ....

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सात साल में चार साल तो आपके ही है।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): इसको लास्ट ईयर कर दिया न हमने।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल का ही तीन साल का नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया?

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): हमने पूरा इसके अंदर बैकलॉग लेकर के इसको करके अपडेट कर दिया। एक लाख रुपए हमने दिया है, राइजिंग स्टार अवार्ड दिया है। उनको भी पैसा मिला है। और 154 खिलाड़ी को टेलेंट हंट के जरिये हमने उनको एक-एक साल में एक-एक लाख रुपए चाहे वे अपने डाइट पर खर्च करें, ट्रेनिंग में खर्च करें। इंटरनेशनल कोचेज हम लाए हैं, नेशनल कोचेज हम लाए हैं और अध्यक्ष महोदय हमने पहली बार किसी सरकार ने किया है ओलम्पिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियान गेम्स में जिसको स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिलता है, उनको नौकरी, जमीन और उनको फाइनेंशियल एड हमने दी है।

श्री अध्यक्ष: चन्द्र भान सिंह 'आक्या' पूरक प्रश्न। आप भला मंत्री कह रहे हैं आप इनसे मिल लीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खेलों के माध्यम से स्कूल के बच्चे खेलने जाते हैं, उनको टीए, डीए के रूप में प्रतिदिन के पचास रुपए मिलते हैं और आज के टाइम का बच्चा कहीं पर भी होटल पर खाना खाने जाता है तो 100 रुपए से कम खाना नहीं मिलता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट खेलने जाते है, स्टेट खेलने जाते है, नेशनल खेलने जाते हैं, उनका टीए-डीए काफी कम है। 50-60 रुपए टीए-डीए से कुछ होता नहीं है। कम से कम उनका टीए-डीए 200 रुपए होना चाहिए इसी बजट में आप उस चीज की घोषणा करें। एक बच्चे खेलने जाते हैं उनके किट नहीं है। किट के पैसे भी सरकार भले ही स्टेट लेवल पर चालू करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चालू करें। मंत्री महोदय वो भी चालू करें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवा देता हूं, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एक बच्चे स्टेट और नेशनल खेलने जाते हैं उन बच्चों को नौकरी में अलग से कोटा मिले, उनको अलग से नौकरी मिले, उसके लिए भी बताए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी में तो दो परसेंट का कोटा है ही और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बच्चों को जो उनका डीए है वह दौ सौ से हमने तीन सौ रुपए कर दिया है और दूसरे उनका तीन सौ से पांच सौ कर दिया है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): स्कूल का नहीं किया है।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): स्टेट लेवल गेम्स, नेशनल लेवल गेम्स है, जो भी बच्चा उभर कर आता है, अगर टेलेट हंट में उभर कर आता है, हम उसको अच्छी आर्थिक सहायता देते हैं। अगर उसका परफार्मेंस होता है हम उसको किट भी देते हैं। इसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। किट के अंदर किसी को साईकिल आउटस्टेडिंग राइजिंग स्टार हो, हम उसको डेढ लाख की साईकिल भी देंगे, उसको क्रिकेट बैट चाहिए हम उसके लिए वह भी करेंगे

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): स्कूल बच्चों का बताओ।

श्री गजेन्द्रसिंह (युवा मामले एवं खेल मंत्री): आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, नवलगढ़ से पधारने वाले माननीय सदस्य को एक घंटे के अंदर कितने शहरों में और कितने गांवों में डवलपमेंट का काम है, प्रश्न काल के बाद में इनको पहुंचा दूंगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: स्वागत है। स्वागत है आपका। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय चाहिए। सदन को महत्वपूर्ण सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री हीरालाल। हां, बोलिये आप।

सूचना

टोडारायसिंह की ग्राम पंचायत तड़ोली में दलित छात्रा के साथ प्रधानाचार्य द्वारा अश्लील हरकत

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, पंचायत मुख्यालय, ग्राम पंचायत तड़ोली तहसील टोडारायसिंह में एक दलित छात्रा के साथ वहां के एक प्रधानाचार्य ने अश्लील हरकतें कीं, जिसकी रिपोर्ट 03.02.2018 को दर्ज करा दी। यह 30.01.2018 की घटना है। एसएचओ द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि छात्रा के परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस तरह से एक डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रतिनिधि भेजा। मुझे एक मिनट के लिए इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप गृह मंत्रीजी से मिल लीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): वहां प्रतिनिधि भेजा। उसने भी यह कहा कि प्रधानाचार्य अच्छा है। (व्यवधान) दलित लोग आंदोलनरत हैं। एक छात्रा के साथ इस तरह की अश्लील हरकत की गई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यह आपका विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक कह रहा है कि दलितों के साथ में यह सरकार अत्याचार कर रही है। शर्म आनी चाहिए। आपका विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक यह कह रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है...

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, बैठ जाइए आप। माननीय, आप बैठ जाइए। मुझे बोलने दो। मेरा समय खराब नहीं करें। (व्यवधान) माननीय डोटासराजी, आप बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल-परसों सीकर में दलितों ने रैली निकाली। एसपी से परमिशन लेकर... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं एक-दो मिनट लूंगा। ये मेरा समय खराब कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या रैली एसपी की अनुमति से, कलक्टर की अनुमति से निकालना अन्याय है? यह देख लीजिये नमूना आपकी कानून व्यवस्था का। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। डीईओ गया। डीईओ ने कहा, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने दलित समाज के लोगों ने एसपी से बात की। एसपी ने कहा, मुझे इतना टाइम नहीं है, यहां आकर बात करो। इस तरह की घटना हो जाए और कोई कार्यवाही नहीं हो, उस प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्रीजी सदन में नहीं हैं। उस छात्रा के साथ न्याय हो और दलितों के साथ स्वाभिमान का व्यवहार हो। (व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान) दलित छात्रा सुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। आप गृह मंत्रीजी से मिल लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं। कौन रखवाला है? गृह मंत्री जवाब दें। गृह मंत्री जवाब दें।

श्री हीरालाल (निवाई): उसके परिवार को धमकियां दी जा रही है। एसपी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि उस प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धमका रहे हैं राठौड़ साहब। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लागू करो। (व्यवधान) सबके साथ समानता का व्यवहार करो। (व्यवधान) हमारे दलितों के साथ, जिसने झूठा मुकदमा दर्ज किया दलितों के खिलाफ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): दलितों को संरक्षण दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक टीचर के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया गया। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान किया और उन अपमान करने वाले लोगों ने जब ज्ञापन दिया... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार सत्ता पक्ष के लोगों की भी नहीं सुन रही है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सरकार ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उन दलितों के साथ... (व्यवधान) सरकार वापस ले। सरकार उस मुकदमे को वापस ले सीकर के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार सुन नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सीकर के उस मुकदमे का जवाब देना माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) जिसके साथ भी अन्याय हुआ है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कौन हो? गृह मंत्रीजी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं राजस्थान सरकार का। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री के नाते मेरा अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी की चलती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप भी विराजिए, आप भी विराजिए। मुझे व्यवस्था करने दीजिए। उसके बाद बोलना। आप बैठिये। आपका नाम है व्यवस्था में जो आप बोलना चाहते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन मंत्री): दलितों की बड़ी चिंता हो रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्रीमती कामिनी जिंदल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की ग्राम पंचायत बानसूर को आगामी बजट में नगर पालिका घोषित किये जाने के संबंध में।

(3) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा भवन एवं संनिर्माण कामगार योजना के तहत हजारों श्रमिकों को भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में डार्क जोन घोषित जिलों में पदस्थापित तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से जहाजपुर बस स्टैण्ड पर डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति के पश्चात् भी प्रतिमा की स्थापना नहीं किये से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की सैंपऊ पंचायत समिति के खाते में पड़ी हुई राशि का उपयोग विकास कार्यों में नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के आलनियावास रोहीसा मेड़ता में अधिकारियों की मिलीभगत से बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजगढ़ न्यायालय परिसर में हुए गोलीकाण्ड के विरोध में वकीलों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना तथा कार्मिक अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धीरज गुर्जर, श्री गिर्राज सिंह, श्री श्रवण कुमार

(श्री अध्यक्ष)

एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा कस्बे की पुलिस चौकी को पुराने थाना भवन में शिफ्ट किये जाने के संबंध में।

(2) श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 1,22,500 (आर) का मोगा उचित स्थान पर लगवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कस्बों में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(5) श्री गौतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में स्थाई न्यायालय की स्थापना किये जाने के संबंध में।

(6) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश को शराब एवं नशामुक्त करने के संबंध में।

(7) श्री प्रताप लाल भील, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की उप तहसील सायरा को तहसील में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आईटीआई केन्द्र खोले जाने के संबंध में।

(9) श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से अलवर शहर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में वकीलों के बैठने हेतु चैम्बर्स बनाये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित सात गांवों के परिवारों को मुआवजा व अनुग्रह राशि दिलवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वंचित आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(12) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से सांचौर नगर पालिका क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 08 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री जोगाराम पटेल	जोधपुर शहर के पास स्थित जोजरी नदी को 'जोजरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट' बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के संबंध में।
2.	श्री रामलाल शर्मा	चौमूं विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या के कारण किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।
3.	श्री कन्हैया लाल	बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर बांध में डलवाने के संबंध में।
4.	श्री शंकर सिंह	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ब्यावर के जिला क्षय रोग कार्यालय को अजमेर शिफ्ट करने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दलित छात्रा के साथ न्याय हो, एसडीएम को भी ज्ञापन दे दिया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप अपनी बात कह चुके। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। हीरालालजी, आप बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): ...मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उस दलित छात्रा के साथ न्याय हो। एसपी, डीईओ और एसएचओ...

श्री अध्यक्ष: मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। आप बैठ जाइए। (व्यवधान) मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री हीरालाल (निवाई):... और एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दलित छात्रा के साथ न्याय हो। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है...

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है, आप बैठ जाइए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, बैठ जाइए आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलवाओ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं। जवाब देना चाहे, सरकार देना चाहे, दे सकती है। आपकी जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी हैं नहीं। गृह मंत्रीजी हैं नहीं। राठौड़ साहब की चलती नहीं। कौन देगा जवाब, यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। आपकी राय की जरूरत नहीं है सरकार को। हां, धीरज गुर्जर। (व्यवधान) धीरजजी, आप बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जहाजपुर बस अड्डे पर अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना की अनुमति

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संविधान निर्माता के बनाये हुए संविधान के तहत आज इस सदन के अन्दर आप और हम सब बैठे हुए हैं। क्या राजस्थान में इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने 2003 में और 2008 में दोनों बार जहाजपुर के बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक सभा में, परिवर्तन यात्रा में और सुराज संकल्प यात्रा में जहाजपुर की जनता से यह वादा किया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इस जहाजपुर के चौराहे के ऊपर लगा दी जायेगी। हमने नगरपालिका के द्वारा इसकी एनओसी दिलवा दी। सरकार के द्वारा बार-बार

(श्री धीरज गुर्जर)

जो आब्जेक्शन आता था कि जहाजपुर के अन्दर बस स्टैण्ड के ऊपर होकर जो रोड निकलती है...

उस तिराहे के ऊपर हम लोग मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में पिछली कांग्रेस सरकार में जब नेशनल हाइवे निकाला गया जो जहाजपुर से शाहपुरा की तरफ जाता है वो नगर के बाहर बाईपास निकालने के बाद आज जहाजपुर बस स्टैंड के ऊपर कोई ऐसी रोड नहीं है जिसके कारण अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगने के अन्दर बाधा आए। उसके बाद भी जब कलेक्टर के यहां से अनुशंसा जा चुकी है। बार-बार आपकी सरकार वादा कर चुकी है तो खुद संविधान निर्माता की मूर्ति पिछले 15 साल से एक व्यक्ति की कैद में पड़ी हुई है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने हमें बोलने की आजादी दी, जिनके बनाये हुए संविधान के आधार पर हम लोग जीवनयापन कर रहे हैं। मूर्ति लगाना अगर हम चाहें तो दो मिनट में चौराहे पर जबरदस्ती खड़ी करके भी जहाजपुर की जनता लगा सकती है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जिन्होंने संविधान बनाया उनकी मूर्ति संविधान का उल्लंघन करके लगायी जाए। आज जगह-जगह पर राजस्थान में मनमर्जी से चौराहे बन रहे हैं, मनमर्जी से मूर्तियां लग रही हैं, उनकी कोई इजाजत नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोग सरकार से बार-बार इस बात की मांग करते हैं कि जो ये निकम्मे अधिकारी हैं इनकी हठधर्मिता के कारण इनकी लालफीताशाही के कारण और इनके मन के अन्दर जो दलितों के प्रति प्रेम नहीं है, इनके इस प्रेम के अभाव के कारण आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जहाजपुर चौराहे के ऊपर लग नहीं पा रही है। मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं कि आपका संरक्षण चाहिए और राजस्थान में इस जहाजपुर के चौराहे के ऊपर जो बस स्टैंड पर हमने नगरपालिका से एनओसी ले ली है, हमने कलेक्टर को यह लिख कर भी दिया है कि इसका सारा खर्चा नगरपालिका जहाजपुर वहन करने के लिए तैयार है। सर्किल बन कर तैयार है लेकिन उसके बाद भी यह मूर्ति नहीं लगने का कारण अजमेर के संभागीय आयुक्त के यहां फाइल अटकी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आपके फंड से कितना पैसा दे रहे हैं आप?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे फंड से 10 लाख रुपये की मैंने वहां पर अम्बेडकर पुस्तकालय बनाने की घोषणा कर रखी है। हमारी यह तमन्ना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की बताई हुई राह पर चल कर इस राजस्थान में समरसता का भाव आये। जिस तरह से आज हिन्दू से मुसलमान को लड़ाने की साजिश चल रही है, भाई से भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है उस साजिश का अंत करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिखाये हुए मार्ग पर चल हर निश्चित रूप से ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाई को भाई से लड़ाने की बात कहां आ गयी?

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया, अब आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भाषण देना चालू कर दिया आपने।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपने गुर्जरों को मीणाओं से लड़ाया, जाट को राजपूतों से यह आपकी सरकार के कारनामे हैं।

श्री अध्यक्ष: धीरज जी, आपने ध्यान खींच लिया, अब आप बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को आप पाबंद करिये कि आने वाले पन्द्रह दिनों के अन्दर-अन्दर हमको एनओसी दिला कर स्वीकृति दिला कर जहाजपुर के बस स्टैंड के ऊपर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगायी जाए और उसके उद्‌घाटन पर आपको पधारना है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। सरकार की ओर से।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये धीरज जी का प्रश्न अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने उठाया है। अम्बेडकर के प्रति अगर आपकी सच्ची भावना होती तो इधर नहीं बैठना पड़ता। हिन्दुस्तान के 19 राज्यों में आपका सफाया नहीं होता। अम्बेडकर के सिद्‌धांतों पर ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम लौट कर आ रहे हैं आपका अंत करने के लिए। यह कौरव सेना साफ होने वाली है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सतरह-जीरो।

श्री रमेश (सपोटरा): ये क्या बोल रहे हो आप। सफाये की तो अब आपकी शुरुआत हो गयी है। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपकी मुख्य मंत्रीजी ने दो-दो बार घोषणा की परिवर्तन यात्रा में कहा कि मैं मूर्ति लगा दूंगी। सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया कि हम मूर्ति लगा देंगे, लेकिन आपके डीसी ने अब तक उसकी स्वीकृति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: वो बोल रहे हैं जवाब देने दें उनको। आप सुनें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): धीरज जी, आपके सवाल का जवाब इसलिए मैंने घुमा कर दिया कि आपने राजनीतिक बात ज्यादा की, अम्बेडकर की मूर्ति पर कम जोर दिया। मैं, राजस्थान में और हिन्दुस्तान में...।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मूर्ति भी हम ही खरीद कर लाये हैं सरकार की मूर्ति नहीं है वो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप गज़ब कर रहे हो। चलो जवाब दे देता हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उद्देश्य अम्बेडकर की मूर्ति लगाना है ही नहीं। इनका उद्देश्य तो हिन्दू मुसलमान को लड़ाना है और जाट गुर्जर को लड़ाना है, यह कोई तर्क थोड़े होता है। आज अम्बेडकर के आदर्शों पर हम चल रहे हैं। हमारे हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री और हमारी मुख्य मंत्री चल रही हैं इसीलिए पूरे राजस्थान में...।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की बनती नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ठीक है, आपको ज्यादा पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका जहाजपुर की साधारण सभा दिनांक 27.12.2009 द्वारा स्थानीय बस स्टैड पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल के निर्माण का प्रस्ताव लिया गया। संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा उक्त स्थल को मूर्ति स्थापना हेतु उपयुक्त नहीं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मानते हुए वैकल्पिक स्थान के चयन करने का निर्देश नगरपालिका को दिया गया और नगरपालिका, जहाजपुर द्वारा स्थानीय बस स्टैंड, विश्राम स्थल, तेजाजी मंदिर के बाहर मूर्ति स्थापना का वैकल्पिक प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया गया। शायद आपकी जानकारी में होगा। उसके बाद संभागीय आयुक्त द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर निर्मित प्याऊ व बस स्टैंड के पास डॉ.भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की स्वीकृति माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जारी भी हो गई, लेकिन उसके बाद स्थानीय ग्रामवासियों की आपत्ति होने से संभागीय आयुक्त ने उस स्वीकृति को निरस्त कर दिया। नगरपालिका, जहाजपुर द्वारा पुन: मंडल की बैठक की गयी और बैठक करके 27.02.2011 में स्थानीय बस स्टैंड पर प्रहलाद मीणा के मकान के सामने मूर्ति लगाने का प्रस्ताव लिया। सही है यह तो? गलत तो नहीं बोल रहा हूं न?

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उसके बाद पुन: मंडल की बैठक 20.04.2017 के अनुसार प्रहलाद मीणा के मकान के सामने भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत होकर संभागीय आयुक्त, अजमेर को प्रेषित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर विचार मंच वहां बना हुआ है जब उनको पता लगा कि प्रतिमा को नये स्थान पर लगाना चाहते हैं तो उन्होंने लिख कर दिया है कि हम पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की रोड सीमा में स्थित कोई स्थान है उस स्थान पर वो लगाना चाहते हैं। यद्यपि विचार मंच द्वारा उस स्थान पर मूर्ति लगाने का आवेदन अभी तक नगरपालिका को प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य की भावना भी है और हमारी भावना भी है अगर विचार मंच द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित विभाग की अनापत्ति व संभागीय आयुक्त, अजमेर की स्वीकृति प्राप्त कर नगरपालिका, जहाजपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी अगर वो अपना पत्र वहां भेजेंगे तो। अभी तक उन्होंने डिमाण्ड नहीं की है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यही मेरा इसमें निवेदन है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): डिमाण्ड कर चुके हैं इसमें नहीं आया होगा आपके पास। डिमाण्ड कर चुके हैं और संबंधित फाइल संभागीय आयुक्त के पास जा चुकी है और नगरपालिका, जहाजपुर ने बैठक करके डिसीजन लिया है।

श्री अध्यक्ष: आप लिख कर दे दीजिये। धीरज जी, बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अगर डिमाण्ड वहां पर आयी होगी नगरपालिका बोर्ड का प्रस्ताव होगा तो निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारी आपसे मांग है सदन के माध्यम से कि जहाजपुर के बस स्टैंड पर जहां पर अम्बेडकर सर्किल बना हुआ है उस सर्किल के अंदर मूर्ति लगायी जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अम्बेडकर विचार मंच दूसरी जगह कह रहा है और आप दूसरी जगह कह रहे हो। इसका रास्ता क्या निकलेगा?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अम्बेडकर विचार मंच तो वहीं चाह रहा है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विचार मंच के द्वारा प्रस्ताव विधिवत होगा तो उसें निश्चित रूप से किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह। श्री श्रवण कुमार।

आलनियावास-रोहीसा (मेड़ता) में बजरी का अवैध खनन

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में मिनरल के मामले में, खनन के मामले में पत्थर के मामले में एक नंबर पर आता था। माननीय खनन मंत्रीजी आँख बंद करके बैठे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में जिस देश का एक नंबर पर नाम आता था उस देश में आज यह स्थिति है कि खानों में सरेआम चोरी हो रही है और बड़े-बड़े नेताओं की और अफसरो की मिलीभगत से चोरी करवा रहे हैं और 25-25 लाख रुपये प्रतिदिन की बजरी चोरी हो रही है। आप देखिये, पर्यावरण की ईसी का जो मामला था, कोर्ट ने कहा पर्यावरण की ईसी को लेकर हमने स्टे कर रखा है। यह गलती कोई लीजधारकों की नहीं है, यह गलती ठेकेदारों की नहीं है, यह गलती माननीय मंत्री जी, भारत सरकार के और स्टेट मिनिस्टर

(श्री श्रवण कुमार)

की है, क्योंकि इसकी जो ईसी तैयार की जाती है इसकी स्टडी होती है और स्टडी होकर के, यहां का वो ही आईएएस है जो पर्यावरण का है और वो ही खनन का है उसके बाद भी स्टडी नहीं की है और स्टडी नहीं करने की वजह से उनको स्टे मिल गया और हजारों बेरोजगार घूम रहे हैं, बजरी पर काम करते थे लोग। आज जैसे हरियाणा में दारू के भूमाफिया पनप गये थे उसके बाद 15 साल तक कंट्रोल नहीं हुए। मैं मंत्रीजी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये बजरी के माफिया इतने हो गये हैं, जोधपुर में हजारों केस दर्ज हो गये हैं। यही जयपुर की हालत है। 500-600 ट्रक डेली आते हैं और औन-पौन दामों में बजरी को बेच रहे हैं। टैक्स की चोरी कर रहे हैं और टैक्स के बेरियर लगे हुए हैं। सरकार कह रही है पांच-पांच सौ आदमी हमने खदानों में लगा रखे हैं, लेकिन केवल दो-दो आदमी बैठे हैं और दो हजार रुपये प्रति ट्रक लेते हैं और उसके बाद आरटीओ और खनन विभाग और पुलिस तीनों की मिलीभगत से यह सारा काम हो रहा है। आप आँख बंद करके बैठे हो। राजस्थान का पूरा भट्ठा बैठा दिया क्यों नहीं आप आँख खोल कर देख रहे हो और इसमें गलती आपकी है। आपको खनन विभाग के बारे में पहले देखना चाहिए था। जब खनन विभाग का टेण्डर होता है तो उसमें पहले बजरी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देखनी पड़ती है। आपने आँख बंद करके सब ठेकेदारों को दे दिया। कुछ काम किया नहीं। राजस्थान का सारा का सारा पैसा चोरी हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत बड़ी अच्छी नीयत है, लेकिन नीयत क्या करेगी।

श्री अध्यक्ष: मेरी तो अच्छी है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी नीयत तो ठीक है, लेकिन मंत्री लोगों की हालत यह है कि पूरे राजस्थान में कल भी एक एमएलए कह रहे थे कि साहब, एसपी मेरी नहीं मानता है। आज भी एक एमएलए कह रहा है कि एसपी मेरी नहीं मानता है। हालत यह हो गयी कि एमएलए रो रहे हैं, जनता रो रही है। सारा बुरा हाल है राजस्थान का। जनता ने इनको 163 का मैंडेट इसलिए दिया था कि राजस्थान खुशहाल होगा, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा होगी। आज आप देखिये लाखों लोग बेरोजगार हो गये और एक नयी योजना और लेकर आये हैं कि खनन के ऊपर एक कांटा लगेगा।

(श्री श्रवण कुमार)

कांटे वालों से इन्होंने पहले सौदा कर लिया कि तुम्हारे कांटे हम इतने बिकवा देंगे। लाखों कांटे बिकवा देंगे, तुम हमें क्या दोगे। आप देखिये एक ठेकेदार को एक कांटा लेने की जरूरत पड़ेगी जो खनन पर काम करता है। एक कांटा लगेगा तभी खनन चालू होगा।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये। आपने ध्यान खींच लिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्यों नहीं सरकार, जो ये हालात बनाये हैं कांटे के, तो ये कांटा एक जगह लगा दें उससे खनन हो जाएगी।

आप देखिए भारत सरकार ने अभी एक ई फार्म लागू किया, वह सारे ट्रक वालों को मालूम ही नहीं कि ई फार्म क्या होता है। सारे ट्रक जंगलों में खडे हो गये, उन्होंने कहा कि यह ई फार्म क्या है। हजारों ट्रक कांटे पर खड़े हो गये। उसके बाद एक-दो समझदार आदमियों ने मोदी जी को टेलीफोन किया कि आपने वित्त मंत्री को देश को डुबोने के लिये लगाया हुआ है। यह ई फार्म क्या है, ड्राइवर कैसे ई फार्म को काम में ले सकते हैं। उसके बाद चार घंटे में ई फार्म को वापस लिया। इसलिए मैं मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आपने बजरी को बंद कर दिया, आप तत्काल ईसी को ठीक करवायें और स्टे तुड़वा कर बजरी की वजह से जो लोग बेरोजगार हो गये, इस पर मंत्रीजी ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिस कार्य के लिये इनको मंत्री बनाया गया था उसमें रुचि दिखाकर तत्काल पर्यावरण की ईसी दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री जी आप रेस्पोंड करेंगे, कीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने बजरी की जो रेट बढ़ी है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई है, उस विषय को लेकर अपनी बात रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह बताना चाहूंगा कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई। जब 2012 में इनकी सरकार थी तो पाँच-पाँच हजार हैक्टेयर के चंद लोगों को इन्होंने अलाट कर दिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं 2014 का जवाब मांग रहा हूं। पहले वालों ने क्या किया, पहले वालों ने गलती की तो ये 21 लोग बैठे हैं न। आप भी 11 बनना चाहते हो क्या? क्या है यह? यह जवाब है क्या? ...(व्यवधान)... 2011 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, मैं यह सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने 2014 में आने के बाद क्या किया। यह कोई जवाब है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक श्रवण जी बैठिए, जवाब आने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का जवाब सरकार देगी, पहले वालों के लिये आप चिंतित क्यों हो रहे हो, चिंतित हम होते, 21 लोग आकर बैठ गये न, आप भी 11 बनना चाहते हो क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): श्रवण जी, जवाब सुनिए, आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...(व्यवधान)... आपकी गलत नीति का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह तो हमने भुगत लिया न, आप क्यों भुगत रहे हो, आप करो न काम।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप सुन तो लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम में हर वस्तु का रेट कंट्रोल करने का प्रावधान है। आपने एलओआई की तो इसमें इन्होंने डाला ही नहीं कि सरकार इस पर नियंत्रण रख सकेगी। हमने एसएलपी भी लगाई तो उन्होंने कहा कि आपने एलओआई करते वक्त यह ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है जो आप कह रहे हैं, इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.11.2017 को एक आदेश जारी करके उसमें यह डाल दिया कि जब तक आप रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं करवाओगे तब तक ईसी जारी नहीं करोगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसमें यह लिखा है कि आपके भारत सरकार के मंत्री ने साइन ही नहीं किये उस पर। 12 महीने तक आपके

(श्री श्रवण कुमार)

सैक्रेटरी ने रखे रखा और काम किया नहीं ...(व्यवधान)... आपके सैक्रेटरी ने साइन करके वहां भेजा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, आप तो पांचवीं बार विधायक हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए फिर मैं आपको और बोलने का मौका दूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बजरी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जवाब तो आने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 16.11.2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि जब तक आप रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं करायेंगे तो जितनी भी आपकी नदी में बजरी है, उसको आप टच नहीं कर सकते। अब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तो जा नहीं सकती। उसमें हमारे पास टोटल 136 माइन्स हैं, जिसमें से 75 चालू हैं और इसमें 53 बंद हुई हैं, केवल वह जिसमें रिप्लेसमेंट स्टडी नहीं हुई है। अब जहां तक रिप्लेसमेंट स्टडी का सवाल है, हमने 57 मामलों में ईसी के लिये आवेदन किया। अब उसमें कानूनी तौर पर एक साल का प्रावधान है, जब हमने 57 मामलों में ईसी डाल दी और उसमें स्टडी भी डाल दी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं यह साइंटिफिक तरीके से नहीं है। उन्होंने कहा कि दुबारा कराओ, लेकिन उसमें भी हमने 17 मामलों में स्टडी करवा कर उसकी 23 तारीख है, उसमें हमने कह दिया कि हमने स्टडी करवा ली है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसमें अनुमति देगा। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोडी।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और मंत्री और माननीय सदस्यों को बुलाकर वार्तालाप कर रहे हैं सदन में।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक कह रहे हैं लेकिन 2-2 हैक्टेयर की इन्होंने जो 50-50 साल की लीज दे दी, जो बी टू हैं, जिसमें मशीन चल ही नहीं सकती, इन्होंने सारे इल्लिगल काम कर दिये। दो हैक्टेयर में 50 साल तक बजरी कहां से आयेगी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आपने अच्छा सवाल उठाया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... सारा घोटाला पैसे का है, और कोई मामला नहीं है। दो हैक्टेयर में बजरी कहां से आयेगी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आपने अच्छा सवाल उठाया है, जवाब आने दीजिए, विधान सभा में सवाल आया है तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा लेकिन आप मंत्री जी को बार बार डिस्टर्ब मत करो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जहां तक अवैध खनन का मामला है, हमने उसमें जितनी कार्यवाही की है, आपने पांच साल में 929 बजरी प्रकरण बनाये थे, हमने अपने चार साल में 9383 प्रकरण बना दिये ताकि उस पर रोक लगे। जहां तक वसूली की बात है, आपने पांच साल में 2.63 करोड़ की पैनेल्टी लगाई और हमने लगा दी 41.68 करोड़, वह आपसे 1400 परसेंट ज्यादा है। जहां तक एफआईआर का सवाल है ...

श्री अध्यक्ष: कृपलानी जी, आपस में बात मत कीजिए, मैं आपको टोक चुका हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हमने अवैध खनन रोकने के लिये आपसे 1400 परसेंट ज्यादा काम किया लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी पालना में हमने स्टडी करवा दी। कोल इंडिया से करवा कर हमने भेज दी, 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें आदेश देगा कि किस तरीके से कितनी बजरी के लिये आप अनुमति दे सकते हो। इस कारण से यह स्थिति पैदा हुई है, हमारी वजह से नहीं हुई। अवैध खनन में भी हमने कोई कसर नहीं छोडी है। अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं, हमने किया है। ...(व्यवधान)... जहां तक तुरंत रिलीफ देने का मामला है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने अवैध खनन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, देखो खुद स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद है आपको, आपने स्वयं ने स्वीकार कर लिया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैंने आंकडे दिये हैं अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरंत कार्यवाही

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

करते हुए हमारे राजस्थान खनिज रियायत अधिनियम, 2017 की धारा 51 में संशोधन करके राजकीय कार्य, अर्द्ध शासकीय कार्य, स्थानीय निकाय, पंचायत राज संस्थाएं, इन संस्थाओं के निर्माण कार्य में बाधा नहीं आये, इनको संपादित करने के लिये ठेकेदारों को खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के एसटीपी जारी करने का प्रावधान कर दिया है और 12-13 एसटीपी जारी कर दी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, दो हैक्टेयर में कैसे हो सकती है, दो हैक्टेयर के दिये हैं ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान)... आज भीलवाड़ा जिले में दो हजार ...(व्यवधान)... बजरी के निकल रहे हैं और इनका विभाग मौन बनकर बैठा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो हैक्टेयर में कैसे हो सकती है, एक और कर दिया ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान)... खेतों में बजरी का खनन हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, यह नहीं। गिर्राज सिंह जी। आप बैठिए, आप बैठिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ईमानदार हो, आपने उम्र का तकाजा पाया है ...(व्यवधान)... आप दिल्ली में भी रहे हो, राजस्थान में आप खनन मंत्री भी रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आप बैठिए, मैंने गिर्राज सिंह जी को बुला लिया, आप बैठिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... मंत्रीजी को कहो कि इनको होश आये।

श्री अध्यक्ष: मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... सारा घोटाला है, लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो गये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, आप बैठो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सारा का सारा सरकार का गेम है, आप गेम को नहीं समझ पा रहे हो। आप हाउस से सीधे चले जाते हो और सीधे आ जाते हो, यह बहुत बड़ा गेम है। कल गृह मंत्रीजी कह रहे थे हमने 275 अपराधियों को पकड़ा। ज्यादा भूचाल होगा तो ज्यादा पेड़ पड़ेगे, ज्यादा चोरी होगी तो पकड़ोगे ही और क्या करोगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, आप बैठो। श्रवण जी, यह तरीका नहीं है, जवाब आ गया, आप इस विषय को और किसी तरीके से उठाइए, मैंने खुद ही कहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसी में से रास्ता निकलेगा, मिस्टर मलिंगा।

बाड़ी की सैपऊ पंचायत समिति में राशि का दुरुपयोग

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शभू पंचायत समिति है। वहां पर जो बी.डी.ओ. है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बी.डी.ओ. मीटिंग बुलाता है। सात दिन पहले कोरम पूरा कर लेगा।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत मत करो। यदि बातचीत करनी है तो बाहर जाकर कर लो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बाद में मीटिंग बुलाकर कागजों में मीटिंग दिखा देगा।

श्री अध्यक्ष: सब अपने स्थान पर जाइए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कागजों में मीटिंग दिखाकर बाद में सदस्यों को फोन करेगा कि आपकी मीटिंग कैंसिल हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में किसी भी पंचायत समिति में आज तक कोई बजट पैंडिंग नहीं पड़ा है। शंभू पंचायत समिति के अंदर एक भी पैसे की स्वीकृति बी.डी.यो. ने प्रधान के कहने से काम कराने के लिये नहीं दी है। इन्होंने उस प्रधान को पहले में अंदर करा दिया और जब चुनाव आया। एक बेचारा एस.सी. का दलित है और जैसे ही चुनाव आया उससे पहले उसको सस्पैंड कर दिया। सस्पैंड करने के बाद जैसे ही धौलपुर का

(श्री गिर्राज सिंह)

चुनाव आया कि हमको दलितों के वोट की जरूरत है। वे वोट लेने के लिए लोगों ने उस प्रधान का बहाल कर दिया। उसमें ऐसी क्या कमी थी कि उसको सस्पैंड किया और क्या उसमें ऐसी अच्छाई हो गयी कि उसको इन्होंने बहाल किया। मंत्रीजी बैठे हैं। इसका जवाब मंत्रीजी को ही देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी उस बेचारे प्रधान को बेवजह से नाजायज दबाया जा रहा है। बी.डी.ओ. मीटिंग नहीं बुलाता है। उसको पंचायत समिति के अंदर नहीं जाने देते हैं। मीटिंग में उसको नहीं आने देते हैं। उसको गुंडों के द्वारा रास्ते में रूकवा देते हैं और इस तरीके से सरकार के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। पहले इन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रधान बनाने के लिये 1 करोड़ 33 लाख इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिये। मैं नाम ले सकता हूं, पर नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक तो जब ये नाम पुकारा गया तो उपस्थित नहीं थे। आपने दुबारा इन पर मेहरबानी कर ली।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप बैठो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप नीचे बैठो। आप बीच में बोलने वाले कौन हैं?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): लेकिन आप अनर्गल नहीं बोल सकते।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप पहले बैठो। मैं क्या बोल सकता हूं, वह मैं बोलूंगा। आपसे परमीशन नहीं लूंगा। अध्यक्ष जी से परमीशन लूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ..(व्यवधान) वे पार्टी के लिये होंगे। उसकी कोई गलती नहीं है। पार्टी के लिये लेते हो न।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपसे मुझे परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई विधान सभा अध्यक्ष नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से परमीशन लेकर बोल रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप मेहरबानी का दुरुपयोग मत करो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप शांति से बैठकर सुनो। आपके काले कारनामे..। आप दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, वह पार्टी के लिये फंड लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वे बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उसको क्या कहते हैं कि तेरे को सस्पैंड करा देंगे। राठौड़ साहब से फोन करवा देंगे। क्या राठौड़ साहब की घर की सरकार है कि जो राठौड़ साहब चाहेंगे, वही होगा। एक दिन सस्पैंड करेंगे, आठ दिन बाद राठौड़ साहब उसको बहाल करेंगे। फिर राठौड़ साहब उसको सस्पैंड करेंगे। क्या राठौड़ साहब की राठौड़ी चलेगी? जो राठौड़ साहब है, वही मैं हूं। इसमें कोई फर्क है? गोत्र अलग है।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी का जवाब चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भई इतनी राठौड़ी मत चलाओ। दोनों मिलकर इतनी राठौड़ी मत चलाओ।

श्री अध्यक्ष: मलिंगा जी आप बैठो। जवाब दे रहे हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दलित के साथ अत्याचार। गृह मंत्रीजी आ गये, जवाब दिलाओ। माननीय हीरालाल जी का जवाब दिलाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दलित सभा की है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं। यह उचित नहीं है, श्रवणजी। मंत्रीजी जो कह रहे हैं, सुन लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के संशोधन के पश्चात जो राज्य वित्त आयोग बना, केंद्रीय वित्त आयोग बना। इनका अधिकांश पैसा सीधा ग्राम पंचायतों में जाना प्रारंभ हो गया। कुछ पैसा जो राज्य वित्त आयोग का है, वह 5 परसेंट जिला परिषद में और 20 परसेंट पंचायत समिति के द्वारा खर्च किया जाता है। इसके लिये पंचायत एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि जब तक साधारण सभा के अंदर प्रस्ताव पारित नहीं होते तब तक इस पैसे को व्यय नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया जाता है। माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं। साधारण सभा में गण पूर्ति का अभाव रहा है। मुझे कहने में संकोच नहीं। प्रधान बने। प्रधान के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बना। प्रधान निलंबित हुए। मामला न्यायालय में गया। उसके बाद गुणावगुण के आधार पर उनको वापस बहाल किया। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधानगण पूर्ति नहीं कर पाएगा। पंचायत समिति में सदस्यों का जो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राज्य सरकार के पास आता है, वह नहीं आएगा तो पैसा खर्च नहीं होगा। फिर भी इस बार साधारण सभा की बैठक के लिये मैं सी.ई.ओ. धौलपुर को भेजूंगा कि वह जाकर खुद देखे। जो इन्होंने कह दिया कि बीच में रास्ते में रोक लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, गिर्राज सिंह जी मलिंगा को आप अच्छी तरह जानते हैं। इनके होते हुये इनके निर्वाचन क्षेत्र किसी आदमी को कोई रोक सके, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात की कि वे किस प्रकार प्रधान बने, किस प्रकार नहीं बने, मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब भी साधारण सभा की बैठक होगी। अगली साधारण सभा की बैठक में मैं सी.ई.ओ. को निर्देश दूंगा कि वे जाए। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि आज की तारीख में उस पंचायत समिति में 317 लाख रुपये ऐसे हैं, जिनका व्यय नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण जो मुझे उत्तर में बताया गया है कि उसमें साधारण सभा में गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकीं। इसी वित्त वर्ष में आगामी साधारण सभा की बैठक आयोजित करके वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित करवायेंगे। अनुमोदित होते ही पैसा खर्च कर देंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने यह तो कह दिया कि दलितों को रास्ते में नहीं रोका जाएगा। सदस्यों को रास्ते में रोका जाता है। आपके बी.डी.ओ. ने गुंडागर्दी कर रखी है। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम इस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप एक मिनट विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अगर आपका बी.डी.ओ. नहीं सुधरा तो हम सुधार देंगे। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि अगर आपका बी.डी.ओ. नहीं सुधरेगा तो हम सुधार देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट बैठ जाओ।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अब की बार मीटिंग में रोकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सदस्यों को आने नहीं देता है। रास्ते में रुकवाता है। उसने सरासर गुंडागर्दी करा रखी है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आपने ध्यान खींच लिया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): या तो उस बी.डी.ओ. को बदलें। मंत्री जी हैं। क्या करना है, यह उनका काम है, यह हमारा काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और किसी पंचायत समिति में इतना पैसा पड़ा है क्या? 3 करोड़ 17 लाख रुपये, पूरे प्रदेश के अंदर एक भी पंचायत समिति में 50 लाख रुपये बता दें कि इस पंचायत समिति में 50 लाख रुपये हैं। आप मुझे बतायें। आप उस बी.डी.ओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? आप बार-बार प्रधान को धमकी देते हैं। तेरे को सस्पैंड करा देंगे। तेरा ...

श्री अध्यक्ष: आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में वह बात कह दी कि हम उस विकास अधिकारी को सुधार कर भेज देंगे। मैं समझता हूं कि इनको शोभा नहीं देता है। यहां नियम और कानून सब के लिये हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सुधारकर भेजेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये यहीं धमकी देंगे। इनका आचरण कैसा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मलिंगा साहब, काननू अपना काम करेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैंने क्या बोला है? मैंने गलत नहीं बोला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कानून अपना काम करेगा। कानून बाहुबलियों के आधार पर काम नहीं करेगा। राजस्थान के अंदर बाहुबलियों का राज आने में बहुत समय लगेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैंने कोई बदतमीजी की बात नहीं की है। मैंने उसको सुधारने की बात की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कहकर सदन के माध्यम से ..(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैंने क्या गलत बोला है? राठौड़ साहब, पहले यह बतायें कि मैंने क्या गलत बोला है? आप बतायें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान) हम काम करने के माध्यम सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष: धीरज जी, ज्यादा जोर से मत बोलो। मोटे आदमी हो तो..

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सामने ही धमकी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धमकी किसकी है? सुधारने की बात की है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुधारने की बात की है। बी.डी.ओ. को बदल दो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाओ। आपके यहां का मसला नहीं है। श्री मनोज कुमार।

राजगढ़ न्यायालय परिसर में हुए गोलीकाण्ड के विरोध में वकीलों का आन्दोलन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे राजगढ़ शहर में एक बहुत ही जघन्य और जिस तरीके से राज्य सरकार काननू में अपने आप में विफल हो रही है।

मेरे राजगढ़ में अभिभाषक संघ राजगढ़ की मांग है। वहां अधिवक्ता आमजन सुरक्षा हेतु न्यायालय परिसर में दिनांक 18.01.2018 से लगातार कार्य स्थगित करके क्रमिक अनशन पर बैठा है। अंतिम छोर न्याय की बात करने के लिए आम जन, आम व्यक्ति अदालत की शरण में जाता है और उसी अदालत के कोर्ट परिसर में, उस कोर्ट के रूम में जहां अदालत में न्यायाधीश बैठता है, उस अदालत में सरे आम गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या करना और दो व्यक्तियों का घायल हो जाना, जिसमें एक

(श्री मनोज कुमार)

अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कानून व्यवस्था विफल हो जाना, इससे बड़ा और कोई उदाहरण पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषकगण इस बात से चिंतित हैं कि उस न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर टेबल के पीछे छुप गया, वहां का अधिवक्ता अपना स्थान छोड़कर कोर्ट से बाहर चला गया। आज अधिवक्ता इस स्थिति में हैं कि किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की पैरवी नहीं करना चाहता। क्योंकि उन गुण्डों का, बदमाशों का इतना बड़ा खौफ हो गया कि अगर पैरवी करेंगे तो उनकी भी जान जा सकती है। 18.01.2018 से आज तक हमारे अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। वह चाह रहे हैं कि न्यायालय परिसर में स्थाई पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, हथियारबंद व्यक्ति हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना होने से रोक सकें। अधिवक्ताओं के कार्य नहीं करने से न्यायिक व्यवस्था भी चरम पर आ गई, कोई न्यायिक कार्य नहीं हो रहे हैं। जो अधिवक्ता नई प्रक्रिया से शुरू कर रहे हैं वह वकालत नहीं कर रहे हैं इससे उन पर आर्थिक संकट भी आ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय हार्डकोर अपराधियों की न्यायालय परिसर में सुनवाई प्रतिदिन करवा कर, केस ऑफ स्कीम में लेकर मेरे राजगढ़ के ऐसे सारे प्रकरण 376,307,300 लूट डकैती के हैं, उन प्रकरणों को अदालत में केस ऑफ स्कीम में लेकर प्रतिदिन सुनवाई करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। हमारे वकील रतन प्रजापत उस समय घायल हुआ, गोली लगी, उसके इलाज में 5-7 लाख रुपये खर्च हो गए, वह अपना कार्य करने में असक्षम हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार रतन प्रजापत एडवोकेट को कम से 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा करें। क्योंकि वह वकील असहाय हो गया है, असक्षम हो गया। उसके इलाज पर इतना पैसा खर्च हो गया जिसका कोई अपराध नहीं है। वह तो अदालत में वकालत करने गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में कहना चाहता हूं न्यायालय परिसर में समस्त प्रवेश द्वारा लगे हुए हैं उन पर मैटल डिटेक्टर से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाए। क्योंकि हमारी अदालत में, राजगढ़ हरियाणा सीमा पर बार-बार गोलियां चलती है। माननीय गृह मंत्री आप तो

(श्री मनोज कुमार)

कल भी कह रहे थे कि हमारे एसपी के खिलाफ आरोप लेकर आओ तो मैं जांच कराऊं। मैं कहना चाहता हूं इनके खिलाफ आरोप लाने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम किसी भी थाने के आस पास के एरिया में भेज दीजिए, ओवरलोड वाहन, लकड़ियों के व्हीकल, दारू की गाड़ी, चाहे सारे लोग पकड़ लें, क्योंकि 15-15, 20-20 हजार रुपये मंथली देते हैं इसलिए खुले आम जाते हैं। किसी पर आरोप लगाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जांच कर लें। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पुलिस थाने के एसएचओ ने मनोज न्यागली विधायक को बुलाकर कहा कि विधायक महोदय आप दस दिन के लिए राजगढ़ छोड़ दीजिए, आप पर कभी भी हमला हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जिस न्यायपालिका में न्याय मांग रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक जनप्रतिनिधि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, उसको बुलाकर एसएचओ यह कह रहा है कि विधायक जी दस दिन आप विधान सभा क्षेत्र छोड़ दीजिए, आप किसकी सुरक्षा करोंगे, किस तरीके के अन्याय हो रहे हैं? हमारे अधिवक्ता यह मांग कर रहे हैं कि क्रिमिनल अपराध जैसे लोग है उनकी विडियो कांफ्रेस के माध्यम से पेशी करवाई जाए। अपराधियों का जेलों में बहुत बड़ा खौफ हो गया है। हर अपराधी वाट्सएप, फैसबुक पर रोजाना अपडेट डालते हैं लेकिन आपकी कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। किसी की भी जांच नहीं कर पा रहे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अब मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बात और हैं, गंभीर इश्यू है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिए, परिवादी और गवाह, 302 जैसे हमारे हरियाणा सीमा के लोगों को आप कम से कम तब तक सुरक्षा उपलब्ध करवाएं जब तक उस अदालत में उनकी गवाही नहीं हो जाए। उनको कोई सुरक्षा-उपलब्ध नहीं है। अपराधियों का इतना बड़ा खौफ है कि अदालत परिसर से भाग जाएं, वकील भाग गए, तो आम नागरिक की

(श्री मनोज कुमार)

क्या स्थिति हो सकती है। परिवादी और गवाह को सुरक्षा उपलब्ध करवाए ताकि वह बेखौफ होकर अपनी गवाही दे सके और उनको न्याय मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनावी दौर है, हरियाणा की सीमा है। हम यह चाहते हैं कि राजगढ़ थाने की नफरी बढ़ाई जाए। वहां पर कानून व्यवस्था को सुचारू किया जाए। वहां पर स्थाई चौकी की तुरंत प्रभाव के आज ही घोषणा करें कि न्यायालय परिसर में स्थाई सुरक्षा चौकी हम घोषित करते हैं। उन वकीलों में इतना भय है कि वह अदालत में जाने से भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय गृह मंत्री महोदय, इस गंभीर विषय पर आप बड़ा फैसला करें। वहां पर अपराधियों का बहुत खौफ है, हम जैसे भी सुरक्षित नहीं रह सकते तो आपको भी यह नौबत आएगी। आपने मौका दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: गृहमंत्री जी, रेस्पोंड करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में विषय प्रदेश के लिए, सबके लिए बहुत गंभीर है कि कोर्ट परिसर में ही, दो ग्रुप के बीच में, वैसे तो इन दोनों ही ग्रुप पर कई मुकदमें हैं, हरियाणा में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। जिस पर गोलीबारी हुई यह एडीजे कोर्ट के द्वारा सात साल की जेल काट रहा था। अभी कुछ ही समय पहले इसकी हाईकोर्ट से जमानत हुई है। यह बाहर था, बैलआउट था, इसके कारण से पेशी पर आया तो वहां उसको पुलिस की मदद का कोई सवाल नहीं। उसने पहले एडीजे कोर्ट में अपनी तारीख पेशी पलटाई। फिर ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में तारीख पेशी के लिए, यह था कि उस दिन ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने के कारण पेशी पलट रही थी। उसी समय यह गैंग अंदर आई और उसने गोली चलाई। वैसे तो सबके नाम है कि कौन-कौन था, कौन-कौन नहीं था, लेकिन उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। निश्चित रूप से गोली चली। अजय को लगने के कारण से यह हास्पिटल पहुंचा, उसके बाद डैथ हो गई। इसके एकाध साथी को भी गोली लगी। जिस वकील के बारे में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कह रहे हैं उसको भी लगी है। वकील को जो कुछ भी प्रारम्भिक हैल्प कर सकते हैं लगभग 34 हजार रुपये की हमने उसको प्रारम्भिक मदद की। आगे उसके बारे में जो कुछ भी फैसला होगा, वह निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन यह हरियाणा की गैंगवार है यह आज से नहीं, कई वर्षों से इनके आपसी विवाद है। कई मुक़दमे हैं। जिस कारण से यह जेल में गया उस कारण से सामने वाली गैंग को ऐसा लगता है कि हमारी गैंग को पकड़वाने में इसी व्यक्ति ने किया था। इनके आपस में बहुत ही अधिक कटुता थी, यह बात सच है। लेकिन राजस्थान की हर कोर्ट में आज की तारीख में भी हमारी काई स्थाई चौकी नहीं है। आवश्यकता महसूस होती है इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हम इस व्यवस्था को नहीं कर पाए। चूंकि यह घटना राजगढ़ में हुई है, हमने तुरंत अस्थाई चौकी चार-एक की वहां लगा दी है। आज की तारीख में वह काम कर रही है। जब तक हमें विधिवत स्थाई चौकी की परमीशन नहीं मिलेगी, हमने कैस मूव किया है, मैं सोचता हूं कि स्वीकृति होने के बाद स्थाई चौकी, यहीं नहीं, हमें लगता है कि बाकी कोर्ट में भी हमको कोई न कोई ऐसे डिटेक्टर लगाने पड़ेगे जिससे कि हथियार लेकर कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करे। लेकिन कोर्ट के कई तो रास्ते हैं, चारदीवारी भी ज्यादा ऊंची नहीं है। यह लोग पीछे की तरफ से आए थे। कार को इन्होंने कहीं गली में खड़ी की। घटना के बाद भी यह पीछे के रास्ते से कूदकर चले गए। यद्यपि 10-15 मिनट में पुलिस ने पीछा किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। यह बात सच है, गंभीर भी है। केवल राजगढ़ के लिए नहीं राजस्थान की सभी कोर्ट के लिए, विशेषकर हास्पिटल के लिए, यह दो ऐसी जगह बन गई है जहां पर आए दिन किसी न किसी विषय पर कोई न कोई उत्पात होता रहता है। कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में हमारे पास पुलिस बल है उसके आधार पर जहां जहां जितनी सुरक्षा कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। अभी अस्थाई चौकी लगी है। आपके वहां के आईजी ने भी रिकमंड करके भेजी है, हमारे पास आया है। अभी तक उसमें हमने दो मुलजिम, प्रदीप और संजय को पकड़ा है। एक को 29 तारीख को पकड़ा, एक को कल ही रात को पकड़ा है। इसमें कई चीजें निकलकर आएगी। सब मुलजिम पकड़े जाएंगे, लेकिन भविष्य में सुरक्षा की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दृष्टि से निश्चित रूप से जो विषय आपने उठाया वह केवल आपके लिए नहीं, राजस्थान की बाकी सभी कोर्ट के लिए भी गंभीर है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेन पावर मेरे पास होगा उस दृष्टि से, कम से कम डिटेक्टर रखकर, हथियार लेकर कोर्ट में नहीं घुसे उसके लिए तो कोई पुख्ता व्यवस्था करने का प्रयास करुंगा।

श्री अध्यक्ष: नियम 295, श्री कंवर लाल।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक बात और।

श्री अध्यक्ष: नहीं हो गया। इतना गंभीर जवाब आ गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं पावर की बात करें, वह तो गृह मंत्री महोदय सुपर है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डाइल्यूट मत कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): प्रक्रिया में आकर जल्दी से जल्दी करें।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया है इसको डाइल्यूट मत कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जल्द से जल्द करें। पावर तो इन्हीं के पास है।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री कंवर लाल।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आधे मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष: आप क्या बोलेंगी?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, ख्यालीवाला के प्रिंसिपल साहब 4 और 5 तारीख को खुद की लड़की की शादी में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं। मुझे आप बता दीजिये, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कह दूंगा, विराजिए, यहां नहीं। एक नया विषय इस तरह मत उठाइये। हमारे यहां उठाने के तरीके हैं, विराजिए।

श्री कंवरलाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अकलेरा में पुलिस चौकी का पुराने थाने के भवन में स्थानांतरण

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में नगर पालिका क्षेत्र अकलेरा में स्थित पुराना पुलिस थाना भवन (वर्तमान खण्डहर) जिसमें, सन् 1970 से 2001 तक पुलिस थाना संचालित था, सन् 2001 से सरकार द्वारा आबंटित नये भवन में संचालित है। पुराना पुलिस थाना भवन की बाउण्ड्री में एक कुआं, एक ट्यूबवैल (चालू हालत में), एक मन्दिर स्थित है। पुराने पुलिस थाने की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है और खण्डहर भवन में असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, तथा अकलेरा कस्बे में वर्ष 2013 में पुलिस चौकी खुली है, जिसको कोई भूमि व भवन आबंटित नहीं किया गया है। पुलिस चौकी को अस्थाई रुप से ट्रैफिक एड सैण्टर में संचालित किया जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल पुलिस चौकी को पुराने थाना भवन में संचालित की जावे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

डूंगरपुर में नई सड़कों का निर्माण

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में विशेष कर डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी इलाका होकर छितरी आबादी का है। इस क्षेत्र में अधिकांश भाग पर वन विभाग है तथा पहाड़ियां एवं दर्रे हैं। यहां की आबादी रोजमर्रा के कार्यों के लिये इन्हीं दुर्गम पगडंडियों का इस्तेमाल करना होता है। आवागमन के साधनों को गांवों एवं घरों तक ले जाने के लिए अथवा उत्पादन को शहर एवं कस्बों तक पहुंचाने के लिए अथवा आवासों, कैटल शैडों एवं अन्य पक्के निर्माणों हेतु सामग्री गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सड़कों के अभाव के कारण काफी परेशानियां उत्पन्न

(श्री देवेन्द्र कटारा)

हो रही हैं। इसलिए डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित सड़कें, जो अति आवश्यक भी हैं तथा क्षेत्र की जनता की कई वर्षों से मांग भी रही है, नई निर्मित करने की आवश्यकता है:-

1. माड़ा तीन रास्ता से ओड़ानाल तक, लम्बाई 5 किलोमीटर, अनुमानित लागत 2.00 करोड़।
2. पावड़ा घाटी से बरोठी एन.एच. 8 तक, लम्बाई 4 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.60 करोड़।
3. पीथापुर से सैंगाल महुडी तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
4. रोहनवाड़ा से कोलरा तक, 4 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.60 करोड़।
5. गुन्दीकुआ से छापी तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
6. पाल पादर से बिजूड़ा तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
7. मालमाथा से मणीपुर तक, 5 किलोमीटर, अनुमानित लागत 2.00 करोड़।
8. मालमाथा से कोडिया गुण तक, 4 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.60 करोड़।
9. जैलाणा से कोडिया गुण तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
10. पुनारावाड़ा से सेमलिया तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
11. शरम से मेवाड़ा सीमा तक, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.20 करोड़।
12. डचकी से पीपलादा तक, मय पुलिया, 3 किलोमीटर, अनुमानित लागत 2.00 करोड़।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

13. चुडावाड़ा से खजूरी तक, 6 किलोमीटर, अनुमानित लागत 2.40 करोड़।

14. गांगेश्वर महादेव से नकुली फलां तक, 7 किलोमीटर, अनुमानित लागत 2.80 करोड़।

15. धमलात फलां से पांच महुडी तक, 4 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.60 करोड़।

16. जालुकुआ से कोडिया गुण तक, 4 किलोमीटर, अनुमानित लागत 1.60 करोड़।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती, श्रीमती द्रोपती। एब्सेंट।

श्री भँवर सिंह।

कोलायत, बज्जू व देशनोक में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि श्री कोलायत विधान सभा क्षेत्र की तहसील कोलायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका क्षेत्राधिकार 150x150 किलोमीटर है तथा कुल जनसंख्या 261028 है और प्रतिवर्ष 5 से 10 हजार के बीच स्कूली शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चे हैं। श्री कोलायत तहसील भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक लगती है। कोलायत विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर लम्बा है, किन्तु एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र का शैक्षणिक वातावरण बिगड़ता जा रहा है। यह क्षेत्र पहले ही शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस तहसील का आम आदमी इतना समर्थ नहीं है कि वह बीकानेर शहर में अपने बच्चों को रखकर पढ़ा सके। इस कारण होनहार छात्र-छात्राएं भी उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। सरकार शिक्षा के नाम पर इतना बजट खर्च कर रही है और बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है, और एक तरफ राजकीय महाविद्यालय के अभाव में बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है।

(श्री भंवरसिंह)

(12.55 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कोलायत विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए कोलायत विधान सभा क्षेत्र के तीन बड़े कस्बे श्री कोलायत, बज्जू व देशनोक राजकीय महाविद्यालय के सभी मानदण्ड पूरा करते हैं, फिर भी पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वर्ष 2013 में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग-अलग राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। किंतु अभी तक भी कोलायत में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया है। राजकीय महाविद्यालय के अभाव में मेरा विधान सभा क्षेत्र कोलायत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है।

अत: निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र में मानदण्ड पूर्ण करने वाले सभी कस्बों, कोलायत, बज्जू व देशनोक में राजकीय महाविद्यालय खोलने की इसी बजट सत्र में घोषणा की जावे, जिससे शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कोलायत के विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में स्थायी न्यायालय की स्थापना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय, बड़ी सादड़ी पर वर्तमान में सन् 2004 से अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा का प्रत्येक 15 दिन की समयावधि में 2-2 दिन का कैम्प आयोजित होता है, जबकि बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक है:-

(क) सीनियर सिविल जज व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ी सादड़ी के न्यायालय में फौजदारी के 1200 प्रकरण एवं सिविल के 140 प्रकरण लम्बित हैं।

(ख) सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ी सादड़ी के न्यायालय में फौजदारी के 676 प्रकरण एवं सिविल के 36 प्रकरण लम्बित हैं।

(श्री गोतम कुमार)

(ग) सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगला के न्यायालय में फौजदारी के 1200 प्रकरण एवं सिविल के 230 प्रकरण लम्बित हैं।

वर्तमान में बड़ी सादड़ी मुख्यालय के न्यायालयों तथा डूंगला न्यायालय से सम्बन्धित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, निम्बाहेड़ा में 916 प्रकरण लम्बित हैं।

वर्तमान में डूंगला न्यायालय एवं बड़ी सादड़ी न्यायालय (जिला चित्तौड़गढ़) से सम्बन्धित सेशन प्रकरणों की सुनवाई बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर शिविर के दौरान होती है एवं आवश्यक प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों की सुनवाई के लिये शिविर के पश्चात प्रार्थीगण को निम्बाहेड़ा न्यायालय में अवसर नहीं दिया जाता है। प्रत्येक 15 दिन की समयावधि में 2-2 दिन के शिविर में समस्त प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाती है। प्रकरणों की संख्या ज्यादा होने से ज्यादातर प्रकरण लम्बित ही रहते हैं, जिससे पक्षकारों को समय पर न्याय भी नहीं मिल सकता एवं प्रार्थियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।

अगर बड़ी सादड़ी में कैम्प कोर्ट (शिविर) के बजाय स्थाई न्यायालय की स्थापना हो जाती है तो आमजन को सस्ता एवं सुलभ एवं समय पर न्याय प्राप्त हो सकेगा तथा अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि प्रकरणों की संख्या एवं डूंगला से बड़ी सादड़ी की दूरी मात्र 20 किलोमीटर एवं बड़ी सादड़ी से निम्बाहेड़ा की 55 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए वर्तमान में निम्बाहेड़ा न्यायालय का शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसके स्थान पर बड़ी सादड़ी में स्थाई न्यायालय की स्थापना करवाने का कष्ट करावें। धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

प्रदेश को शराब एवं नशा मुक्त करना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-295,

(श्री हरिसिंह रावत)

विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है जहां पर लघु कृषक एवं मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं। जिनकी आज की स्थिति यह है कि कृषकों एवं मजदूर वर्ग के लोगों में धीरे-धीरे शराब, गुटखा, अफीम एवं कई ऐसी नशीली चीजों का गांवों में चलन बढ़ गया है। जिससे लघु कृषक एवं मजदूर वर्ग के लोगों के परिवारों को एक जून की रोटी के लाले पड़ गये हैं। जिससे गरीब परिवार के घरों के बच्चों एवं महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिससे गरीब परिवार के बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है एवं अल्प आयु में ही बच्चे-बच्ची अपने परिवार की दयनीय स्थिति के कारण बाल मजदूरी करने को विवश हो रहे हैं एवं समाज में ऐसी कुरीतियां पनप रही हैं जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है।

प्रदेश में अवैध एवं जहरीली शराब से भी कई जगह मौतें हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाल ही में ग्राम पंचायत काछबली एवं मण्डावर में शराब बंदी के लिए वोटिंग हुई, जिसमें दोनों ही जगह शराब की दुकानों को बंद करने के पक्ष में जनता द्वारा वोट डाले गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के ज्यादातर परिवारों में शराब की वजह से झगड़े, मारपीट, महिलाओं का उत्पीड़न आदि होता रहता है तथा कई लोग मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। इन्हीं कारणों से परिवार में रहने वाले बच्चे, महिलाओं का जीवन-यापन करना दूभर होता जाता है और उन्हें तरह-तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सम्पूर्ण राजस्थान को नशा मुक्त बनाकर राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में योगदान प्रदान कराने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा की उप तहसील सायरा का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के

(श्री प्रताप लाल भील)

नियम-295, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्तमान में तहसील कार्यालय गोगुन्दा है तथा उप तहसील कार्यालय सायरा है। तहसील कार्यालय से उप तहसील कार्यालय की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है तथा पंचायत पुनर्गठन में वर्तमान में पंचायत समिति सायरा का गठन किया गया है तथा सायरा पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए पंचायत समिति का गठन किया गया है।

आम जन समस्या का निराकरण और विकास का कार्य सम्पादन पंचायत समिति सायरा में किया जा रहा है तथा तहसील स्तर की समस्या का निस्तारण के लिए तहसील कार्यालय गोगुन्दा जाना पड़ता है। उप तहसील कार्यालय सायरा में वर्तमान में अन्य विभाग के उपखण्ड कार्यालय जैसे- सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता-पी.एच.ई.डी., सहायक अभियंता- विद्युत वितरण, थाना कार्यालय, वन रेंज कार्यालय, ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मेवाड़ गवर्नमेंट के समय सायरा ही तहसील कार्यालय था तथा आजादी के बाद तहसील कार्यालय सायरा को तहसील गोगुन्दा का गठन किया गया था।

अत: जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उप तहसील सायरा को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाकर आम जन को राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में आई.टी.आई. केन्द्र की स्थापना

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-295, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी आई.टी.आई. नहीं है जिसके कारण जनजाति बहुल क्षेत्र के लोगों को वहां स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर माइन्स (वेदान्ता ग्रुप) में रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां आई.टी.आई. होल्डर नहीं है। यही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ सलूम्बर, खैरवाड़ा, झाडोल विधान सभा क्षेत्र में भी आई.टी.आई. नहीं है

(श्री फूलसिंह मीणा)

जिसके कारण यहां के पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग भी आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाने से रोजगार से वंचित हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा व सलूम्बर, खैरवाड़ा व झाड़ौल का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के जनजाति भाई-बहनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त हो, वह आगे बढ़ें, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें, इस हेतु इन क्षेत्रों में आई.टी.आई. खोलने की कृपा करें।

माननीय मंत्रीजी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदान्ता ग्रुप) को अगर सरकार आग्रह करेगी तो वह भी इस आई.टी.आई. को खोलने को तैयार हो जाएगी। उन्हें भी क्षेत्रीय कर्मचारियों का रखा जाना आवश्यक है लेकिन आई.टी.आई. प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होने से वह रोजगार नहीं दे पा रही है।

अत: मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदान्ता ग्रुप) से बात कर उन्हें यह जिम्मदारी दी जाए कि वह वहां आई.टी.आई. का संचालन करे जिससे वहां के लोग वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करें। इससे वेदान्ता ग्रुप को भी फायदा होगा तथा जनजाति बहुल क्षेत्र को भी रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारीलाल सिंघल।

अलवर शहर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में वकीलों के बैठने हेतु चैम्बर्स की व्यवस्था

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-295, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर शहर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय जो कि राज्य सरकार के अलवर जिला सचिवालय व अलवर जिले के न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है, में वर्तमान प्रारूप के अनुसार वकीलों को बैठने हेतु स्थान एवं चैम्बर्स का प्रावधान नहीं है। जैसा कि प्राय: हम सब देखते और समझते हैं कि जिला सचिवालय एवं जिला न्यायालय एवं राज्य स्तर पर वकालत कार्य करने वाले वकीलों को आम जन की पैरवी करने हेतु स्थान उपलब्ध न्यायालय एवं सचिवालय

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

परिसरों में ही करवाये जाते हैं जिससे वकील समुदाय स्वयं के बैठने के अतिरिक्त अपने पास आने वाले मुवक्किलों को बैठाने के साथ-साथ अपने रिकार्ड, कानूनी पुस्तकें एवं फाइलों का संरक्षण रखते हैं।

अलवर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में जो दो भवन वर्तमान में बनाये जा रहे हैं उनमें एक भवन सचिवालय परिसर का व दूसरा भवन न्यायिक परिसर का बनाया जा रहा है। उक्त परिसर में वकीलों के बैठने हेतु कोई चैम्बर या अन्य व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है जिससे आने वाले समय में इस मिनी सचिवालय में वकीलों को स्थान उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अपना कार्य सम्पादन करने में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा जो वकीलों के साथ-साथ आम जन को भी कष्टदायी होगा।

अत: निवेदन है कि अलवर के मिनी सचिवालय परिसर में ही वकीलों के लिए चैम्बर्स या बैठने के उपयुक्त स्थान की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर पर करवाई जाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना (रामगंजमंडी) के डूब क्षेत्र में स्थित 7 गांवों के परिवारों को मुआवजा व अनुग्रह राशि की स्वीकृति

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-295, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि वर्ष 2006 से बहु-प्रतीक्षित तकली मध्यम सिंचाई परियोजना, रामगंजमंडी के डूब क्षेत्र में आ रहे 7 ग्राम दड़िया, दुड़कली, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, रघुनाथपुरा, तमोलिया एवं ताल्याखेड़ी जो कि आबादी क्षेत्र में बसे हैं एवं राजस्व गांव हैं तथा डूब क्षेत्र में विस्थापित है। अब एक दशक बाद इन गांवों के किसान परिवारों को यह कह कर परियोजना से बेदखल किया जा रहा है कि यह सभी गैर कानूनी रूप से काबिज हैं जबकि राज्य सरकार राजकीय विद्यालय, सड़क, आंगनबाड़ी आदि सुविधाएं पूर्व से देती आ रही है। नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी वयस्क जो कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उसमें रहता नहीं है परंतु मजदूरी, ठेला, दुकान आदि कर रहे हैं, उन्हें भी सुविधा एवं मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा-107 व 108 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार इनके प्रावधानों के अतिरिक्त लाभ देने तक का प्रावधान है परंतु डूब क्षेत्र के लोगों की आजीविका छीनकर उन्हें अधिनियम, 2013 की अनुसूची- 1, 2 व 3 की सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

उक्त ग्रामवासी गैर-मुमकिन आबादी पर बसे हुए हैं तथा पट्टे नहीं हैं, जबकि इन्हें पट्टे के हकदार होने के बावजूद इस आधार पर राजस्व विभाग ने पट्टे नहीं दिये कि परियोजना के डूब क्षेत्र में हैं, जबकि अनेक परिवारों के पास पट्टे भी उपलब्ध हैं। अब विभाग द्वारा इस आधार पर पुनर्वास संबंधी परिलाभों से वंचित किया जा रहा है कि पट्टे नहीं हैं, यह अन्यायपूर्ण है, जो कि पुन: विचाराधीन है।

क्षेत्र के किसान उक्त बांध निर्माण में उचित मुआवजा व अनुग्रह राशि नहीं मिलने के कारण आन्दोलन कर रहे हैं व विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विरोध करके रोक देते हैं, जिससे बांध व नहरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

अत: उक्त गांवों के परिवारों को उचित मुआवजा व उचित अनुग्रह राशि 10-10 लाख रुपये प्रति परिवार देकर परियोजना का कार्य पूर्ण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरूण राय कागा।

समाज के गरीब तबके एवं वंचित पात्र अभ्यर्थियों को आवास योजना से लाभान्वित करना

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत 'वंचित पात्र अभ्यर्थी को आवास योजना से लाभान्वित करवाने' के संबंध में मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज के निर्धन तबके को छत उपलब्ध करवाने की दिशा में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सदैव प्रयासरत रही है और विभिन्न

(श्री तरुण राय कागा)

आवास योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को आवास सुविधा प्रदान की जाती रही है। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल.वर्ग के निर्धन परिवारों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध करवाये जाते थे, जिनका आधार बी.पी.एल. सर्वे 2002 रहा। इस सर्वे के माध्यम से प्राथमिकताएं तय करते हुए प्राथमिकता सूची अनुसार योग्य बी.पी.एल. परिवारों के लिये आवास निर्मित करवाये जाते थे। उस सूची में उपलब्ध बजट के आधार पर वंचित रहे बी.पी.एल.परिवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बी.पी.एल.आवास योजना प्रारम्भ कर आवास निर्मित करवाये गये थे। इन दोनों योजनाओं से वंचित रहे बी.पी.एल. परिवारों का नाम अंतिम प्रतीक्षा सूची में दर्ज था, किन्तु वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा नवीन आवास योजना 'प्रधान मंत्री आवास योजना' प्रारम्भ करने और उसका आधार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना 2011 रखने से उस प्रतीक्षा सूची के वंचित योग्य बी.पी.एल.परिवार आज दिनांक तक आवास सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं। हालांकि 2011 के सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण में किन्हीं कारणों से वंचित रहे योग्य परिवारों को अपील के माध्यम से सूची में सम्मिलित करवाने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु उन अपील आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु अधिकारियों के पास किसी तरह के स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से योग्य गरीब अभ्यर्थियों में हताशा का माहौल निर्मित हो रहा है।

अत: समाज के गरीब तबके के योग्य लोगों को आवास सुविधा से लाभान्वित करने के लिये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2011 में वंचित रहे योग्य परिवारों द्वारा की गयी अपील पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करवाने एवं राज्य सरकार द्वारा नवीन आवास योजना प्रारम्भ करवाने का विनम्र अनुरोध किया जाता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं निवेदन करना

(श्री सुखराम विश्नोई)

चाहता हूं। सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शहर में कई कॉलोनियों में काफी क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है। नगरपालिका सांचौर ने पानी निकासी के लिये सीवरेज सिस्टम के लिये शहर की डी.पी.आर. बनाकर स्वायत्त शासन को काफी समय पहले भेजी थी। परन्तु अभी तक डी.पी.आर. मंजूर न होने से शहर में गंदा पानी मेहता हॉस्पिटल के पास व पास की कॉलोनी में पसरा पड़ा है, जो भंयकर दुर्गंध देता है, व साथ ही कई बीमारियों को न्योता भी देता है। शहर के दक्षिण का पानी नर्मदा कॉलोनी में एक तालाब में जाता है जिससे नर्मदा कॉलोनी व पास में खेतेश्वर कॉलोनी के लोगों का जीना दूभर हो गया है। शहर के पूर्व-दक्षिण में रमेश कॉलोनी का पानी सड़क पर फैल जाने से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली हुई है। इंदिरा कॉलोनी में हाल भी रमेश कॉलोनी की तरह बने हुए हैं। शहर में पानी निकासी की इस समस्या के समाधान के लिये स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिये, परन्तु अभी तक कोई नतीजा शहर के पानी निकास का नहीं निकला है। ऐसे लोक महत्व के विषय को 295 के तहत सदन में उठाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय, श्री जोगाराम जी पटेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर स्थित जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाना

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा और जो विषय मैं आज आपके मार्फत सदन में रखना चाहूंगा, उस विषय के आप विशेषज्ञ हैं। We are concerned with environment in the rivers. पिछले सैशन में भी यह विषय आया था, लूणी नदी और बांडी नदी का और आपने बहुत सहृदयता बताते हुए इस विषय को गंभीरता से समझते हुए अपने स्व-विवेक से, क्योंकि यह विषय खाली किसी व्यक्ति या देश और प्रदेश से संबंधित नहीं था बल्कि यह मानव जाति के लिये, पशु-पक्षी के लिये, जीव-जन्तुओं के लिये सबसे महत्वपूर्ण था व है। अत: आपने कमेटी बनाने का आदेश दिया था, परन्तु उस कमेटी का कोई यथोचित परिणाम आज तक हमारे सामने नहीं आया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज जो विषय मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं वह महत्वपूर्ण है, पूर्व का विषय लूणी-बांडी नदी का विषय था, पर आज जोधपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली जोजरी नदी का है और जोजरी नदी, एक वह नदी है, जिससे पूर्व जमाने में सारा जोधपुर पानी पीता था, फल-सब्जी वही से मिलती थी और उससे आस-पड़ोस में खूब सारी खेती होती थी, सारे गांव उस पर निर्भर थे। समय के परिवर्तन के साथ, शहरीकरण के साथ, लोगों के स्वार्थ के कारण और विभागीय उदासीनता के कारण आज वह नदी, जो जोधपुर की लाइफ लाइन थी, वह आज जोधपुर की लाइफ लाइन बिगाड़ने में लगी हुई है। मैं अपनी बात शुरू करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे पहले यह निवेदन करूंगा कि एन.जी.टी.ने इसको बहुत सीरियसली लिया और अभी जनवरी, 2018 में भारी पेनल्टी भी सरकार पर लगायी है। और उनसे निवेदन किया कि आप बार-बार हमारे आर्डर की पालना नहीं कर रहे हैं और इस जोजरी नदी को पोल्यूटेड होने से नहीं रोक रहे हैं, न इस संबंध में कोई एक्शन प्लान बना रहे हैं और उन्होंने सरकार पर 10 लाख की पेनल्टी लगा दी। पहले भी एक लाख की पेनल्टी लगायी थी परन्तु उसके बावजूद भी यह जो जोजरी नदी है, इसको प्रदूषित होने से नहीं रोका जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने दिनांक 11.03.2016 को जिस कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था, उसका कारण ही यही था कि हमारे राजस्थान में जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और विशेषकर शहरों के नजदीक जो नदियां आयी हुई हैं और जो शहरों के इंडस्ट्रीज के, सीवरेज के या और किसी कारण से नदियों का अस्तित्व बिगड़ रहा है, उसमें कोई न कोई यथोचित परिणाम निकाला जावे या उसका कोई न कोई कंक्लूजन निकाला जावे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यह जोजरी नदी करीब 128 किलोमीटर लम्बाई की जसवन्त सागर और एक बहुत बड़ी पहाड़ी आयी हुई है भोपालगढ़ और अजमेर के आस-पास, उतरण की पहाड़ियों के नाम से उसको पुकारते हैं, यह नदी वहां से प्रारम्भ होती है। 128 किलोमीटर पूरी करने के बाद यह पचपदरा का जो सॉल्ट है, वहां आती है और उससे अधिक पानी आता है तो फिर दो नदियों में और मिलकर आगे निकल जाती

(श्री जोगाराम पटेल)

है। इस नदी का 70 किलोमीटर का पार्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र से निकलता है और बनाड से लगाकर ठेठ लूणावास खारा तक का यह एक जियोग्राफिक एरिया है, उस एरिये में विशेषकर सबसे ज्यादा तीन वजह से, पहली वजह पाली-बिठूजा और बालोतरा में एन.जी.टी. की वजह से सरकार की सहृदयता की वजह से, सरकार के आदेश की वजह से जो अवैध फैक्ट्रियां बंद हुईं या जिनका चलने नहीं दिया गया वे सारी की सारी फैक्ट्रियां इस जोजरी नदी के दोनों किनारे शिफ्ट हो गयी और वह जो काम वहां करते थे, वह पूरा का पूरा इस जोजरी नदी के दोनों किनारों पर यहां करने लग गये। दूसरी वजह, जोधपुर शहर में रँगाई-छपाई की अनाप-शनाप फैक्ट्रियां चल रही हैं। छोटे-छोटे उद्योग घरों में चल रहे हैं, प्लॉटों में चल रहे हैं और रँगाई-छपाई का जो कैमिकलयुक्त पानी होता है, वह सीवरेज लाइन में डाल दिया जाता है और शहर का पूरा सीवरेज का पानी इकट्ठा होकर वह पानी इस जोजरी नदी के अंदर आ जाता है और तीसरी वजह, जोधपुर शहर का जो सीवरेज का पानी है, वह भी इसके अंदर आ जाता है। इन तीनों कारणों से यह नदी कम्प्लीटली प्रदूषित हो चुकी है और एन.जी.टी. ने सारी टैक्निकली रिपोर्ट मंगाने के बाद सरकार को यह आदेश दिया है कि इस नदी को प्रदूषित होने से रोका जावे और इसका कोई एक्शन प्लान बनाया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैंने एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न संख्या 3202 और इसका जवाब दिनांक 01.03.2016 को इसका सदन में आया था।

जवाब में यह कहा गया है, जी हां, जोधपुर नगर निगम द्वारा जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु जोजरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत डीपीआर बनायी गयी थी। यह डीपीआर वास्को कम्पनी द्वारा बनायी गयी थी। इस कम्पनी को आदेश दिनाक 06.12.2012 के द्वारा राशि रुपये 01 करोड़ 10 लाख का आदेश दिया गया था। कार्यादेश व डीपीआर की प्रति संलग्न है। इस हेतु कम्पनी को 75.16 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है और यह डीपीआर पूरी 2012 से लगाकर अब 2018 चल रहा है। इस डीपीआर का कोई उपयोग नहीं हुआ। जोजरी नदी का जो एक्शन प्लान बार-बार चाहे निगम की मीटिंग, चाहे जेडीए की मीटिंग हो या जिला परिषद की मीटिंग

(श्री जोगाराम पटेल)

हो या सरकार के डीएलओज की मीटिंग हो, उसमें बार-बार यह आता है कि जोजरी नदी बहुत ही प्रदूषित हो रही है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी एक 2017-18 का प्रशासनिक प्रतिवेदन माननीय सदन के सामने जोधपुर विकास प्राधिकरण का प्रस्तुत हुआ है। उसमें एक लाइन का हवाला अवश्य दिया गया है और उसमें यह लिखा गया है, प्राधिकरण द्वारा जोजरी नदी में एकत्रित हानिकारक अपशिष्ट को हटाने हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए राशि रुपये 25.24 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशानुसार चिन्हित क्षेत्र में से लगभग 80 हजार मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट निकालने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु प्राधिकरण, रीको, जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट व राजस्थान प्रदूषण निवारण ट्रस्ट द्वारा राशि का सहयोग किया जा रहा है लेकिन आज तक किसी तरह का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। बार-बार पेपर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के कंटेम्प्ट से बचने के लिए ऐसे लिखे अवश्य जा रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 128 किलोमीटर की नदी में से 70 किलोमीटर का पोर्शन जो जोधपुर शहर के पूरब से लगाकर पश्चिम के किनारे-किनारे गुजरता है उसमें एवरी डे जोधपुर शहर का बहुत बड़ा सीवरेज का पानी और बहुत बड़ी मात्रा में रँगाई छपाई के जो छोटे-छोटे उद्योग जो घरों में चलते हैं, उसमें सिर्फ केमिकल ही लगता है, जिससे उसका कलर आता है, वह पानी और हजारों फैक्ट्रियां जो बिठूजा में, पाली में बन्द हुई या अहमबदाबाद में या जहां कहीं भी बन्द हुई, वह सेफ जोन में यहां आकर लगा रहे हैं। उससे पानी प्रदूषित हो रहा है। इस नदी के दोनों किनारे जितने भी दो सौ ढाई सौ गांव हैं, उनकी पूरी जमीन जहां-जहां यह पानी गया, कम्प्लीटली जमीन खराब हो गई, खेती योग्य ही नहीं रही। इस नदी के दोनों किनारे जितने भी गांव हैं, उन गांवों में दिन में और रात में रह भी नहीं सकते। बहुत बड़े-बड़े मच्छर हैं। कभी भी लाइट चली जाती है। आधा-एक घंटे तक लोग खड़े रहकर पंखा हिलाते रहते हैं। विभिन्न प्रजातियों के बड़े-बड़े मच्छर वहां पैदा हो गये हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ही नहीं, आप करीब तीन किलोमीटर तक चलेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि उसके प्रदूषण की गंध आगे फैलती जाती है और जिधर हवा होती है उधर ज्यादा ले जाती है। यह सारा विषय जो है, मेरा निवेदन यह है कि अगर इस तरह के एन्वायर्नमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया जायेगा और हम आँख मूंद कर ऐसे प्रोटेक्शन होते रहेंगे या जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, वह और बढ़ती जायेंगी और चलती रहेंगी। रँगाई और छपाई के छोटे-छोटे उद्योग जो शहर में चल रहे हैं, उनका पानी गटर लाइन के माध्यम से नदी में आता रहेगा या सीवरेज का पानी उस नदी में आता रहेगा तो इसका भविष्य क्या होगा। आसपास के 70 किलोमीटर के मेरे ढाई सौ गांव हैं, उनका क्या होगा? जोधपुर शहर का क्या होगा? पशु पक्षी, जीव जन्तुओं का क्या होगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पिछली बार भी आप इतने सीरियस हुए थे, इसके लिए आप सरकार को आदेशित करें। जोजरी नदी का 2012 में जो प्रोजेक्ट बना था या तो उसको इम्पलीमेंट करें या जेडीए ने अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में जो बात कही है, उसकी पालना करे या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो अपने बार-बार आदेश दिये हैं, उसकी पालना करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यहां तक है, बार-बार जोधपुर से निकलने सभी समाचार पत्रों में, नियमानुसार समाचार पत्रों को यहां मैं नहीं रखूंगा, जितने भी समाचार पत्र हैं, उन सभी ने यहां तक लिख दिया है कि 70 किलोमीटर तक यह नदी सड़ चुकी है। शहर से निकलने वाले इण्डस्ट्रियल वेस्ट तथा सीवरेज से और बिगड़ रहे हैं हालात। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो इण्डस्ट्री पर शोध वगैरह कर रहे हैं, जो थीसिस लिख चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर यह हालत रही तो यह नदी कम्प्लीटली एक खतरनाक मोड पर जा सकती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जोजरी नदी जो प्रदूषित हो रही है उसे बचाया जावे। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं आपसे, कि जोजरी नदी के साथ-साथ नेहड़ा बाँध, लूणी नदी, जिससे हम और हमारे साथी विधायक भी प्रभावित हैं, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई यथोचित आदेश प्रदान करें

(श्री जोगाराम पटेल)

ताकि यह नदी बच सकें। मेरा निवेदन इतना और है कि जो सलज है, उसको भी निकाला जावे। तभी इसमें सुविधा हो सकती है। आपने मुझे समय दिया इसलिए आपका आभार।

श्री उपाध्यक्ष: आप करेंगे रिएक्ट?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): दो मिनट जवाब दे देता हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष: जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जोजरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाकर उसे प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध बात रखी है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एनजीटी द्वारा मूल आवेदन जो क्रमांक 358/2013 मैसर्स लक्ष्मी सूटिंग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में जो निर्देश जोजरी नदी के चिन्हित स्थान लगभग एक किलोमीटर की लम्बाई में हानिकारक प्रदूषण अपशिष्ट हटाने की कार्यवाही की गई है, उसका मैं विवरण आपके सामने आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूं।

जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो रिपोर्ट हमारे पास आयी थी उपाध्यक्ष महोदय, उस परियोजना की कुल लागत 3250 लाख रुपये बनायी गयी थी। इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर निर्णय कर जोधपुर विकास प्राधिकरण, रीको व राजस्थान प्रदूषण निवारण ट्रस्ट को लागत राशि का 26.66 प्रतिशत अंश वहन करना था। जबकि जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट को 20 प्रतिशत अंश उसमें देना था। इसी क्रम में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक पी. जोन दक्षिण 2017-18, 24.04.17 द्वारा 2425.17 लाख का कार्यादेश जारी हो चुका है इसमें। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि 06.05.2018 है और मैं समझता हूं कि संवेदक द्वारा जो डायवर्जन चैनल तैयार की गयी है एवं हानिकारक अपशिष्ट निकालने वाले क्षेत्रों में भी झाड़ी आदि की सफाई का कार्य भी आंशिक रूप से, आपको ध्यान होगा, पूर्ण कर लिया गया है।

कार्य की प्रगति थोड़ी धीमी है। संवेदक को कार्यालय द्वारा नोटिस दिये

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जा चुके हैं एवं कार्य की गति में सुधार नहीं होने पर अनुबन्ध की धाराओं के तहत कार्यवाही करने के लिए हमने लिख कर भेज दिया है। जोधपुर शहर के पास जोजरी नदी के किनारे पर्यावरण विकास के कार्यों के लिए जोजरी रिवर फ्रंट परियोजना की क्रियान्विति हेतु नगर निगम, जोधपुर द्वारा भारत सरकार के उपक्रम वेबकास्ट द्वारा डीपीआर भी तैयार की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, योजना के प्रथम चरण में 124 करोड़ रुपये की लागत जो अनुमानित है, इस जल के निस्तारण के लिए नगर निगम, जोधपुर द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट प्रगतिशील है। जोधपुर नगर निगम में 108 एमएलडी सीवरेज उत्पन्न हो रहा है। सालावास में प्रथम चरण में 50 एमएलडी के एसटीपी का निर्माण किया जा चुका है। नालेड़ी में 20 एमएलडी क्षमता के एसटीपी कार्यशील हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसका कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा कर देंगे। बासनीडेंदा में जो 40 एमएलडी क्षमता का प्लान्ट निर्माणाधीन है। इसके लिए 71.30 करोड़ का आदेश भी हमने जारी कर दिया है एवं मौके पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट से उपचारित पानी को कृषि उपयोग के लिए भी नीलाम कर रहे हैं।

इसके अलावा भी माननीय सदस्य आपको लगता है इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में विद्युत समस्या से किसानों को परेशानी

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। यह बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकार बिजली के क्षेत्र में अनेक कार्य ऐसे कर गई थी या कुछ ऐसे निर्णय पूर्ववर्ती सरकार कर गयी थी जिसकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत अधिक भार पड़ रहा था। मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि 60 हजार करोड़ रुपये का भार सरकार ने अपने सिर के ऊपर लिया।

जो सिविल लायबिलिटी के रूप में दो हजार रुपये पर एच.पी. के

(श्री रामलाल शर्मा)

पैनल्टी लगाने का काम जो पूर्ववर्ती सरकार कर गयी थी, उसको घटा कर एक हजार रुपये किये। इस सरकार ने कई नीतिगत निर्णय ऐसे किये जो किसानों के हित में थे। पहले 12 महीने की राशि वसूल की जाती थी, पहले उसको चार महीने किये और अब चार महीने से घटा कर दो महीने किये। किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन की शिफ्टिंग के लिए भी पहले पंचायत समिति के अन्दर ही शिफ्टिंग हो सकते थे, अब उसका दायरा बढ़ा कर पूरे जिले के अन्दर किये गये। इसके अलावा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्दर भी घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह एक सकारात्मक पक्ष जो किसानों को राहत देने वाला था लेकिन सरकार ने अपने स्तर के ऊपर किसानों को नीतिगत निर्णय करते हुए लाभ देने का काम किया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो सच्चाई धरातल पर है, वास्तविकता है वो भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को भी अवगत कराना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कई वी.सी.आर. ऐसी भरी गयीं जो उपभोक्ता चोरी कर ही नहीं रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, एक कोट करूंगा, सितम्बर, 2016 के अन्दर एक साधुराम पुत्र सूजाराम गूजर, देवपुरा का रहने वाला है, इसकी वी.सी.आर. भरी गयी। यह ए.ईएन. फर्स्ट के अन्दर कम से कम बीस बार चक्कर काट चुका। यह कह रहा है कि मैंने बिजली चोरी की ही नहीं, अगर मैंने बिजली चोरी की है तो मेरे को फोटो दिखा दो। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी फोटो दिखाने केलिए तैयार नहीं और बिना चोरी किये हुए उपभोक्ता के, जो एक ईमानदार उपभोक्ता था, इसके खाते के अन्दर वी.सी.आर. चढ़ा कर बिल इसके घर भेज दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से ए.ईएन., कालाडेरा के अन्दर सूंडाराम पुत्र ग्यारसा, 08 दिसम्बर, 2017 को इसने डिमांड नोटिस जमा करा दिया। बारबार बिजली विभाग के चक्कर काटने के बावजूद भी, इसके लोड बढ़ाने का काम था, ए टू बी करने का काम था लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी यह कहते हैं कि जब तक आपकी प्रायोरिटी में एक नम्बर जो पहले था, उसकी वी.सी.आर. भरी हुई है, जब तक वो वी.सी.आर. के पैसे जमा नहीं करायेगा और जब तक उसका कनेक्शन नहीं कर दें तब तक हम आपको

(श्री रामलाल शर्मा)

कनेक्शन नहीं दे सकते और आज भी इसका वर्क आर्डर जारी नहीं हुआ, यह बारबार चक्कर काट रहा है।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है सितम्बर, 2016 के अन्दर एग्रीकल्चर मीटर लगाये गये, उपभोक्ता सितम्बर, 2016 से फ्लैट रेट का पैसा विभाग को देता रहा और अब जनवरी, 2018 के अन्दर मीटर से बिलिंग कर उसके पास बिल भेजा गया और बिल डेढ़ लाख रुपये का, उपाध्यक्ष महोदय, जब भी उपभोक्ता की बिना सहमति के फ्लेट रेट को तोड़ कर मीटर से बिलिंग करना शुरू किया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम, मंत्री महोदय, आप मेरे रिप्लाई में यह घोषणा तो जरूर कर दें कि बिना उपभोक्ता की सहमति के फ्लैट रेट को तोड़ा नहीं जाएगा और तोड़ने के बाद मीटर से उसकी बिलिंग नहीं की जाएगी। अगर उपभोक्ता सहमत है तो आप मीटर से बिलिंग कीजिए, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। और जब 2016 में आपने उसके मीटर लगा दिया, 2016 से लेकर दिसम्बर, 2017 तक वो फ्लैट रेट देता रहा है और अब उसके एक साथ डेढ़ लाख रुपये का बिल, मेरे ख्याल से वो जमा कराने में असमर्थ है।

इसी तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, आज से पांच-सात साल पहले जल स्तर ऊपर था और जल स्तर ऊपर होने के नाते किसी कन्जूमर ने 15 एच.पी. का कनेक्शन ले लिया, अब जल स्तर तो नीचे चला गया, कंटीन्यू पांच घंटा बिजली छोड़ कर एक घंटा भी लगातार उसकी मोटर नहीं चलती। अब जब एक घंटा भी उसकी मोटर नहीं चलती तो क्या सरकार उसको सिंगल फेस के अन्दर कन्वर्ट करने का विचार रखती है ताकि उपभोक्ता अपने पशुओं को या खुद के पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करूंगा। विभाग के द्वारा 24 घंटे सिंगल फेस की बिजली, 8 घंटे का ब्लॉक देने की बात कही गयी लेकिन अगर धरातल पर हम वास्तविकता देखें तो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिजली की कटौती रहती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बिजली की कटौती रहती है और फिर शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लौड शेडिंग के नाम के पर कटौती। यह

(श्री रामलाल शर्मा)

वास्तविकता है, आप आंकड़े मंगा कर इनको देखें। इस लौड शेडिंग के नाम पर भी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि अब विद्यार्थियों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आप कम से कम इस अघोषित विद्युत कटौती को भी बंद कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा। एक बजरंग लाल पुत्र राम गोपाल है, यह नांगल बगड़ी का रहने वाला है, उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. परिवार का है, एक कमरा बना हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। 75 परसेंट उपभोक्ताओं के मिनिमम 100 यूनिट घरेलू उपभोग के बिल बिना जांच के सब के चढ़ा कर भेज दिये गये। अगर 100 से अधिक यूनिट वो काम में लेते हैं, आप बिल दें, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बी.पी.एल. परिवार जैसे व्यक्ति, जो 100 यूनिट यूज ही नहीं करते, कम से कम उनके मीटर के अन्दर जो रीडिंग है उस रीडिंग के आधार पर ही बिल भेजे जाएं।

आपके माध्यम से एक अंतिम निवेदन और करना चाहूंगा कि जो भी उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं के वास्तविक रीडिंग से अधिक रीडिंग के बिल भेजे गये हैं, मंत्री महोदय, आप कृपया उनकी जांच कराने का आदेश फरमाएं।

कम से कम एक घोषणा तो मेरी रिप्लाई के अन्दर आप जरूर कर दें कि बिना उपभोक्ताओं की सहमति के आधार पर आप फ्लैट रेट को तोड़ने का काम नहीं करेंगे और यदि उपभोक्ता यह चाहता है कि मुझे मीटर से बिलिंग दी जाए तो आप उसको मीटर से दें।

एक 11 हजार आपने सीधा डीपी के अन्दर उतारने का काम किया है, कई हादसे, कई ट्यूबवैल की मोटरें जलने का काम हुआ है, कई और भी हादसे हुए हैं। बिजली चोरी को रोकने के लिए अगर यह किया गया है तो बिजली चोरी रोकने के लिए किया गया था तो आप कितनी चोरी रोकने में सफल हुए? और अगर बिजली चोरी रोकने में आप सफल नहीं हुए तो कृपा कर के कम से कम जीओ वापस लगाया जाए ताकि ऐसे हादसों से बचा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र के अन्दर भी एक हादसा हुआ

(श्री रामलाल शर्मा)

है, उसके तो तकनीकी रूप से क्या कारण रहे लेकिन अधिकांश उपभोक्ताओं के दिमाग में यही है कि डीपी के अन्दर 11 हजार की लाइन सीधी आने की वजह से वो हादसा हुआ है।

आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि यह जो चार-पांच किसानों से जुड़े हुए प्रमुख विषय हैं इनको आप गम्भीरता से लेते हुए आप इनकी जांच भी कराएं और जांच कराने के बाद में इनमें जो यथा सम्भव सही हो सकता है, उसको आप कराने की घोषणा करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली विभाग के बारे में किसानों के साथ जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो अवगत कराया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बात कही है कि चौमूं विधान सभा में अधिकांश बी.पी.एल. परिवार को, जिनके मीटर चल नहीं रहे उनको 100 यूनिट का एवरेज बिल कर के दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मीटर चल रहे हैं ...(व्यवधान)... ऑफिस में बैठ कर 100 यूनिट मिनिमम कर दी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरा आपसे निवेदन है कि अगर यह बात है तो निश्चित रूप से मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच करा कर उन्होंने जो भी उपभोग किया है उसका बिल ही उनसे लिया जाएगा। रूल भी यह कहता है कि जब मीटर लगा हुआ है और मीटर जब सही चल रहा है तो फिर एवरेज बिलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मीटर जल जाता है तो फिर हम उसके प्रीवियस ईयर की उस मंथ की हम एवरेज बिलिंग कर के उसका बिल देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फ्लैट रेट की बात की है, कल भी यह बात सदन में आयी थी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी थी कि फ्लैट रेट को हटा कर मीटर प्रणाली में ला रहे हैं, मैंने कल भी यह बात हाउस में कही थी कि जो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट है उस इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत हम सब को यह कहा गया है कि इसको हंड्रेड परसेंट मीटरिंग किया जाय। फ्लैट रेट से लोगों ने, किसानों ने, तीनों डिस्कॉम मिला कर फ्लैट रेट से, ऑफिशियल फ्लैट रेट से जो कनेक्शन चल

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)
रहे हैं, मैंने कल भी बताया था कि तीनों डिस्कॉम मिला कर खाली 94 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिसके ऑफिशयली फ्लैट रेट आपके कनेक्शंस चल रहे हैं। दूसरे वो किसान हैं जिनके मीटर काफी लम्बे समय से जले हुए हैं और जो लोस बेस फीडर्स पर हम काम कर रहे हैं उस लोस बेस फीडर्स पर काम करते हुए जो मीटर जले हुए हैं उसको हम सुपर ट्रांसफार्मर लगा कर उसके अन्दर मीटर इनबिल्ट कर के उसको हम लगा रहे हैं और कल ही मैंने हाउस में यह बात कही थी कि इसके बारे में बहुत जल्दी ही हमारे अधिकारियों के साथ बैठ कर मीटिंग कर के उसमें हम किसानों के हित में क्या उचित कर सकते हैं।

अभी माननीय सदस्य ने एक बात कही कि चौमूं क्षेत्र में लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, पहले 15 एच.पी. की मोटर थी आज पानी गहरा होने के कारण हो सकता है एच.पी. बढ़ गया होगा, 20 एच.पी. हो गया, 25 एच.पी. हो गया है और आप स्वयं कह रहे हैं कि वहां मात्र एक घंटा वो ट्यूबवैल चल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर जब मेरा ट्यूबवैल एक घंटे ही चल रहा है तो मैं फ्लैट रेट में कनेक्शन क्यों लूं? जब एक घंटा ही ट्यूबवैल चल रहा है, मेरे ट्यूबवैल में पानी ही नहीं है, एक घंटा ही जब ट्यूबवैल में पानी चल रहा है तो मैं फ्लैट रेट में कनेक्शन क्यों लेना चाहूंगा?

मुझे कम्प्लीट करने दें। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप पूरा जवाब आने दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरी बात कम्प्लीट कर देता हूं।

जब पानी ही नहीं है तो मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति फ्लैट रेट पर जायेगा ही नहीं क्योंकि फ्लैट रेट में 85 रुपये पर हॉर्स पावर देना पड़ेगा और जब यूनिट ही कम जलेंगे तो एक्चुअल बिल ही कम आयेगा। तो हकीकत में जहां पानी नहीं है वो धीरे-धीरे आपके परिवर्तित हो जायेगा मीटर की तरफ क्योंकि उसमें उसका खर्चा कम आयेगा। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक घंटे का ही पानी है, हो सकता है कि वो किसान खुद चाह रहा है कि मेरा कनेक्शन मीटर प्रणाली में हो और अगर यह जो बात आपने कही है कि 10 एच.पी. का कनेक्शन था उससे साढ़े 17 एच.पी. का

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कनेक्शन, इनका क्या नाम है, सूंडाराम के बारे में आपने जो बात कही है, अगर किसी व्यक्ति की पुरानी विजिलेंस बाकी है, विजिलेंस बाकी होने के कारण सैटलमेंट में नहीं जायेगा।

जब तक वह विजिलेंस की सैटलमेंट नहीं करेगा, उसका कनेक्शन कटा हुआ भी होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): कनेक्शन कटा हुआ नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कटा हुआ नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सुंडाराम से पहले एक वरीयता में है। उस उपभोक्ता की वीसीआर है। वह कह रहे हैं कि यह उपभोक्ता जब तक वीसीआर जमा नहीं कराएगा, तब तक हम आपको डीपी नहीं देंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैंने अभी मेरे अधिकारियों से बात की है। अगले 3-4 दिन के अंदर-अंदर यह जो चाह रहा है कि इसका कनेक्शन बड़ा हो जाए, इसको हम कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की ही नहीं है और उसके खिलाफ किसी ने विजिलेंस कर दी है तो फर्स्ट सैटलमेंट की अथॉरिटी यानि विजिलेंस की जो अथॉरिटी है वह ना तो ए.ईएन. के पास है, ना ही एक्स.ईएन. के पास है, फर्स्ट अथॉरिटी एस.ई. है। एस.ई. के पास वह एप्लीकेशन दे कि मैंने चोरी की ही नहीं है और जो मेरा विजिलेंस है उसको वापिस रिव्यू किया जाए। सैटलमेंट कमेटी में एस.ई., एक डिप्टी एस.पी. बैठता है और कंसर्न एक्स.ईएन. विजिलेंस बैठता है। उसकी जो फोटोग्राफ खींची हैं वह उसके सामने आ जाएगी। उससे पता लग जाएगा कि वास्तव में चोरी थी या नहीं थी। न तो ए.ईन. के पास और न ही एक्स.ईएन. के पास रिव्यू करने का पावर है। फर्स्ट सैटलमेंट में रिव्यु करने का या सैटलमेंट में लेने का पावर किसी के पास है तो वह आपके एस.ई. के पास है। उसकी एप्लीकेशन लगा दें। उसके बाद अगर उसने वास्तव में चोरी नहीं की है तो हम उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे जिसने उसके खिलाफ विजिलेंस बनाई है। अगर चोरी है तो वह सैटलमेंट में आ जाए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा था कि सिर्फ 4 ग्राम पंचायतें हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सिर्फ 4 ग्राम पंचायतें नांगल गोविंद, किशन मानपुरा, आस्टी और हस्तेड़ा, इनका जल स्तर बिलकुल नीचे चला गया। यह उनकी समस्या है। वह यह कहते हैं कि हमारे यहां एक घंटा भी नहीं चलती है इसलिए वह तो चाहते हैं कि मीटर के ऊपर आयें। लेकिन बाकी सिंगल फेज में क्यों आना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने इनकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान कर दिया क्या? एक नहीं किया है। वह लोड शैडिंग क्यों हो रही है? वह भी बता दीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि वह प्रश्न शायद आपसे भी जुड़ा हुआ होगा। कहीं न कहीं आपसे भी लोड शैडिंग का मामला जुड़ा हुआ है इसलिए आपका भी इस पर काफी गौर है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वो फीडर्स हैं जहां 40 परसेंट से ऊपर लोस है। 40 परसेंट से ऊपर लोस है वहां फीडर्स का काम भी चल रहा है। 40 फीडर्स से ऊपर जहां लोस है उनके लिए हमने यह कह रखा है कि जो थ्री फेज की सप्लाई है, अगर सुबह का ब्लाक है तो 6 घंटे का ब्लाक है। रात का ब्लाक है तो 7 घंटे का ब्लाक है। अन्यथा हम सुबह 5 से 7 बिजली देते हैं और रात को 6 से 10 बिजली देते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, नहीं तो कोई तुलना ही नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। विराज जाएं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जिस फीडर में 15 परसेंट से कम लोस है उसको भी हम 24 घंटे बिजली दें और दूसरी तरफ राजस्थान में ऐसे भी फीडर हैं जहां 70-70 परसेंट लोस है। ऐसे फीडर्स को भी अगर हम उनकी तुलना में ही बिजली देते रहें और हमारा कर्मचारी वहां काम करता रहे और उसके बावजूद भी उन लोसेस को हम कम नहीं कर पाएं तो मैं समझता हूं कि वह सही नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल जी।

बीसलपुर बाँध के ओवरफ्लो पानी को टोरडी सागर बाँध में डालना

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा और टोंक जिले के किसानों के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बीसलपुर बाँध जब भरता है तो उसका ओवरफ्लो पानी बहकर के बनास नदी में जाता है। टोंक जिले का मुख्य धंधा खेती ही है। हमारे वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। किसानों की मुख्य आय खेती, वह पानी की वजह से ही चलती है। वह जो ओवरफ्लो पानी बहकर के जाता है उसको मेरे क्षेत्र के टोड़ी सागर, लांबा हरिसिंह, किरावल, मासी, गायरड़ा इन बांधों में डाला जाए तो हमारे किसानों को काफी भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अभी राजस्थान सरकार ने एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाकर के केन्द्र में भेजा था। सीडब्ल्यूसी ने उसको सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। उसमें भी इन बांधों को जोड़ा गया है। अगर इससे जोड़ देते हैं तो डेफिनेटली मेरे क्षेत्र के किसानों को बड़ा फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ओवरफ्लो पानी डालने के लिए टोड़ी सागर की जो अनुमानित लागत आ रही है, वह लगभग 180 करोड़ है। जबकि इससे 1 साल भी हमारे किसानों को पानी मिल जाता है तो 500 से 1000 करोड़ की किसानों को इनकम होती है। वैसे बीच में मैंने पर्ची के माध्यम से मंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि बीसलपुर बाँध के नीचे ईसरदा बाँध बन रहा है। इसके ओवरफ्लो पानी से ईसरदा को भरेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईसरदा बाँध, बीसलपुर बाँध से लगभग 60 किलोमीटर नीचे है। जो कैचमेंट एरिया बीसलपुर बाँध के नीचे है, उसी से वह बाँध भर जाएगा। यह जो पानी ओवरफ्लो होगा, जिन बांधों की मैं बात कर रहा हूं, इनके भरने के बाद में इनका ओवरफ्लो भी ईसरदा बाँध में ही जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक दूसरी योजना भी बना रखी है ब्राह्मणी नदी को बनास से जोड़ने की। उसका पानी भी इसी में आएगा

(श्री कन्हैयालाल)

ईसरदा में। जो भी पानी बचता है उसको जरूर इसमें जोड़ने की कृपा करें। जिससे हमारे किसानों का भला हो।

उपाध्यक्ष महोदय, 2008 में भी किसानों ने काफी बड़ा आंदोलन किया था। उसमें 3 किसानों की मौत हुई थी। पूरे किसान यह चाहते हैं कि जिस तरह से अभी जगह-जगह किसानों का कर्जा माफ करने की बात चल रही है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के किसानों को जो पानी मिलेगा, उसके लिए सारे किसान तैयार हैं कि हमारा एक बार भी कर्जा माफ मत करो, हमें तो पानी डाल दो। वह पैसा भी आप इस ओवरफ्लो में डाल सकते हो तो इसमें डालने की कृपा करें। जिससे कि किसानों का काफी भला होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां के किसान कह रहे हैं? राजस्थान के बाहर के कह रहे हैं कि राजस्थान वाले किसान कह रहे हैं?

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): मेरे क्षेत्र के कह रहे हैं क्योंकि उनको पानी चाहिए। कर्जा एक बार ही माफ होगा। मेरे क्षेत्र के किसान चाह रहे हैं कि यहां पर ओवरफ्लो पानी डाल देते हो तो कर्जा माफी मत दो हमें। हमें तो पानी दो। पानी की मांग कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे तो आप एक भी रोड मत दो, कुछ भी बजट मत दो, बाकी ओवरफ्लो पानी हमारे डाल दिया जाए तो सबसे बड़ा भला होगा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बीसलपुर के ओवरफ्लो की बात कही है। ईसरदा डैम प्योरली डेडीकेटेड है पीएचईडी के लिए। यह ओवरफ्लो का कंपोनेंट है। यह ईसरदा प्रोजेक्ट में शामिल है और वह टेंडर प्रोसेस में चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने ईआरसीपी का जिक्र किया, इस प्रोजेक्ट का हमने एनविसेज किया है, उसमें नदियों से नदियों को जोड़ने का है। उसमें आपका टोड़ी सागर शामिल है। इसकी डीपीआर अभी केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है। उस हिसाब से आपकी जो मांग है वह पूरी की जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह जी।

ब्यावर के जिला क्षय रोग कार्यालय को अजमेर स्थानान्तरित करने से उत्पन्न समस्या

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के काफी पद खाली हैं। वहां 69 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 35 पर खाली हैं। डॉक्टरों की जगह-जगह कमी है। आप नाराज हो रहे हैं कि सारी समस्या क्यों बता रहे हो। आप तो यह कहना चाह रहे हो कि पर्ची पर खाली क्षय रोग का ही बता दूं। यही कहना चाह रहे हो?

मैं आपके पास हाजिर हुआ था। लेकिन आपने वहीं रोक दिया। मैंने कहा कि मैं तो पर्ची के लिए कह दूंगा कि मेरे यहां समस्या साल्व हो गई है। आप हमारी इन समस्याओं का निदान कर दो। लेकिन आप चैम्बर में भी तैयार नहीं थे। सुन नहीं रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री के कहने से आप पर्ची वापस कैसे ले सकते हैं?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं उस पर यह निवेदन कर देता कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है। यह इनसे कह देता। लेकिन आप एग्री भी नहीं हो रहे हैं। एक मिनट आप बैठिये, मुझे बात करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 69 पदों में से जो पद खाली हैं, उनको आप भरने की कृपा करें। मेडिकल कॉलेज के लिए बात थी तो कल ही इसके लिए मैंने प्रश्न लगाया था। उसके जवाब में भी आपने डॉक्टरों को भरने के लिए लिखा है। जगह-जगह पर खाली हैं। टॉडगढ़ में खाली है। जवाजा में खाली है। वहां जो डॉक्टर लगे हुए थे उनको आपने वहां से हटा दिया।

अभी सभी जगह कमी है तो मेरे भी कमी रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन वहां से हटाने के बाद में दूसरों को तो वहां लगाना चाहिए। कैसे हट जाते हैं? लगाने के लिए तो कहें कि डिजायर लाओ और हटाने के लिए किसी डिजायर की आवश्यकता नहीं है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप थोड़ी कृपा रखें ब्यावर पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप वह तो बताओ कि डिजायर से क्या-क्या लगता है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से आग्रह है कि यह विधान सभा है, हम अपनी-अपनी समस्याएं यहां बताएंगे। आप दूसरों की समस्याओं में भागीदार नहीं बनें। आप तो ऐसे भयभीत कर देते हैं कि कोई दूसरा अपनी समस्या रख ही नहीं सके, ऐसा मत कीजिए आप प्लीज। वहां पर ऑर्थोपेडिक सर्जन एक भी नहीं है, माननीय मंत्री महोदय। वहां पर चार जिलों के मरीज भर्ती रहते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे वाला एक भी नहीं है। फिजिशियन नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब हो जाएगा माननीय सदस्य, आप विवेक को काम लेना सीखो, काम हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की इजाजत के बगैर जो बोले हैं वह अंकित नहीं हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एनेस्थीसिया वाला नहीं है, सिटी डिस्पेंसरी ब्यावर में लगी हुई है, तत्कालीन चिकित्सा मंत्री महोदय, आदरणीय राठौड़ साहब थे, तब भी इन्होंने वह फाइल मंगवाई यहां, मुझे बोल कर मंगवाई, लेकिन इन्होंने कार्यवाही की लेकिन कहां अटक गई वह मुझे ध्यान नहीं है। आप उस पर भी कार्यवाही करें और उस पर भी समस्या का समाधान करें। वहां पर भी डॉक्टर लगाएं। वहां पर उस सिटी डिस्पेंसरी को जो बिल्डिंग दी है, वहां के जो भामाशाह हैं, उन्होंने अपनी जमीन पर पूरी बिल्डिंग अपने निजी पैसों से बिल्डिंग बनाई है और वह सिर्फ यह चाहते हैं कि मेरे परिवार के नाम से इस जमीन पर यह अस्पताल चलता रहे, सिटी डिस्पेंसरी उसका नाम रखा लेकिन क्यों वहां पर डॉक्टर नहीं लगा पा रहे हैं, यह थोड़ा दु:खद विषय है, वहां पर भी डॉक्टर लगाएं, यह आपसे प्रार्थना है।

साथ में क्षय रोग कार्यालय ब्यावर में संचालित है, यह जिला क्षय रोग कार्यालय, आज से नहीं, बरसों से संचालित है, इसको अजमेर ले जाने के लिए एक डॉक्टर के द्वारा, वह अजमेर का लगा हुआ डॉक्टर है और उसने षड्यंत्रपूर्वक ऑर्डर भी करवा दिए हैं, फाइल पूरी चल चुकी है, वह सिर्फ जाना बाकी है, उसको सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। माननीय मंत्रीजी, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ब्यावर में मिनरल व्यवसाय की फैक्ट्रियां मेरे ख्याल से

(श्री शंकर सिंह)

राजस्थान में सबसे ज्यादा वहां पर हैं। वहां मिनरल हब है, इण्डस्ट्रीज में काम करने वाले लोग और मिनरल व्यवसाय में काम करने वाले, इन लोगों को क्षय रोग सम्बन्धित बीमारियों, टीबी जैसी गम्भीर बीमारियों से वह ग्रसित रहते हैं। काफी लोग वहां इलाज के लिए परेशान होते हैं, अजमेर सिटी के अंदर एक भी कोई इस प्रकार की फैक्ट्री नहीं है और कार्यालय को आप वहां ले जाना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्रीजी, आप ऑर्डर करें, आप आदेश फरमाएं कि वह जिला क्षय रोग कार्यालय है वह ब्यावर में ही रहेगा, यह आपसे प्रार्थना है।

...(व्यवधान)... जिला-विला सब बन जाएगा, माननीय सदस्य, हीरालालजी बीच में दूसरे के काम में आप भांजी डालते हो। अस्पताल की बात हो रही है, हमारे लोगों को परेशानी है, इसी सत्र के अंदर जिला होगा, यह मैं आपको बताता हूं। हमारी सरकार, हमारी आदरणीया मुख्यमंत्री महोदया, वसुन्धराजी कभी भी वचनों को अधूरा नहीं छोड़ती, जितने भी काम के वादे किए हैं वह सब के सब पूरे राजस्थान में पूरा करने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहती है। मैं यह भी बता देता हूं, कई लोगों को यह संशय है, राजस्थान में मुख्य मंत्री, अभी परिवर्तन हो जाएगा, यह आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सिर्फ और सिर्फ मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ही बनेगी, यह मैं आपको बता देता हूं। आप मेहरबानी करके, बीच में आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कार्य न करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत से चिकित्सा मंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां पर उस क्षय रोग कार्यालय के वापस आदेश करवाने की आज घोषणा करें कि वह ब्यावर में ही रहेगा, अन्य कहीं नहीं जाएगा।

दूसरी प्रार्थना यह है कि डॉक्टरों के जो खाली पद हैं उनको आप भरने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप अपने ही विभाग का जवाब देंगे, उन्होंने तो कई प्रश्न उठा लिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पर्ची थी कि क्षय रोग निवारण केन्द्र और क्षय रोग अधिकारी कार्यालय वहां से हटना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्यावर में

(श्री कालीचरण सराफ)

जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र और जिला क्षय रोग अधिकारी कार्यालय वर्तमान में संचालित है, ब्यावर के जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र को अजमेर शिफ्ट करने का विभागीय प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पर जो हट चुका है उसको तो वापस करवाएं। विचाराधीन तो नहीं है, कार्यालय चला गया है, सामान सारा शिफ्ट हो गया है, अधिकारियों ने आपको बिलकुल गलत रिपोर्ट दी है, मैंने आपको सामने बताया है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यदि यह गलत रिपोर्ट होगी तो जो अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन करूंगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर से आता हूं, मुझे पता है, इतना लम्बा-चौड़ा नहीं है। सौ परसेंट सही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित माननीय सदस्य, अगर आपको इसके अलावा कुछ भिन्न जानकारी है, आप आसन को दीजिए, आसन सुनिश्चित करेगा कि उस पर कार्यवाही हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अधिसूचनाएं, श्री राजपालजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017दिनांक 02.01.2018 जिसके द्वारा विद्युत के उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.01.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-177 दिनांक 3.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-154 दिनांक 29.12.2017 को विखण्डित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्न 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2017/1457, दिनांक 22.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया हैं।

2. अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 दिनांक 2.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-167-क के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण किये जाने के आवेदन के साथ देय फीस का निर्धारण किया गया हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंहजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 12वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का 72वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का 72वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017

3. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

जोधपुर बस सर्विसेज लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

राजस्थान आवासन मण्डल का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-17

2. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-2017.

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंहजी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 17वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-17

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति (क्र.सं. 11 व 12)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 11वें एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 12वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री सुरेन्द्र पारीक।

याचिका

हवामहल क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैंडपम्प की व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र हवामहल में भैरूजी का मंदिर परिसर, गुर्जर मोहल्ला, गुर्जर घाटी, आमेर रोड़, जयपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु हैंडपम्प लगाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

धावास, अजमेर रोड जयपुर में 4-जी टावर हटाया जाना

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से धावास, अजमेर रोड़, जयपुर स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना विधान सभा नगर-विस्तार में पानी की टंकी के पास लगे हुए 4-जी टावर को हटाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि आज बोलने वाले वक्ता ज्यादा हैं इसलिए पन्द्रह मिनट में अपना वक्तव्य सीमित कर लें।

(14.00 बजे)

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे देश पर शासन करने वाली बी.जे.पी. की सरकार हो, चाहे प्रदेश पर शासन करने वाली बी.जे.पी. की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने पिछले चार सालों में जैसा काम किया है वैसा पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। एक के बाद एक ऐसी जन-कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए जहां भी महसूस किया वहां उस योजना को शुरू किया। जहां-जहां विकास की आवश्यकता थी तो तेज गति से विकास करने में भी ये दोनों सरकारें बहुत सफल रही हैं।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो प्रदेश को सौगात दी है वह वाकयी में तारीफ के काबिल है। मैं जिक्र करूंगा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का। देश में कितनी प्रदेश सरकारें हैं और आजादी के बाद में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसने मरीज के लिए इस तरह की बेहतरीन योजना लागू की है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैं चूंकि चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूं और रोज देखता हूं कि यह उन मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके बीमारी है लेकिन इलाज का पैसा नहीं है और उनको अपने इलाज के लिए दूसरे के ऊपर मोहताज रहना पड़ता था। इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ अपना इलाज करा सके ऐसी शानदार यह योजना है। ऐसा नहीं है कि मात्र सरकारी अस्पतालों में ही उसको लाभ मिलेगा, प्रदेश के जितने भी प्रतिष्ठित निजी अस्पताल हैं जिनको फाइव स्टार अस्पताल कहा जाता है, अगर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड उसकी जेब में है तो वो बिना हिचक चला जाए वहां और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

30 हजार से लेकर 3 लाख तक का ऑपरेशन उसका वहां नि:शुल्क हो जाता है। किडनी जब ट्रांसप्लांट होती है तो मरीज के परिवार के पसीने छूटते हैं। घर वाला किडनी दो और फिर भी लाखों रुपया खर्च होता है पर इस योजना के बाद में एस.एम.एस. में अगर कार्ड है तो बिना एक पैसा खर्च किये एक नहीं, सैकड़ों ऑपरेशन हो गये। यह मामूली बात नहीं होती। कोई धन्यवाद दे या न दे लेकिन वो मरीज जिसने इसका लाभ उठाया है उसके दिल से हमारी मुख्य मंत्रीजी के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे चिकित्सा मंत्री के लिए दुआ निकलती है।

उससे भी बढ़कर एक योजना और लागू कर दी, श्रमिक कार्ड योजना। जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और जो हमारा नरेगा में काम करने वाला मजदूर है उसको कितनी बड़ी सौगात? 90 दिन नरेगा में काम किया है या चाहे शहरी क्षेत्र में 90 दिन किसी निर्माण कार्य में काम किया है तो उसका इस योजना में पंजीयन करके बहुत सारे लाभ का काम इस योजना में दिया है। अगर बेटा होता है 20 हजार रुपये, बेटी होती है 21 हजार रुपये, छठी से ऊपर बेटी पढ़ती है 9 हजार रुपये, बेटा पढ़ता है तो 8 हजार रुपये और कॉलेज में और भी राशि दी जाती है। बेटी 18 साल की हो गई, 8वीं पास है तो शादी के लिए 55 हजार रुपये। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपये का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाता है। इसमें एक नहीं, कई सारे प्रावधान किये हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शहरी क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना को लागू करके जो भी गरीब है वो भूखा नहीं सोये, उसको कम पैसे में खाना मिल जाए उसके लिए पूरे प्रदेश के शहरों में, नगर निकाय क्षेत्र में सब जगह इसको चालू कर दिया। उसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन और 5 रुपये में नाश्ता दिया जाता है और ऐसा नहीं कि हल्का नाश्ता या हल्का भोजन, एक गुणवत्ता वाला नाश्ता और गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता है। मेरे पाली शहर में 5 जगह ये वाहन चलते हैं जिनमें रोज के हजारों गरीब उसका लाभ ले रहे हैं। जो इसका लाभ ले रहा है उसके दिल से हमारी सरकार के लिए दुआ निकलती है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारे प्रधान मंत्री का कैसा सपना कि 2022 तक हर व्यक्ति की अपनी खुद की छत होनी चाहिए। प्रधान मंत्री आवास के माध्यम से जो स्वीकृतियां जारी की हैं, पहले भी इन्दिरा आवास के नाम से, मुख्य मंत्री आवास के नाम से स्वीकृतियां जारी होती थीं पर कितनी? एक ग्राम पंचायत में एक साल में 20-25 से ज्यादा नहीं और राशि भी मात्र 70 हजार रुपये थी। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है उसमें कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां 250-250 की संख्या में प्रधान मंत्री आवास मंजूर हुए हैं और राशि भी दुगुनी से ज्यादा 1 लाख 48 हजार रुपये कर दी। इतने सारे प्रावधान उसमें किये हैं। कुछ परिवार छूटे हैं तो उसकी वजह भी पूर्ववर्ती सरकार रही है क्योंकि सर्वे 2011 में हुआ था और उस समय की लापरवाही के कारण कुछ परिवार वंचित रह गये। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ग्रामीण विकास मंत्रीजी को कि इन्होंने गांव में कैटलशेड योजना भी लागू कर दी। अगर कोई प्रधान मंत्री आवास से वंचित रह गया हो और उसके पास पशु हो तो डेढ़ लाख रुपये का कैटलशेड बनाने का प्रावधान भी इस योजना के अन्तर्गत किया। आज प्रत्येक गांव में 25-25, 50-50 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से एक निवेदन रहेगा कि आप इसके नियमों में कुछ शिथिलता करें और जो पशुपालक जातियां जैसे देवासी है, गुर्जर है, बन्जारा है या और भी पशुपालक जातियां हैं उनको इस कैटलशेड योजना में प्राथमिकता का प्रावधान आप करवा दें तो वाकयी में जो पशु पालते हैं उन जातियों को बहुत बड़ी मदद हमारी सरकार की ओर से मिल जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रधान मंत्री आवास से वंचित रह गया, अगर कैटलशेड से परिवार वंचित रह गया तो 'अपना खेत अपना काम', एक के बाद एक योजना। इसमें नहीं आ सका, उसमें नहीं आ सका तो तीसरे में आ जाओ और उसमें भी डेढ़ लाख का प्रावधान उसके खेत में काम करवाने का, उसके खेत में टांका, बाड़बन्दी का, मेड़बन्दी का, सारा का सारा काम उसमें। ऐसी कभी योजनाएं एक साथ किसी सरकार में नहीं आई। मान लो इन सबसे वंचित रह जाए तो यह जो श्रमिक कार्ड योजना है इसमें भी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसका पट्टाशुदा प्लॉट है और मकान नहीं है तो 5 लाख का ऋण, जिसमें डेढ़ लाख का अनुदान है, दिया जाता है। मतलब हर व्यक्ति कहीं न कहीं, किसी न किसी रास्त से उस सुविधा को, उस योजना को वो प्राप्त कर लेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटी के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी कितनी ज्यादा उदार है कि बेटी के जन्म लेते ही उपहारों की सौगातों की बरसात हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजश्री योजना के माध्यम से की है। एक के बाद कई बार उसको राशि मिलती रहती है और अनेक प्रकार की योजना उसको पढ़ाने के लिए भी है।

हमारी अपनी सरकार और उधर हमारे प्रधान मंत्रीजी, हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए, हमारी गरीब महिलाओं के लिए कितने उदार? कभी किसी ने मांग नहीं की कि हमको नि:शुल्क गैस कनेक्शन दो, कभी कोई आंदोलन, धरना-प्रदर्शन भी नि:शुल्क गैस कनेक्शन के लिए नहीं हुआ पर मन में आया कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं लकड़ी काटकर चूल्हा जलाती है जिससे धुआं होता है, कई तरह की बीमारियां पैदा होती है तो उज्ज्वला योजना के नाम से एक शुरुआत की और लाखों महिलाओं को इसका कनेक्शन मिला है। मेरे क्षेत्र में दस हजार से ज्यादा परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यह कोई मामूली काम नहीं है। एक से बढ़कर एक योजना और उसके अलावा शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के पास अपना मकान हो तो मुख्य मंत्री जन आवास योजना, प्रधान मंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की।.....

ब्याज माफ, अनुदान अलग। एक गरीब को कम से कम ढाई लाख का फायदा, सरकार के खाते से उसके पास आता है। यह मामूली बात नहीं होती। जिस तरीके से इस योजना का प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से इस योजना में काम हो रहा है, 2022 तो बहुत दूर रह जायेगा, उसके बहुत पहले हमारे प्रदेश का प्रत्येक परिवार होगा जिसकी अपनी छत होगी, अपना मकान होगा। इस तरीके से इस तेज गति से काम चल रहा है। यह मामूली काम नहीं होता।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बात होती है किसानों के कल्याण की, उद्धार की, उनकी समस्याओं की। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को, जिन्होंने जब से प्रधान मंत्री नई फसल बीमा योजना लागू की है और उसके बाद में अतिवृष्टि या अकाल से फसलों का नुकसान हुआ है और जिस तरीके से मुआवजे की राशि या क्लेम राशि आई है, यह अपने आपमें एक रिकार्ड है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक तहसील जो बहुत छोटी है, जो अतिवृष्टि से प्रभावित थी, पिछले दो सालों में 102 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का है। यह मामूली बात नहीं होती एक खरीफ की फसल का। रबी में भी किसी को नुकसान हुआ है, वह कम आया होगा, लेकिन उसके भी कुछ न कुछ वहां से प्राप्त हुई है। जो अनुदान की राशि है, उसमें भी जो प्रावधान किये, शुरुआत हमारी सरकार के माध्यम से हुई थी जब ओलावृष्टि हुई थी तीन साल पहले और हमने मांग की थी और उस समय जो प्रावधान किये, उन प्रावधान में पहले 50 परसेंट खराबा होने पर ही अनुदान की राशि मिलती थी और नये प्रावधान के बाद में अगर 33 परसेंट से ज्यादा खराबा हुआ है तो भी उस किसान को फायदा हमारी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। पहले जितनी राशि मिलती थी, उसका डेढ़ गुना अनुदान हमारी सरकार ने किया और पहले लघु सीमांत काश्तकार को ही यह फायदा मिलता था, बड़े काश्तकार को यह फायदा नहीं मिलता था चाहे उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई हो पर हमारी सरकार ने प्रावधान किया, चाहे बड़ा काश्तकार भी है, उसके पास 100 बीघा जमीन भी है। अगर उसके नुकसान हुआ है, नुकसान की राशि की अधिकतम सीमा निश्चित होगी, पर उसको भी राशि मिलेगी और पिछले दो सालों में मेरे अपने रोहट तहसील में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा अनुदान की राशि मिली, इससे बड़ी बात कोई सरकारों के लिए नहीं हो सकती, इससे बड़ा काम कोई भी नहीं कर सकता।

मांग आती है किसान का कर्जा माफ करें। हम भी किसान के हितैषी हैं, हम भी चाहते हैं लेकिन यह जो बरसात हुई है। क्लेम के रूप में, अनुदान के रूप में, वह कर्जा माफी की राशि से भी कहीं ज्यादा हुई है। यह मामूली बात नहीं होती। हम कर्ज माफ की बात भी हमारी सरकार तक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पहुंचायेंगे लेकिन और योजनाओं से हम किसान को फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

न्याय आपके द्वार के माध्यम से जिस तरीके से हमने पुराने विवादों का निस्तारण किया है, यह भी अपने आपमें एक रिकार्ड है। यह मामूली बात नहीं होती कि वर्षों पुराने प्रकरण, जिनके लिए कई-कई पेशी में चक्कर लगाने पड़ते थे, पर अब शुरुआत हुई तो अनेकों केस वहीं बैठकर निपटा दिये आपस में। न ज्यादा पैसा लगा, न समय लगा और उसको न्याय मिल गया और हमारे दीनदयाल ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान में भी वर्षों से पट्टे बाकी थे। उसमें भी काफी पट्टे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल गये। सरकार आगे चलकर, आगे बढ़कर हर काम को करने का प्रयास कर रही है। कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं, कहीं आन्दोलन-धरने की आवश्यकता नहीं। जो महसूस होता है कि यह काम करना चाहिए, हम आगे बढ़कर वह काम उस व्यक्ति को दे रहे हैं, जिसको जरूरत है। यह मामूली बात नहीं होती।

विकास के मामले में भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। यह सारा सदन गवाह है। बहुत कम गांव होंगे जहां गौरव पथ की मांग उठती होगी। कभी किसी ने मांग भी नहीं की कि हमारे यहां 50-60 लाख रुपये की राशि का सीमेंट का गौरव पथ दो। यह मांग कहीं उठती नहीं थी। पाँच-सात लाख की राशि मांगते थे विधायक कोष से सीमेंटेड सड़क के लिए। पर हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को लगा कि शहरों में विकास दिखता है, गांव में विकास दिखता नहीं। गांव में वही पिछड़ापन है, गांव में वही गंदगी, वही टूटी सड़क। आगे चलकर खुद की ओर से यह सौगात हमारी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को देने का जो काम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया है, शायद देश में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं होगा। 60 लाख रुपये की राशि का गौरव पथ हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनना, यह कोई मामूली बात नहीं होती। बहुत बड़ी राशि होती है और बाद में शुरुआत कर दी। शहरी गौरव पथ में भी ढाई करोड़ रुपया ताकि शहर में भी कोई आये तो लगे कि बीजेपी की सरकार में यह विकास की नई गंगा, नया अभियान चालू हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कई ऐसी कांस्टीट्यूएंसी होगी जो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ढाणियों में बसी हैं। मेरे क्षेत्र में भी काफी ढाणियां हैं और वर्षों से विद्युत से वंचित थी, बिजली कनेक्शन से वंचित थीं। हम विधायक कोष से माध्यम से प्रयास भी करते थे कि उन ढाणियों का विद्युतीकरण करवा दें पर हमारे पास इतनी बड़ी राशि नहीं होती थी कि हम हर ढाणी को विद्युतीकरण कर दें। लेकिन जब से यह दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरूआत हुई है, शायद 20 साल के विधायक कोष की राशि खर्च करके भी जितनी ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं करवा सकते थे, उससे भी ज्यादा राशि का विद्युतीकरण दो साल के अन्दर हमारे ऊर्जा मंत्री ने, हमारी मुख्य मंत्री ने करके दिखा दिया। आज बहुत कम ऐसी ढाणियां हैं जो विद्युत से वंचित रही हैं। यह मामूली बात नहीं होती।

क्या हालात थे विद्यालयों के? मुझे पता है, एक प्राइमरी को अपर प्राइमरी करवानी होती थी न, तो गांव के लोग आते थे ज्ञापन लेकर, एक नहीं, अनेक बार। कभी कोई मंत्री आ गये तो वहां भी गांव का पूरा का पूरा ग्रामीण वर्ग आता था कि हमारी पांचवीं को आठवीं स्कूल कर दो और कई-कई चक्कर के बाद भी पांचवीं से आठवीं होना मुश्किल था। हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में हमारी जितनी भी पांचवीं स्कूल थीं, सबको आठवीं की और इस बार हर पंचायत मुख्यालय पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगा। कहीं से मांग नहीं थी, कहीं जूते फाड़ने की जरूरत नहीं, कहीं कहने की जरूरत नहीं। एक नीति बना दी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए और हमारी सरकार ने एक साथ राजस्थान में 5,000 से भी ज्यादा सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की स्वीकृतियां करके एक रिकार्ड पूरे देश में बनाया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 67 सालों में 12 थीं और इन सालों में एक साथ ही 11 और मिल गई। एक साल में 11 और 67 सालों में 12, इतना बड़ा काम हुआ।

इसके साथ ही हमारी शिक्षा है। उसमें गुणवत्ता आ जाये तो प्रत्येक पंचायत समिति में स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालय का भी हमारी सरकार की ओर से एक अभियान चलाया गया। इसकी भी कहीं कोई मांग नहीं थी। कोई आन्दोलन-धरना प्रदर्शन, इसके लिए भी कहीं लोगों ने नहीं किया। सरकार ने आगे बढ़कर कि हर पंचायत मुख्यालय पर एक माडल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

स्कूल होना चाहिए जहां गुणवत्ता वाली बेहतर शिक्षा मिल जाये और पाँच करोड़ रुपये की राशि उस विद्यालय भवन के लिए है। दोनों काम एक साथ और लगभग प्रदेश की हर पंचायत समिति के मुख्यालय पर यह विद्यालयों की शुरुआत हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या से भी निजात दिलाने के लिए शुरुआत की राजस्थान में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना की और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां यह काम हुआ है न, वहां का व्यक्ति महसूस कर रहा है कि जहां-जहां इस अभियान के तहत काम हुए हैं। पहले पानी की स्थिति क्या थी और काम होने के बाद में पानी की स्थिति क्या है। समस्या से कितनी मुक्ति उसको मिली। यह मामूली काम नहीं। यह राजस्थान के लिए बहुत जरूरी काम है क्योंकि राजस्थान का लगभग-लगभग बड़ा इलाका कभी न कभी पेयजल संकट से त्रस्त रहता है और जहां यह अभियान हो गया, चाहे बरसात कम भी हुई न...

तो वहां की जनता को इस संकट से काफी हद तक मुक्ति मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराध की बात आती है कि अपराध बहुत हो रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है। हमारे गृह मंत्री जी बहुत सक्षम हैं। हमारा पुलिस विभाग भी बहुत सक्षम है। कहीं कसर नहीं छोड़ी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, पर और प्रभावी अंकुश लग जाए उसके लिए शुरुआत की राजस्थान में अवैध अतिक्रमण क्षेत्र की। जो हमारे विभागीय मुख्यालय हैं सारे के सारे कैमरे की कैद में, एक शहर में हजारों कैमरे लग जाएंगे जिसके माध्यम से कहीं कोई घटना होती है तो तत्काल जानकारी पुलिस मुख्यालय को मिल जाएगी और वहां से प्रभावी कार्यवाही भी तत्काल कर दी जाएगी। कहीं सूचना की आवश्यकता नहीं। कैमरे की कैद में पूरा शहर होगा और मेरे पाली शहर को भी यह सौगात मिली है। मेरे पाली शहर में भी 499 कैमरे लग रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को। चाहे हमारा जिला मुख्यालय है पर पाली शहर को उन्होंने स्वीकृति दी है। ये एक से बढ़ कर एक काम। काम में कोई कमी नहीं है। परंतु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार बात होती है कि परिणाम

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कैसे आ गये। इन परिणामों की ओर ज्यादा मत देखो आप। काम की ओर देखो वाकई में हमने काम किये कि नहीं किये। अगर लगता है कि काम नहीं किये तो आप पहले की सरकार का कार्यकाल देख लें और हमारी सरकार का कार्यकाल देख लें तो आपको महसूस हो जाएगा कि काम में कोई कमी नहीं है। कई सारे काम हमने किये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने भी हमारे शहरों में जो बगीचे हैं उनमें भी कई शहरों का चयन किया है और अमृत योजना के माध्यम से उन बगीचों का विकास करने का काम उसके लिए बहुत बड़ी राशि केन्द्र सरकार ने कई नगरपालिकाओं को राजस्थान में दी है जिसके माध्यम से शहरों का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि चाहे व्यक्तिगत लाभ की जनकल्याणकारी योजना हो और चाहे विकास के नये आयाम हो, हमने दोनों में कीर्तिमान स्थापित किये हैं और इसके साथ ही हमने देश में जो वातावरण पैदा किया है शायद सत्तर सालों में कभी किसी देशवासी ने इतना गौरव महसूस नहीं किया होगा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महसूस किया है। क्या हालत थी पहले हमारे देश की, एक कमजोर देश के रूप में हमारे देश को पहले विदेशी पहचानते थे और आज पूरा विश्व एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारे देश का नाम लेता है यह मामूली बात नहीं होती। किसी देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाना बहुत बड़ा काम होता है यह मामूली काम नहीं होता। क्या हालत थी पहले कश्मीर की। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वहां शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए आतंकवादी संगठनों को बहुत-बड़ी राशि सरकार की ओर से दी जाती थी। ये हालात थे सरकारों के। आतंकवादी के सामने घुटने टेकते थे और आज कितना परिवर्तन आ गया पहले आतंकवादी जहां चाहे देश के किसी कोने में जाकर बम विस्फोट की घटनाएं कर देते थे और उसमें हमारे हजारों नागरिक मरे हैं पर आज ऑपरेशन ऑल आउट चला कर 2017 में 218 आतंकवादियों को मार कर हमारी सरकार ने साबित कर दिया कि हम हिन्दुस्तान की धरती पर आतंकवाद को वाकई में ऑल आउट कर के रहेंगे। हमारे सैनिकों ने जो जांबाजी दिखायी है दाद देता है, धन्यवाद देता है और उनको बधाई देता हूं कि एक साल में 218

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आतंकवादी मार कर उन्होंने वाकई में बहुत-बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। एक शौर्य का नया इतिहास लिखा है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे सैनिकों में दम नहीं था। पहले भी हमारे सैनिकों में दम था। अगर दम नहीं था तो पहले वाले शासन में दम नहीं था। पहले वाला शासन दमदार होता न तो आतंकवाद इतना बढ़ता नहीं और आज शासन में दम हैं न तो आतंकवादियों का दम निकाल कर हमारे सैनिकों ने रख दिया यह मामूली बात नहीं होती है। आतंकवादियों का दम निकाल कर रख दिया। क्या हालत हो गयी।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि आतंकवाद के मामले में जो हमारी केन्द्र सरकार ने काम किया है देश के नागरिक के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दो। याद होगा आपको 1971 का युद्ध जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवाये थे तो हमारी पार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा का अवतार कहा था। कहीं हिचक नहीं की क्योंकि देश का मामला था और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मात्र हिन्दुस्तान की धरती पर ही आतंकवादियों को नहीं मारा आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां भी पाकिस्तान में बैठ कर आतंकवादियों को मारने का काम भी हमने किया है। कैसी हालत थी पहले की सरकार की। सेना के एक बंकर को जिसमें सात अधिकारी और जवान मौजूद थे पत्थरबाजों ने जला कर मारने का प्रयास किया था और अपनी जान बचाने के लिए उन सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने गोली चलाई। दो लोगों की जो उपद्रवी थे, उनकी मृत्यु हो गयी तो विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में डाला था आप लोगों ने। यह तो हमारी सरकार का भला हो। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सरकार आने के बाद प्रयास किया और उन सारे अधिकारी और जवानों को न्याय दिलाकर उनको जेलों से बाहर लाये। यह मामूली बात नहीं होती और अब भी पत्थरबाजी पर कोई कार्यवाही होती है न तो आपके नेता उनकी पैरवी करने के लिए आ जाते हैं। उन सैनिकों के हित की बात नहीं करते जिनको पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं। एक घटना हुई थी कश्मीर चुनाव के दौरान पत्थरबाज पत्थर मार रहे थे और पत्थरबाजी से सेना के जवानों को बचाने के लिए जीप से एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पत्थरबाज को बाँध दिया। आपकी पार्टी के नेता चिल्लाये थे कि जिसने बांधा उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही की हमारी सरकार ने। उसको सम्मानित किया जिस अधिकारी ने बांधा। उसको मैडल दिया जिसने उस पत्थरबाज को बाँध कर कई सैनिकों को पत्थर खाने से बचाया यह मामूली बात नहीं होती, यह मानसिकता होती है, सोच होती है। हमारे प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि जहां पार्टी और देश की बात आयेगी...।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दस हजार पत्थरबाजों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस ले लिये आपकी सरकार ने।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमारी सरकार ने लिये हैं उसका भी इलाज करेंगे, चिन्ता मत करो आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): झूमर गिर जाएगा आपके माथे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप विराजो। हमारी सरकार उसमें सहमत नहीं है और जो कार्यवाही करनी है केन्द्रीय नेतृत्व पूरा सक्षम है। जिस तरीके से आतंकवादियों को पत्थरबाजों को सबक सिखाया है किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सारे के सारे फंसेंगे, मरेंगे ये देखना आप। कोई बचने वाला नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सब बच गये सबको माफ कर दिया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वो पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुधार रहे हैं उनको।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां देश हित की बात होती है वहां कई बार राजनीति से ऊपर उठ कर भी हमें उन बातों का समर्थन करना चाहिए, ताकि देशहित कहीं प्रभावित नहीं हो। हमारे लिए पार्टी से बढ़ कर देश है और हमारे केन्द्रीय नेतृत्व ने इसी तरीके से काम किया के देश हित को सर्वोपरि मान कर पार्टी को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं की देश हित को सर्वोपरि रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं हम। हम कहीं बदले नहीं हैं। पहले जिस तरीके से काम करने की शैली थी हमारी हम उसी तरीके से अब भी काम कर रहे हैं पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। गुजरात के चुनाव में देखा होगा न।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आपके नेता पहली बार मंदिर मंदिर घूमे, इतनी सद्बुद्धि तो आ गई। पहली बार मंदिर मंदिर घूमे। सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि हम तो जनेऊ धारी ब्राह्मण हैं। इतने साल आपको याद नहीं आया कि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हो तो अजमेर की जीत देखो न आप, इतने साल याद नहीं आया और अब लगा तो गिरगिट की तरह वोटों के लिये रंग बदल दिया। अब लगा ब्राह्मण हैं हम तो क्या हो गया, अजमेर का चुनाव जीतते ही पहले दरगाह में गये, अगर ब्राह्मण होते तो पहले ब्रह्मा जी के मंदिर जाते। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण (नसीराबाद): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री रामनारायण (नसीराबाद): 000

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 000

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अब मंदिरों में भी जाना चालू कर दिया, यह एक बहुत अच्छी बात है और आप मेहरबानी करके भविष्य में इस परम्परा को बनाये रखें। ...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 000

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ, आप विराज जाओ। मुख्य सचेतक महोदय, आप कहां से फरमा रहे हों? सदन एक बार तय कर ले कि अगर आपको उत्तेजित होकर, उत्तेजना फैला कर अपने अपने विषय पर वार्तालाप करके वाद विवाद प्रस्तुत करना है तो आज की कार्यसूची मैं पूरी

(श्री उपाध्यक्ष)

कर देता हूं। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपके कुछ कार्यकलापों का अनुसरण आपके सदस्य भी करने लग गये। इसलिए बड़े सम्मानपूर्वक आदरणीय आपसे भी निवेदन कर रहा हूं इन धार्मिक स्थानों का अपना अपना महत्व होता है, जिसकी जहां श्रद्धा है वह वहीं जायेगा, आप क्यों इसका बार-बार जिक्र कर रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर धार्मिक स्थानों के महत्व की कोई विवेचना नहीं कर रहा, मैं तो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, उसकी जानकारी सदन में रख रहा हूं। लोकसभा में क्या होता है, तीन तलाक के मुद्दे पर लोकसभा में तो आप अलग बात कहते हो और राज्यसभा में जाकर आप बदल जाते हो। ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन के बगैर अनुमति के जो भी बोला है वह अंकित नहीं होगा। बगैर अनुमति के जब जब बोला है वह सारा ही अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था अगर इसी तरह टोका टोकी होती रही तो माननीय सदस्य अपनी बात रख नहीं पायेंगे, फिर हम भी टोकना चालू कर देंगे। वह तीन तलाक पर अपनी बात कह रहे हैं, वह कांग्रेस के दोहरे आचरण की बात कर रहे हैं, वह लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो इनको सुनना चाहिये। जब इनका मौका आये तब यह अपनी बात स्पष्ट कर दें। टोका टोकी, टोका टोकी यह क्या है।

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के उपनेता मुख्य मंत्री और प्रधानमंत्री के लिये पर्चियां थोड़ी भेजी जाती हैं। यह शंका भी आप दूर कर लो, इस आशंका में क्यों रहते हो आप। सम्माननीय सदस्य आप वापस राजस्थान आ जाओ तो ठीक रहेगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं राजस्थान की बात ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप इधर देख कर बात करें, आप उस तरफ देख लेते हो और फिर पता नहीं उनको क्या हो जाता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): विपक्ष के मुख्य सचेतक हमारी सरकार के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वह औरों पर पत्थर नहीं फेंकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): थोड़ा अपने गिरहबान में झांक कर देखो आपकी सरकार के कार्यकाल में आपकी सरकार के दो मंत्री किस आरोप में जेल में गये, आपको पता है? शर्मनाक आरोपों में जेल गये थे, इसलिए आप ऐसी बात मत करो, आपके मुंह से सिद्धांतों की बातें शोभा नहीं देतीं। दुराचरण के दो मामलों में आपकी सरकार के दो मंत्री, एक मंत्री अभी तक जेल में है, एक को बाद में शायद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया होगा, बाकी लंबे समय तक जेल में रहे हैं। ऐसा तो आपका आचरण रहता है और हमारे ऊपर लांछन लगाते हो। ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारी केन्द्र सरकार हो और चाहे हमारी राज्य सरकार हो, हमने जो कहा है वह करके इस देश और प्रदेश की जनता को बताया है और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर हमने जिस तरीके से काम किया है, भारत का गौरव जिस तरीके से बढ़ाया है और प्रदेश की जनता के जिस प्रकार से समस्याओं से मुक्ति दिलाकर हमने विकास के काम किये हैं, मैं उसके लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी को जिन्होंने वाकई में बेहतरीन शासन दिया। आप भले ही कोई भी सपने देख लो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

19 जीत गये तो बाकी 200 जीत जायेंगे। देख लेना आप और मैं यहीं पर हैं, आपको उठाकर ऐसा पटकेंगे, अभी आपको एक बार उठाया है, वह पटकने के लिये उठाया है, उठाने के लिये नहीं उठाया है, सबको धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह जी मीणा। कृपया सब अपनी समय-सीमा का ध्यान रखें।

व्यवस्था का प्रश्न

अभिभाषण पर संशोधन रखने की अनुमति नहीं दी गयी

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसी दिन नियम-15 के अंतर्गत मैंने एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। मुझे अध्यक्ष महोदय ने नियम के अंतर्गत कहा था कि आपका संशोधन प्रस्ताव आ गया है। आज तीन दिन हो गये हैं। मुझे मेरा संशोधन रखने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आसन अनुमति नहीं देना चाहता है तो मैं इसका विरोध प्रकट करता हूं। मेरे सामने तीन रास्ते हैं या तो मैं धरने पर बैठूं। आपके पास प्रदर्शन करूं या वॉकआउट करूं। नियमों का पालन न करने से और मेरा गला रोकने से और मुझे बोलने से रोकने के लिये जो काम हो रहा है, मैं विरोध स्वरूप में सदन का बहिष्कार करता हूं। धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको किसने रोका है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ही तो रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं नहीं बैठूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपसे निवेदन कर रहा है कि आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आसन के प्रति धन्यवाद दे रहा हूं।

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी का बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): घोर अपमान। मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वसम्मति से.। ..(व्यवधान)..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) एक बात है।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ..।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और संसदीय ज्ञान के ज्ञाता भी हैं। इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुझे इसकी निजी जानकारी नहीं है। यह मेरी जानकारी में जरूर है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि माननीय सदस्य निश्चित तौर पर बोलेंगे। हमारे सचेतक महोदय ने भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। उनका यह अधिकार है। वे सदन के अंदर अपनी बात कहें। पर वे अपनी बात कहना ही नहीं चाहें और आपकी अवज्ञा करके..। मैं तो आज आश्चर्यचकित हूं और मैं द्रवित भी हूं और मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि आप आसन पर विराजे हैं। आपने कहा कि आसन आपसे निवेदन कर रहा है और उसके बाद जिस अंदाज से और जिस तेवर से वे उठकर गये उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, उतनी कम है। मैं समझता हूं कि आज जो उनका कृत्य है, वह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। अगर वे बोलना चाहें तो मैंने और हमारे सत्ता पक्ष के सचेतक जी ने आपत्ति न पहले की थी और न ही आगे की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां की व्यवस्था है कि जो सचेतक, मुख्य सचेतक नाम देगा, वह ही माननीय सदस्य बोलेगा। आपने माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी का नाम नहीं दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप यह बात कैसे कर सकते हैं? आपको क्या मालूम है कि नाम है या नहीं है। यह तो इस बात को आसन जानता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दिया। यदि आप नाम देते तो उपाध्यक्ष महोदय नाम का उच्चारण करते। माननीय सदस्य बोलते। यह साजिश रचना बंद करो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह आसन को पता है। आपको नहीं पता है। आप यह जो भड़काने का काम करते हो न, यह ठीक बात नहीं है। आप अपने आप काल्पनिक प्रश्न मत उठाया करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये साजिशें रचना बंद करो, वरना जनता शांत कर देगी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप यह भड़काने का षड्यंत्र भी मत करो। आपको मालूम तो है नहीं कि किसका नाम है, किसका नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराज जाएं। I allowed Rajkumar ji.

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं दुःखी मन से कहना चाहता हूं कि घनश्याम जी तिवाड़ी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका आप रोजाना अपमान करते हो। अपमान .. (व्यवधान) एक सैकिंड। अपमान आपने पहले भी किया है। आज भी किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात उचित नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह असत्य है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बिलकुल किया है और सबसे बड़ा अपमान करने वाले आप हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप उनकी फिक्र कब से करने लगे? वे हमारे विधायक दल के सदस्य हैं। ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक-एक के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ। ताकत है तो खुद बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारे विधायक दल के सदस्य हैं। आप कौन हो बीच में?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं भी इस सदन का ही सदस्य हूं।

व्यवस्था

पक्ष-प्रतिपक्ष के सचेतकों की सूची के अतिरिक्त भी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जा सकती है

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप इस गलतफहमी में न रहें जो कुछ दोनों प्रति पक्ष और पक्ष के सचेतक कहते हैं या वे जिनको अनुमति देंगे, आसन सिर्फ वहीं तक बाध्य है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी सम्माननीय सदस्य अनुशासित रहकर अपना वक्तव्य देना चाहेगा, आसन उसको अनुमति देगा और कोई इस मुगालते में न रहे कि कोई भी दल किसी भी सदस्य को बोलने से रोक रहा है। यह सिर्फ मिथ्या है। आप इस मिथ्या, भ्रम को दूर भी कर लें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनका नाम है या नहीं है? उनका नाम सूची में है। यह आप गलत बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि किसका नाम है और किसका नहीं है, उसका उच्चारण करे। सदन की आज की बैठक के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई बोलना चाह रहा था और आसन ने समय नहीं दिया, समय रहते हुए अगर आप अनुशासित तरीके से बहस में भाग में लेंगे तो आसन सबको समय देगा और जो समय में न रह सके और फिर भी बोलना चाहेंगे तो आसन भी समय से बंधा हुआ है। इसलिए इस विवेक का भी ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अनुशासन से हम बंधे हुए हैं, पर सदन के अंदर सारी बात स्पष्ट हो जाए। सदन के अंदर भ्रम, राजस्थान के अंदर लोगों को यह भ्रम क्यों?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ये किस अनुमति से बोल रहे हैं? क्या आपने इन्हें इजाजत दी है? आप बाद में बोलिये। जब उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप दोनों विराज जाएं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष जी का यह स्पष्ट निर्देश था कि सांगानेर से

(श्री उपाध्यक्ष)

आने वाले माननीय सदस्य को आज बोलने का समय दिया जायेगा। अगर किसी के मन में यह आशंका हो तो वह दूर भी कर ले। लेकिन आसन को यहां इस प्रकार का वातावरण पैदा करके, किस को कब, कहां, कैसे बुलाना है, उस पर बाध्य कर दिया जाये। आसन अपने आप में स्वतंत्र है। आप चाहे किसी भी प्रकार की लिस्ट दें। आप जिसको जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, तब बुलायेगा। इस बात के लिये आप बिलकुल स्वतंत्र हैं। अपने विचारों को आप अपने तक रखें, आसन पर न थोपें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो सदन में रूलिंग दी कि आसन सत्तारूढ़ पक्ष के सचेतक और विपक्ष के सचेतक की इच्छाओं से नहीं चलेगा, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल में भी कुछ विमत के लोग रहेंगे और ऐसे भी लोग रहेंगे जो दोनों पार्टियों से संबंधित नहीं हैं। मेरा यह निवेदन है कि "The majority may have its way, minority must have its say" जब उन्होंने नियमानुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक संशोधन पेश किया। मैं समझता हूं कि शायद एक ही संशोधन होगा। मुझे ध्यान नहीं है, और माननीय सदस्यों का हो तो, मुझे माफ करें। हुकुम, मेरा निवेदन है कि आज तो बहस का तीसरा दिन है। सत्तारूढ़ दल के अंदर जो लोकतांत्रिक परम्पराओं का ह्रास हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय मुझे उसकी चिंता है। अगर घनश्याम जी तिवाड़ी बोल लेते तो कौनसा तूफान आ जाता। आपके पास 160 हैं, 161 हैं। होना क्या था? हम उनकी बात सुनते। सुनकर जितना भी लाभान्वित हो सकते थे, हो जाते। लेकिन तीसरे दिन भी उनसे पहले अन्य लोगों को बुलाना..। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर आसन भी विचार करे। आपने तो यह कह ही दिया कि अध्यक्ष जी का आदेश था कि आज वे बोलेंगे और उनके बोलने का नंबर भी है। इसके बावजूद वातावरण ऐसा बन गया है कि उन्होंने वॉकआउट किया। उनके वॉकआउट पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन मेरा सत्ता पक्ष से निवेदन है कि वह अपने अंदर जो छोटा-मोटा विमत है, उनका भी आदर करें और उनकी वरिष्ठता का ध्यान करते हुये उन्हें आपको समय पर मौका देना चाहिये था, बल्कि पहले ही दिन देना चाहिये। यह मैं नम्र निवेदन करता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें पता नहीं है। मैंने कल उनसे कहा था कि आज बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं बोलूंगा। आज फिर उनसे कहा। उन्होंने कहा कि यह क्या बात हो गई? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद उनको कहा। कल मैंने कहा कि आप आज बोल दीजिये। उन्होंने मुझे मना किया कि मैं आज नहीं बोलूंगा। आपको क्या मालूम है अंदर की बात? आप कैसे पता लगा सकते हैं हमने रोका या नहीं रोका?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उप मुख्य सचेतक महोदय चेयर पर लांछन लगा रहे हैं। चेयर को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने नहीं बुलवाया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप इस प्रकार की बात करते हैं। वे सचेतक और हम पर आरोप थोपना चाहें। मैं सोचता हूं कि आपने गलत बात कही है। असत्य बात कही है। बिना जानकारी के आपने बात कही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने नाम ले लिया, लेकिन चेयर ने नहीं बुलाया। यह चेयर का अपमान है। उप मुख्य सचेतक महोदय आपको ध्यान में है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वे खुद नहीं बोलना चाहते थे, आपको क्या मालूम? उन्होंने खुद ने मना किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे हाउस के मेम्बर हैं। आपके गुलाम नहीं हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, वैसे ही हमें हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप मेरी व्यवस्था को निर्देश देंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाइये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बैठ जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय..।

श्री उपाध्यक्ष: ससंदीय कार्य मंत्री, आप विराज जाओ।

दोनों सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका आचरण मर्यादित नहीं रहा तो यह आसन इस बात के लिए बाध्य नहीं है,

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको भी बाहर जाने के लिए कह सकता है। इसलिए दोनों सचेतक इस बात का ध्यान रखें और मर्यादित आचरण का अनुसरण करें वर्ना यह आसन अपनी मर्यादा का अनुसरण कर लेगा तो कइयों को तकलीफ हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): उपाध्यक्ष महोदय, आप आज काफी खिन्न और काफी नाराज है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिर्फ एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): मुझे अनुमति दे दी न, मेरे बाद बोल लेना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे वाला भी आप बोल देना।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, पहले उन्होंने कहा न बैठ जा। उसके बाद रिएक्शन तो होगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): बैठो, विराजो, विराजो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह ऐसा कैसे बोल सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): बैठो न, बैठो भई। उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं और नियमों का जितना ज्ञान आपको है, किसी को नहीं है। निश्चित तौर पर आपकी इस अदालत में, हम चाहते हैं कि राजस्थान विधान सभा में जो कोई माननीय सदस्य अपनी बात, अपनी विभक्ति करना चाहे वह करें। यह किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कोई अल्पमत के सदस्य है। वह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल, इस किताब में भी यह लिखा है, हमारे नियमों में लिखा है, विधायक दल के बोलने के क्रम के बारे में सचेतक और मुख्य सचेतक तय करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं, आपके सामने सूची है, मैं आपको बाध्य तो नहीं कर सकता, अगर सूची के अंदर माननीय सदस्य का नाम हो, अगर क्रम के अंदर वह समझे कि मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, इस सदन के अंदर जो भी आए हैं वह सब माननीय सदस्य हैं। सबके अंदर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई न कोई ऐसी खूबी है जो दूसरे में नहीं हो। हम किसी को ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते। अगर उनका नाम है तो मैं समझता हूं, अगर आसन यह व्यवस्था दे देगा कि उनका नाम था तो पूरे राजस्थान में यह भ्रम नहीं फैलेगा।

प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इतना ही मोह है तो आमंत्रित कर लो न, आपको किसने मना किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की बात का भी खण्डन करता हूं कि सत्तारूढ़ दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का हास हुआ है। सत्तारूढ़ दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और हम सब लोग बड़ी मजबूती से अपनी नेता मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़े हैं। हमारा विधायक दल एक है। एकाध कोई इधर उधर जाता है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने फिर अपमान कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल दूं।

श्री उपाध्यक्ष: हम अब किस बात पर बहस कर रहे हैं? एक मिनट आप विराज जाए। जिन सदस्य के विषय पर आज आप बहस कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं वह सदस्य तो स्वयं ही यहां सदन से चले गए हैं। इस सदन की गरिमा, अनुशासन और यहां की परम्पराओं, मर्यादाओं और आसन पर विश्वास होना आप लोगों का प्रथम कर्तव्य बनता है। आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस सदस्य पर वह विषय लागू हो रहा है, उन सदस्य का तो इतना भी धैर्य नहीं था कि वह दो मिनट विराजते और आसन जो बात उनके सामने निवेदन के स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा था उसका विवेचन करने के उपरांत कोई निर्णय ले लेते। वरिष्ठता का मतलब यह नहीं हुआ कि सदन किसी के गिरवी है। सदन की भी अपनी एक वरिष्ठता है। आपकी सम्पूर्ण वरिष्ठता से वरिष्ठ सदन है। सदन ऐसी कोई कार्यवाही अंकित नहीं करवाएगा जिससे आपके आचरण और आपकी मर्यादा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता हो। इसलिए इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। मैं सदन को इस बात का पूरी तरह से, आप लोगों को इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि वरिष्ठ सदस्य का नाम था और

(श्री उपाध्यक्ष)

आसन उस नाम को पुकारता, लेकिन आसन को कब पुकारना है और कैसे पुकारना है उसकी बाध्यता किसी की नहीं है। हम कुछ परम्पराओं का अनुसरण कर रहे हैं। आज के बाद आसन किसी प्रकार की कोई भी लिस्ट के क्रम से नहीं बंधा हुआ है। जैसा आसन चाहेगा उस प्रकार से, उस क्रम से उन वरिष्ठ या सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को बुलवाएगा। अब फूलसिंह जी मीणा। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब बहुत हो चुका। तीन बज गए एक विषय पर। आसन किसी प्रकार की कोई उदारता नहीं ...(व्यवधान)... मैंने सम्माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... दस मिनट का समय है, दस मिनट के अंदर अपनी अपनी बात को आप समाप्त कर दीजिए।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी जन कल्याण नीति से राजस्थान के हर वर्ग को, हृदय को छुआ है। हमारा मजदूर किसान भाई, खेती में काम करने वाला, हर कर्मचारी, जिसके साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया या मर गया तो उसको दो लाख रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 2017-18 में 2220 परिवारों को लाभ दिया। 30 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई। हमारी सरकार और पूर्व की सरकार में यह फर्क है। पहले एक लाख रुपये दिया जाता था, जैसे ही हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी आई तो एक लाख रूपये को बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया। गरीब किसान के परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति होता था चाहे वह खेत की पाली पर पेड़

(श्री फूलसिंह मीणा)
छांगता हो, चाहे खेती में काम कर रहा हो, श्रम कर रहा हो, उसके साथ कोई हादसा हो गया तो उस परिवार को दो लाख रुपये की राशि देकर बहुत बड़ा फायदा दिया गया जिससे वह परिवार संभल सके। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत बड़ा काम किसानों के लिए किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2017-18 में 253 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दिए। यह हमारी सरकार का काम करने का तौर तरीका है। नवम्बर, 2014 से 2017 तक वन उपज की बिक्री, 191 करोड़ रुपये की आय हुई। हमारे वन विभाग में यह वन उपज की कमाई है। पहले वाली सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि हमारा जनजाति परिवार जो जंगल में रहता है उसके लिए कोई आयाम स्थापित करें, उनको रोजगार दे। पूर्व सरकार ने उसके लिए 60 साल तक हमारे आदिवासियों से वोट लेकर ज्यादा से ज्यादा राज किया मगर उन गरीबों के लिए कभी नहीं सोचा गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान के तहत 8 लाख 50 हजार से अधिक पट्टे गरीबों को दिए गए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। अनुसूचित जाति को 01 लाख 76 हजार, अनुसूचित जनजाति को 83 हजार 660 एवं महिलाओं को लगभग 01 लाख 25 हजार पट्टों का वितरण किया गया, हमारी सरकार की यह बहुत अच्छी सोच है। गरीबों को, जो वर्षों से रहने वाले हैं उन परिवारों को पट्टा देकर उनको अपना अधिकार दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण गौरव पथ, हर पंचायत मुख्यालय पर एक-एक किलोमीटर के आस-पास दिया। गांव में कीचड़ में महिला नहीं निकल सकती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे उनके लिए, शहर में तो गौरव पथ के सीसी रोड देखते थे मगर पहली बार गांव में सीसी रोड़, अच्छी क्वालिटी का गौरव पथ दिया, इसके लिए मैं हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। यही नहीं, अब तक 3 हजार 713 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीमेंट कंकरीट सड़क से जुड़ चुका है। शहरों में भी गौरव पथ का कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन 15 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाई जा

(श्री फूलसिंह मीणा)

रही हैं। 21 हजार 614 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर 1667 गांवों पर 4070 बसावटों में सड़क सुविधा पहुंचाने का काम भी किया, यह बहुत ही बड़ा काम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार ने विकास के काम को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया।

(15.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क योजना के तहत मिसिंग लिंक 3597 किलोमीटर सड़कों का कार्य करवा गया, यह भी बहुत बड़ा काम है। एक पंचायत से दूसरी पंचायत को, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का जो काम किया और यह सोच रखी तो वास्तव में मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत बड़ा काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय विद्यालयों में नामांकन को अगर बढ़ावा दिया तो 12 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। यह अपनी सरकार आने के बाद में...

(15.01 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

12 हजार बच्चों का जो नामांकन बढ़ाया तो यह शिक्षा स्तर में भी बहुत बड़ा एक भूचाल लाकर रखा। माननीय सभापति महोदय, छात्राओं को स्कूटी देना व साइकिल वितरण करना, अच्छा काम किया। 2 लाख 80 हजार छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण करने का काम किया। छात्राओं को विद्यालय में आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर भी दिया गया, यह हमारी सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, 60 वर्ष से अधिक की विधवाओं को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया और 75 वर्ष से अधिक वृद्धा पेंशन को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया। यह भी बहुत बड़ा काम करके हमारी आम जनता को और दु:खी परिवारों को सहायता देने का काम किया।

सभापति महोदय, 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत जो पहले 70 हजार रुपये मिला करते थे, उसमें भी जो उसके पास में पहुंचते-पहुंचते कितना मिलता था। ये हमारे प्रधान मंत्रीजी की बहुत बड़ी योजना थी और इस मंहगाई को देखते हुए, माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र

(श्री फूलसिंह मीणा)
भाई मोदी जी ने इस गरीब के लिए, जो 70 हजार में होना जाना कुछ नहीं था और वो अधूरा पडा हुआ था, जो इनके 2011-12 और 2013 के भी जो मकान अधूरे थे, उनको भी हमने जैसे-तैसे पूरा करवाया और पूरा करवाने के बाद में भी 70 हजार से कुछ नहीं हो रहा था। 1 लाख 48 हजार 290 रुपये उस गरीब को देकर यह बहुत बड़ा काम किया। जिससे वह गरीब अपने परिवार में एक अच्छा मकान बनाकर रह सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो महिलाएं, जो यह प्रधान मंत्री आवास बनाया, उसमें इतना बढ़िया आवास बनाया, जिनको दिल्ली में ले जाकर सम्मानित किया और वे दोनों महिलाएं विधवा थी। उन्होंने मकान बना कर एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जो वास्तव में सराहनीय है। उसके बाद में उस गरीब महिला के लिए 'अपना काम-अपना खेत' और कैटल शैड के माध्यम से उसको 2 लाख रुपये का और इजाफा देने के लिए, इस योजना का भी लाभ देने के लिए, हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम करके, उस विधवा को भी हिम्मत बंधाई।

यही नहीं, सभापति महोदय, 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना' जो आज दिन तक पूर्व सरकार ने उस गरीब के बारे में नहीं सोचा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जो एक 300 मीटर से नीचे हमारे आकोदड़ा डैम और मादड़ी डैम के द्वारा पिछोला और फतेह सागर को भरने के लिए टनल खोदी गई। उनमें तीन-तीन सौ फीट तक हमारे पानी नहीं था, गांव में पानी नहीं था। 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना' से हमारे हैण्डपम्प में भी पानी बढ़ गया और ओपन कुएं भी वास्तव में रिचार्ज हो गये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने ये सरकार की योजना के साथ में उन गरीबों के पानी को, वास्तव में रोकना, जो कहते हैं न दौड़ने वाले को चलना सिखाया और चलने वाले को रोकना और रोकने वाले को रेंगना सिखाया। उस पानी का रिचार्ज हुआ। जिससे हमारी फसल भी हो रही है और आज हरी-भरी खेती हो रही है। वास्तव में उस 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना' का इतना बड़ा तोहफा एक मात्र मुख्य मंत्रीजी, पूरे राजस्थान के अन्दर यह जो ऐतिहासिक काम किया। यह हिन्दुस्तान में अगर पहला काम है यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन का काम है।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, लोक अदालत का हमारे गांवों में चलाया, जो यह योजना चलाई, उसमें हमारे वर्षों से जो पैंडिंग पड़े हुए थे केस, उन कैसेज का भी निपटारा करने का काम किया तो माननीय यशस्वी हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने किया और उन गरीबों को, जिनके जूते घिस जाते थे और 50-50 साल हो गये, उनको केस लड़ते हुए और वहां गांव में जाकर लोक अदालत के माध्यम से, उनके केस का निपटारा किया।

माननीय सभापति महोदय, 'न्याय आपके द्वार' में कुल प्रकरण 95 लाख 55 हजार, पुराने प्रकरण 2 लाख 15 हजार का भी निपटारा किया। तो यह वास्तव में ऐतिहासिक काम तो ये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने किया और मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपदा में पहले 50 प्रतिशत में खराबा पर मुआवजा दिया जाता था। मगर पूर्व में जब विधान सभा चल रही थी और जब ओलावृष्टि हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी टाइम विधान सभा को स्थगित करके सभी माननीय सदस्यों को अपने फील्ड में भेजा और उनके फीडबैक मंगाया कि आपके विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी जगह कितना-कितना खराबा हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पूर्व सरकार 50 प्रतिशत, जो खराबा के ऊपर पैसे देते थे, वे भी पूरे एरिया का सर्वे करते थे और प्रतिशत के हिसाब से उस एरिया के अन्दर चाहे 10 बीघा में खराबा हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलता था और एक को अगर खराबा हुआ तो जिसके नहीं हुआ, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर उस खेत में उस किसान की पूरे साल भर की कमाई पूरी चौपट हो गई तो उसको कुछ नहीं मिलता था वह बेचारा घर पर बैठकर रोता था। माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री गुलाब जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि 50 प्रतिशत को भी कम करके 33 प्रतिशत, खराबा के ऊपर मुआवजा देने का प्रावधान किया तो माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने, इस गरीब किसान के लिए यह फायदा पहुंचाने का काम किया और ये ही नहीं पूरे सर्वे की रिपोर्ट बनाई, खेत और पाली का सर्वे करके, उस किसान को फायदा मिलना चाहिए, जो वास्तव में उसको मिला। जिसके खेत के अन्दर ओलावृष्टि से

(श्री फूलसिंह मीणा)

खराबा हो गया, उसको यह फायदा देकर, यह ऐतिहासिक काम किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे आपदा मंत्री गुलाब जी कटारिया साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

'मुख्य मंत्री राजश्री योजना' में भी हमारी बच्चियों को बहुत कुछ दिया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ये नहीं कर सकते थे क्या? बच्ची जन्म होते ही 25 हजार रुपये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और दे रहे हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। वह एक वर्ष की होते ही पहले 2500 रुपये उसको दिया, जन्म होते ही 2500 रुपये उसके खाते में गया और जब वह पाँचवी कक्षा में आई तो उसको 5 हजार रुपये मिले और छठीं में आई तो उसको 6 हजार रुपये मिले और जब दसवीं में वह एडमिशन लेगी तो उसको 11 हजार रुपये मिले। यही नहीं, जब वह बाहरवीं में आई तो उसको 25 हजार का चैक मिला, वो भी चैक दिया, उसके खाते में जाने के लिए, यह बहुत बड़ा काम किया तो हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे जो सरकार में हमारे सभी मंत्रियों ने तय करके, जो उस बच्ची, पहले बच्चा होता था तो सब खुश होते थे और बच्ची होती थी तो सब निराश होते थे। मगर बच्ची होने के बाद में आज वह 50 हजार रुपये से ऊपर लेकर आती है तो कौन नाराज होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं।

यही नहीं, पंचायत पुनर्गठन अगर किसी ने करने की सोची तो पहली बार मुख्य मंत्री माननीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब ने सोची और उन्होंने बड़ी-बड़ी पंचायतों का पुनर्गठन करके, उस ग्रामीण एरिया में विकास काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भैरोसिंह जी मुख्य मंत्रीजी बने तो उन्होंने काम किया। उसके बाद में सरकारें आईं, उन्होंने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूर्व में जब हमारी ये जो सरकारें आयीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जैसे ही 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा राजेजी हमारी मुख्य मंत्री बनी, और हमारे पंचायत राज मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया साहब बने, उन्होंने पंचायत पुनर्गठन करके, मैं

(श्री फूलसिंह मीणा)

उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा की एक पंचायत के अन्दर आज तीन सरपंच बैठ रहे हैं। यह देखिये, पहले एक पंचायत में विकास के अगर दस करोड़ रुपये आते थे तो आज 30 करोड़ रुपये आते हैं, उस विकास का अगर किसी ने जिम्मा लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यही नहीं किया, पहले क्या है कि हमारा सरपंच, वार्ड पंच और हमारा प्रधान, ये बिना पढ़े ही सब जन-प्रतिनिधि बन जाते थे, इतना कठोर कदम उठाया और ऐसा निर्णय लिया कि जो भी हमारा सरपंच होगा, पढ़ा-लिखा होगा, पंचायत समिति का सदस्य होगा, वह भी पढ़ा-लिखा होगा। यही नहीं, प्रधान भी पढ़ा-लिखा होगा। यह निर्णय लिया, कठोर निर्णय तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे पंचायत राज मंत्री गुलाबचन्दजी कटारिया साहब ने लेकर, उस गरीब को, जो वास्तव में अधिकार मिलता था, पहले हमारा अनपढ़ सरपंच, वाउचर पर सचिव साइन करवा लेता था। वह कितने का वाउचर भरा, इसका पता नहीं लगता था। साइन करा लेते थे और पैसे कहां लगे, कोई पता नहीं था। आज हमारा जन प्रतिनिधि अगर शिक्षित है तो उस वाउचर को पढ़ेगा, उस चैक को पढ़ेगा, उसके बाद में वह साइन करेगा।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, श्रमिक कल्याण कार्ड योजना, हमारे श्रम विभाग के मंत्री महोदय बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रमिक कल्याण कार्ड योजना, केवल मैं मेरी विधान सभा की एक पंचायत का आंकड़ा बता रहा हूं, 301 श्रमिक कार्ड बने हैं। मेरे पहले जो वक्ता बोलते थे, विपक्षी भाई, कि एक भी कार्ड नहीं बना, मैं तो आपको चेलेंज करता हूं कि 301 श्रमिक कार्ड बने हैं, कार्ड तो ज्यादा बने हैं, मगर 301 श्रमिक भाइयों को लाभ दिया। 80 हजार रुपये का उनको व्यक्तिगत लाभ दिया। चाहे उनकी बच्ची की शादी करवाई हो तो उनको 55 हजार रुपये मिल रहे हैं, और दो बच्चियां हैं तो एक लाख 10 हजार रुपये मिल रहे हैं। मेरे एक किसान भाई था, गरीब था, उसकी दो बच्चियों की शादी थी। वास्तव में उसने श्रमिक कार्ड बनाया था, जो नरेगा में काम करने वाला था, उसके एक लाख 10 हजार रुपये आये। वास्तव में उन बच्चियों की शादी करवाई। मेरी एक ग्राम पंचायत समिति की बात कर रहा हूं, अगर मेरे भाई इसका रिकार्ड लेना चाहते हैं तो मेरी गिर्वा पंचायत समिति की बात

(श्री फूलसिंह मीणा)

कर रहा हूं। 40 लाख रुपये तो बांट दिये और 40 लाख रुपये मिलते ही उसको मिल जाएगा, जो खाते में आयेगा सीधा, बीच में बिचौलिया खतम हो गया।

सभापति महोदय, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे विपक्षी भाई घबरा रहे हैं। घबराना जरुरी है। वास्तव में लाजवाब हैं। क्योंकि एक मछली, जो तालाब के पानी से बाहर निकलती है तो उसकी क्या हालत होती है। वैसे ही इनके सत्ता से बाहर होते ही वह हश्र हो रहा है। वास्तव में वे तड़प रहे हैं। इनको यह लग रहा है कि 60-70 साल तक हमने राज किया और इतना आनन्द किया। अब उधर प्रधान मंत्री मोदीजी आ गये और यहां पर वसुंधराजी बैठी हैं। जन-धन के खाते खोल करके बीच के बिचौलियों को खतम करके उस गरीब का इतना हित सोचा। ये तीन सीटें क्या जीत गये, इन्होंने देखा हमने तो तीर मार लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया। यह तो हमारे को चेतावनी के लिये जनता ने कहा कि आपको वापस आना है। इसलिये इसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार कर लो। पूर्व सरकारों का राज हमने देखा है, उससे हम खुश नहीं हैं। सिर्फ आपको यह हिदायत दी है। अगर कोई कमी है तो हम पूरी करेंगे। हमारी सरकार पर पूरा विश्वास है। क्योंकि इतनी जन कल्याणकारी योजना अगर हमने लागू की है तो वह गरीब पलक-पावड़े बिछाकर 2018 का इंतजार कर रहा है। यह सरकार अच्छा काम करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सदन को एवं मेरे विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण कार्यों में पूर्व सरकार के समय में, नोट कर लेना, अगर इस आंकड़े में एक भी परसेंट कमी हो तो बता देना मेरे को, 2008 से 2013 तक मात्र 80.25 किलोमीटर में 8 करोड़ की लागत का विकास करवाया। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, जब वापस हमारी मुख्य मंत्री वसुंधराजी आयीं और 2013 में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी तो चार वर्ष का आंकड़ा बता रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, बोलना शुरू किया है। चार वर्ष में ही, वर्ष 2013 से 2018 तक सौ किलोमीटर सड़क नवीनीकरण के कार्य 12.82

(श्री फूलसिंह मीणा)

करोड़ रुपये खर्च कर चुके। सभापति महोदय, आपने घण्टी बजा दी, अब मेरे को शोर्ट करना पड़ेगा। मगर इनको बताना पड़ेगा कि पूर्व सरकार में और वर्तमान सरकार में कितना फर्क है।

माननीय सभापति महोदय, यह भी नवीन सड़कों के निर्माण के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय में सन् 2008 से 2013 के तहत प्रधान मंत्री सड़क योजना में 47 करोड़ रुपये खर्च किये, मात्र 128 किलोमीटर नवीन सड़क का निर्माण किया गया। जबकि माननीय सभापति महोदय, हमारी वर्तमान सरकार ने मात्र 4 वर्ष के अन्दर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 79 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाकर एक इतिहास कायम किया। उन गरीब गांवों को सड़क से जोड़ने का तोहफा दिया। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने हमारे को बहुत बड़ी सौगात दी। माननीय सभापति महोदय, मिसिंग लिंक की बात करें तो विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के अन्दर पूर्व सरकार के समय 4 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर का मिसिंग लिंक दिया, केवल मात्र 16 किलोमीटर। माननीय सभापति महोदय, मात्र चार वर्ष के अन्दर 11 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर का कार्य हमारी सरकार, मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने किया। विधान सभा क्षेत्र में 17 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ दिया। यह बहुत ही ऐतिहासिक है।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र में 1059.25 लाख से राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोला। यह ऐतिहासिक काम हुआ। उन गरीबों के लिये वास्तव में यह भी उपलब्धि मिली। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत मात्र 62 करोड़ के कार्य करवाये। जबकि हमारी वर्तमान सरकार ने मात्र चार साल के कार्यकाल में 145 करोड़ के कार्य करवा कर एक इतिहास कायम किया, जो डबल से भी ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, चिकित्सा के अन्दर, विकास का काम बता रहा हूं, मैं आंकड़े बता रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्माण कार्यों के लिये हमारे पूर्व और वर्तमान के चिकित्सा मंत्रियों ने, जो पूर्व सरकार में 2422.83 लाख रुपये लगाये, जबकि

वर्तमान में चार साल के अन्दर 5513.02 लाख लगा कर यह इतिहास कायम किया।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आंकड़े ही बता रहा हूं। मैं ज्यादा भाषण नहीं बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगम की बात मैं करूं तो नगर निगम के अन्दर जो पूर्व सरकार ने, जो 6046.99 करोड़ रुपये का काम पांच साल में किया और हमारी सरकार ने चार साल के अन्दर, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं, 7196.76 करोड़ रुपये का काम करके एक इतिहास कायम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। इनकी कड़ी से कड़ी जोड़कर दिल्ली तक सरकार बनाई। इनके नगर विकास प्रन्यास, उसके अन्दर इन्होंने 5 साल के अन्दर 205.25 करोड़ खर्च किये। हमारी सरकार आई, 331.80 करोड़ रुपये खर्च करके एक इतिहास कायम किया।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, दो पन्ने और हैं, बस ज्यादा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारे गरीबों के लिए कृषि मंडी के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूं कि दो हजार लघु उपज मंडी, वन उपज सुगमता से परिवहन की जा सके इसी हेतु वन विभाग द्वारा 9/2015 को आदेश जारी करके 26 वन उपज को टीपी से मुक्त कराकर एक इतिहास कायम किया। 60 साल से ये टीपी लागू थी। हमारे वनों में रहने वाले जनजाति परिवार, वे वन उपज का लाभ नहीं ले पाते थे और वे गुजरात में जाकर उसको बेचते थे। इस टीपी कानून को वास्तव में माफ करके हमारे जनजाति परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया। उपजों के भाव में दो पांच गुना बढ़ोतरी हुई।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, प्लीज, पहली बार बोलने का मौका मिला है। लघु वन उपज मंडी की स्थापना के

(श्री फूलसिंह मीणा)

पश्चात उदयपुर क्षेत्र में नवम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक का 203.58 करोड़ रुपए मूल्य की 590 लाख क्विटंल वन उपज की बिक्री हुई। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 5 रुपए में किसान कलेवा का भी काम किया, जो हमारा किसान पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस किलोमीटर दूर गांव से आता था, उसको अगर लाभ दिया खाने के लिए पांच रुपए में तो इस सरकार ने, माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जी ने दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पहला राज्य है जहां जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी मंडीयार्ड की दुकानों में बीस प्रतिशत आवंटन नीति दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को बनी जिसके माध्यम से उन महिलाओं को भी दुकानें मिलेंगी। वन अधिनियम में परिवर्तन कर दिनांक 14 सितम्बर, 2015 से 26 प्रकार की वन उपजों से टीपी समाप्त हुई। कृषक साथी योजना में, पूर्व सरकार में किसानों की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, एक लाख की सहायत दी जाती थी। आज दो लाख रुपए दे रहे हैं। पूर्व सरकार में 123 श्रमिकों को, किसानों को लाभ दिया, उसमें भुगतान राशि 91.31 लाख है और हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रभूलाल जी सैनी साहब ने 246 श्रमिकों, किसानों को लाभ दिया वह भी 408 लाख रुपए का लाभ देकर एक इतिहास कायम किया।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंडी यार्ड के निर्माण के लिए 2008 से 2013 तक 1697.41 लाख रुपए निर्माण में खर्च किया। माननीय सभापति महोदय 2013 से 2017 तक 3901.36 लाख रुपए खर्च करके एक इतिहास कायम किया। माननीय सभापति महोदय, 19 करोड़ 99 लाख 70 हजार रुपए चार साल में इन्होंने खर्च किया। माननीय सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 65 करोड़ 44 लाख 2 हजार 756 रुपए खर्च करके एक इतिहास कायम किया। माननीय सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी गिर्वा पंचायत समिति में 2017 में दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान के तहत, भाई कह रहे थे कि पट्टे नहीं मिले, मेरी गिर्वा पंचायत समिति की बात कर रहा हूं 1311

(श्री फूलसिंह मीणा)

व्यक्तियों ने पट्टे का आवंटन किया जिसमें से 1246 पट्टे देकर 20 पंचायतों को लाभ दिया। बाकी पंचायतें पेरीफैरी में आने की वजह से हमारी पट्टा प्रणाली को, माननीय पत्रिका के संपादक गुलाबजी कोठारी ने स्टे लाकर रख रखा है, इसलिए हमारी पेराफेरी पंचायतों में पट्टे नहीं मिले। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार जी शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए वक्त दिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं सदन के बीच में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। पिछले तीन दिनों से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए और विचार भी ऐसे व्यक्त किए कि राजस्थान में राम राज्य चल रहा है। न अपराध है, न भ्रष्टाचार है, न महंगाई है और विकास तो उफन-उफन के गिर रहा है दूध की तरह। अभी मेरे से पहले वाले वक्ता ने इतना अच्छा भाषण दिया मैं तो खुश हो गया कि मैं क्या बोलूंगा आपके बाद में क्योंकि इतना विकास हो गया, अब वो उसमें समा नहीं पा रहा है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद। मैंने जो बोला है वह आंकड़े लिख लेना और जरूरत हो तो चैक कर लेना।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सच्चाई यह है कि सभी सदस्यों ने सरकार की तारीफों के फूल बरसाएं हैं खूब सारे और उनको जनता देख रही है। जो जनता देख रही है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि जब इनके पास काम के लिए जाते हैं तब कहते है कि सरकार में हमारी कोई सुनता नहीं है और सदन में आकर मंत्रियों की, सरकार की, अधिकारियों की जिस प्रकार से तारीफ करके वाहवाही बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि सदन में तो आपकी जनता नहीं आ सकती लेकिन आप जब प्रोसीडिंग के वीडियो वायरल करते हो अपने-अपने क्षेत्र के अंदर तो वह आपको बैठे-बैठे सब देख रही है। इसलिए मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि 'सजन रे झूठ मत बोलो' खुदा, खुदा यानी जनता 'सजन रे झूठ मत बोलो, जनता के पास जाना है, न बत्ती है,

(डा. राजकुमार शर्मा)

न झंडी है वहां पैदल ही जाना है। क्योंकि जब उनके पास जाओगे तो बत्ती और झंडी सब रख दोगे और उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा। आंकड़ों का खूब जाल बुना गया है। सभी माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ऐसे-ऐसे आंकड़े सदन के सामने रखे हैं कि समाचार पत्र वाले भी सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या छापे, क्या छोड़ें। इतना कुछ आंकड़ों के माध्यम से, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता।

आपने अभिभाषण के पैरा नंबर सात में राज्यपाल साहब से एक बहुत बड़ी बात बुलवाई है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन, सूचना और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक कार्यों के परिणामस्वरूप समग्र विकास के साथ ही राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। कितना मिथ्या वचन। हम लोग कितना पवित्र मानते हैं इस अभिभाषण को। एक राज्यपाल महोदय के मुख से ये बात आप लोगों ने कहलवाई। मैं इतना कह सकता हूं कि इस सरकार की पिछले सवा चार सालों में जनहित की एक भी उपलब्धि हो तो वह बताएं? मैं मेरे विचार जो रख रहा हूं इस अभिभाषण के रूप में, मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, रोजगार से जुड़ी बात करना चाहता हूं। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का सीधा-सीधा नाता है अपराध से आतंक से। आतंकवाद से भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या हमारे इस प्रदेश और देश में है तो वह है बेरोजगारी की। परसों गुलाब जी भाई साहब कह रहे थे जब सदन में किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने कहा था कि 15 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहती ही है, सभी मंत्री कहते हैं लेकिन गृहमंत्री जी ने भी कहा कि हमने 15 लाख नौकरियों के लिए बिल्कुल नहीं कहा। यह वैसे ही है जिस प्रकार से 15 लाख रुपए हर खाते में आने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उसके बाद में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि वो जुमला था। हमने कभी नहीं कहा कि किसी खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे। वह एक जुमला था जो चुनावी जुमला था। मुझे लगता है कि आपका सुराज संकल्प पत्र, पूरे राजस्थान की जनता ने उस पत्र पर भरोसा करते हुए आप लोगों को इतना

(डा. राजकुमार शर्मा)
बहुमत दिया, इतना बहुमत दिया कि उस अहंकार के अंदर एक विद्वान सदस्य जिनको मैं बड़ा भाई और प्यार से दादा भी कहता हूं, आज उन्होंने सदन में मुझे कहा कि आप कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? इतना अहंकार तो मत करो।

हम आप सबका सम्मान करते हैं, सच्चाई है आपकी पार्टी के अंदर, हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन यदि कोई बात दिल में लगी है तो एक बड़े भाई को निश्चित रूप से निवेदन कर सकते हैं कि बारबार अगर किसी व्यक्ति का अपमान हो तो निश्चित रूप से हमारा कहने का फर्ज बनता है। मानो या न मानो, पड़ोस के अंदर कोई झगड़ा करता है तो छुड़ाने का अधिकार हमारा बनता है, समझाने का अधिकार बनता है। वह नहीं माने तो उसका तो क्या कर सकते हैं? इसलिए हमें आपने कहा कि आप कौन होते हो? तो हमने कहा हम आपके छोटे भाई हैं। हमने कह दिया आपको, आप मानो तो मानो और नहीं मानो तो नहीं मानो, वैसे हम चाह रहे थे कि आप जाकर लिफ्ट से उनको लेकर आओ। लाओ तो हम भी उनके वचनों से लाभान्वित होते।

आपने चार साल में 60 हजार पद समाप्त किये और जिस तरह आपकी सरकार तीन 'P' के सिद्धांत पर काम कर रही है, पी.पी.पी. मोड पर। दुर्भाग्य है कि चिकित्सा और शिक्षा जैसा क्षेत्र जो आम जनता से जुड़ा हुआ है उसको भी आप लोगो ने पी.पी.पी. मोड पर देने का फैसला कर लिया। आप सोच रहे हो कि आपने एक हजार स्कूलों का तय किया है। 300 अभी शुरुआत में की है और फिर सैकिण्ड फेज और थर्ड फेज, एक हजार स्कूलों के अंदर अगर एक स्कूल के अंदर 20 पद भी हैं तो सीधा-सीधा 20 हजार पद समाप्त हो जाएंगे।

ऐसे ही कालीचरणजी बैठे हैं, चिकित्सा विभाग के अंदर आपने पी.पी.पी. मोड पर दे दिये पी.एच.सी., सी.एच.सी. और अब मैंने सुना है कि धीरे-धीरे आप लोग बड़े-बड़े जिला अस्पताल हैं उनको भी देने वाले हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह इतने बड़े विभाग हैं जहां पर हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। अगर उनको भी आप पी.पी.पी. मोड पर दे दोगे तो कितने रोजगार समाप्त हो जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि

(डा. राजकुमार शर्मा)

यह पी.पी.पी. आज के आठ महीने बाद जनता इसको पी.बी.पी. करेगी यानी पनिशमेंट बाई पब्लिक, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जनता में भयंकर आक्रोश है। सत्ता पक्ष के विधायक बोलें या न बोलें लेकिन अगर आपकी स्कूल पी.पी.पी. मोड पर जा रही है तो जनता आपको भी कह रही होगी। आपका स्कूल अगर पी.पी.पी. मोड पर गया तो आपको भी जनता निश्चित रूप से कह रही होगी। वह अलग बात है कि इस सदन के अंदर आप कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जनता चाहे आपके क्षेत्र की हो या मेरे क्षेत्र की हो, पूरे राजस्थान की जनता आपके इस डिसीजन का खुले शब्दों में विरोध कर रही है और आने वाले वक्त में जो मैंने एक बात पहले बोली है कि पनिशमेंट बाई पब्लिक, पब्लिक आपको 100 परसेंट दंडित करेगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। आपके सरकारी कॉलेजों के अंदर सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। जिस चिकित्सा विभाग के अंदर मैंने पांच साल काम किया, एक पब्लिक सर्वेंट की तरह सींचा, उसके अंदर कितनी वैकेंसीज आज फार्मासिस्ट की है? दो हजार फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हैं, वह धरने पर बैठे हैं। ए.एन.एम., जी.एन.एम. के पद खाली पड़े हैं। एस.एम.एस. अस्पताल के अंदर क्या स्थिति है, यह आप लोगों से कोई चीज छिपी हुई नहीं है।

आप पंचायत राज विभाग के मंत्री बैठे हैं। राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग में क्या हालत है ग्राउंड स्तर पर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। एक-एक पटवारी के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतों का पद-भार है। एक-एक ग्राम सेवक के पास तीन से लेकर चार ग्राम पंचायतों को वह देखता है तो आप सोचो कि आपने जो एल.डी.सी. भेजे हैं, उन एल.डी.सी. के ऊपर वह चल रहे हैं तो आपकी जो बड़ी-बड़ी योजनाएं, आपने इतनी सारी योजनाएं बता दीं तो उन योजनाओं की क्रियान्विति धरातल के ऊपर कैसे होगी, आप यह बता दीजिए। अगर आपके पास में ग्राम सेवक, पटवारी, एक-एक ग्राम पंचायत के अंदर लगा हुआ नहीं है तो आपके पास जब खाली पद पड़े हैं तो उनको क्यों भरने का काम नहीं करते? आप क्या इनका भी धीरे-धीरे, यह भी पी.पी.पी. मोड पर दे दोगे? मुझे जहां तक यह लगता है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब आपके यह जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आपकी योजनाओं को, चाहे प्रधान मंत्रीजी की योजना हो या माननीय मुख्य मंत्रीजी की योजना हो, उनको सीधा-सीधा जनता को लाभ पहुंचाने वाले यह विभाग हैं। अगर वहां आपका कर्मचारी ही नहीं बैठा है तो जनता वहां से रोती हुई आपको बद दुआ देती हुई जाएगी।

ऐसी ही बात पी.एच.ई.डी. के अंदर है। मैं मेरे नवलगढ़ की ही बात करता चाहता हूं। मेरे नवलगढ़ में एक ए.ईएन. के साथ में दो जे.ईएन. है। इतना बड़ा क्षेत्र है। इतनी बड़ी आबादी है। गहलोतजी की सरकार के अंदर 22 करोड़ की पेयजल की योजना स्वीकृत हुई थी, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यानाश कर दिया आपके ठेकेदार ने उस योजना का। पूरी तहस-नहस कर दी है हमारी पेयजल की व्यवस्था नवलगढ़ की। रोजाना वहां पर मटके फूट रहे हैं। ऐसी घटिया सामग्री आपके ठेकेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी टैक्निकल व्यक्ति नहीं है जो उनको जाकर समझाये कि आप इस तरह से यह बदमाशी क्यों कर रहे हो? पुरानी जो पाइप लाइन डली हुई है, उनके अंदर भी जाकर वह ठेकेदार अपने आप डाल रहा है। आपका बीकानेर का कोई ठेकेदार है। जनता की सुनता नहीं है। एक व्यक्ति है जो नॉन-टैक्निकल है, आप पता कर लीजिए, मैं सदन में जो कह रहा हूं तो वही बात कहूंगा जो सच है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने पीने के पानी की जो 22 करोड़ की योजना, जो हमारा एक सपना था, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। आप चाहे दो अधिकारियों को भेजकर जांच करवा लो। साथ के अंदर हमारे सीवरेज का भी काम चल रहा है, सीवरेज जहां से निकल रही है, वहां पर ही वह वॉटर सप्लाई का पानी डाल रहा है, वहां पर ही पाइप लाइन डाल रहा है। माननीय सभापति महोदय, यदि कल को वह आपस में मिक्स हो गये तो कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बीमार होंगे, यह आप सोचिए। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो काम आपके कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है। आपसे निवेदन है कि आप यह निश्चित रूप से करवाएंगे।

होम गार्ड के लोग आप सब से मिल रहे हैं। आप लोगों को भी सबको ज्ञापन दिया है होम गार्ड वालों ने। आज किस तरह से वह सेवा करते हैं

(डा. राजकुमार शर्मा)
ईमानदारी से, आज किस हालत में आप लोगों ने छोड़ रखा है? उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।

आँगनबाड़ी की हमारी आशा बहनें, आशा बहनें रोजाना धरने दे रही हैं और कुछ दिनों पहले तो एक आशा बहन है, अनशन करते-करते उसने दम तोड़ दिया और जिस तरह से गुरुशरण छाबड़ा ने शराब बंदी के लिए अनशन करते-करते अपने प्राण त्याग दिया और आपके सरकारी अधिकारियों ने स्टेटमैंट जारी किया कि यह दोनों मौतें किसी गुप्त बीमारी से हुई हैं, अनशन से नहीं हुई है। यह दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र के अंदर यदि कोई मांग करता-करता, कोई इसको गंभीर बीमारी से मरना बता दें, आप आज सोचिए कि उसकी पुत्र-वधु से लेकर आज सब लोग आंदोलन की तरफ चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर- चार और पाँच, मैं पढ़कर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि - 'प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की आर्थिक नीति हो या रक्षा नीति,' तो आर्थिक नीति तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जी.एस.टी. और नोटबंदी की खूब सराहना की है। खूब आपने क़सीदे पढ़े हैं कि- 'यह क्रांतिकारी फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और प्रधान मंत्री के साहसिक नेतृत्व से देश की एक अलग पहचान बनी है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत की आवाज को विश्व भर में अधिक गंभीरता से सुना जाने लगा है। इससे देश-वासियों के मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।'

'केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये साहसिक आर्थिक निर्णयों से आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगा है।' देखिए, जो 10 परसेंट आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, उन पर न तो आप पहले अंकुश लगा पाये और न हम लगा पाये और न कोई लगा पायेगा। वह 10 परसेंट उनकी जिंदगी जी रहे हैं आराम से, आपके अंबानी और अडानी, वह चलेंगे उसमें कोई परवाह नहीं होता और 20 परसेंट लोगों को कोई लेना देना नहीं है और 70 परसेंट जो गरीब लोग हैं, इस आर्थिक संकट के अंदर उन परिवारों को डाल दिया नोटबंदी ने और आज इस नोटबंदी की वजह से आप कह रहे हो कि राष्ट्र

(डा. राजकुमार शर्मा)
की सुरक्षा नीति के अंदर बदलाव आ गया।

अभी ज्ञानचन्द जी पारख साहब इतने सीनियर व्यक्ति हैं, वह कह रहे थे कि इतने हम लोगों ने, पता नहीं कौनसा ऑपरेशन वहां पर चला दिया? ऑल-आउट कि सब लोग वहां पर भाग गये आतंकवादी। अभी पाँच दिन पहले ही कश्मीर के अंदर अस्पताल से एक आतंकी को आपके इस पी.डी.पी. सरकार, बी.जे.पी. सरकार के रहते हुए पाकिस्तान के लोग छुड़ा कर ले गये, इससे बड़ी क्या दुर्दशा होगी? किस बात के लिए आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमने 40 या 50 आतंकवादियों को मार दिया? आप यह क्यों नहीं कहते कि इस दौरान हमारे लाड़ले कितने शहीद हो गये? मेरे झुन्झुनूं जिले के अंदर लगातार पिछले एक महीने में तीन शहीदों की बॉडी आ गयी। क्या बीत रही होगी उनके परिवार के ऊपर? अभी जो तीन दिन पहले बॉडी आयी है, उसकी बेटी का विवाह था एक महीने बाद। आप क्या इसलिए पीठ थपथपा रहे हो कि हमने 40 मार दिये और वह 20 मार कर जा रहे हैं?

आपकी नोटबंदी की वजह से क्या अपराध में कमी आई? क्या आतंकवादी गतिविधियों के अंदर कमी आई? मैं कहता हूं कि किस बात के अंदर तेजी आई वह बताना चाहता हूं। आपराध का ग्राफ आपकी नोटबंदी की वजह से दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। मैं जी.एस.टी. के लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता। जी.एस.टी. जाने, जो व्यापार करेगा वह जी.एस.टी. देगा, टैक्स देता है और देता रहेगा व्यापारी भी लेकिन नोटबंदी की वजह से उस गरीब आदमी के ऊपर आर्थिक भार पडा है। जो लोग दबंग टाइप के लड़के थे वह प्रोपर्टी का काम किया करते थे, माननीय सभापति महोदय, आज वह रेबेन का चश्मा लगाकर, व्हाइट सूट पहन कर, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर प्रोपर्टी डीलर की दुकान पर बैठा करते थे और अपना काम-धंधा, परिवार चलाया करते थे क्योंकि पैसा आता था, वह आराम से अपना जीवन जीते थे, आज वह लोग अपराध की तरफ चले गये हैं।

वह युवा जिसका उलटा करो- 'वायु' और वह 'वायु' तूफान और आंधी का रूप ले ले तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भू-चाल आ जाता है। आज बैंक डकैतियां हो रही हैं। सरे- आम लूट डकैती हो रही है। वह युवा जो

(डा. राजकुमार शर्मा)

अपना जीवन जीना चाहता था अच्छे तरीके से शाही अंदाज के अंदर, आज वह युवा इस नोटबंदी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से वह युवा अपराध की तरफ चला गया है। वह न मर्डर करने में हिचकिचा रहा है, न डकैती करने में हिचकिचा रहा है, न लूट करने में हिचकिचा रहा है।

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यह क्रांतिकारी फैसले, मुझे पता है कि अब आप यह बदलाव भी नहीं कर सकते और मोदीजी ने कह भी दिया कि इस फैसले के बाद आपको नहीं पता, उनकी अंदर की जो बात है, उन्होंने जो कही है, वह पछता रह हैं, खुद पछता रहे हैं लेकिन उनको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता नोटबंदी वाले मामले में। जी.एस.टी. वाला तो वापस कर लूंगा और कह भी रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं सबको सरलीकरण कर दूंगा, कह रहे हैं आपके बारबार जेटलीजी।

लेकिन सभापति महोदय, नोटबंदी में क्या करें, इसलिए उन्होंने एक दिन दुःखी होकर भाषण दिया कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूं। देश संभलेगा तो ठीक है, वरना मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा और वापस हिमालय की तरफ चला जाऊंगा। यह तो ऐसा ही हो गया जैसे पायलट ऐरोप्लेन चला रहा है और प्लेन के अंदर आवाज आए किसी लड़की की कि मौसम खराब है, अपने बैल्ट बाँध लीजिए और फिर अंदर से पायलट साहब कहें कि मैं इस खराब मौसम में सेफ लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हो जाएगी तो ठीक है, वरना मेरे पास तो पैराशूट है। मैं तो कूद कर चला जाऊंगा। आप मरें तो मरें। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि देश के प्रधान मंत्री की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मेरे पास कोई इतना बड़ा अधिकार भी नहीं है कि उन पर कोई आरोप लगाऊं, लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से जो आम जनता की भावना है, वह कहना चाहता हूं। आज बेरोजगार युवाओं का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने आदरणीय प्रधान मंत्रीजी को एक टीवी चैनल पर देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जीविका के लिए कोई भी काम कर रहा है तो वह सारा का सारा काम आप लोगों ने दिया है। यानी हिमालय भी उस समय दबा हुआ था, आप लोगों का राज है, मोदी जी आए तो हिमालय वापस बाहर आ

(डा. राजकुमार शर्मा)

गया। अगस्त्य ऋषि ने महासमुद्र का पूरा मंथन कर लिया था, मोदी जी के आते ही वापस पूरा समुद्र छोड़ दिया। वहां पानी ही पानी हो गया चारों तरफ। क्या पहले के प्रधान मंत्रियों ने कुछ नहीं किया? आज मैं कहूं कि नवलगढ़ में मैंने ही आने के बाद सब कुछ किया है, मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी एमएलए हो, अपनी-अपनी हैसियत से सब लोग करते हैं। कोई अधिकार नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य एक महिला को बार-बार कह रहे थे कि हमारे वाजपेयी जी ने....। वाजपेयी जी हमारे भी थे। हम भी उनका सम्मान करते हैं और मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि पीएमजीएसवाई जो योजना है, ये आज जो बड़े-बड़े हाइवे दिख रहे हैं, ये उस व्यक्ति की सोच थी, जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, आज आप आगे बढ़ा रहे हैं। सब एक-दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि युवा अपराध की तरफ नहीं जाएं, इसके लिए उन्हें रोजगार दें। कोई एक कारण तो बता दे कि नोटबंदी से यह अच्छा हुआ। काला धन आया, नहीं आया। महंगाई घटी? महंगाई दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की कर रही है। चारों तरफ महंगाई का बोलबाला है। न भ्रष्टाचार घटा। भ्रष्टाचार कैसा है, यह आम जनता से पूछें या हम सब से पूछें। हमारे अंदर की आत्मा जानती है। मैं किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहता। यह पवित्र सदन है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी तो हम पर रहेगी ही। हम लोग अगर उन पर नजर नहीं रखेंगे तो छींटे निश्चित रूप से हम तक आएंगे, यह बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अभी एक सदस्य बोल रहे थे कि पहले आतंकवादी हमारे सामने घुटने टेकते थे और आज मैं आपसे कह दूं, मैंने पहले भी कहा था कि पीडीपी सरकार, जो कि आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, बीजेपी ने जिस दिन उनके साथ गठबंधन किया, उस दिन देश के उन सवा सौ करोड़ लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया कि ये लोग जो शुचिता की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, मंदिर-मस्जिद की बात करते हैं, आज ये सत्ता के लिए.......। आपने जो उद्‌घाटन भाषण दिया था, जिसकी शुरुआत मेरे छोटे भाई अभिषेक मटोरिया जी ने की थी, उसमें उन्होंने कहा

(डा. राजकुमार शर्मा)

था कि हम सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते तो फिर क्यों उस अलगववादी संगठन की झोली में बैठे हैं? यह पूरा देश देख रहा है। आपकी आत्मा भी जानती है, लेकिन मैं मेरे मुख से आपकी भावना व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग पर कहना चाहता हूं। छात्रवृत्ति या तो मिल नहीं रही है और मिल रही है तो बहुत देरी से मिल रही है। आप लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वे गरीब बच्चे आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मेरे नवलगढ़ का बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर छात्रावास सवा चार साल पहले 90 परसेंट बनकर तैयार हो गया था। क्या कर रहे हैं आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर? 10 परसेंट भी नहीं बना पाए सवा चार साल में। मैं कह रहा हूं कि आप कर दें उद्घाटन। मैं माला पहनाऊंगा आपको, लेकिन बनाइए तो सही उसे। सवा चार से 90 परसेंट बनकर पडा है, 10 परसेंट काम आप नहीं कर पाए। किस बात की श्रृद्धांजली या सम्मान आप बाबासाहेब के लिए व्यक्त करना चाहते हैं? समाज कल्याण विभाग से जो छात्रावास संचालित हो रहे हैं, डेली उनके कसीदे समाचार पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में आ रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि आप समाचार पत्र में पढ़कर आ गए। यह वास्तविकता है। आपको भी पता है कि किस कदर भ्रष्टाचार समाज कल्याण विभाग के अंदर है। यह सच्चाई है। आप लोग अगर उस पर नहीं संभलेंगे तो जिनको मजे लेने हैं, वे लेंगे।

शुभलक्ष्मी योजना- अभी कह रहे थे कि 50 हजार रुपए दे दिए उनको। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे नवलगढ़ में 2 साल पहले एक बच्ची की शादी हुई। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, बाकी ऐसे सैकड़ों केस हैं। आप कलेक्टर से पूछ लीजिए। आज तक उनको 50 हजार रुपए नहीं मिले हैं। आप वीडियो से पता कर लीजिए। वे रोजाना चक्कर काटते हैं तहसीलदार के पास में। उस बच्ची की शादी कर दी, ब्याज पर पैसे लेकर आया कि 50 हजार रुपए एक महीने बाद मिल जाएंगे तो वापस कर दूंगा। अब वह 50 हजार रुपए का ब्याज भर चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से उसे 50 हजार रुपए नहीं मिले।

प्रधान मंत्री कौशल योजना- आज क्या हाल है इसका? जिन बच्चों ने

(डा. राजकुमार शर्मा)

सेंटर खोले थे, आज उन्हें एक बैच भी नहीं मिल रहा, न उन्हें टाइम पर पैसा मिल रहा। किसानों की ऋण माफी वाले मामले पर खूब बहस हो गई। सभापति जी, हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं। हमने तो इस्तीफा भी सौंप दिया था आपको दुःखी होकर। आप किसानों की ऋण माफी पर एक बहस करा लीजिए। आज भी सदन में बायकाट हुआ है। आप एक घंटा, दो घंटा जितना भी समय देना चाहें। आप ऋण माफी से क्यों भाग रहे हैं? आप गाय माता से भाग रहे हैं। परसों मेरा सवाल था, जिसको आपने जबरदस्ती लंबा खिंचवाकर गाय माता का भी अपमान कर दिया। कल डोटासरा जी का सवाल था, आपने लंबा खींचकर उनका भी रहने दिया।

कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना- मेरे नवलगढ़ ने क्या बुरा किया था? हमारे ऊपर क्यों कैंची चलाई? आप कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना से सूरजगढ़ को जोड़िये, पिलानी को जोड़िये, उदयपुरवाटी को जोड़िये, लेकिन आपने नवलगढ़ को क्यों तोड़ा? क्यों हमको हटाया? जब किरण माहेश्वरी जी मंत्री थीं, उन्होंने कहा कि हमने डीपीआर का आदेश दे दिया है। सभापति महोदय, डेढ़ साल हो गया है, उस डीपीआर का मुझे नहीं पता है। उम्मीद है कि आप नवलगढ़ को भी पीने के पानी से वंचित नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैंने चिकित्सा विभाग में 5 साल काम किया है।

श्री सभापति: वो तो आपको अनुभव है पूरा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरी बात सुनिए। वर्तमान में चिकित्सा मंत्री जो हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं। इनका खूब सम्मान करता हूं, लेकिन कालीचरण जी का सम्मान करता हूं, चिकित्सा मंत्री का नहीं करता। कालीचरण जी भाई साइब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन आपको क्या हो गया? आप वो कालीचरण सराफ नहीं रहे। आपके रहते-रहते क्या हो रहा है इस विभाग में, आपने तो पूरा का पूरा वेंटीलेटर पर छोड़ दिया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) रोजाना समाचार पत्रों में दर्जनों मौतों की खबरें आती हैं। रेजीडेंट डॉक्टर कहता है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो आपका सुपरीटेंडेंट उसको नोटिस जारी करता है। क्या दोष है उसका? क्यों हड़ताल हुई? क्यों किए आपने ट्रांसफर? मैं पूछना चाहता हूं

(डा. राजकुमार शर्मा)

आपसे कि क्यूं किए ट्रांसफर? आपको गुस्सा भी आ गया होगा। फिर आप कहेंगे कि तेरे समय नहीं हुई क्या? मैं कह रहा हूं कि हमारे समय भी हुई थी हड़ताल। मौतें भी हुई थीं, लेकिन हमने किसी डॉक्टर का अपमान नहीं किया। हमने किसी डॉक्टर को यह नहीं कहा कि चीटियां मसल देंगे। हमने किसी डॉक्टर से यह नहीं कहा कि नक्सली बन जाओ। गोलियों से तुमसे निपटेंगे। हम हाथ जोड़कर, उनसे निवेदन करके, उनकी कुछ बातें मानकर, कुछ आश्वासन देकर उन्हें हड़ताल से वापस लेकर आए। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था। आपने जो भी कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बड़े हैं, लेकिन यह कालीचरण सराफ के काम करने की स्टाइल नहीं है। आपकी आंखों के नीचे भ्रष्टाचार हो जाए, आपकी नर्सिंग कौंसिल के रजिस्ट्रार, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने हटाया, उसे आपको हटाना चाहिए था। आप मुझे बताएं क्या दोष है उन बच्चों का? क्या दोष है उन कॉलेज के संचालकों का? 17-17 साल से चल रहे थे वे कॉलेज। परमिशन 17 साल पहले जिसने भी दी। अगर कोई शादी करता है तो उसी समय देखता है। क्या बाद में कहेगा कि साहब, इसमें यह दिक्कत है वह दिक्कत है? वह तो शादी करते समय पता करते हैं। जिन कॉलेजों की 17 साल पहले एनओसी जारी कर दी, आपके रजिस्ट्रार ने औचक निरीक्षण का खेल खेला। मजा आता जब वह रजिस्ट्रार औचक निरीक्षण करता अस्पतालों में, लेकिन उस समय औचक रजिस्ट्रेशन किया, जब बच्चों के परीक्षाओं के फार्म भरे जा रहे थे। उन्हें पता है कि इस समय इन्हें टाइट करो। इस समय टाइट करोगे तो इधर से बच्चे परेशान होंगे और उधर से संचालक। धमकी दे दी गई। धमकी में जो आ गए, जिन्होंने भेंट-पूजा कर दी उस रजिस्ट्रार की, वह कॉलेज तो जीवित रह गई। जो लोग स्वाभिमानी हैं और जो वहां दक्षिणा नहीं पहुंचा पाए, उनकी कॉलेज को बंद कर दिया गया। मैं सदन की तरफ से अपील करता हूं। आप दोबारा उस मामले को दिखवाइए। दिखवाइए कि 17 साल पहले जिसके पास बिल्डिंग पूरी थी तो क्या 17 साल बाद वो कमरे जमीन में धंस गए? 17 साल पहले स्टाफ की कमी हो सकती है। अपनी हालत क्या है? भाई साहब, जब एमसीआई का इन्स्पेक्शन आता है, एसएमएस वालों को आपने भी हाथ जोड़ें होंगे। हम भी हाथ जोड़कर कभी

(डा. राजकुमार शर्मा)
बीकानेर भेजते हैं, कभी अजमेर भेजते हैं, कभी झालावाड़ भेजते हैं, कभी जोधपुर भेजते हैं। जब हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जिनको 17 साल पहले हमने एनओसी जारी की, क्या उन्हें सिर्फ एक लूट का अड्डा बना लिया है?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात पर मंत्रीजी जरूर गौर करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे।

स्वाइन फ्लू से 60 मौतें हो गयी हैं। मंत्रीजी, 60 मौतें स्वाइन फ्लू से हुई हैं, जिसमें हमारी एक माननीय सदस्या भी हम खो चुके हैं। स्वाइन फ्लू की मोनीटरिंग नहीं हो रही है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं। आपस के अंदर लड़ रहे हैं, इनके जो भी गुट बने हुए हैं। आप एक बार अपना थोड़ा-सा गुस्सा शांत कर दो और आपको तो गुस्सा आता ही नहीं था।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बस लास्ट है। आपको तो गुस्सा आता ही नहीं था। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको गुस्सा आकर, आप डॉक्टरों से लड़ पड़े। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप स्वाइन फ्लू मामले में गंभीर हो जाओ। हमारे 200 सदस्यों में से एक सदस्य चला गया। बड़ा दु:ख है।....(व्यवधान)... आपके पास अब डी.एस.ओ. मंत्रालय नहीं रहा है, इसलिये आप पर ज्यादा आफत नहीं आयेगी। मैं तो मंत्रीजी से प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, कि यह सुनें और जनता को स्वाइन फ्लू से बचायें। हमारी जब विधायक जा सकती हैं तो सोचिये कि आम जनता क्या सोचेगी कि हमारा क्या होने वाला है।

भामाशाह कार्ड योजना के बारे में बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आपने भामाशाह योजना क्यों चालू की? मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना जब चालू थी, लोग आते थे बिना कार्ड के, बिना किसी आइडेंटिटिटी के, जांच कराते, इलाज कराते, ऑपरेशन कराते और स्वस्थ होकर चले जाते। भामाशाह कार्ड को आपने तानाशाह कार्ड बना दिया और तानाशाह कार्ड क्यों बना दिया, इसकी वास्तविकता मैं आपको बताना चाहता हूं कि भामाशाह कार्ड लेकर जब वह व्यक्ति आता है तो अस्पताल वाला कहता है कि 24

(डा. राजकुमार शर्मा)
घंटे बाद में चालू होगा। अब वह गरीब आदमी 24 घंटे क्या इंतजार करेगा उसको ऑन लाइन होने का, उसको एक्टिवेट होने का, 24 घंटे के अंदर उसको इलाज कराना है तो पैसा खुद को देना पड़ेगा उस गरीब आदमी को। ...(व्यवधान)... एक मिनट सुन लीजिये, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। धरातल की बात बताना चाहता हूं क्योंकि 24 घंटे फील्ड में रहता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं उन पेशेंट की सेवा करने की वजह से हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है साहब, अगर दो मिनट कोई ज्यादा बोले तो उसको मैं निवेदन कर लूंगा कि यह कांग्रेस वाले मुझे टाइम दे देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा ले लेना।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप खुद भी इतने दयालु हैं, मैं सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं, जो सबकी आत्मा जानती है। मैं यह कहता हूं कि भामाशाह कार्ड 24 घंटे में चालू होता है। आप देखिये बीमा कम्पनी कैसे लूट कर रही हैं इस भामाशाह योजना से। आपका उद्देश्य गलत नहीं होगा। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि सरकार का उद्देश्य गलत होगा, लेकिन गलत अब है। अब इसलिये है कि 24 घंटे के अंदर जो भी पैसा लगा उस पेशेंट का, उसके परिवार का और 24 घंटे बाद में एक्टिवेट हो गया भामाशाह कार्ड, तो वह पैसा क्या रिफण्ड करते हैं अस्पताल वाले? एक रुपये का भी रिफण्ड नहीं करते। वह पैसा आपका भामाशाह कार्ड से गवर्नमेंट से भी लेते हैं, उस गरीब से भी लेते हैं। वह लोग दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस भामाशाह कार्ड वाले का सरलीकरण करें। पहले तो जाइए आप भामाशाह कार्ड के लिये पटवारी के चक्कर काटिये, फिर बी.डी.ओ. के चक्कर काटिये, फिर डी.एस.ओ. के पास चक्कर काटिये और फिर डी.एस.ओ. के चक्कर काटने के बाद में फिर अस्पताल में चक्कर काटिये। निजी अस्पतालों ने मजाक बना रखा है, आप पता कर लेना जाकर। गरीब आदमी दिखता है कपड़ों से, उसको कहते हैं कि नहीं-नहीं, कोई भामाशाह कार्ड नहीं, चले जा यहां से। मैं कह रहा हूं जो अत्यावश्यक, जिसको हार्ट-अटैक आ गया, क्या वह दफ्तरों के चक्कर काटेगा

(डा. राजकुमार शर्मा)

या अपना इलाज करायेगा। क्यों नहीं उस योजना को आप यथावत कर देते? मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के लिये आप कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं की। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं मात्र 30 प्रतिशत दवा की सप्लाई हो रही है और जो बाहर से दवाइयां ले-लेकर आते हैं, उनका कोई रिफण्ड नहीं होता। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने हमारे समय, हमारे राज के अंदर हमने इसका सरलीकरण रखा। कहीं से भी आये, कोई भी आये, इलाज कराये और जाये, बचाने वाला भगवान है। लेकिन आपसे उम्मीद है, इस भामाशाह-तानाशाह को बदल दो और वापस उस योजना का वैसे की वैसे सरलीकरण कर दो ताकि लोग आपको दुआ दे सकें। जो भी कहलवाया गया है माननीय राज्यपाल महोदय से, मैं बिलकुल इससे संतुष्ट नहीं हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सबके दिल का हाल मैंने सदन के सामने रखा है। भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे वरना आने वाले समय के अंदर राजस्थान की 36 कौम की जनता आपको सद्बुद्धि दे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजें, धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री नवनीत लाल जी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा देश भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने उन अंग्रेजों को भगाने के लिये क्या-क्या तपस्याएं कीं, कितनी जेलें भुगतीं और इतना होने के बाद आजादी के 70 साल बीत गये, फिर भी कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कहीं शोषण की बू आ रही है। मेरा ऐसा आग्रह है और मुझे वह समय याद आता है कि देश के राष्ट्रीय नेताओं ने जो लड़ाई की योजना बनायी, उस वक्त माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर, गांधी, पंडित दीनदयाल जी जैसे लोगों ने एक निर्णय लिया था।

‘आने-जाने में अड़ता है पत्थर बड़ा
गंदी नाली से बहता है पानी सड़ा
डायरेक्टर-मिनिस्टर सभी मिलकर करें मेहनत का काम।'

(श्री नवनीत लाल)

यह नारा देकर इस देश को आजादी दिलाई थी और उस आजादी का रूप लेकर के आज हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी इस उद्देश्य से नियम बनाकर देश में व हर प्रान्त में यह योजनाएं लागू की हैं, मेरा ऐसा आग्रह है। अभी कांग्रेस के भाई बेरोजगारी के संबंध में बोल रहे थे। आज माननीय मोदीजी के द्वारा, माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा जी राजे के द्वारा विकास मकान के दरवाजे पर आ गया है। गांव और गली में सफाई हो रही है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहे और अपने रोजगार के हाथ नहीं लगाये और पुल पर ही बैठा-बैठा दारू पीता रहे तो उसका क्या इलाज है। मेरा ऐसा आग्रह है कि बेरोजगारी नहीं रही। कई योजनाएं खोलीं। आरोप लगते हैं कि काम हुए ही नहीं। काम तो अभी हो चुके हैं, उस काम को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है।

गांव में सड़क बन गयी, स्कूल बन गयी, तहसील बन गयी, कुआं बन गया। अब उसको संभालने के लिये हमें यह योजनाएं बनानी पड़ीं और बनाना चाहिये। मेरा ऐसा सोचना है कि काम बाकी नहीं रहेगा। काम तो हो चुके हैं, अब बाकी था हमारा मकान ठीक नहीं है, हमारे घर के पास में लेट्रिन-बाथरूम नहीं है, स्नानघर नहीं है तो यह काम करने के लिये योजना लागू कर दी। अब सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनीं, वह मजबूती से चल रही हैं, उसको देखने के लिये यह सारे नियम बनाये गांव-गली के।

मेरा ऐसा आग्रह है कि माननीय वसुन्धरा जी के शासन काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा वर्तमान में 74 हजार कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। 15,299 युवाओं को रोजगार, अब रोजगार गिनती में नहीं, कितना काम आ चुका है कि काम संभालने के लिये हमारी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान होना चाहिये। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। फोर वाटर योजना, 304 माइक्रो सिंचाई बैंक निर्माण हेतु राशि 1047.14 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

(16.00 बजे)

इसमें से 105 कार्य प्रारम्भ कर 49.50 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अब वर्तमान शासन की ओर माननीय मुख्य मंत्रीजी के शासन काल की उपलब्धि है।

(श्री नवनीत लाल)

राज्य में जल स्वावलम्बन योजना इसलिए चलाई गयी, इसका मतलब है कि अपने पैरो पर खड़े होना। राज्य में जल स्वावलम्बन योजना अनुसार 196 करोड़ रुपये के डेम संरचना निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। पानी बहकर चला जाता था, गांव, गली खेत और पहाड़ों में नहीं रहता था, जल स्वावलम्बन योजना के अनुसार अपने गांव में पानी आये, कुओं में पानी आये, हैण्डपम्पों में आये, तालाब में रहे और अपने गांव का उद्धार। हमारे गांव और जंगलों में पेड़ हैं उन पेड़ों को पानी का सहारा मिला। यह जल स्वावलम्बन योजना जो बनाई गई वह पहले किसी ने नहीं बनाई। ठीक इसी तरह से हमारे देश के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी ने वाक्य याद कराया कि प्रधान मंत्री सड़क। प्रधान मंत्री सड़क इसलिए याद कराया गया कि हमारे देश में वोट पड़ता। आज तक 60 प्रतिशत वोट देश में पड़ता, 40 प्रतिशत वोट अभी तक पोलिंग पर नहीं पहुंचा तो यह चिंता की उन्होंने। सड़क के अभाव में पूरा वोट देश का लोकतंत्र बनाने में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए प्रधान मंत्री सड़क योजना से वोटर पूरा पोलिंग पर पहुंचेगा और देश के लोकतंत्र के गठन में सौ प्रतिशत लोग शामिल हो सकें, इसलिए यह योजना बनाई गई। तो इस प्रकार नये बिन्दु याद कराये जाकर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, राजस्थान सुराज संकल्प यात्रा माननीय वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री जब 2003 में राजस्थान के क्षेत्रों में गरीब गांव और पहाड़ों में क्या-क्या हो रहा है जानने के लिए की गई। सारी योजनाएं मौके पर गांव में घूम फिरकर जानकारी लेकर तप्ती घूप में चलकर मुख्य मंत्रीजी ने देखा था और उस वक्त पूरी जानकारी लेने वह गई। कहीं बच्चे दौड़कर आ रहे थे, कई महिलाएं दौड़कर आ रही थी। वह सारी योजनाएं इनके जहन में थीं। उसी के अनुसार अभी कानून बनाया गया और गांव गली तक लागू हुआ है। कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। काम को संभालने की जरूरत है। आजादी आई है, हम आजादी को संभालने वाले लोग हैं। बाकी क्या काम है। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो बोलते हैं कि काम हुआ नहीं, तो क्या देश आजाद नहीं था।

(श्री नवनीत लाल)

आज गांव और गली में सड़क बन गई और आपके मुंह से निकल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए।

इस मौके पर मैं सदन को एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि आदिवासी क्षेत्र में 1980 के पहले वन राज्य के अधीन थे। अब वन चले गए केंद्र के अधीन। तो वन विभाग के अंदर आदिवासी गांवों में खेती करने वाला व्यक्ति नाजायज रूप से खेती करता था। उसको मालूम नहीं था कि जमीन वन की है या चारागाह की है या राजस्व की है। वह हल जोतकर अपना काम करता था। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा नाजायज जमीन के पट्टे दिलाने की योजना बनाई गई। यह योजना राजस्थान के अंदर बनकर पूरे देश में गई। मैंने ट्राइबल कमेटी का चेयरमैन होने के नाते पूरे भारत का भ्रमण करके दक्षिण भारत का ट्यूर किया और माननीय मुख्य मंत्री जी की सलाह के अनुसार केंद्र सरकार के सामने हम दस-बारह विधायकों ने बात की 2006 में। तब उन्होंने निर्णय लिया कि 1980 तक की जमीन किसान के लिए निकलनी चाहिए थी, वह 2005 तक की जमीन को निकाला जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी और ट्राइबल कमेटी का संदेश केंद्र में गया और यह स्वीकृति मिली और आज पूरे देश के अंदर ये पट्टे मिल रहे हैं।

हमारे राजस्थान के अंदर 74,827 मामले नाजायज कब्जे के न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रस्तुत हुए, जिसमें से स्वीकृत हुए 36,609 बाकी कुछ कारणों से निरस्त कर दिए गए थे। उन पर भी वापस विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 71,241 निरस्त हो गए हैं। उनको डबल अपील करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। 2606 मामले अभी भी विचाराधीन हैं और आदिवासी किसानों को पूरे राजस्थान में न्याय आपके द्वार अभियान में उन पट्टों को दिये जाने का निर्णय हो चुका है और अभी भी ये पट्टे दिये जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मेरा ऐसा आग्रह है कि इस प्रकार न्याय के लिए गांव के अन्दर किसान, गांव का गरीब व्यक्ति कोर्ट और वकीलों के

(श्री नवनीत लाल)
सामने जाकर खड़ा रहता था। बिना वकील, मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी, थानेदार और एसडीओ द्वारा गांव में जाकर बैठ कर, गांव की चौपाल में दिन और रात में बैठ कर निर्णय किया जा रहा है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल और माननीय वसुन्धराजी के शासन काल में कई ऐसे मामले निर्णीत हुए हैं और अभी हो रहे हैं तो मेरा ऐसा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा अभी जो किये जा रहे हैं, वह कम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मेरे एरिये की एक बात है, वह सदन में रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 2006 में दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में रात्रि विश्राम रख कर अधिकारियों को एक संदेश दिया गया था कि आदिवासी क्षेत्र में जितनी सूखी भूमि है...

श्री सभापति: माननीय किरणजी, आपके क्षेत्र की बात हो रही है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): उसको पानी दिया जाए तो उसमें 27-28 अप्रैल, 2006 को ऐसा आदेश दिया था और अधिकारियों के द्वारा पूरा सर्वे किया गया थ। माही डैम के दक्षिणी तरफ नहर नहीं निकाली गयी। उस नहर को निकालने के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च कर उस नहर को निकाला जाए। अधिकारियों से ऐसा सर्वे करवाया गया था लेकिन वह सर्वे जब 2009 में सरकार तब्दील हुई तो वह योजना बनी बनायी दबा दी गयी है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मेरा ऐसा आग्रह है कि योजना तो दबाई लेकिन साथ ही माही डैम भारत में सैकिण्ड नम्बर का माही डैम तालाब है लेकिन 13 अगस्त, 1909 को चीफ इंजीनियर की पोस्ट बांसवाड़ा में तोड़ दी गयी और उस ऑफिस को अलग बैठाया गया। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि वहां पर चीफ इंजीनियर का ऑफिस टूट चुका, आज नहरों में पानी दौड़ रहा है लेकिन उसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का अस्त-व्यस्त जो कर दिया गया है ...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): तो मेरा ऐसा आग्रह है कि माही डैम के चीफ इंजीनियर का ऑफिस वापस बांसवाड़ा जिले में लगाया जाए ताकि वहां

(श्री नवनीत लाल)

के किसान व्यवस्थित रूप से खेती कर सकें और बहते पानी की संभाल हो। ऐसा मेरा निवेदन है। आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री तरुण राय जी कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): शुक्रिया। सभापति महोदय, मुझे बहुत फख्र है आपने मुझे फरमान दिया। ...(व्यवधान)...

सबसे पहले मैं आप सब अराकेन को आदाब अर्ज कहूंगा कि पांच तारीख को हमारे सूबे के गवर्नर ने जो एक रसाला 50 सुफात पर और 156 नकात पर हमारे सदन में पेश कर के इसी हमारे सूबे राजस्थान की आम पब्लिक को उनके तरक्कीफला और बहबूदी के लिए जो नकात पेश किये हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। मैं इसलिए गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और इनकी जो तकरीर है, ये किताब है ये काबिले तारीफ है और काबिले शितायश है।

हालांकि मैं भाषण भी कम देता हूं लेकिन हमारे दोस्तों की कुछ फरमाइश भी है तो इसलिए मैं कहूंगा कि 'हालात के कदमों पे कलन्दर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समुद्र में दरिया लेकिन किसी दरिया में समुद्र नहीं गिरता।'

दोस्तो, मेरे हर दिल अजीज दोस्तों, हालांकि हमारे इस एवान में और हमारी सरकार की बातें जो हमारे लिए आयद की गयी है, उनसे एक 111, 112, 114, 115 और 119 का जो मैंने मुताला किया है तो उसमें मैंने पाया कि हमारी सरकार गम्भीर और संवेदनशील मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है। और इसी मुताबिक जैसा कहा गया है कि इसी कायनात में जो हमारे कुदरत ने और इस अशरफल मखलुकात के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, जिस तरह से रोजी, जिस तरह से लिबास, जिस तरह से आशियाना, जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, एक बहुत बुनियादी जरूरतें होती हैं। इसी बुनियादी जरूरतों में पूरा एक निचौड़, यह तिरयाक जो हम को एक मैयस्सर कराया है एक लाजवाब है।

और हमारी आम जनता जो ज्यादातर हमारे देहात में आबाद है और

(श्री तरुण राय कागा)

इसमें मैंने देखा जो हमारे 156 नकात हैं ये इसके लिए एक मैयस्सर है। हालांकि हमारे मुखालफत ग्रुप के काफी कुछ हमारे मैंने देखा, उनका रद्धअमल देखा, उनकी छींटाकसी देखी, उनकी कुछ बातें सुनीं तो चार दिन से लगातार सिलसिलेवार उनकी भी बातें सुनता रहा। ऐ मेरे प्यारे मित्रों, जंग के मैदान में हार तो किस्मत की होती है, देखना यह है कि तलवार किस के हाथ से टूटी। अब आप एक डेढ़ चुल्लू और शराब की एक घूंट पी ली, आप इतने बहक गये। हम वो शख्स हैं जो बहकते नहीं हैं, हम महकते हैं। क्या इस भीगे चावल में दो शक्कर के दाने पड़ गये, आप उसको खीर समझ कर बैठे हैं? ...(व्यवधान)...

नहीं, नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, इल्तजा करूंगा, सजदा करूंगा कि साकी ऐसी पिला कि हम महकते जाएं, हम वो कमबख्त नहीं हैं जो बहकते जाएं। नशा पिलाना सब को आता है, मजा तो जब है कि गिरने वाले को थाम ले साकी।

हालांकि हमारे मोहतरम दोस्तों ने, हमारे खिलाफ ग्रुप के आदमियों ने काफी कुछ बात जिक्र किया है और उनका फिक्र किया है ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, हमारा भी भला करो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा यह हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा यह जो हमारा रिसाला है, हमारे इस आखिरी साल में जो हमने निचौड़ कर के यह अकसीर पिलायी है, वो अकसीर पिलायी है अगर इसका आप अपनी नेक नियम से सेवन करोगे तो मैं जिस तरह से अमृत का मन्थन कर के जिस तरह से अमृत पिलाया था और यह देवताओं को जो नायाब नुस्खा मिला है वो आप को भी मिल जायेगा।

मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर के आपको शुक्रिया कहते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। हो गया। माननीय सदस्य, श्री घमश्याम जी महर।

श्री हीरालाल (निवाई): शुक्रिया, आदाब।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री घनश्याम)
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी हां पक्ष के भाई बहुत सारा इस तरह का सरकार का बखान कर रहे थे और माननीय राज्यपाल महोदय से भी जो यह असत्य का पुलंदा आपने पढ़वाया है, इसको पढ़ कर मुझे बहुत शर्म आयी। ...(व्यवधान)...

पिछले चार साल से सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए माननीय सदस्य बखान कर सकें। जिस तरह राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान, राज्य में उद्योगों का जाल, बेरोजगारी, सड़कें, पानी, बिजली, इस तरह के जो बखान किये गये हैं, इनमें सरकार ने एक रुपये का काम भी कोई धरातल पर करने का नहीं किया।

जैसी स्थिति इस प्रदेश में हुई, आपको जो समर्थन मिला है वह इस 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में पहले किसी सरकार को नहीं मिला। कांग्रेस को भी नहीं मिला। लेकिन आपने इसको उलटा लिया। जनता की सेवा करने की बजाय आपको अहम पैदा हो गया। उस अहम के कारण आप गरीब, किसान, मजदूरों की पीड़ा देखने की बजाय अपने काम में लग गए। आपने भ्रष्टाचार के नए आयाम इस राजस्थान में पैदा कर दिए।

सभापति महोदय, जिस तरह से आपने माइनिंग घोटाले किए। उसमें आपको रातों-रात साढ़े 600 माइन्सों को कैंसिल करना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के घोटाले आपने किए हैं।

वैसे देखो तो फसल बीमा के नाम पर भी प्रधानमंत्री जी की एक योजना का आपने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा। लेकिन उस फसल बीमा योजना का भी किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। यहां तक कि अगर मैं इस साल की भी बात करूँ तो किसान को उसका लाभ मिलता, उसका प्रीमियम जमा कराता, लेकिन उसकी डेट ही निकल गई। उसका प्रचार भी आप के लोग नहीं कर पाए। मेरी कल सहकारिता मंत्रीजी से भी इस संबंध में बात हुई कि करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रह रहे हैं। इस पर मंत्रीजी ने कहा कि कल कृषि मंत्री जी से इस पर बात करके इस मुद्दे पर विचार करेंगे और इस डेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

(श्री घनश्याम)

सभापति महोदय, आज जो किसानों की स्थिति इस प्रदेश में हुई है, ऐसी पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई। 200 से ज्यादा किसान इस प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। अकाल की स्थिति प्रदेश में है। प्रदेश में पानी नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए सिंचाई के पानी की तो बहुत दूर की बात है लेकिन आज प्रदेश के किसानों को, आम आदमी को पीने का पानी मुहैया आप नहीं करा पा रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, करौली जिले में पिछले दिनों किसानों ने धरना दिया। वह धरना 67 दिन तक चला। 67 दिन तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं गया। हमारे प्रभारी मंत्री जी वहां किसानों के धरने के आगे होकर के कई बार निकल गए लेकिन उन्होंने किसानों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का, इस प्रदेश का पेट पालने वाले किसान की आप नहीं सुन रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। वहां मैं खुद भी धरने पर बैठा। वहां 3 दिन तक आमरण अनशन चला। आमरण अनशन के बाद मुख्यमंत्री महोदया ने यह कहा कि आपकी सारी मांगें हम मान लेंगे। आज एक महीना बीत जाने के बाद भी उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेडिकल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इसमें आपके डॉक्टरों के, कम्पाउंडरों के पूरे पद खाली पड़े हैं। इनको भरने का काम आप लोगों ने नहीं किया। उनको भरना तो बहुत दूर की बात है, आप हॉस्पिटलों को प्राइवेट, पीपीपी मॉडल पर दे रहे हैं। यह जो पीपीपी मॉडल पर दिए जा रहे हैं उनका गांव-गांव में विरोध हो रहा है, लोग धरना दे रहे हैं।

सरकारी आदमी इतना संवेदनशील होता है कि वह आम जनता की सेवा कर पाता है। प्राइवेट आप ठेके पर दोगे तो वह व्यवस्था नहीं चल पाएगी। यह आप अस्पताल नहीं खोल रहे हैं बल्कि आदमियों को मारने का कारखाना खोल रहे हैं। चिकित्सा मंत्री जी को हमने पहले भी बताया कि आप इस निर्णय को, इस मामले को वापस लो। मेडिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। सरकार इस मामले में पुनर्विचार करे। इसका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है।

(श्री घनश्याम)

हमारे यहां आप लोगों ने जो पीपीपी मॉडल पर पीएचसीज और सीएचसीज दी हैं, वह आज तक बंद पड़ी हैं। वहां कोई कर्मचारी नहीं जा रहा है। लोग वहां विरोध कर रहे हैं। लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए, जनता का जो इलाज होना चाहिए, वह होना भी बंद हो गया है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस मामले को बहुत गंभीरता से लें। टोड़ाभीम में, करौली जिले में आपने जितने भी पीपीपी मॉडल पर दिए वह आज तक बंद पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ युवाओं की बेरोजगारी का मामला है। युवाओं के साथ तो बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। 2 लाख नौकरी देने की बात आपने की कि हर साल 2 लाख नौकरी हम देंगे। आपने नौकरी देना तो दूर की बात, उलटे जो रिक्त पद थे डेढ़ लाख, वह भी आपने लैप्स कर दिए। आज बेरोजगार क्राइम के रास्ते पर चल पड़े हैं। वह क्या कर सकते हैं? उनका पेट पालने की स्थिति पैदा नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, आप लोगों ने गुर्जर आरक्षण के मामले में लड़ाई करवा दी। जातियों से जाति को लड़वा दिया। धर्मों से धर्मों को लड़वा दिया। आज इस तरह की वैमनस्यता प्रदेश में पैदा कर दी है जिससे प्रदेश कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है।

सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समानीकरण के नाम पर आपने 27 हजार स्कूलों को बंद किया। उन स्कूलों को बंद करने के बाद जो बाकी स्कूल बचे हैं, उनको भी आप प्राइवेट सैक्टर में देने जा रहे हैं। इनको आप प्राइवेट सैक्टर में क्यों देना चाह रहे हैं? इससे आप गरीब, किसान, मजदूर जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। आपकी इस तरह की भावना है। सरकारी स्कूलों में कोई राजा, महाराजा, उद्योगपति, एमएलए, एमपी के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। उनमें गरीब, किसान, मजदूरों के और ग्रामीण लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आप ग्रामीण लोगों को, गरीब लोगों को, किसानों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। इस तरह की व्यवस्था आप इस प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत

(श्री घनश्याम)
खराब है। आपने प्रथम बजट भाषण में कहा था कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कें इस प्रदेश की धरती पर बनाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे तो कही लगा नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने दस-एक किलोमीटर रोड बनाएं हैं पिछले 4 साल में। जो रोड बनाई हैं तो वह आपका कोई एमएलए, एमपी है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, उसके खेत के लिए बनाई है। आम जनता के लिए रोड बनाने का काम आप लोगों ने नहीं किया है। मेरे यहां के जो पार्लियामेंट के मैम्बर हैं उनके साले के खेत के लिए रोड बनाई है। वह 4 किलोमीटर की रोड है और उस पर कोई व्यक्ति नहीं जाता है। किसी का कोई काम नहीं पड़ता है। इस तरह के काम आप लोग नहीं करें। यह जनहित में नहीं है।

सभापति महोदय, सड़कों की हालत खराब हो रही है। जहां तक गौरव पथ का सवाल है, उनको ज्यादातर आपने वहां बनाया है जो पीडब्ल्यूडी की पहले से क्षतिग्रस्त रोड हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गौरव पथ को आपको पंचायत हैड क्वार्टर पर जहां कीचड़ है, जहां आम रास्ता है, वहां बनाना चाहिए। लेकिन 80 प्रतिशत रोड हमारे विधान सभा क्षेत्र में वहां-वहां बनाई हैं, जो पहले से ही पीडब्ल्यूडी की रोड क्षतिग्रस्त है या वहां पास से निकलती हुई है। इस तरह के काम आप लोगों ने किए हैं। भेदभाव बरतकर के जिस तरह की कार्यवाही आप कर रहे हैं, यह अच्छी नहीं है।

सभापति महोदय, बजरी घोटाला, इसमें तो आपने पूरे देश में नाम कमा लिया है। इस प्रदेश में जिस तरह से बजरी का व्यापार चल रहा है, इसके लिए तो पूरे देश में आप लोगों का नाम रोशन हो गया है।

सामाजिक न्याय विभाग एवं छात्रावासों में गरीब बच्चों की सुविधा एवं सामग्री के मामले में कल-परसों के पेपर में भी आया है। आपने किस तरह से जो गरीब बच्चे छात्रावासों में रहते हैं, भीमराव अम्बेडकर छात्रावासों में उनकी क्या हालत हैं। पिछली बार भी सदन में यह मुद्दा मैंने आपके सामने रखा था कि वहां न तो खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, न कपड़े हैं और ना ही बिस्तर हैं। मंत्रीजी उसमें नाराज हो गए कि इस तरह से कैसे कहते हैं।

मैंने 4 छात्रावासों का अभी निरीक्षण किया और सीईओ से बात की।

(श्री घनश्याम)

वह कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन ही नहीं हैं। हम कहां से व्यवस्था करें। हमारे पास बजट की व्यवस्था नहीं है। आपके पास और कामों के लिए तो बजट कहां से आ जाता है और गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चे जो छात्रावासों में रहते हैं, उनके लिए बजट क्यों नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं।

ऊर्जा के मामले में आप लोगों ने जो स्थिति पैदा की है। आज जगह-जगह दुर्घटना हो रही हैं। बिजली के तार झूल रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में कि आपने दुगुने-चौगुने दाम बढ़ा दिए हैं। किसान बिजली के लिए परेशान है। 6 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। जो हालात हैं उसमें रात को 11 बजे बिजली बंद हो जाती है और सुबह 4 बजे तक बिजली किसानों को नहीं मिल पाती है। इस तरह की स्थिति आप लोगों ने बिजली के क्षेत्र में पैदा की है।

सभापति महोदय, आप पीने के पानी की जहां तक बात करते हैं तो मेरे यहां सवाई माधोपुर, नादौती चंबल पेयजल योजना है। यह पिछले कई साल से लंबित है। इसमें मुख्यमंत्री महोदया ने प्रथम बजट भाषण में यह कहा था कि मैं इस योजना को दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करा दूंगी और 50 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। यह प्रथम बजट भाषण की बात है। उस साल कोई काम नहीं हुआ। 2016-17 में भी नहीं हुआ। अभी भी स्थिति यह है कि माननीय मंत्री जी बैठे हैं, यह खुद भी दौरा करके आए हैं।

मुख्य मंत्रीजी वहां जाकर आई हैं। मुख्य मंत्री महोदया ने यह कह दिया कि 31 मार्च तक हम इस पानी को नादौती की धरती पर ला देंगे पर मुझे लगता नहीं मंत्री महोदय, अब जब से यह तीन चुनावों का रिजल्ट आया है तब से कहीं वहां पाइप लाना वहां चालू कर दिया है। एक बात और बता दूं मंत्री महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो टंकियां आपने बनाई हैं वे आधी से ज्यादा टंकियां टूट चुकी हैं, उनमें दरारें आ गई हैं, उनको आपने एक-एक साल पहले, छह-छह महीने पहले बनाकर तैयार कर दिया, आपके ठेकेदारों ने उनमें पानी नहीं भरने का काम किया तो उसके कारण से उनमें क्रेक्स आ गए हैं। इस तरह से जो कार्य हो रहा है, अब दुबारा मेरी अधिकारियों से, कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी हम इस पानी

(श्री घनश्याम)
को 31 मार्च तक नहीं ला सकते। क्या मंत्री महोदय इस मामले में कहना चाह रहे हैं, 31 मार्च तक का मुख्य मंत्रीजी का वादा था तो हम इस बात से आपसे आशा रखते हैं कि 31 मार्च तक इस पानी को नादौती की चम्बल परियोजना को चालू कराने का काम आप करेंगे?

रोडवेज बसों को, ग्रामीण बसों को बंद कर दिया है, इससे जनता में बड़ा आक्रोश है, जन उपयोगी योजनाएं थी, ऐसी व्यवस्थाओं को आप बंद करने का काम न करें। ग्रामीण बस योजना पूरी तरह बंद हो गई है।

देवनारायण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार ने एक योजना लागू की थी देवनारायण योजना, इस योजना के नाम से छात्रावास, सब्सिडियां, बच्चों को जो वज़ीफा मिलता था उसको भी आप लोगों ने बंद कर दिया। प्रदेश में आज 200 से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो स्थितियां आप लोगों ने पैदा की है उनको नियंत्रण में लाएं। अभी प्रदेश में तीन जगह उप चुनाव हुए, उनमें भी जनता का जनादेश आप लोगों को मिल चुका है और इस स्थिति में अगर आप नहीं संभले तो राजस्थान की जनता आपकी ऐसी स्थिति बनाने वाली जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में गायों की जो हालत है कि दस हजार गाएं पिछले साल से अब तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूख और प्यास के कारण मर चुकी है। गायों की स्थिति के बारे में पिछली बार भी और कल भी सदन में मुद्दा आया था, गायों के मामले में आप लोग सोचें। गाय और बंदरों के नाम से वोट लेकर आप सत्ता में आए हैं। आपने भगवान को भी धोखा दिया है, गायों को भी धोखा दिया है, किसानों को भी धोखा दिया है, मजदूरों को भी धोखा दिया है, युवाओं के साथ में भी आपने बड़ा छलावा किया है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छह महीने का समय बचा है, इस समय में भी आप

(श्री घनश्याम)

सचेत हो जाएं और थोड़ा बहुत जनता, किसान और मजदूर के लिए काम करें। किसानों के लिए आपने जो वादे किए थे कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, वह ऋण माफ भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, झाबर सिंहजी खर्रा। माननीय सदस्य झाबर सिंहजी खर्रा। (अनुपस्थित)।

माननीय सदस्य, जीतमलजी खांट।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद, बहस पर माननीय सदस्य मटोरियाजी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करता हूं और इस पवित्र सदन में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए हैं, सम्पूर्ण राजस्थान की 6 करोड़ जनता के आईने के रूप में अपने सार्थक चर्चा-परिचर्चा यहां पर की है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्यवाही का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

...(व्यवधान)... बहुत महत्वपूर्ण विषय आज माननीय सदस्य रख रहे हैं, माननीय मंत्रीगण, ध्यान से सुनें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य विचार यहां रखे हैं सदन में, मैं भी मेरे

(श्री जीतमल खांट)

विचार इनके साथ में जोड़ते हुए राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया के कुशल और सक्षम नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति हुई है, राजस्थान की सरकार में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का नवाचार किया गया है। मैं इस अवसर पर यहां कहना चाहूंगा पक्ष और विपक्ष से कि यह हमारा चार वर्षों का दस्तावेज है और इस दस्तावेजों में सरकार ने कौनसे अच्छे काम किए हैं उन पर हम हमारा प्रकाश डाल रहे हैं। प्रतिपक्ष हमारी कमियों और खामियों को गिना रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम सदन में यहां पर अपना वक्तव्य देते हैं या अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हैं तो सभी माननीय सदस्यों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि हम यहां जो सदन में बोल रहे हैं, हमारा बोलना और सत्ता पक्ष के हमारे जितने माननीय सदस्य हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य, जब हम सदन में आ जाते हैं तो पूरे राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता का यह आईना है। यहां पर जो बात हम कहें वह सत्य कहें, सही बात पर बहस करें, निश्चित रूप से गांव, ढाणी और मजरों में रहने वाला व्यक्ति यह हमारी राजस्थान विधान सभा का आखिरी सत्र चल रहा है, सब इस ओर आंखें गड़ाए देख रहे हैं कि इस राजस्थान की विधान सभा में सभी माननीय सदस्य आम जनता के लिए पूरे राजस्थान के आम अवाम के लिए चर्चा-परिचर्चा कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज निकल कर सामने आए। मैं इस अवसर पर आरोप-प्रत्यारोप, यह हमारा सदन है, सही बात पर आरोप-प्रत्यारोप लगे लेकिन गलत तरीके से हमारा समय व्यर्थ करें, यह बात ठीक नहीं है। इस सदन में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी ने इस राजस्थान के अंदर महिला सशक्तीकरण के लिए यहां पर वित्तीय समावेशन, सीधा नकद और गैर नकद लाभ हस्तांतरण करने की जो अनूठा और अभिनव प्रयास किया है। इस प्रयास से 1 करोड़ 48 लाख से अधिक परिवारों को, इसमें लगभग 5 करोड़ 47 लाख से अधिक व्यक्तियों को आधार संख्या से जोड़कर, बैंक खातों से जोड़कर, भामाशाहों से जुड़कर और इन सबको सीधा नकद लाभ का हस्तांतरण हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय में अपनी बात कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार में जब मुख्य मंत्री आवास योजना शुरू हुई थी, मैं इस

(श्री जीतमल खांट)

विषय में जब अपना आंकड़ा लेकर इस सदन के बीच में बोल रहा हूं, उस तत्कालीन सरकार में मुख्य मंत्री आवास योजना में अकेले बांसवाड़ा जिले में 2012 से 2014 तक इंदिरा आवास सहित लगभग 1 लाख आवास स्वीकृत हुए थे। माननीय सभापति महोदय, दूसरे परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रधान मंत्री, माननीय नरेंद्र मोदीजी द्वारा घोषित प्रधान मंत्री आवास योजना को देखें। कांग्रेस के राज में बांसवाड़ा जिले में 1 लाख मुख्य मंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के सहित स्वीकृत हुए थे।

आज मैं यह विषय इसलिए भी रख रहा हूं कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी उपलब्धि नहीं रही या हमें नगण्य समझा जा रहा है। लेकिन मैं एक उदाहरण पेश करके ही आप सबको, सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि एक लाख मुख्य मंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत हुए, काम हुआ। आज हम बांसवाड़ा क्षेत्र के उस गांव, ढाणी और पंचायत के क्षेत्र में जाकर देखते हैं और वहां के उस बैनेफिशरी से, लाभार्थी से चर्चा करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि 2013-14 तक तो 50 हजार और उसके बाद 2014 तक 70 हजार किया और उस लाभार्थी के मात्र कवेलू बदले गये, कवेलू को चैंज किया गया या कवेलू नये खरीदे। उस लाभार्थी को जो भी वहां की कार्यकारी एजेंसी थी उस एजेंसी ने कहा कि इसका रंग रोशन कर दो और रंग रोशन करने के बाद में ऊपर वहां पीले कलर का बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखवा दिया मुख्य मंत्री आवास योजना। जब हमने उस लाभार्थी से पूछा कि आखिर में आपको पैसा कितना मिला तो मैं इस सदन में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि पचास हजार में से मात्र 30-35 हजार रुपये उसको मिले और बाकी जितने भी बीच के बिचौलिये थे वो पैसे खा गये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह विषय इसलिए कह रहा हूं कि आज एक लाख मकान जो बांसवाड़ा में बने और इतनी बड़ी धनराशि आई थी और हमारे लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा नहीं गया, बिचौलियों ने उस लाभार्थी को लूटने का काम किया। लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने इस प्रधान मंत्री आवास योजना को जब इस देश में लागू किया तो इसके साथ में एक बहुत बड़ा सिस्टम लागू किया जिसमें जैसे ही लाभार्थी के नाम का हमारी जिला परिषद

(श्री जीतमल खांट)

में, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में अनुमोदन गया तो अनुमोदन होने के बाद में उस लाभार्थी को पूछा गया कि तुझे मकान कहां बनाना है तो उस जमीन का जियो-टैगिंग किया गया और जियो टैगिंग होने के बाद में उसके खाते में 30 हजार रुपये सीधे हस्तांतरित हुआ। जब उसके मकान की 4-5 फीट चुनाई हो गई, उसका पत्थर और मिट्टी के साथ में तामीर हो गया, कहीं अच्छी मिट्टी है तो मिट्टी और पत्थर के साथ उसकी तामीर हुई और कहीं सीमेंट के साथ में भी तामीर हुआ और जब वह वेंट तक आया तो उसके खाते में सीधे 90 हजार रुपये चले गये। जब उसके घर की छत पड़ गई तब उसको सरकार ने पूरा भुगतान किया।

माननीय सभापति महोदय, आज बांसवाड़ा जिले के अन्दर जाकर देखें, उस गरीब को जाकर पूछें कि तुम्हारा मकान किस हालत में था और आज किस तरीके से बन गया है। पुराने जितने भी लाभार्थी थे और मुख्य मंत्री आवास योजना में जिनको लाभ मिला था वो सभी जन-प्रतिनिधियों को कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारा कर्म फूटा था कि हमारे 50 हजार में 15 हजार रुपये तो ठग लिये और 35 हजार में सिर्फ हमारे कवेलू को चैंज किया तथा रंग रोशन करके सिर्फ 35 हजार रुपये दिये। आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्पूर्ण देशभर में और आदिवासी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सम्भाग जैसे इलाके में इतनी बड़ी राशि देकर आम जनता की तकलीफ को समझने का प्रयास किया है और कम से कम अपना सिर छिपाने के लिए छत मुहैया कराने का काम किया। उस क्षेत्र की जनता इन्दिरा आवास नहीं कहकर, कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं कि इन्दिरा आवास है, जहां पर उनके सरपंच हैं वो लगे हुए हैं कि सब इन्दिरा आवास हैं लेकिन उस क्षेत्र का आम कार्यकर्ता और छोटा व्यक्ति भी इस बात को समझ गया है कि यह इन्दिरा आवास नहीं है, यह प्रधान मंत्री आवास है और लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि यह तो मोदी आवास है और मोदी आवास के नाम से पूरे दक्षिणी राजस्थान में हजारों लोगों का आशियाना बनकर खड़ा हो गया है। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिले में इन दो साल के अन्दर लगभग 67536 प्रधान मंत्री आवास की हमें स्वीकृति मिली है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज

(श्री जीतमल खांट)
इतनी बड़ी रकम इस बांसवाड़ा जिले के जनजाति क्षेत्र में मिली है जिसकी राशि 10 अरब 13 करोड़ 6 लाख रुपये बन रही है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जिस विजन के साथ में गरीब की तकलीफ को समझा है और उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया है।

मैं इसी परिप्रेक्ष्य में यह बात भी कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार के कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ नहीं हैं और यहां पर उनका 21 पर आंकड़ा आकर अटक गया लेकिन पूर्व की सरकार में राजीव गांधी ग्राम ज्योति योजना नाम से एक योजना शुरू की थी। माननीय सभापति महोदय, उस ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से सिर्फ वहां की स्कूल को, आंगनबाड़ी केन्द्र को देख लेते थे और उस गांव में उस आंगनबाड़ी क्षेत्र के आस-पास 5-10 मकानों को उस ग्राम ज्योति योजना के साथ जोड़कर सर्टिफिकेट ले लेते थे कि गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। आज हमारे देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने पण्डित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को सम्पूर्ण देश में लागू किया लेकिन मैं मेरे बांसवाड़ा जिले की बात कहना चाहूंगा कि 70 साल की आजाद के बाद में आज भी 80 हजार ऐसे मकान हैं जिनके मकान में बिजली का एक भी लट्टू नहीं लगा हुआ है। मैं इस सदन में इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि चूंकि देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने गांव के छोटे आदमी की चिन्ता की है, ढाणी और मजरे में रहने वाले उस व्यक्ति की पीड़ा को, उसके दर्द को कम करने का प्रयास किया है वहां 80 हजार ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 70 साल से बिजली लट्टू नहीं है। जिसके घर में एक-दो दिन या दो-तीन घंटे बिजली नहीं आती है तो उस गांव और कस्बे में हालत कितनी खराब हो जाती है तथा शासन-प्रशासन सब लग जाता है और वहां 80 हजार ऐसे मकान है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ बांसवाड़ा में नहीं अपितु हमारा जो टीएसपी क्षेत्र है, जनजाति उप योजना क्षेत्र है, उदयपुर सम्भाग में यही हालत थी। हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने इतना बड़े आम जन-जीवन, जिसका कभी इस बिजली से कोई वास्ता नहीं था, चिमनी में अपना जीवन गुजार दिया वहां आज देश के प्रधान मंत्री जी ने इतना बड़ा विजन हाथ में लेकर, आम आदमी, छोटे

(श्री जीतमल खांट)

आदमी, गरीब आदमी की चिंता की और उसके दर्दों को कम करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त काम, जब 70 साल की आजादी में कुछ नहीं किया पर आज वहां पर खम्बा खड़ा करने के लिए भी जिस एजेंसी का टेंडर होता है वही खम्बा ले जाएगा, वही खड्डा खोदेगा और वहां के लाभार्थी से एक रुपया भी नहीं वसूल करने का फैसला किया। इसके अलावा जितने बीपीएल है, जितने अन्त्योदय हैं, स्टेट बीपीएल हैं, इनके सब के घर तक नि:शुल्क बिजली पहुंचाने का इतना बड़ा कीर्तिमान, काम जो नरेन्द्र जी मोदी ने किया है जिसकी आज इस सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें टिकट मिले या न मिले यह तो हमारी पार्टी का विषय है लेकिन डोटासरा जी, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप भी अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ में चिन्तन, मनन कर लें कि जब 1998 में पहली बार सदस्य चुनकर इस विधान सभा में आया था उस समय गहलोत जी के नेतृत्व में 156 सीटें आपको मिली थीं और उतनी सीटें आने के बाद में राजस्थान की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। उस समय हम भी यहां चुनकर आये थे। हमारा प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाले आज इस दुनिया में नहीं हैं, राजस्थान के निवर्तमान मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में यहां प्रतिपक्ष में हम बैठते थे.....

उस समय हमें शिक्षा के क्षेत्र में साल भर में मात्र एक मिडल से सैकण्डरी स्कूल और एक हायर सैकण्डरी स्कूल और दो मिडल स्कूल मिलती थी। हमारे राजस्थान के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी महिला हैं। हम कहते हैं कि यह हिन्दुस्तान पुरुष प्रधान देश है। मर्द कोई काम करें, उसमें तो कोई बड़ी बात भी क्या है, लेकिन महिला होकर सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर 5,300 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का काम किया है और वही काम 2003 में भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार... (व्यवधान) वह तो खुद मेरी भावना को समझ रहे हैं, जब 2003 से लगाकर 2008 में जब आये थे, तो वही के वही 5,000 से ऊपर हमारी मिडल से सैकण्डरी स्कूल बनी थीं।

(श्री जीतमल खांट)

हमारे देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने स्लोगन दिया है, "सबका साथ और सबका विकास"। आप अपने मन में कोई संशय का भाव लेकर चल रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। देश के प्रधान मंत्रीजी ने इतना बड़ा स्लोगन दिया, "सबका साथ और सबका विकास" और मैं कह सकता हूं कि पूर्व की सरकार जब-जब भी रही...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, लोक सभा से राजस्थान की विधान सभा में उतारो जिससे अपना काम हो।

(16.51 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय डोटासराजी, आपकी कोई बात हो तो मैं निश्चित रूप से उस पर चर्चा कर लूंगा, आप मुझे बता देना और आपके पास विद्वता का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। आप सचेतक भी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को मैं कह रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ और मेरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर 217 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुली हैं तो बिना मांगे, अगर कांग्रेस का राज होता तो पूछते कि ये ग्राम पंचायत और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ज्यादा है, वहां नहीं खोलनी है। कांग्रेस का वोट बैंक होता तो वहां पर जरूर खुल जाती लेकिन राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा भाव नहीं किया। उनके मन में एक ही विचार था कि सम्पूर्ण राजस्थान का विकास तभी संभव है, जब शिक्षा का जोर-शोर के साथ में यह प्रचार-प्रसार होगा, शिक्षा में अलख जगेगी, लड़का-लड़की सब पढ़ेंगे तभी सम्पूर्ण राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। यह समग्र भाव, यह सर्वांगीण विकास का भाव लेकर राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में ऐसा विजन पेश किया है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि हमारे इस चार साल के दरम्यान में बांसवाड़ा जिले के अन्दर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बालिका शिक्षा में कालेज की अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पीएचडी करे, एम.फिल करे, एम.ए. करे, बी.ए. करे। इसी

(श्री जीतमल खांट)
परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला को सशक्तीकरण देने के लिए राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिसके भी 65 से ऊपर परसेंटेज है, इसको लगभग-लगभग उस बालिका को स्कूटी देने का फैसला किया और इस चार साल के दरम्यान में राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 4 करोड़ 75 लाख रुपये की स्कूटी वितरण करने का काम किया है। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी बेटी जिसका 65 परसेंट से ऊपर परसेंटेज आएगा और उसको स्कूटी मिलेगी। आज हम कह सकते हैं कि पहली बार जब 2003 से 2008 के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उस सरकार के कार्यकाल में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम किया था। लेकिन उस समय एससी एसटी की बालिका को ही देने का प्रावधान था लेकिन जब सरकार के संज्ञान में आया, ध्यान में आया कि नहीं, यह सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर और एससी एसटी की हो चाहे सामान्य वर्ग की हो, सभी बालिका को यह साइकिल मिलनी चाहिए तो राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया और हम देखते हैं कि सम्पूर्ण राजस्थान में और सम्पूर्ण इस टीएसपी क्षेत्र में बालिका शिक्षा को जिस तरीके से प्रोत्साहन मिला है, वह साधुवाद उनको देना चाहता हूं।

मैं कह सकता हूं कि चाहे हमारा मिडल का विद्यालय हो, चाहे सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, कालेज और चाहे गैर सरकारी महाविद्यालय हो, आज भी बालिकाओं की संख्या और बालिकाओं के एनरोलमेंट का हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो बालिकाओं की संख्या और बालिकाओं का एनरोलमेंट उस कालेज के अन्दर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे ग्रामीण गौरव पथ, जिसकी पीडब्ल्यूडी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबकी जुबान पर ग्रामीण गौरव पथ हमें सुनने को मिलता है। गांवों के अन्दर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। मैं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और बांसवाड़ा जिले के अन्दर आंकड़ों के साथ में बोल रहा हूं कि हमें इन चार सालों के दरम्यान में मिसिंग लिंक हो चाहे हमारा नोन-पैचेबल

(श्री जीतमल खांट)

हो, हमारा स्टेट हाइवे हो, नेशनल हाइवे हो, कुल मिलाकर बांसवाड़ा जिले के अन्दर 900 करोड़ रुपया अब तक हमको मिल चुका है और अभी इस लास्ट ईयर में हमें और धनराशि मिलने की उम्मीद है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपनी तकलीफ-पीड़ा को सदन में रख रहे हैं। सही बात को स्वीकार करना चाहिए लेकिन अनर्गल तरीके से जो बात सदन में कही जाती है, इससे मान और सम्मान यह राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता का कहीं न कहीं वह आहत होती है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस विजन के साथ में राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया। मैं 2008 से लगाकर 2013 तक इस सदन का सदस्य नहीं था लेकिन माननीय डोटासराजी, आपको ध्यान में लाना चाहूंगा। उस समय हमारे पंचायती राज मंत्री थे, जो अभी इस सदन के सदस्य नहीं है इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन उस पीरियड में माननीय गहलोतजी के नेतृत्व में सरकार बनी और पंचायतों के पुनर्गठन करने का बहुत बड़ा हौव्वा खड़ा किया। मुझे भी मेरे क्षेत्र में एक-दो ग्राम पंचायतों के कुछ बुजुर्ग महानुभावों ने कहा कि हमारी पंचायतों का पुनर्गठन कराना है। अगर इस बार पुनर्गठन की प्रक्रिया में नहीं आये तो उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। मैं जब जयपुर आया और हमारे तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी से मैं मिला। सवेरे-सवेरे ही मेरा जाना हुआ। मैं बड़ी आत्मीयता भाव से इस सदन में अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। उस समय उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की, चाय-वाय पिलाई, पुराना हमारा परिचय था और उसके बाद में उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में कहा, माननीय सदस्य, यह आप जो इस बात को लेकर आये हैं, यह कोई पंचायतों को पुनर्गठन नहीं करना है। अभी हमारे नये-नये सभी एमएलए जीतकर आये हैं। जनता से जुड़ाव कैसे हो जाए, गांव के लोग और हमारे एमएलएज के साथ बड़ा समन्वय मिल जाये, इनका एक-दूसरे के साथ में परिचय हो जाए तो कम से कम ये चार-छह महीने चलेगा और चलने के बाद में यह वाइंड-अप हो जाएगा। यह पंचायतों का पुनर्गठन होना नहीं है। उस व्यक्ति के भावों को सुनकर, माननीय हमारे तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी के भावों को सुनकर मैं भी बड़ा अवाक रह गया कि जो भी है होना

(श्री जीतमल खांट)
या न होना, लेकिन अपने मन की बात कह दी है। यह अपने आप में बड़ी खुशी की बात है।

मैं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सदन में अभी हमारे गृह मंत्रीजी विराजमान हैं। माननीय गुलाबजी कटारिया साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीन महीने के अथक प्रयास से निर्विघ्न रूप से सम्पूर्ण राजस्थान के अन्दर पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया। आज इस बात के लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि 1959 से लगाकर भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के राज से लगाकर दो बार यहां पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है...

(17.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा आदर्श पीएचसी खुल गया है। मैं कुछ अपने मन की भी बात यहां इसलिए बता रहा हूं कि हमें बांसवाड़ा जिले में नर्स सैकिण्ड ग्रेड की हमारी पोस्टिंग हुई थी और ये हमारे कुछ पद सृजित हुए थे वो कई पद विलोपित हो गये हैं। मैं चाहूंगा बांसवाड़ा जिले में कम से कम सौ ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग ग्रेड में वहां पर उनका पदस्थापन हुआ था। किन कारणों से उनको वापस उदयपुर लगाया है। मैं यहां हमारे राज्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बिन्दु को नोट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये स्वास्थ्य मंत्री जी की आशिष से कुछ ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। माननीय राज्य मंत्रीजी बैठे हैं इनके तो स्वयं के क्षेत्र के ही नहीं हुए। आपको मंत्री जी की आशिष के ऊपर काम कराना पड़ेगा।

श्री जीतमल खांट (गढी): कोई बात नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी के आशीष से ही काम कराना पड़ेगा।

श्री जीतमल खांट (गढी): ठीक बात है। ज्ञानवर्द्धन की बात बता रहे हैं अच्छी बात है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले का जो दक्षिणी वृत्त है जिसमें उदयपुर संभाग सा लगता हुआ थांडला, झागुआ, रतलाम का एरिया और हमारा महीसागर से लगाकर हमारा ये जो एरिया आता है झलोद, दाहोद का जिस क्षेत्र की पहाड़ियों को मानगढ़ की धरती बोलते हैं, मानगढ़ की धरती पर जलियांवाला बाग़ से भी कम राजस्थान के इतिहासकारों ने इसको आंका, लेकिन धीरे-धीरे जब ठीक ढंग से सबकी नजरें गयी तो बांसवाड़ा जिला पंचायत समिति आनन्दपुरी में स्थित मानगढ़ हमारा जलियांवाला बाग़ से भी कम नहीं है। उस जगह को पहली बार इस बांसवाड़ा जिले की उस जगह का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में संत गोविन्द गुरु ने तीनों राज्यों की सीमा में भक्ति आंदोलन और समाज सुधार का जन जागरण किया। आज उस धरती को इन तीनों राज्यों की सीमा ही नहीं सम्पूर्ण देश के लिए नमन योग्य वह भूमि है। इस अवसर पर मैं जितना भी विकास हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनजाति राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए अभी उन्होंने 22 करोड़ रुपये देकर के वहां शिलान्यास करने का काम किया है।

मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं इस अवसर यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि पहला ऐसा अवसर हमें आया है कि बांसवाड़ा जिले में संत गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय के नाम से पहली बार हमें इतनी बड़ी सौगात मिली है। मैं इस अवसर पर यह बात इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से मात्र पैंतालीस किलोमीटर की दूरी पर यह विश्वविद्यालय खोल दिया था। इस तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जाते-जाते मात्र उन तीन कमरों में वह विश्वविद्यालय चल रहा था, लेकिन हम सारे जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझ करके राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महान स्वतंत्रता सेनानी संत गोविन्द गुरु, जो तीनों राज्यों की उस पहाड़ी पर अलख नहीं जगाते, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई नहीं लड़ते तो

(श्री जीतमल खांट)

शायद यह तीनों राज्यों की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं होती वो भी पूर्वोत्तर भारत से कम यह क्षेत्र नहीं होता, उस क्षेत्र को जिन्दा रखने का काम किया और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम से संत गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय खोल कर के राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्पूर्ण वागड़ क्षेत्र को एक नयी सौगात देने का काम किया है और मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में वो कहते हैं कि जहां पर शिक्षा है और शिक्षा की जब अलख जगती है तो निश्चित रूप से वहां पर उस क्षेत्र में रहने वाला नौजवान हो, हमारी बालिका हो, सबके साथ सबका विकास और सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा यह हमार उस क्षेत्र की सौगात है। उस क्षेत्र को हमें आने वाले समय में यह बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ यह शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा के क्षेत्र में जब लड़का-लड़की आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से छोटे-मोटे विकास, भौतिक सुख-सुविधाओं का तो अपने-आप विकास होता है लेकिन शिक्षा के मायने में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ विकास हो सकता है।

मैं इस अवसर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि सरकार के पक्ष में चार साल का जो दस्तावेज रखा है और चार साल के दरम्यान में जो राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो नये आयाम प्रस्तुत करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक नया कीर्तिमान कायम किया है, मैं इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सदन में मेरे विचार प्रकट करने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपको साधुवाद अर्पित करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार। धन्यवाद। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व में राजस्थान ने विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं। महामहिम

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

राज्यपाल महोदय ने राज्य की मुख्य मंत्री महोदया को हार्दिक बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के विकास के लिए नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में देश भर में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं का प्रदेश है। विविधताओं के कारण अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग समस्याएं और आवश्यकताएं भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी इस देश को मजबूत बनाने के लिए राज्य में दिन-रात काम करने का प्रयास कर रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी के कुशल नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व में देश और प्रदेश ने तेज गति से विकास किया है। देश की आर्थिक स्थिति हो, सुरक्षा नीति हो, अन्तरराष्ट्रीय संबंध हो या आंतरिक सुरक्षा हो, प्रधान मंत्रीजी के साहसिक नेतृत्व से देश की अलग पहचान बनी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी को कि उन्होंने ऐसे प्रयास किये हैं कि हमारा देश मजबूत बने, गरीबी मुक्त बने, भेदभाव मुक्त बने, भ्रष्टाचार मुक्त बने, सबको रोजगार मिले, समानता का अधिकार मिले, गरीबों को पक्का मकान मिले, देश स्वच्छ हो, स्वस्थ बने। हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो भी संकल्प लिये हैं उनको पूरा करने की दिशा में हमेशा काम करने का माद्दा रखती हैं और काम हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल, सड़क, आवास, बिजली, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्यों को करके नये आयाम स्थापित करने का काम किया है। नागरिकों के जीवन स्तर को और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया है। जब मैं पहली बार चुन करके 1993 में आया तब तत्कालीन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सरकार भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में बनी थी और उन्होंने जिस प्रकार से एक आदेश निकाल करके जिस समय हमारे शिक्षा मंत्री गुलाब जी कटारिया थे, कटारिया साहब ने शेखावत साहब को कहा कि राजस्थान को यदि आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा। कांग्रेस के शासन में मुझे याद है कि वहां पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पांचवीं का विद्यालय भी नहीं हुआ करता था। शेखावत साहब के एक आदेश से गुलाब जी भाईसाहब ने सम्पूर्ण राजस्थान के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आठवीं के स्कूल खोल करके एक ही आदेश में वादा पूरा कर दिया।

कांग्रेस के भाइयों ने जूते घिसा घिसा कर लोगों का विकास करने का काम किया। हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने एक आदेश दिया और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूले खोल दी। वर्तमान में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक आदेश दिया और सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 12वीं के विद्यालय खोल दिये। शिक्षकों के इतने पद निकाले और विद्यालयों को क्रमोन्नत करके उन विद्यालयों में शिक्षक लगाने का काम किया। जब प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं के स्कूल खुल गये तो बालिका शिक्षा को और बढ़ावा मिला, और बालिकाएं पढ़ने के लिये आ गई। जो बालिकाएं पहले नहीं पढ़ रही थीं, वह सभी बालिकाएं पढ़ने के लिये विद्यालयों में आ गईं। यहां तक कि कालेज शिक्षा में भी प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोलने का भी काम किया है और जहां पर कालेज नहीं है, वहां पर भी खोलने के प्रयास जारी हैं। हमारे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिये प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिये आईटीआई खोलने का काम किया है। मेरे क्षेत्र में भी प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर आज आईटीआई बनी हुई है और उसमें बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़वा देने के लिये, बच्चियां घर से स्कूल कैसे आवें, उनको साइकिल देने का काम किया है। गार्गी पुरस्कार देने का काम किया है। नि:शुल्क शिक्षा और शिक्षा के अधिकार के तहत सबको पढ़ने का अधिकार दिया है। गांवों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अंग्रेजी में शिक्षा मिल सके, इसके लिये केन्द्र की मदद से स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल बने हैं और उनके इतने भव्य भवन बने हैं। उनको

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है कि ऐसे विद्यालयों में गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करके और आगे बढ़ेंगे, इतना बड़ा काम किया है। जब शिक्षा बढ़ेगी तो अपने आप ही हमारा राजस्थान प्रदेश और आगे बढ़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कई काम किये हैं। जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन नहीं हैं, जहां पर पीएचसी के भवन नहीं हैं, जहां पर सीएचसी के भवन नहीं हैं, वहां पर आलीशान बिल्डिंगे बनाकर वहां पर आने वाले मरीजों का इलाज करने का काम किया है। यहां तक कि डिलेवरी पीरियड में जिन महिलाओं को गांवों में हास्पिटल जाने के लिये कोई सुविधा नहीं होती थी उनके लिये माननीय वसुंधरा जी ने 104 नंबर एम्बुलेंस फ्री चालू कर के उनको सुविधा दी। सीधे हास्पिटल से गाड़ी आयेगी और उस महिला की देख रेख करने के बाद, चिकित्सक की सलाह के बाद में उसको नि:शुल्क घर छोड़ने जायेगी, इतना बड़ा काम वसुंधरा जी ने किया। किसी भी गरीब महिला की डिलेवरी होती है और उसके पास जापे का खर्चा नहीं हो तो 6 हजार रुपये देकर उसके जापे का खर्चा भी सरकार ने वहन करने का काम किया है। इतना बड़ा काम हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है। निश्चित रूप से लोगों को यह सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। मैं जितनी बात करना चाहूंगा वह कम पड़ेगी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के क्षेत्र में जो काम वर्तमान में हो रहे हैं, आज जहां फ्लोराइड युक्त पानी हैं वहां पर आरओ लगा कर इस सरकार ने शुद्ध और स्वच्छ जल देने का काम किया है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा सड़क के तंत्र में जितना काम होना चाहिये उससे ज्यादा हो रहा है। मुझे 55 किलोमीटर सड़क मिली है। उस सड़क पर आने जाने वाले लोग कहते हैं कि कितनी बढ़िया सड़क बनाई हैं। हमारे यहां नोन पैचेबल जो भी सड़कें हैं, उनको भी बनाने का

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

काम चल रहा है। यहां तक कि गांव में जब हम कीचड़ से सने हुए पाँव लेकर किसी दुकानदार के यहां जाते थे तो वह कहता था कि इस दरी पर पाँव मत रखो, आपके जूते बाहर खोल कर आओ। लेकिन जब से गौरव पथ बनाने का काम किया और राजस्थान में गांवों का विकास हुआ, जब गौरव पथ बनता है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगती है कि हमारा गांव कभी कीचड़ से सना हुआ होता था और आज सीसी सड़क बनी हुई है और उसके दोनों तरफ नालियां बनी हुई हैं। 60-60 लाख रुपये की लागत से एक-एक किलोमीटर गौरव पथ बनाकर हमको दिया है। सिर्फ गांवों में ही नहीं, शहरों में भी शहरी गौरव पथ बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। हमने मिसिंग लिंक सड़कों का भी प्रस्ताव दिया, वह काम भी मंत्री महोदय और वसुंधरा जी ने मिलकर इस प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ढाई ढाई करोड़ रुपये से शहरों में जो गौरव पथ बन रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 60-60 लाख रुपये की सड़क बन रही है, उसके लिये बहुत बहुत आभार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा प्रधान मंत्रीजी ने और वसुंधरा जी ने एक संकल्प लिया था कि हमारा देश और प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिये। जब गरीब लोग कांग्रेस के शासन में पेंशन प्राप्त करते थे डाकिया चार महीने की पेंशन लेकर जाता था, चार महीने पर हस्ताक्षर करवाता था, दो महीने का पैसा देता और दो महीने का अपनी जेब में रख लेता। डाकिये मालामाल हो गये, लेकिन इस स्थिति को परिवर्तन करने के लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलाया और खाता खुलाने के बाद में पेंशन का पैसा खाते में जायेगा। नरेगा का पैसा खाते में जायेगा, अनुदान का सारा पैसा खाते में जायेगा और जब सारे के सारे पैसे बैंकिंग प्रणाली से खाते में देने लेने का काम होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। गरीब व्यक्तियों का अनाज, शक्कर, तेल, कैरोसिन, गेहूं, में भ्रष्टाचार करके कई लोग मालामाल हो गये। जितने भी डीलर थे, वह करोड़पति हो गये और करोड़पति होने का कारण था कि गरीब व्यक्तियों का गेहूं, शक्कर और केरोसीन वह डीलर खा जाता था। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, पोस मशीन के माध्यम से

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जब अंगूठे का प्रिंट आयेगा, परिवार का कोई भी व्यक्ति लेने जायेगा उसका अंगूठे का प्रिंट आयेगा उसके बाद ही उसको गेहूं और शक्कर दी जायेगी। गरीब व्यक्तियों को इस प्रकार से यह अनुदान की राशि और अनुदान का सामान देने का जो काम किया है, वह हमारी सरकार ने किया है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिये हम सब कृत संकल्प हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा के लिये, जीवन को सुरक्षित करने के लिये प्रधानमंत्री पेंशन बीमा योजना और प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कई ऐसी योजनाएं चालू कीं कि अगर किसी गरीब आदमी की घटना-दुर्घटना में मृत्यु हो जाये तो उसके छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिये अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो सरकार उसके साथ रहेगी। प्रधान मंत्री बीमा योजना के तहत अगर दुर्घटना में मरेगा, जिसने 12 रुपये का बीमा कराया उसको 2 लाख रुपये का बीमा दिया जायेगा। अगर 330 रुपये का बीमा है तो सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये दिये जायेंगे और दुर्घटना में मरेगा तो उसको 4 लाख रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने यह काम किया है। आज तक तो लोगों का बीमा होता है, बिल्डिंग का बीमा होता है, होटल का बीमा होता है, कपड़े की दुकान का बीमा होता है, लेकिन किसान की फसल का कभी बीमा नहीं होता था, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने डेढ़ परसेंट और दो परसेंट में फसल बीमा योजना लागू करके हमारे किसानों को जिंदा रखने का काम किया और फसल का पूरा पूरा पैसा देकर उनको मालामाल करने का काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। प्रधान मंत्रीजी ने यहां तक कहा जब व्यक्ति के खून की जांच होती है तो हमारे किसान की कृषि भूमि की भी जांच होनी चाहिये कि उस जमीन में कौन-कौन से तत्व छिपे हुए हैं। हमारे कृषि मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी ने और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मिट्टी की जांच कराओ और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे इस प्रदेश में सोइल हैल्थ कार्ड दिये गये और 77 लाख 17 हजार सोइल हैल्थ कार्ड हमारे प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि बीमा के तहत किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम किया है और कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार कृषि एग्रोमीट कोटा, जयपुर...

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चार मिनिट और बस, उदयपुर कोटा और जयपुर में एग्रोमीट आयोजित करके किसानों को कृषि के क्षेत्र में नये आयाम देने का काम किया, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय प्रधान मंत्रीजी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिये हम कृतसंकल्प हैं। यदि स्वच्छ भारत होगा तो भारत अपने आप स्वस्थ हो जायेगा। यह आपने कभी नहीं किया। मलिंगा जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इस अभियान से जुड़ जाओगे, अपने मन की स्वच्छता को ले आओगे तो आपका भी कल्याण हो जायेगा। जब तक मन को स्वच्छ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रदेश में 24 जिलों को ओडीएफ किया गया है, बाकी शेष जिले ओडीएफ होने की तैयारी में है। हमारे इस राजस्थान प्रदेश में अब तक 77 लाख 45 हजार शौचालय का निर्माण हो चुका है।

पट्टा वितरण का काम - वह गरीब आदमी, जो दूर-दराज में, जिसके मकान का कभी पट्टा नहीं बनता था। उसको पट्टा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा अभियान चलाकर अब तक 8 लाख 50 हजार पट्टे देकर हमारे उन ग्रामीण भाइयों का भला किया है, जिनके पास जमीन तो थी। लेकिन उसका अधिकार, उसका पट्टा उसके पास नहीं था। ऐसा काम हमारी सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात और निवेदन करना चाहूंगा।

भामाशाह स्वास्थ्य योजना इतनी बड़ी योजना इस देश के अंदर सबसे पहले चली और लगा कि इस योजना से क्या होगा? जब इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं। उस गरीब के आंसू पोंछने का काम यदि किसी ने किया है। उस बीमार व्यक्ति का भला किसी ने किया है, वह हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने किया है। दो बात और कर रहा हूं। मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आदमी गरीब है और कभी बीमार हो गया है। उसका इलाज कौन करायेगा? वसुंधरा जी ने इलाज कराने का काम किया। 30 हजार से लेकर अगर 3 लाख रुपये भी लगते हैं तो वह

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

इलाज कराकर स्वस्थ होकर अपने घर लौटता है तब उसके चेहरे पर खुशी होती है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मुझे आज या तो मेरा घर गिरवी रखना पड़ता या मुझे उधार लेने की आवश्यकता पड़ती।

एक बड़ा काम और किया। श्रमिक कार्ड योजना प्रारंभ की। कांग्रेस के भाई कहते हैं कि क्या किया? सबसे बड़ा काम श्रमिक कार्ड का किया है। उस योजना को यदि आप लागू कर दोगे तो आप का भी भला हो जायेगा। यदि इस प्रदेश में गरीब, मजदूर और बीमार का किसी ने सोचा, किसान का किसी ने सोचा तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने सोचा है। जो श्रमिक बेचारा मजदूरी करता था। बिल्डिंग बनाता था, लेकिन उसके बच्चों के पढ़ने के लिये पैसा नहीं होता था। उसके स्वास्थ्य के लिये पैसा नहीं होता था। उसके रहने के लिये छत नहीं होती थी। उसके यहां डिलीवरी होती थी, तो उसके लिये पैसा नहीं होता था। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलता था। मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं कि श्रमिक कार्ड के माध्यम से श्रमिक के परिवार में डिलीवरी होती है। बच्चा होगा तो 20 हजार रुपये और बच्ची होगी तो 21 हजार रुपये देकर, उसके यहां जापे का सामान लाने का काम किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में, छठी से लेकर सोलहवीं क्लास तक बच्चा या बच्ची पढ़ेगी तो उसको 8 हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति देकर उन्हें पढ़ाने का काम सरकार कर रही है। अगर गरीब व्यक्ति के बच्चों का ट्रेनिंग में नंबर आ गया तो ट्रेनिंग के लिए उसको 25 हजार से लेकर 35 हजार रुपया सालाना छात्रवृत्ति देकर उसकी ट्रेनिंग भी सरकार करायेगी। उसके परिवार में बच्ची 18 साल की हो गयी है। 8वीं तक पढ़ी भी है तो उसका रोजगार लगाना है या शादी करनी है तो 55 हजार रुपये सरकार के खजाने से, उसका पक्का मकान नहीं है तो डेढ़ लाख रुपये देकर पक्का मकान, यदि वह बीमार हो गया तो तीन लाख रूपये तक का उसका इलाज। यदि वह दुर्घटना में मर गया तो 5 लाख रुपया और यदि अंग भंग हो गया तो 3 लाख रुपया और सामान्य मृत्यु भी हो गयी तो 2 लाख रुपया। श्रमिकों को इतनी बड़ी योजना देकर वसुंधरा जी ने जो पुण्य कमाया है,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

भूतो न भविष्यति। इतना बड़ा काम कोई सरकार नहीं कर सकती है। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

अंत में, एक और निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने यह ध्यान रखा कि हमारा प्रदेश हमेशा सूखे से जूझता रहता है। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया और लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़कर गांव-गांव के अंदर छोटे-छोटे डैम और नाड़े बनाकर इस धरती को रिचार्ज कर पेयजल समस्या का समाधान करने का काम किया है।

हमारे भाई नादानी की वजह से झगड़ते थे। रेवन्यू के लाखों मुकदमे थे। वे रेवन्यू के मुकदमे नहीं निपटते थे और वे दस-बीस साल लगातार कोर्ट के चक्कर लगाते थे। 'न्याय आपके द्वार' घर पर भेजकर पंचायत मुख्यालय पर न्याय आपके द्वारा चालू कर 3 वर्षों के अंदर 96 लाख राजस्व मुकदमों का निस्तारण करने का काम यदि किसी ने किया है तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने किया है।

अपना खेत, अपना काम योजना - मैं हमारे राठौड़ साहब, पंचायती राज मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना खेत, अपना काम योजना प्रारंभ करके अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत काश्तकार को 3 से 4 लाख रुपये देकर, यदि किसी किसान की जमीन गहरी है तो उसका भराव करने का पैसा, ऊंची है तो उसका लेवल करने का पैसा, पक्के धोरे बनाने का पैसा और यहां तक कि पशु भी पक्की छत के नीचे रहे, इसलिए कैटल शैड बनाने का काम किया। इतना बड़ा काम यदि किसी ने किया है तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। बिजली के क्षेत्र में जो हमने काम किया है। इसमें यदि हम बात करेंगे तो हमने अभी-अभी 1 लाख 77 हजार कृषि कनेक्शन देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। 23 लाख 95 हजार घरेलू कनेक्शन दिये और यहां तक कि प्रदेश के किसानों को बिजली के अंदर अनुदान दिया। हमारी सरकार ने 26 हजार, 125 करोड़ रुपये का अनुदान देकर किसानों का भला करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इतने बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं। लगातार 4 साल से प्रदेश में हमारी सरकार है। जो विकास हुआ है, विपक्ष को वह विकास नहीं दिखता है, क्योंकि धृतराष्ट्र बनकर आंखों में

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पट्टी बंधी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र में जाइए। लोग आपको कितना धन्यवाद देंगे? महामहिम कल्याण सिंह जी साहब ने यह जो अभिभाषण पढ़ा और यहां रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान का चहुंमुंखी विकास होगा। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका आभार। दिनांक 5, फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के संबंध में मेरा निवेदन इस प्रकार है। महोदय, सरकार ने पिछले चार वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल स्वावलंबन के तहत सीएडी द्वारा पक्के खाले बनाये गये व पंजाब में हरिके बैराज पर गंग नहर व आई.जी.एन.पी. नहर के समस्त गेट बनाये गये। मैं सरकार का और माननीय संबंधित मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद देती हूं। महोदय, इसके अलावा मेरे क्षेत्र में विकास कार्य गिनाने के लिये और कुछ नहीं है। महोदय, पिछले चार वर्षों से किसान की मांग में पंजाब में फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण किया जाए। सदन में मैंने बार-बार मांग रखी है, पर उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। आज दिनांक तक फिरोजपुर फीडर की डीपीआर ही तैयार नहीं की गयी। यह कैसा राज है? मेरे क्षेत्र में ज्यादातर किसान भाई रहते हैं। मान्यवर, गोमावाली माइनर आई.जी.एन.पी. नहर में से निकलता है और इसी एक वर्ष 2017 में चार बार टूट चुकी है। मंत्रीजी ने खुद मौका मुआयना किया। आज दिनांक तक उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। सरदारपुरा-बीका माइनर के लिये मैंने मांग रखी। ठिचिया माइनर अभी तक कच्चा पड़ा है। वह क्षेत्र सिंचित इलाका होने से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी नहरें फर्स्ट फेज, सैकिण्ड फेज, थर्ड फेज, ये जो आंकड़े गिना रहे हैं। कागजी आंकड़े गिना रहे हैं। कृपया धरातल पर उतरिये और देखिये कि बहुत-सी नहरें कच्ची पड़ी हैं। मैंने रेगुलेशन के लिये बार-बार सरकार को अवगत कराया है। माननीय मंत्री महोदय जी को अवगत करवाया कि आई.जी.एन.पी. नहर के रेगुलेशन के लिये..।

(श्रीमती सोनादेवी)

हनुमानगढ़ के माननीय सदस्य भी विराजमान है और इक्के-दुक्के गंगानगर के माननीय सदस्य भी बैठे हैं। हम समस्त विधायकगणों की एक ही मांग रहती है कि रेगुलेशन चार में से दो समूह में चलाया जाना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव माननीय सदस्यों का मान्य नहीं है तो उस रेगुलेशन कमेटी में हमारे मौज़ूद होने का क्या तात्पर्य है। उस रेगुलेशन बैठक में हमें या तो बैठने नहीं दिया जाए और अगर हमारी सदस्यता वहां पर दी है तो हमारे प्रस्ताव को भी माना जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। मिशन क्या है यह सबको बता दो, कुछ को बजट मैं दूं, कुछ को आप दे दो, फिर देखना विकास का कैसा भूचाल आएगा। पूरा राजस्थान तो क्या पूरा इतिहास लहराएगा, दोहराएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद पेयजल की। पेयजल की स्थिति तो नियम 50 के अंतर्गत आपके ध्यान में आ ही गई। 30 जनता जल योजनाएं लंबित पड़ी है। तीन विभागीय प्रस्ताव है वह लंबित पड़े हुए हैं। बीएडीपी प्लान का करोड़ों रुपये का बजट, चार जिलों गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में सन् 2016-17 में 28 करोड़ रुपये, 2017-18 में 63 करोड़ रुपये, 2018-19 में 21 करोड़ रुपये का प्लान किया जा रहा है लेकिन स्थिति धरातल की यह है कि बोर्डर एरिया का 0 से 10 किलोमीटर का एरिया व बीएडीपी के सैनिक आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं, मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी।

गंगानगर जिले में गर्वनमेंट मेडीकल कॉलेज, मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ जिले में भी गवर्नमेंट मेडीकल कॉलेज नहीं है। दोनों जिलों में मेडीकल कॉलेज नहीं है। गंगानगर जिले में तो भामाशाह माननीय बी डी अग्रवाल जी ने बैंक गारंटी दी थी। सरकार का ध्यान कहां है? हम दोनों विधायकों ने समर्थन भी दिया था राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में। बैंक गारंटी देने के बाद भी गंगानगर ज़िले की जनता 56 दिनों से धरने पर बैठी है। कहां है मेडीकल कॉलेज मैं यह जानना चाहूंगी? गंगानगर जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र है। यह गंगानगर जिले में है। एक भी गवर्नमेंट महाविद्यालय नहीं है, इसकी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

(श्रीमती सोनादेवी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांइट ऑफ इंर्फोमेशन के माध्यम से आज मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा था कि आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खैलीवाड़ा का एक अध्यापक, प्रिंसिपल अपनी लड़की की शादी के दिन की प्रजेंट भी स्कूल में दिखा रहा है। बेटी की शादी में है। हॉफ ईयरली एग्जाम 11-12 तारीख को भी वह मौजूद नहीं था फिर भी स्कूल में प्रजेंट दिखा रहा है। 14 दिसम्बर को बेचारे बीएसएफ वालों ने मेज-टेबल स्कूल को वितरित की फिर भी वह वहां पर मौजूद नहीं था फिर भी स्कूल में प्रजेंट बोल रही है, मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैं सरकार से चाहूंगी कि जिस तरह से समस्त गवर्नमेंट हास्पिटल में बायोमैट्रिक सिग्नेचर की व्यवस्था है उसी तरह कम से कम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायोमैट्रिक सिग्नेचर व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके साथ ही, राजस्थान में पिछले चार साल से सरसों, जौ, चना की सरकारी खरीद ही नहीं हुई। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस बार 2018 में आने वाली रबी की फसल में सरसों, जौ, चना की सरकारी खरीद हो। लास्ट ईयर है, चुनावी साल है, कम से कम इस ओर ध्यान दिया जाए।

गौरव पथ बनाए गए। श्री विजय नगर भी उपखण्ड़ तहसील है। दो साल जब गौरव पथ के फर्स्ट, सैकिण्ड फेज, थर्ड फेज लिया गया तो फर्स्ट और सैकिण्ड फेज में विजय नगर को लेना ही भूल गए। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो यह गौरव पथ बन रहे हैं यह बहुत धीमी गति से बन रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत, हैड क्वार्टर में अगर गौरव पथ बनाने है तो इस धीमी गति को तेज कीजिएगा।

भारत माला परियोजना, सड़क एक सराहनीय कदम है परन्तु स्थानीय नेताओं ने इस मार्ग को परिवर्तित कर दिया। स्थानीय नेताओं ने अपने घर की ओर ले जाना उचित समझा। अपने उद्योग धन्धों की तरफ ले जाना उचित समझा। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस मकसद से यह मार्ग बन रहा है, बोर्डर एरिया को कवर करने के लिए यह मार्ग भारत माला का, इस पर पुनर्विचार किया जाए कि यह कहां पर बनना चाहिए। शिक्षा में मोखमाला ग्राम पंचायत का ग्राम एक एलपीएम में

(श्रीमती सोनादेवी)
प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है वह केवल एक टीचर के भरोसे चल रहा है। बाइचांस उसको मेरी तरह बुखार हो गया तो स्कूल के लॉक है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, एक तो दे दीजिए। कृपया करके महिला कॉलेज दे दीजिए। अगर सरकार ने राजस्थान की समस्त ग्राम पंचायत हैड क्वाटर पर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए तो मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की, कुछ पंचायतों को क्यों भूल गए। मैं लिस्ट लेकर आई हूं, डाबला को नहीं दिया, तीस पीएस को नहीं दिया, लूणेवाला को नहीं बनाया, अडतालीस पीएस को नहीं बनाया, सैंतालीस पीएस को नहीं बनाया। यह कैसा भेदभाव है, मैं जानना चाहूंगी?

रायसिंहनगर नगरपालिका में करोड़ों रुपयों से सौंदर्यीकरण किया गया। बस स्टैण्ड का सौंदर्यीकरण किया गया। मैटेरियल गलत लग रहा है, काम गलत हो रहा है, वहां की जनता ने धरना दिया, मैं भी वहां पर मौजूद हुई। सरकार को अवगत करवाया गया लेकिन उस पर क्या। सैम्पल भी भराए गए, उसकी जांच के रिकार्ड का आज तक पता ही नहीं है कि जांच में क्या आया। सही मैटेरियल लग रहा है कि गलत लग रहा है उसका कुछ अता पता नहीं है।

बीज वितरण और खाद की बात करते हैं कि खाद वितरित की गई। अभी भाषण में बड़े-बड़े आंकड़े दिए गए। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गेंहू का बीज वितरित करते समय 50 किलो का एक बैग। माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं है, सॉरी है यहां। माननीय सिंचाई मंत्रीजी जब रायसिंहनगर आए थे तो मेरे एरिया के लोगों ने इनको इसलिए घेरा था कि यह 50 किलो का कट्टा आप बता रहे हैं यह 37 या 40 किलो का ही है। माननीय मंत्री महोदय जी ने तुरंत कलेक्टर साहब को फोन किया कि इसको तुलवाकर चैक करवाइये यह क्या है। किसान को 50 किलो का बताकर दिया गया था वह वास्तव में 37 और 40 किलो का ही निकला। कृपा करके बीज में तो कम से कम यह घोटाले छोड़ दीजिए।

मेरे एरिया की नहरों की साफ सफाई की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। माननीय सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं। ज्यादा कुछ बोलूंगी तो शायद कहेंगे नेतागीरी करती है।

(श्रीमती सोनादेवी)

क्योंकि एक बार इनसे मिलने गई तो कहा, बड़ी ही नेतागीरी करे है तू। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि करणीजी वितरिका जब से बनी है, गंगनहर की करणीजी वितरिका, उसकी सफाई आज दिनांक तक सरकार या किसी भी सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय ने नहीं करवाई। वहां के मौजूद किसानों ने करवाई है। कल या परसों शायद क्वेश्चन लगा था, उसका रिप्लाई भी यही था, माननीय मंत्री महोदय का कि खुद अपनी जिम्मेवारी भी लीजिये। नहीं, किसानों ने, किसानों के पास है क्या, कर्जा ही तो है। अध्यक्षों के पास आप शायद 22 परसेंट पैसा देते हैं, शायद वह भी कम है। नहरों की सफाई की डिसिल्टिंग के लिये, झाड़ झंखाड़ के लिये, उन नहरों के रखरखाव के लिये इस बजट भाषण में, आपके आने वाले बजट में मैं आशा रखूंगी कि आप इसमें भी देंगे। लेकिन आंकड़ों से तो मेरे को यही लगा, मेरे एरिये में मेरे को शायद चार साल में कुछ नहीं मिला। मुझे यह लग रहा है। आपस में यह छुट-पुट, आपने क्या किया, आपने क्या किया, कांग्रेस-बीजेपी, कांग्रेस-बीजेपी, क्या किया, क्या किया, यह गोदों-गोदों में आम किसान मजदूर पिसे जा रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि "अगर हो आसमां तो जमीन वालों से जलना क्या, अगर हो चाँद-सूरज तो चमक से, जुगनू से खलना क्या, बड़े हो, बड़प्पन का जरा लहजा भी तो रखो। जरा सी बात पर अक्सर यूं बच्चों की तरह उछलना क्या", माननीय मदनजी राठौड़।

आखिरी लाइन मेरी इसके ऊपर कि समय बहुत कम है, 2018 में ही चुनाव होने जा रहे हैं, मैं तो आऊं, न आऊं, कम से कम आप दोनों चाहे टूट-फूट कर ही आना, आ जाना। मैं तो, वैले दी हैं नवाज, वैले दी हैं टकरां, सादुलशहर के माननीय सदस्य गुरजण्ट सिंहजी बताएंगे या माननीय टी.टी. साहब जानते हैं इसका क्या अर्थ है। वैले दी हैं नवाज, वैले दी हैं टकरां। हर क्वेश्चन का जवाब यही आया कि वित्तीय संसाधन के अभाव में ये कार्य नहीं किये जा सकते। आंकड़े इतने बड़े-बड़े, काम आप नहीं करवाना चाहते, नाच न जाने, आँगन टेढ़ा। महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर आप सही हो, माननीय कालू लालजी गूर्जर साहब, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुदा और वक्त खुद दे देगा।

(श्रीमती सोनादेवी)

हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से अकसर मिला करते हैं, हम रोज ही आपसे मिला करते हैं, मिलते रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को बयां करते हैं, मगर आप हैं कि हम पर नजरें इनायत करते ही नहीं हैं। आप हम पर नजरें इनायत करते ही नहीं हैं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है। एक प्रिंसीपल ऐसे हैं, जिनके घर में शादी थी और उनकी वहां उपस्थिति दर्ज है। इसका आप एक सप्ताह में वापस आसन को जवाब दें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कहा है, लिख कर दे दें, मैं कार्यवाही करुंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आसन आपसे कह रहा है, लिख कर कहने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एक सप्ताह में आप वापस इसका जवाब दें। कृषि मंत्री महोदय, ऐसा कोई बीज जिसकी थैली 50 किलो की थी और 37 किलो निकला, एक सप्ताह में उसका भी जवाब दें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मुझे आसन से यही आशा थी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): देखो, मैं वैसे भी तेज नहीं बोलूंगा, क्यों अभी आप पिटे हुए हो। मुझे पता है कि राजस्थान में आज की तारीख में भारतीय जुमलेबाज पार्टी का शासन है, और भारतीय जुमलेबाज पार्टी को राजस्थान की जनता ने अभी ठोकर मारी है। मुझे आपकी ठोकर के दर्द का अहसास है, इसलिये मैं ज्यादा हमला नहीं करुंगा। मैं कोशिश करुंगा कि आपके घावों पर मलहम लग जाए और आपके दर्द का अहसास मुख्य मंत्रीजी को हो जाए। ये जो अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते तो थोड़े-बहुत अधिकारी चेंज हो जाएं, इनकी बात मानने लग जाएं, तो आठ महीने के अन्दर...।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप तो निर्दलीयों के साथ में हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं। अब आप लोग खुद निर्दलीयों के साथ, तो आपको पता होगा, आप किसके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप आपस में बात न करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब तो जनता के दिन फिर से संवरने लगे हैं, जो टूट गये थे सपने, वे फिर से जुड़ने लगे हैं, बदल दिया है जनता ने ठहरा हुआ पानी, क्योंकि चार साल पहले जो कमल के फूल लगे थे वे अब मुरझा कर टूटने लगे हैं। क्योंकि पिछले चार साल के अन्दर राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको वोट दिया, कि हम आपके वोट के बदले में आपके काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिये खड़े रहेंगे, राजस्थान के उस गरीब को, किसान को, कमजोर को और मजदूर को आपने लूटने का काम किया है। राजस्थान के अधिकारियों को आपने खुली छूट दी है। यदि आप यह कहते हैं कि हमने छूट नहीं दी है तो फिर अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि इन बेलगाम घोड़ों के लगाम डाल सको तो राजस्थान की जनता ने आपको वोट इसलिये नहीं दिया था कि इन अधिकारियों के माध्यम से आप राजस्थान के अन्दर लूट करवाओ।

आज जो हालात हैं, कभी आपकी यह पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, कभी इस पार्टी को अटल-आडवाणी के नाम से जाना जाता था। आज यह भारतीय जुमलेबाज अम्बानी और अडाणी के नाम से जानी जा रही है। आपने देश के अन्दर विजय माल्या जैसे बे-ईमानों का कर्जा माफ कर दिया लेकिन राजस्थान के उस किसान का कर्जा माफ करने में आपके चेहरे में शिकन आ गई, जिस किसान ने आपको वोट देकर इस राजस्थान के अन्दर शासन करने का अधिकार दिया था। कभी आपने सोचा कि जिस युवा से आपने वादा किया था, आपकी मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे को, एक साल के अन्दर दो लाख आदमियों को रोजगार दूंगी, नौकरी दूंगी। आपके प्रधान मंत्रीजी उस युवा को कह रहे हैं कि नौकरी की जगह पकौड़े बना ले। हमें पता है कि चाय के साथ पकौड़े खाने चाहिए। लेकिन राजस्थान के युवा से कम से कम पकौड़े तो मत बनवाइये।

आज आप इस दर्द को समझो, आज आप भाषण बोल तो रहे हैं, जिस-जिस ने यहां पर सरकार की योजनाओं का बखान किया है, पाँच-सात दिन तक अपने क्षेत्र के अन्दर मत जाना, नहीं तो जनता कपड़े फाड़ देगी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है कि लोगों ने आपको वोट दिया और उस वोट के बदले में आपने लोगों को पी पी पी दिया। क्यों, उपाध्यक्ष

(श्री धीरज गुर्जर)

महोदय, राज और राम किसी के सामने झोली नहीं फैलाता है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने स्कूलों के अन्दर जगह-जगह पर पेटियां रख दीं और जो आदमी जाता है उस सरकारी स्कूल के अन्दर, उस स्कूल के अन्दर पेटी के अन्दर उससे पैसे डलवाते हो। राज कभी मांगने के लिये पैदा नहीं होता है। राज लोगों को देने के लिये पैदा होता है। जो सरकार शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार नहीं दे सके, उस सरकार को लोगों के सामने जाकर वोट मांगने का कभी अधिकार नहीं रहता है। राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसान ने आपको अपना भगवान मानकर वोट दिया। वोट के साथ-साथ उसने आपको भावनाएं दीं। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए आपको शर्म नहीं आई। वे लोग आपको कैसे माफ कर देंगे।

कालू लालजी, हंसों मत, कैसे माफ कर देंगे आपको वे लोग और वे किसान जिनके परिवार के लोगों ने अपने गले के अन्दर फांसी का फंदा डाल कर राजस्थान के इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा, अगर किसी किसान ने आत्म हत्या की है तो इस जुमलेबाज पार्टी के इस छोटे से चार साल के शासन के अन्दर की है। आज जो हालत है, आपसे छिपी हुई नहीं है। आपके राज में कौन सड़कों पर नहीं आया। आपके राज में चाहे विद्यार्थी मित्र हों, होम गार्ड हों, अध्यापक हों, कम्प्यूटर शिक्षक हों, रीट वाला हों, पंचायत सहायक हों, डाक्टर हों, ए.एन.एम. हों, जी.एन.एम. हों, वे सब सड़कों पर आ गये हैं। आज के आठ महीने के बाद वे सड़कों पर आये हुए लोग आपको सड़कों के ऊपर ला देंगे। इसलिये मैं आपको चेताना चाहता हूं। आप लोग बयान देते हैं कि यह उप चुनाव हमारे लिये वेक-अप कॉल हैं तो अगर आप चार साल से सो रहे थे तो अब सोये रहो, अब आपका जगने का समय नहीं आयेगा।

क्योंकि आपने जिस तरह से राजस्थान को रसातल के अंदर डाला है, जिस तरह से खान घोटालों के माध्यम से आपने राजस्थान के मुंह के ऊपर कालिख पोती है और जिन अधिकारियों ने खुले आम भ्रष्टाचार किया था, जिनको ए.सी.डी. ने ट्रेप किया था उन अधिकारियों को वापस कुर्सी पर बैठाकर आपने यह साबित कर दिया है कि आप लोग भ्रष्टाचार के अंदर आ-कंठ डूबे हुए हो और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आपने वह काला कानून

बनाया? जिसके अंदर भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण देने की बात थी और एक सामचार-पत्र को मजबूर होकर आपको अपनी ताकत का अहसास कराने के लिए, जनता की ताकत का अहसास कराने के लिए, 'जब तक काला, तब तक ताला' करके आप लोगों के चेहरे ही अखबारों के अंदर छापना बंद करने पड़े हैं। आप मीडिया को धमकाते हो कि आप अगर हमारी फोटो नहीं छापोगे, तुम हमारी खबर नहीं छापोगे तो हम तुम्हारे विज्ञापन का अंशदान कम कर देंगे। कितना भी अंशदान कम कर दो लेकिन अब राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता आपका अंशदान कम कर देगी। जिस बहुमत के आधार पर आपने इस सभा को कौरवों की सभा बनाकर राजस्थान के हितों के खिलाफ फैसले किये हैं वह हितों के फैसले पूरा होने का समय आ गया है और राजस्थान के लोग आपको चलता कर देंगे।

अभी लोग यहां पर बड़ाई कर रहे थे कि हमने लोगों को राशन देने के लिए अंगूठे लगवाना शुरू कर दिये हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कभी अपने घरों से निकल कर फील्ड के अंदर जाएं और इस बात का पता करें कि जो गरीब आदमी गैंती चलाता है, फावड़ा चलता है, तगारी चलाता है, मेहनत करता है, उसके हाथों के निशान घिस जाते हैं। वह सुबह से शाम तक बैठा-बैठा उस मशीन के ऊपर अपना अंगूठा घिसता रहता है लेकिन उसको राशन उस आदमी को नहीं मिल पाता है। आपने गांव-गांव के अन्दर योजना चला दी ....(व्यवधान)....

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): आपके टाइम में तो ट्रक के ट्रक चलते थे, राशन डीलर ब्लैक करते थे। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह तो आपके क्षेत्र के लोगों से जाकर पूछना। आपके क्षेत्र के लोगों से जाकर पूछना जब बटन दबाएंगे न वोट की मशीन का तब आपको पता लगेगा कि राशन कैसे मिलता था और कैसे नहीं मिलता था।

जो बात आप कहते हो राजस्थान में शासन लेने के लिए आपने यह कह दिया कि मैं तुम्हारी समधिन हूं, कभी आपने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, कभी आपने कहा मैं बहन हूं, कभी आपने कहा कि मैं बहू हूं। हमारी समधिन से मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के गुर्जर समाज ने झोली

(श्री धीरज गुर्जर)

फैलाकर आरक्षण का अधिकार क्या मांग लिया आपने हमारी पीठ के ऊपर खून के छापे लगा दिये। जिसको बहू, बेटी, बहन माना, कभी समाज के सामने समाज खड़ा कर दिया। जाट से राजपूत को लड़ा दिया, गुर्जर से मीना को लड़ा दिया, इस राजस्थान के अंदर आपने जो ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काहे पर बोल रहे हैं?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बिलकुल सही है। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या बोल रहे हैं यह इनको खुद को ही पता नहीं है कि यह क्या बोल रहे हैं? ....(व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): किसने लड़ाया है? लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने काम किया है लड़ाने का। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपनी मर्यादा में रहें यह। ....(व्यवधान)....

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): अभिभाषण पर बोलना है तो अभिभाषण के ऊपर बोलें आप। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो काम आपने किया है, आपके कामों का परिणाम आपको मिलेगा। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किस पर बोल रहे हैं आप? ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना है। आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हो या समधी और समधिन पर बोल रहे हो? ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ....(व्यवधान).... यह काम आप लोगों ने किया है।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): आपके शासन काल में हुए है यह सारे के सारे काम।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप लोगों ने राजस्थान के भाईचारे को खतम करने का काम किया है। जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो कि नीति अपनाई थी, उसी तरह से आपने राजस्थान के अंदर फूट डालो और राज करने कि नीति अपना कर राजस्थान के भाईचारे को, प्रेम को, एकता को तार-तार करने का काम किया है इसका परिणाम आपको उप चुनावों में देखने को मिला है और जब मेन चुनाव के अंदर जाओगे तब जनता आपको इस बात का सबक सिखाएगी तब आपको अक्ल आएगी।

आज आप भामाशाह की तारीफ करते हैं। भामाशाह के अंदर भामाशाह कार्ड बना दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक दिन बैठा-बैठा जन सुनवाई कर रहा था। एक बूढ़ी माता मेरे पास आईं कि एम.एल.ए. साहब, मेरे आवास का पैसा मेरे पास अब तक नहीं आया है तो मैंने कहा कि तेरे कागज-पानड़े दिखा मेरे को तो उस डोकरी ने मेरे सामने अपना थैला उलट दिया और उस थैले के अंदर कार्ड ही कार्ड निकले। भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, रुपे कार्ड, मुद्रा कार्ड, कोई 20-25 तरह के कार्ड निकल गये। राजस्थान की जनता को आपने यह इंटरनेट वालों की दुकान पर लाइन में लगवाकर यह जो कार्ड बनवाये हैं, आपके इन कार्डों से कोई काम नहीं हो रहा है।

आज आदमी के घर में कोई बीमार हो जाता है, उसके अटैक आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है तो उस समय क्या वह अपना कार्ड ढूंढ़ेगा क्या? आज अस्पतालों की हालत क्या है? प्राइवेट अस्पताल के अंदर कभी आप जाकर देखना, कभी गांव के आदमी से पूछना कि वह इलाज करवाने के लिए जाता है तो आपने नियम में यह बाध्यता कर दी कि 24 घंटे के अंदर-अंदर अगर वह आदमी कार्ड नहीं लाएगा तो उसका इलाज फ्री में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब उसका भामाशाह कार्ड बना हुआ है, जब उसका नाम है, उसका नम्बर है तो क्यों नहीं कम्प्यूटर के ऊपर उसको सर्च कर लिया जाए? क्यों आपने यह बाध्यता कर रखी है कि अस्पताल के अंदर वह कार्ड जमा करवाएगा? सुनिये, भामाशाह कार्ड के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान के आदमी को ठगा जा रहा है, उसके कारण आपको इस बात का दु:ख होगा जब आप जाकर पूछेंगे, गांव के आदमी से ....(व्यवधान)....

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप पक्ष में हो या विरोध में? जातियों के झगड़े कितने हो गये? धीरजजी, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि जातिवाद के झगड़े किसने पैदा किये? ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप लोगों ने पैदा किये। आपके एक विधायक ने फैलाई। दूसरे विधायक पर इल्जाम लगाया। जातियों के नाम से लोगों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ....(व्यवधान)....

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह जातियों के झगड़े, आपकी पार्टी ने जातिवाद के झगड़े पैदा किये इस देश में। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारा तो झंडा ही तिरंगा है। तीन रंग हैं। हिंदू, मुसलिम, सिख, ईसाई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरजजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, दो सदस्य और एक, कुल तीन माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं या तो उनको पन्द्रह-पन्द्रह मिनट का ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरा यह कहना है कि हमारे इधर के जो माननीय सदस्य हैं, वे शायद अभी उपस्थित नहीं हैं। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: तीन सदस्य हैं। इधर से एक सदस्य हैं और दो सदस्य इधर से हैं। क्योंकि कल समय नहीं है इसलिए जो आज की सूची है उसको ले लेते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य-सूची का कार्य पूर्ण हो जाए तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय जो आज की सूची है बोलने वाले माननीय सदस्यों की, उसको पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अब अपने-आप आप पन्द्रह मिनट में विराज जाएं अन्यथा फिर मैं ....(व्यवधान)....

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं दस मिनट में ही विराज जाऊंगा। वैसे इनके काले कारनामे हैं। मैं कितना ही बखान करूं, कौरवों की सभा के अंदर भीष्म पितामह खड़ा होकर कितना ही बोलता था, क्या कौरवों ने सुना क्या? ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह भीष्म पितामह। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या आप भीष्म पितामह हो? ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं नहीं हूं। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप बोल रहे हो न कि भीष्म पितामह मैं हूं। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तीर की सर-शैया पर लेटने के लिए तैयार हो जाओ। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तैयार रहो। ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो वैसे ही गागर में सागर भर देते हो। इसलिए बहुत है। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वह तो आपने तिवाड़ी साहब को लेटा रखा है। वह तो आपने तिवाड़ी साहब को लेटा रखा है।

इसलिए मैं यह कहना चाह रहा था कि पी.पी.पी. सरकार, अबकी बार जब

(श्री धीरज गुर्जर)
वोटों की मशीन की पीपीपी बजेगी जब आपकी हवा निकल जाएगी क्योंकि आपने सुबह पीया, शाम को पीया और दिन में पीया और आप पी-पी कर राज चला रहे हैं। लोग-बाग इनके पास गये कि हमारी स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं हैं तो इन्होंने स्कूलें ही बंद करवा दी। फिर लोगों ने कहा कि हमारी स्कूलों के अंदर काम करवाओ तो इन्होंने सरकारी स्कूलों को ठेके पर चढ़वा दी। राम और राज भी कभी, भगवान के मंदिर में जाए तो क्या भगवान कभी कहता है क्या मेरे जो दर्शन करने आया, उसको ठेके पर चढ़ा दो?

राजस्थान की जनता ने इनको वोट दिया और वोट लेने के बाद में यह सरकारी स्कूलों को, गांव का गरीब आदमी कल्पना करता है कि मेरे बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो पैसे नहीं लगेंगे और इन स्कूलों को आप धन्ना-सेठों को चलाने के लिए दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। कभी पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर के अंदर आप लोग पार्टनरशिप करवाना चाहते हो, आप लोगों ने कर रखी है अंबानी, अडानी से पार्टनरशिप। कम से कम पब्लिक की तो उनसे पार्टनरशिप मत करवाओ। लोगों की जेब काटने का काम मत करो।

अस्पतालों के अंदर, आज आपसे लोगों ने कहा कि हमारे अस्पतालों के अंदर डाक्टर लगाओ तो आपने अस्पतालों को ही ठेके पर दे दिया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अब प्रतिपक्ष को भी पी.पी.पी. पर देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अबकी बार हम उधर आएंगे और आप जब इधर आओगे तब आप लोगों की संख्या हमसे भी कम होगी। ....(व्यवधान)....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष भी अबके पी.पी.पी. मोड पर ही जाएगा। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने गांव-गांवों के अंदर, हमारे जहाजपुर की एक विकास अधिकारी ने लाड़ीजी के खेड़ा गांव वालों का राशन बंद कर दिया। मैंने फोन किया कि भाई, राशन क्यों बंद किया तो उसने कहा कि इन्होंने शौचालय अभी तक नहीं बनाये हैं। तो मैंने कहा कि गांव में पीने का पानी नहीं है। आज राजस्थान के अंदर ऐसे गांव 50 परसेंट होंगे, जिन गांवों के अंदर महिलाओं

(श्री धीरज गुर्जर)

को एक-एक, दो-दो किलोमीटर चलकर अपने सिर पर बेवड़े रखकर पानी लाना पड़ता है। हैंडपम्पों से पानी पीना पड़ता है, उन गांवों के अंदर आप शौचालय बना रहे हो। सिर्फ अपने जिन आकाओं से आपने विदेश से पैसा लिया है, उनकी परफोरमेंस दिखाने के लिए कि हमने इस पैसे को पूरा खर्च कर दिया है और अब तक गांव के लोगों को आप किश्तें नहीं दे रहे हो। प्रधान मंत्री आवास का भी यहां पर गुनगान कर रहे थे। आपकी छाती पर हाथ रखकर बताओ कि जिस गरीब का मकान कच्चा है, जिसकी झोंपड़ी टूटी हुई है, उस गरीब के प्रधान मंत्री आवास नहीं आया है। जिसके पहले से मकान है, उसके मकान तो फिर भी आ गये लेकिन वह आदमी आज भी तरस रहा है और जिसको, मैं आपको उदाहरण दूंगा ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर यह गुनाह किसने किया?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप लोगों ने किया। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2011 में सरकार किसकी थी? 2011 के सर्वे के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना में मकान बन रहे हैं राजस्थान में, आपने गुनाह किया न?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जिसने भी गुनाह किया, उसको जनता ने ....(व्यवधान).... फिर आपने उसको सुधारा क्यों नहीं?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरजजी, पाप तो आप करो और उसका खामियाजा दूसरो पर डाल रहे हो। आपके पाप का परिणाम है यह।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कालू लालजी, जिसने गुनाह किया, उसको सज़ा मिली।

(18.00 बजे)

लेकिन उस गुनाह को आपने सुधारा नहीं, उसकी सज़ा अब मिलेगी आपको। क्योंकि वह गरीब आदमी, जिसने अपना मकान कर्जा लेकर खड़ा कर दिया, उस आदमी के मकान की किश्त आपने उसको आज तक नहीं दी है। वह आदमी मारा-मारा फिरता है। हर चीज को आपने ऑनलाइन कर दिया है। हर काम को आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो। गांवों के अदंर

(श्री धीरज गुर्जर)

इंटरनेट है नहीं, गांवों के अंदर सुविधाएं हैं नहीं और आपके कर्मचारी-अधिकारी मौके पर जाते नहीं हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस सदन के अदंर विधायिका ताकतवर है या कार्यपालिका ताकतवर है। आज जिस तरीके से मंत्रियों के सिर के ऊपर बैठकर यह अधिकारी नाचते हैं, आये दिन अखबारों के अंदर आता है कि फलां मंत्री का ओ.एस.डी. या फलां मंत्री का चीफ सेक्रेट्री या फलां मंत्री का सेक्रेट्री उसकी बात नहीं मानता है। इन बेलगाम घोड़ों को, क्योकि जिस तरह से अंग्रेज इस देश से चले गये थे, उनके जाने के बाद अब शासन की कलम इन अधिकारियों के हाथ में है। जिस तरह से आई.ए.एस. और आई.पी.एस. राजस्थान की जनता के ऊपर बैठकर नंगा नाच करते हैं, उनके ऊपर लगाम डालने के लिये लोगों ने आपको सत्ता दी थी, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन बेलगाम घोड़ों के ऊपर आप लगाम डाल सकें। इसलिये आपको राज छोड़कर हट जाना चाहिये और अगर आप नहीं हटोगे तो जनता आपको हटा देगी। आपके तहसीलदार, एस.डी.एम. आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। थानों के अंदर गृह मंत्री बार-बार खुद की पीठ थपथपाते हैं, आज थानों की हालत देख लीजिये।

आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं के हाथ में राजस्थान को आपने बेच दिया और उन बजरी माफियाओं के कारण राजस्थान के अंदर गेहूं से ज्यादा मंहगी बजरी हो गयी है। आज आप हालत देखिये, हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर जहां एक हजार-डेढ़ हजार ट्रैक्टर बजरी के निकलते थे ठेकेदार के टाइम पर, आज दो हजार-तीन हजार ट्रैक्टर निकल रहे हैं। हमारे जहाजपुर के तहसीलदार ने, एस.डी.एम. ने और थानेदारों ने वाट्स-एप ग्रुप बना रखे हैं और उन ग्रुपों के अंदर गाड़ियों के नम्बर डालकर प्रति गाड़ी 500-500 रुपये ले रहे हैं। अभी टी.टी. साहब कहेंगे कि हमने एक करोड़ रुपये का मुआवजा वसूल लिया। एक करोड़ रुपये का मुआवजा वसूलने से क्या होता है? आप लोगों के कारण आज राजस्थान का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नियम लागू कर दिया तो उसके आधार पर आप दूसरा करिये। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग, लोगों को राहत दिलायें।

(श्री धीरज गुर्जर)

जिस तरीके से आप आज कह रहे थे कि बजरी के माध्यम से हम लोग छूट दे देंगे, सरकारी कामों के अंदर करने के लिये खेत में इकट्ठी कर लें, इससे राजस्थान के अंदर बजरी माफिया और ज्यादा पनपेगा। एक बार इसका रिव्यू करवा लीजिये। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान में जो आज हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर आप इस बात को मानकर चल लेना, बार-बार आप यह कहते हो कि कांग्रेस के 21 आये, हम तो 21 से 25 हो गये, लेकिन आप जितने आये हो न, उसके 10 प्रतिशत भी इस विधान सभा के अंदर नहीं रहोगे और रिकार्ड रहा है, 17 प्रतिशत जीतकर वापस आये हैं आज तक। कांग्रेस हो या विपक्ष हो, 17 प्रतिशत आदमी जीतकर वापस आये हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, आठ महीने हैं, राजस्थान के लोगों को आपने जो घाव दिये हैं, उनको घावों के ऊपर मरहम लगाने का मौका आपके पास है, आप मरहम लगाइये।

राजस्थान के लोगों से आप बिजली का वादा करते हो, आज किसान अपनी आंखों से खून के आंसू निकाल रहा है। आप लोगों ने बिजली का जो करंट उस किसान को दिया है, मैं कोई विरोध करने के लिये खड़ा नहीं हूं, विपक्ष इसलिये नहीं है कि आपका विरोध करें, आपकी खिल्ली उड़ायें। विपक्ष इसलिये है कि आपको चेताये कि आपके माध्यम से लोगों की जो सेवा होनी चाहिये थी, वह सेवा लोगों की हो नहीं पा रही है। आज बिजली का किसानों से आपने वादा किया कि हम आठ घंटे बिजली देंगे, उस किसान को चार घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हालात आज राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, गरीब लोग, किसान, मजदूर और जवान सड़कों पर खड़ा हुआ है और इस बात की राह देख रहा है कि कब इस सरकार से हमको मुक्ति मिलेगी। मैं तो अब भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली इस सरकार को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो डूब मरो या जनता के काम करो। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ चर्चा करने के लिये आपने समय प्रदान किया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। पिछले साल बड़े प्रयास करने के बावजूद भी अफसोस है कि महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का वक्त नहीं मिल पाया था, पुन: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी चर्चा हो चुकी। सत्ता पक्ष ने चार साल की उपलब्धियां गिनायी हैं। मेरे विपक्ष के भाई उसमें कमियां देखते हैं, लेकिन सबसे मोटी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि चार साल बीत जाने के बाद में जो महामहिम का अभिभाषण आया है, उसके गुण-दोष में मैं नहीं जाकर इतना कहना चाहता हूं, इसमें लिखा है तीसरे पैराग्राफ में 'जनता में सरकार की नीति व नीयत के प्रति विश्वास एवं आस्था और अधिक मजबूत हुई है।' विपक्ष इसको दूसरी नजर से देख सकता है, लेकिन यह जितनी भी नीतियां हैं और जितनी भी नीयत है सरकार की, और जो भी चार साल की उपलब्धियां हैं सरकार की, वह सारे काम जनता के लिये होते हैं और राजस्थान की जनता ने चार साल की इस सरकार के कार्यकाल पर एक ऐसी बेमिसाल मोहर लगायी है कि मुझे तो अचम्भा आता है। मुझे अचम्भा होता है सत्ता पक्ष पर, तमाम मंत्रीगण पर और इन सब विधायकों पर, जो इस अभिभाषण की बड़ाई-बड़ाई करते हैं। राजस्थान की जनता ने जो निर्णय किया है, उससे यह साबित होता है कि चार साल में जनता के साथ केवल छलावा किया गया है, गलत आंकड़े बताये गये हैं और उन्हें भ्रमित किया गया है। और यही कारण है कि तीनों उप-चुनावों में तमाम सरकार के प्रयासों के बावजूद जनता ने एक ऐसा करारा तमाचा इस सरकार के चार साल के कार्यों पर दिया है। इससे पहले यह कभी नहीं हुआ कि दो-दो लोक सभा उप-चुनाव हुए हों और उसकी समस्त विधान सभाओं में सत्तारूढ़ दल की इस तरह दुर्गति हो। मैं तो इसी से इसका आकलन कर सकता हूं।

अब मैं उस बात पर आता हूं और इसमें से छोटे-छोटे बिन्दु आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। पैरा नम्बर 7 में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिखा है -'प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन, सूचना और प्रौद्योगिकी सहित

(श्री नवीन पिलानिया)

सभी क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक कार्यों के परिणामस्वरूप' इसमें कृषि का जिक्र ही नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सारे विभागों पर सरकार क्या खुद मानती है, कृषि मंत्री महोदय इस वक्त सामने विराजमान हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं तो अभी इतना प्रभावित हुआ रायसिंहनगर की माननीय सदस्या, जो अपना वक्तव्य दे रही थीं, इतनी दर्द भरी और सच्चाई से वह बयान कर रही थीं। मैं कोई भी गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा अफसोस है कि कृषि प्रधान राजस्थान में महामहिम के अभिभाषण के सातवें पैरा में कृषि विभाग का, कृषि का जिक्र तक नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप पैरा 23, 24, 25, 26 पढ़िये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): श्रीमान् वह आपको ऐसा आइना बताकर गयी हैं आज। एक महिला सदस्य ने माननीय मदन जी, मुझसे कुछ मत कहलवाइयेगा। जो मैं कह रहा हूं उसमें पढ़कर बताइये न आप। आप पैरा नंबर 7 निकाले।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं कह रहा हूं 23, 24, 25 देखिये आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 23, 24 मुझे क्यों बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, उसको पढ़िये न। कमाल की बात करते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय महिला सदस्य से तो मुकाबला कर नहीं सके, अब इनसे करोगे?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे अचम्भा होता है और अब मैं जरा उस बात पर आता हूं केन्द्र सरकार का अभी बजट आया है। यह सोचा था माननीय प्रधान मंत्री महोदय के दिल में बड़ा दर्द रहता है, मन की बात करते हैं। गांव, ढाणी और किसान के लिये कोई ऐसा बजट आयेगा, वह टकटकी लगाये हुए किसान इन्तजार कर रहा था, लेकिन यूनियन बजट आने से पहले आर्थिक समीक्षा आयी, 29 या 30 तारीख को इकोनोमिक सर्वे आया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इकोनोमिक सर्वे यह कहता है कि जो कृषि विकास दर थी, जो पिछले साल 5.9 प्रतिशत थी और इस आने वाले साल में, 2017-18 में वह 2.8 और

घट गयी और अब वह 2.1 ही बचेगी।

जब यह हालात थे, ...(व्यवधान)... साहब, मुझे बोल लेने दीजिये, जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अगर यह आंकड़ा गलत है तो मेरे से सवाल-जवाब करियेगा। 2.1 प्रतिशत रह गयी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और फिर इस बजट में आप देखियेगा पहली दफा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वह कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में जो भी फसलें हैं, उनकी लागत का डेढ़ गुना एम.एस.पी. हम देंगे, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि उनकी लागत की डेफिनेशन क्या है, वह निकाली कैसे जाएगी, जिसके ऊपर आप 50 प्रतिशत देंगे। यह पहली दफा हुआ है और यही नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक और विशेष बात हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, उनकी जो बेसिक ड्यूटी है, उसको 2 रुपये प्रति लीटर से घटाया और जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी है, उसे छः रुपये प्रति लीटर से घटाया और सारे चैनल्स में यह आया कि महंगाई कम हो जायेगी और पैट्रोल और डीजल के दाम कम हो जायेंगे लेकिन उसके साथ-साथ एक जुमला चिपका हुआ था कि जो एडीशनल सेस है इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड्स के लिए, उसको आठ रुपये पर लीटर की दर से लागू किया जाए। अचम्भा है ऐसी धोखेबाजी कभी नहीं देखी गयी। जब एक तरफ आप गिनाते हो कि दो रुपये और छः रुपये प्रति लीटर घटाया गया है और उसके साथ में एडीशनल सेस लगा देते हो जो आठ रुपये प्रति लीटर की दर से लगना है।

विडम्बना है, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व वित्त मंत्री...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): किसान पर नहीं लगा है। कार पर लगा है 8 परसेंट, आप पर नहीं लगा, किसान पर नहीं लगा। किसान तो चलाता नहीं है। डीजल के पम्प सैट ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप बहुत विद्वान हैं। आपकी बारी आए तब आप खुलासा कर दीजिएगा। मेरा समय जाया मत करिएगा। जब आपकी बारी आए, खुल कर बोलिएगा। मेरा खण्डन करिएगा। बताइएगा मैं जो गलत बोल रहा हूं। यह तो व्हाट्स एप पर चल रहा है लेकिन आप लोग देखना नहीं चाहते।

(श्री नवीन पिलानिया)

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने में थे, यशवन्त सिन्हाजी, उन्होंने कहा है कि "Yashwant slams agri-budget claim as an 'eye-wash" आँख में धूल झोंकने की बात आपके पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। यही नहीं कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि, @It is an exercise done" मेरा समय क्यों जाया कर रहे हो? मैं गम्भीर बात कर रहा हूं। Ex-finance Minister has also said, I am quoting him, "An exercise done without application of mind. यह मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कहा है, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टिर ने, कि बिना दिमाग लगाये ही इस चीज पर अमल किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत के इतिहास में पहली दफा हुआ है जब केन्द्र का बजट, रेलवे बजट और प्रेसीडेंशियल एड्रेस पर, केवल तीन दिन का समय संसद में बहस करने का दिया गया है। आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा। वरना हमेशा यह होता था कि प्रेसीडेंशियल एड्रेस पर तीन दिन बहस चलती थी। यूनियन बजट पर तीन दिन बहस चलती थी और रेल बजट पर तीन दिन बहस चलती थी। इतनी घबराई हुई है केन्द्र सरकार, कि तीनों पर तीन दिन में बहस निपटाना चाहती है। यह तो केन्द्र के हालात हैं, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है और वह की वह हालात यहां हैं इसलिए बोलने देने का समय सीमित किया जाता है। बहस होनी चाहिए। आप कहते हैं। अभिभाषण में लिखा है, महामहिम ने पढ़ा है कि सकारात्मक विचार-विमर्श होने चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं इस बात पर आता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एमएसपी की बात कही गई थी। ये आंकड़े हैं मेरे पास में। ये आंकड़े यह बताते हैं कि राजस्थान में जो लागत मूल्य निकाली गयी है, वह बाकी सब राज्यों से कम है और वह कम इसलिए है क्योंकि हमारे यहां पर कृषि की श्रम दर निर्धारित है, न्यूनतम दर। वह सबसे कम है। हरियाणा में वह 330 रुपये है। यहां जो लिखी हुई है, इस अभिभाषण में लिखी है, मजदूरी की दर, उसमें 6 रुपये बढ़ाये हैं। 201 रुपये थी, उसको 207 रुपये किया गया है। होना यह चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो लागत निकली हुई है

(श्री नवीन पिलानिया)

सरसों की वह 3086 रुपये की लागत है प्रति क्विन्टल। उसका अगर डेढ़ गुना पकड़ते है, 4630 रुपये सरसों का एमएसपी मिलना चाहिए। जबकि केन्द्र सरकार ने 3900 रुपये किये है एमएसपी। यह किसानों के साथ सरासर धोखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां की सरकार तो किसान को भूल ही गयी थी। उसका जिक्र ही नहीं है। बहुत बड़ी बात करते हैं। आज हालात यह हैं, जीएसटी की बात करते हैं, पहले नोटबन्दी वॉज ए फेलियर सर। उसके बाद में आनन-फानन जीएसटी लायी गयी। अगर जीएसटी इतनी ही सही थी तो पूरे हिन्दुस्तान के समस्त व्यापारियों ने इसका विरोध क्यों किया? अगर यह सही थी तो गुजरात चुनाव से पहले 25 से 27 चीजों पर उनकी दरों को क्यों चेन्ज किया गया? अचम्भा यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, कि फर्टिलाइजर जो किसान के काम आता है, जिसके बिना उसका गुजारा नहीं चल सकता, केन्द्र की सरकार ने 18 परसेंट जीएसटी स्लैब फर्टिलाइजर पर लगाया, जिसको घटाकर इन लोगों को 12 परसेंट करना पड़ा है। यह तो हालात हैं।

अब मैं आता हूं यहां की दशा पर। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में उल्लेख है। यही नहीं हुआ कल के अख़बार, आज के अख़बार यह बताते हैं कि यूनियन बजट आने के बाद दस साल का रिकार्ड टूटा है। जो पूरे मार्केट में सुनामी आयी है और ऐसी गिरावट दस साल में नहीं देखी गयी। जितने निवेशक थे, साढ़े बारह लाख करोड़ का घाटा हुआ है उनका। ...(व्यवधान)... मैं आपसे ज्ञान नहीं चाहता हूं। आपसे कृपया विनती करता हूं, आप अपना ज्ञान अलग से बखान करें। मेरे बीच में नहीं बोले।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जिक्र आता है। अभी बहुत गुणगान हुआ। पंचायत राज मंत्री विराजमान हैं। इतना गुणगान हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान में मैंनें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत शिविरों में गया। लोगों से गुहार लगायी। फार्म भरियेगा। एक-एक व्यक्ति के हजार-हजार रूपये खर्च हो गये। तीन-तीन ब्ल्यू प्रिंट, स्टॉम्प पेपर, दस्तावेज और सैंकड़ों की तादाद में हर गांव में फार्म भरे गये थे और उनका नतीजा क्या निकला है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उल्लेख है..।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नतीजा यह निकला है माननीय सदस्य। साढ़े आठ लाख लोगों को पहली बार, शिविर लगाकर राजस्थान के इतिहास में पट्टे बांटे गये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यहीं आ रहा हूं। माननीय इतना तो मैं पढ़ना जानता हूं। यही बता रहा हूं। आपने लिख रखा है कि 8 लाख 50 हजार से अधिक पट्टे वितरित किये गये। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, राजस्थान में कितने गांव हैं? यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। मेरे अंदाज से जो रिकॉर्ड में दर्ज है, वह 43 हजार 283 गांव हैं और जो साढ़े आठ लाख का आपने आंकड़ा बताया है ना, उसको अगर प्रति गांव निकाला जाये तो 19 पट्टे गांव में दे पाये। 19 पट्टे और फिर आप अपनी बात को थपथपाते हो। 19 पट्टे का औसत है, जो आपने दिया है। सैंकड़ों की तादाद में फार्म लगे। यह मैं आपको बताता हूं। यह धरातल की असलीयत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उल्लेख है। इसमें इसी तरीके से राजस्व, न्याय आपके द्वार का उल्लेख है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय, मैं आपको सलाम करता हूं, इसमें आंकड़ा है 96 लाख राजस्व प्रकरण, यह कहां से आया? मेरे तो कल्पना से भी बाहर है, 96 लाख प्रकरण। लेकिन मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, मैं अपनी आमेर तहसील का उदाहरण बताता हूं। मन्दिर माफी के रेफरेंस हैं 375, 2007 में सरकार ने लाल स्याही से नोट डाल दिया कि ये मन्दिर माफी में दर्ज है, वो सारे प्रकरण गलत हैं। 2007 से 2018 आ गया, 11 साल निकल गये, जब 96 लाख प्रकरण अगर निपटाये थे तो उन बेचारों का क्या कसूर था, वो क्यों नहीं निपटे? यह दूसरी हकीकत है। यह असलियत है, आप दिखवा लीजियेगा। रो-रो कर परेशान हो गये, रेफरेंस बना कर भेज दिये, राजस्व मण्डल, आमेर चले गये, राजस्व मण्डल ने लिख कर के दे दिया कि यह योग्य नहीं हैं, पटवारी की रिपोर्ट आ गयी, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आ गयी, तहसीलदार की रिपोर्ट आ गयी उसके बावजूद भी उनका पिंड नहीं छूट रहा है। यह दूसरी हकीकत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें यह उल्लेख है और उल्लेख इस बात का है, अभी कल ही माननीय सदस्या ने नरेगा की बहुत बड़ाई की, बहुत अच्छी योजना है, गरीब को लाभ मिलता है। कल

(श्री नवीन पिलानिया)

उनसे प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी नरेगा को देख लेता हूं। जब नरेगा को देखने में आया, इसी में लिखा हुआ है, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, इसमें यह लिखा है कि इस साल नरेगा में 38 लाख 86 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल की तुलना में, पिछले साल 43 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था और इस दफे नरेगा में 4 लाख 14 हजार परिवारों को कम रोजगार मिल पाया है, माननीय मंत्री महोदय। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 करोड़ 64 लाख मानव दिवस का सृजन इस साल हुआ है, मंत्री महोदय, पिछले साल 21 करोड़ 47 लाख मानव दिवस थे, इस दफे वो 4 करोड़ 83 लाख मानव दिवस घट गये हैं आपके। साहब, उपलब्धि तो है ही, इसमें क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 31 दिसम्बर तक के आंकड़े आते हैं। आप चाहो तो मैं टेबल कर देता हूं, उससे मिला लो, फिर पता लग जायेगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं तो उसी के आधार पर बता रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, जो पिछले साल का आंकड़ा है न, वो भी पिछले साल के अभिभाषण से है, मेरे पास है वो, मैं आपको निकल कर बता सकता हूं। वो मैंने पूरे साल का आंकड़ा नहीं बताया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... यह बोल रहे हैं एक तारीख वाला आपका आंकड़ा, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं स्पष्ट यह कह रहा हूं, मैंने यह जो आंकड़ा बोला है यह पिछले साल के महामहिम के अभिभाषण में जो आंकड़ा था वो पिछले साल का है और इस साल का आंकड़ा जो इस अभिभाषण में लिखा हुआ है, वो है। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 4 करोड़ 83 लाख मानव दिवस कम सृजित हुए हैं। पिछले साल जो खर्च बताया था वो 44 सौ करोड़ का बताया था, इस साल 3883 इसमें दिया गया है, 517 करोड़ कम। तो यह हालात नरेगा के हैं।

अब नरेगा से आगे चलता हूं। मैं जरा पेयजल पर आता हूं। ...(व्यवधान)... मैं ऐसी गौरवशाली चीजों की बात नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय पूरा हो गया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मान्यवर, मान्यवर, बस मैं अभी कनक्लूड ही करुंगा, बस अभी खतम करने ही वाला हूं। मैं सिर्फ एक मिनट पेयजल की झलक बता दूं।

पेयजल में देखियेगा, इस साल तो अचम्भा हो गया। कोई अचम्भा करेगा, माननीय सदस्यगण, मैं आप सब से पूछना चाहता हूं पी.एच.ई.डी. द्वारा आप क्या सोचते हैं इस पूरे साल में अभी दिसम्बर तक कितने नलकूप, आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं? पी.एच.ई.डी. द्वारा कितने नलकूप खोदे गये होंगे थ्री फेस? ...(व्यवधान)... इतना भी मत गिराइयेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पी.एच.ई.डी. का आंकड़ा है, शहरों में 282 और पूरे ग्रामीण राजस्थान में 1218, कुल मिला कर के 1500 जबकि 43 हजार गांव हैं। 1500 थ्री फेस बोरिंग, साहब, यह आपकी उपलब्धि है। इसमें चाल का बखान है। और सिंगल फेस बोरिंग 329, मेरे पास आपका पेज है। मेरे से आप बहस मत किया करो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप 65 पढ़ें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका पन्ना है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप पैरा 65 पढ़ो। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय यह काउंट नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप सब से यह निवेदन है कि इनके वक्तव्य में आप विघ्न क्यों डालते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): और हैण्डपम्प सोच सकते हैं, पूरे साल में हैण्डपम्प कितने हुए हैं 43 हजार गांव में? ...(व्यवधान)... मेरे पास समय ही नहीं रहता है। केवल 3546, यह तो यह आंकड़ा है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को इन्होंने कहा था इसलिए, नवीन जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ट्यूबवैल है न, आप यह पीछे कहो जो बड़ी परियोजनाएं हैं, डेमों से जो पानी लाने की है ...(व्यवधान)... वो हमने शुरुआत की है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं आपकी बात क्यों कहूं?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): इसीलिए ट्यूबवैल कम हुए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जाया हो रहा है I am not yielding.

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): देखिये, पानी की योजनाएं लायी है, बड़ी परियोजनाएं लायी है। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): I am not yielding.

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने पूछा है इसलिए बताया है मैंने।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): I am not yielding. यह मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): नहीं, आपने पूछा है इसलिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं आंकड़ा गलत बता रहा हूं तो मेरे से बात करो। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, विराज जाएं Why are you trying to lead? Why are we trying to lead him?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं If he finds something which is not true, he will rectify it. और एक बात मैं आपसे भी निवेदन करूं, आप कितने ही आंकड़े प्रस्तुत करें There are number of agencies in this Country who take audit stocks of achievements. जितने सदस्य आंकड़े बोलते हैं न, मैं आपसे निवेदन करूंगा Independent audit agencies के आंकड़े भी देखें, अनएम्प्लोयमेंट पर देख लें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेज पर देख लें, यूज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर पर

(श्री उपाध्यक्ष)

देख लें, असेंशल कमोडिटीज की अवेलेबैलिटी पर देख लें और पर-कैपिटा फूड सिक्योरिटी पर देख लें, उसके बाद में अगर आप डैलिबरेट करें तो शायद ज्यादा सार्थक होगी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अब लम्बी बात नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि परेशानी हो रही है, पीड़ा बढ़ती जायेगी लेकिन मैं करूं क्या?

अब मैं जरा स्कूल का उल्लेख करूंगा, मैं क्या बात करूं, स्कूल के बारे में मैं क्या कहूं? पी.पी.पी. मोड पर 300 स्कूल दिये जाने हैं, सरकार ने यह निर्णय कर लिया। दिये जाने का निर्णय किया है, अब निर्णय बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मेरे कहने से ये क्या निर्णय बदलेंगे। उनकी तीन हजार बीघा जमीन जायेगी और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन इतनी कीमती है कि तकरीबन दो हजार करोड़ की वैल्यू की जमीन आप दे देंगे किसी को और यही नहीं देंगे, उसके साथ में उनको पैसा देंगे। एक करोड़ पैसा देंगे अलग-अलग सालों में चल कर के। तो यह क्या हो रहा है? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सरकार की सम्पत्ति, सरकार की जमीन। ...(व्यवधान)... मेरे इलाके का स्कूल है, दिल्ली रोड़ पर पड़ता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी डी.एल.सी. दर 45 लाख रुपये बीघा है, उसको आप देने जा रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कौन दे रहा है?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, मत दीजिएगा, मैं तो यही कह रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जमीन दे कौन रहा है? यह तो बताओ जमीन कौन दे रहा है?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैंने तो जो पढ़ दिया वो बोल दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप पढ़ो, इसमें कहां लिखा है? पढ़ो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैंने तो आज पढ़ा है वो बोल दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अख़बार की खबर में मत पड़ो ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): तो खण्डन करियेगा न। जब आपका मौका आये तब खण्डन करियेगा न, उसमें परेशानी कहां आ रही है।

यही बात आरटीडीसी के लिए है। आरटीडीसी के जितने भी होटल्स और मोटल्स हैं, वह सब इतनी प्राइम लोकेशंस पर हैं, क्योंकि वह पहले से बने हुए हैं। जब इतना टूरिस्ट आता है, अभी आपने ही आंकड़े गिनाए हैं। आपकी ही किताबों में लिखे हुए हैं। जब इतना टूरिस्ट बढ़ गया है तो आपके होटल क्यों फेल हो रहे हैं? सरकार जान-बूझकर उनको फेल करना चाहती है। जनता के पैसे की जो संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले सिर्फ इतना सा कहता हूं कि इस दफा इसमें से स्मार्ट सिटी का जिक्र खतम हो गया। पिछली दफा था कि स्मार्ट गांव भी बनाएंगे। वह गांव भी गायब हो गए। बन क्या रहा है? एक द्रव्यवती नदी फ्रंट बन रहा है। जो गंदा नाला था उसका रीवर फ्रंट बन रहा है। मेरे आमेर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। उसका मावठा खाली पड़ा हुआ है। पानी डालना है तो उसमें डाल दो। उससे ज्यादा सुंदर जगह नहीं है विश्व में। सब देखने आते हैं।

जल महल का हाल, इसमें गंदे नाले का पानी ट्रीट करके डाला जाएगा। जितने ट्रीटमेंट प्लांट पहले लगे हुए हैं उनकी स्थिति देख लीजिए। जल महल में ट्रीटेड वाटर डालने के लिए पहले से प्लांट है और स्वीकृत होना था। वह सड़ता है। एक बूंद पानी जल महल में नहीं डल रहा है। जनता की कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस द्रव्यवती रीवर फ्रंट को बनाने में 1700 करोड़ रुपए लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जितने बिन्दुओं पर मैं जा सकता हूँ, वहां जाना चाहता हूं। लेकिन समय का अभाव है।

स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलें। डॉक्टरों की हड़ताल एक दफा हो गई। राजीनामा हो गया। फिर डॉक्टरों को ऐसा क्या हो गया कि सरकार के ताबे नहीं आया। माननीय चिकित्सा मंत्री, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी आया कुछ दिन पहले कि छात्रवृत्ति में ही 100 करोड़ का घोटाला हो गया। जो पास ही नहीं हुए उनको दिये जा रहे हैं, दिये जा रहे हैं। मुझे अचंभा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं, सरकार से विनती करता

(श्री नवीन पिलानिया)

हूं कि इस प्रदेश की जनता के लिए और विशेष तौर से किसान के लिए कर्ज माफी की बात थी। किसानों की समिति के साथ आपका समझौता हुआ। उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। रबी की फसल आ रही है, माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं, सदन से निवेदन करता हूं कि एमएसटी पर समूची फसल की खरीद सुनिश्चित कराई जाए। आपने समय प्रदान किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह जी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरे यह हमारे साथी, माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं यह ही मुख्य मंत्रीजी तक अपनी आवाज पहुंचायेंगे। अपने प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचायेंगे।

जिस दिन से बीजेपी की सरकार केन्द्र में और प्रदेश में बनी है, उसी दिन से इन्होंने एक ही काम किया है कि जनता को परेशान कैसे किया जाए। पहले तो इन्होंने लाकर के नोट बंदी रख दी। उससे लोगों को बेरोजगार किया। उससे फ्री हुए तब तक इन्होंने जीएसटी लाकर के रख दी। इससे अभी तक परेशानी चल रही है। बार-बार कभी किसी चीज पर टैक्स कम करते हैं तो कभी दूसरी चीज पर टैक्स कम करते हैं। इससे फ्री होंगे तो कोई नया टैक्स लाकर के रख देंगे। आप कितने टैक्स लगाएंगे?

खाना खाने के लिए जाते हैं तो जीएसटी का पैसा देना पड़ता है। कोई होटल, धर्मशाला में रुकते हैं तो जीएसटी का पैसा देना पड़ता है। मेडिकल की दवाई लेने जाते हैं तो जीएसटी का पैसा देना पड़ता है। और तो और आपने तो कफन पर भी जीएसटी लगा दी है। उसको भी आपने माफ नहीं किया है। यह जीएसटी बवाल क्या है? कौनसा टैक्स लगाकर के रख दिया?

उपाध्यक्ष महोदय, ऊपर से आपने एक चीज और लाकर के रख दी कि लोग बैंकों में चक्कर लगाते रहें। कहीं नोट बंदी में चक्कर लगे और कहीं आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड के कारण लाइन लग रही है। आपने दुनिया भर के कार्ड बना दिए। कभी यह कार्ड लेकर के आओ, कभी वह कार्ड लेकर के आओ। चिकित्सा के लिए, इलाज कराने के लिए जाते हैं तो भामाशाह

(श्री गिर्राज सिंह)

कार्ड के लिए कहते हैं। क्या फफूंद है यह भामाशाह कार्ड? क्या उससे पहले लोगों का इलाज नहीं हो रहा था? भामाशाह बीच में कहां से आ गया। आपका अगर उसमें नाम नहीं है तो आप डीएसओ के पास जाओ कार्यालय में। डीएसओ के चक्कर लगाओ। कहीं एसडीएम और तहसीलदार के चक्कर लगाते फिरें।

हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इतना अच्छा काम किया है तो आप कम से कम 40 लोग सुनते हैं, किसी चौराहे पर टैंट लगाकर के बैठ जाओ और वहां जाकर के बताओ कि इतना अच्छा काम किया है। आप इसको सरकार के अच्छे काम समझ रहे हैं? आपको कितने चुनाव हराए हैं कभी आपने इसका अहसास किया है। आप 8 उप चुनावों में से 6 चुनाव हारे हो और 2 चुनाव जीते हैं। अब आप कहते हैं कि यह हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। ऐसे ही देखते रहना कि कैसे अच्छे संकेत आएंगे। थोड़े दिन में आपको पता लगा जाएगा। आप उत्तर प्रदेश की बात मत करो। महाराष्ट्र की बात मत करो। आप राजस्थान की बात करो। यहां की बात करो। यहां पर आपको जनता ने वोट दिया है। यहां की बात करो।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा में हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं। पीपीपी मोड, यह पीपीपी में पीते ही रहेंगे या कोई और काम भी करेंगे। रात को पी लो अगर पीना हो तो। सुबह भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं। पीपीपी में पूरी सरकार लाकर के रख दी। पूरी प्रदेश की जनता को आपने पीपीपी मोड पर लाकर के रख दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पीपीपी मोड बहुत बड़ा घोटाला है। सिर्फ इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ही पार्टनरशिप करके हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं। इन लोगों को ही स्कूल दिए जायेंगे। यह इनका पीपीपी मॉडल है। सिर्फ इसी के लिए ही यह पीपीपी मॉडल चला है कि हम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को खुश करें। कैसे हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करें। इसके कारण से इनको जब कोई तरीका नहीं मिला तो पहले इन्होंने दुनिया भर के घोटाले कर लिए और जब यह थोड़ा-बहुत बचा है तो पीपीपी मोड का तगड़ा घोटाला हो जाएगा। सरकार यह काम कर रही है।

(श्री गिर्राज सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सैफहू जगह पड़ती है, 44 गांव की एक योजना थी। पहले माननीय मंत्री महोदय किरण माहेश्वरी जी ने भरतपुर में 2015-16 में मीटिंग ली। जब इन्होंने घोषणा की कि मैं 2016 में आपको पूरी पाइप लाइन कंप्लीट करके पानी दे दूंगी। 2016 निकल गया, 2017 निकल गया और 2018 भी निकलने वाली हो गई है। अभी तक इस योजना में कोई काम नहीं किया है।

हमारे माननीय मंत्रीजी भी बैठे हैं। हैंडपंपों की जब हम बात कहते हैं तो हम लोगों को हैंडपंप खोदने की परमिशन नहीं मिलती है। आपने तो हमको हैंडपंप देना ही बंद कर दिया। आपने बीजेपी वाले एमएलएज को तो हैंडपंप दिए, लेकिन कांग्रेस वाले एमएलएज को हैंडपंप नहीं दिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सबको दिए हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं, आपने भेदभाव किया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने न कांग्रेस में भेद किया है और न बीजेपी में भेद किया है। जिसने भी मांगे उनको दिए हैं। आप उनको पूछ लीजिए मेवाराम जी को। किसी को पूछ लीजिए। जिसने मुझे दिए हैं सबको हैंड पंप दिए हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैंने खुद ने मांग की थी। मैंने खुद ने लिखकर के दिया है। आज तक अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिए हो तो मैं इस सदन में घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस्तीफा देकर के चला जाऊंगा या आप इस्तीफा दे देना। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अगर आपने मेरे लिखने के बाद एक भी हैंडपंप दिया हो तो मंत्री जी आप फैसला कर लो कि या तो मैं इस्तीफा देकर के चला जाऊंगा या आप इस्तीफा दे देना। आप मंत्री पद से ही दे देना, सदस्य से मत देना। यह असत्य बात नहीं चलेगी इसमें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा पूरे सदन को कि मैंने एडिशनल चीफ इंजीनियर को अधिकार दिए थे कि जो भी माननीय विधायक महोदय 30-30 हैंडपंपों की लिस्ट दें, उनके आदेश जारी करें। आप मेरे पास नहीं आए हैं। फिर भी आपने एडिशनल चीफ इंजीनियर को दिया होगा तो वह 30 हैंडपंप आपके हुए होंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): न तो आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर ने दिए और न ही आपने दिए। आपने तो सिर्फ एक ही चीज सोच रखी है कि यह कांग्रेस के विधायक हैं और इनको कुछ देना नहीं है। कोई फर्क नहीं, नहीं देंगे तो अच्छी बात है। हमको अब चिल्लाने के लिए मौका मिलेगा। कोई बात नहीं है पानी तो हम पिला रहे हैं। आप हैंडपंप नहीं देंगे तो भी हम पानी पिला रहे हैं।

ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम व्यवस्था कर देते हैं, पर आपने जो भेदभाव किया है, यह बहुत गलत किया है। आप किसान की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बगल में से चम्बल नदी जा रही है। अगर आप पानी के बारे में इतने गंभीर हैं तो हमारे मंत्री महोदय, सिंचाई मंत्री, इतनी गंभीर बात चल रही है, और मंत्रीजी सदन में भी नहीं रहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको तो पाबंद किया जाए कि मंत्री तो कम से कम सदन में उपस्थित रहें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, हम तो इतना ध्यान रखते हैं। आपने आज एक प्रश्न लगाया और वह खानपुर मीणा वाला, उसमें मैंने तुरंत देखा कि इसमें अनियमितता है, मैंने आज ही उसमें एपीओ किया है। आप क्या बात करते हैं, कांग्रेस वालों का ध्यान कैसे नहीं रखते हैं? जो भी सही है उनको सही करते हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद देते हैं आपको इस बात के लिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको धन्यवाद देंगे। बुरा काम करेंगे तो आपकी बुराई भी करेंगे। मैंने आपसे गलत तो कोई नहीं बोला। ...(व्यवधान)... मैंने बोला है न धन्यवाद, मैं दुबारा धन्यवाद बोलता हूं, धन्यवाद मंत्रीजी के लिए। आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी कि कांग्रेस या बीजेपी की तरह से बात नहीं की है, जो बात है वह हकीकत है वही मैंने आपको बताई है।

अभी हमारे चम्बल नदी है, चम्बल नदी का पानी जा रहा है, वह बहकर वैसे ही जाता है, सरकार अगर व्यवस्था करना चाहे पार्वती डैम में, राम सागर है, तालाबशाही है, उर्मिला सागर है, एक चम्बल लिफ्ट योजना से, मंत्री महोदया अब आ गई हैं सदन में, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक लिफ्ट योजना से हमारे पूरे जिले का उद्धार हो जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की कोई कमी नहीं है। जब चम्बल का पानी बहकर

जाता है तो वह पानी किसान के अगर काम में आ जाए। आप बात कर रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी करेंगे, कब करेंगे, आप 2019 की तो बात करते नहीं हैं, 2022 में करेंगे। 2022 का सपना आपने सोचा है कि 2022 में आप दुबारा लौट कर आएंगे। आपके कर्म तो ऐसे हैं कि कल अगर आप चुनाव करा दें तो आप सब के सब हारेंगे, आप 2022 की बात कर रहे हैं कि 2022 में करेंगे। जो भी घोषणा होगी वह 2022 में होगी। ...(व्यवधान)...।

श्री हीरालाल (निवाई): 2019 में फिर आ जाएगी सरकार।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): देखिए अलवर में आ गई न सरकार, अजमेर में आ गई न सरकार, मांडलगढ़ में आ गई सरकार? एक-दो और इस्तीफा दे दो आप तब आपको पता चल जाएगा कि कैसी सरकार आपकी आएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान के लिए इन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा। महामहिम को इन्होंने असत्य का पुलिंदा दे दिया, उनसे बंचवा दिया, इनका एक भी इसमें यह नहीं है कि किसान का जिक्र कहीं किया हो। सिर्फ किसान के लिए हर बार इस सदन में बात होती है कि हम यह करेंगे, यह करेंगे, अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं, आपने इसमें नाम भी नहीं लिया कि हम किसान के लिए यह करेंगे, आपने न कर्ज माफी का नाम लिया, कोई नहीं लिया आपने। कर्ज माफी के लिए आपने कमेटी बना दी, वह कमेटी क्या काम की है, क्या किया उस कमेटी ने अब तक यह बताओ? तब तक आपके चुनाव आ जाएंगे तो आप यह चाहते हैं कि यह ऐसे ही चलता रहे? जैसे गुर्जर आरक्षण चलता रहा जिस प्रकार से, 2007 से चालू हुआ 2017-18 हो गई, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला, इसी प्रकार से इसको भी आगे खींचना चाहते हैं। किसान की कर्ज माफी को खींचना चाहते हैं कि यह आगे चलता रहे लेकिन यह आगे चलने वाला नहीं है, लोग रोड पर आएंगे, खून खराबा होगा, इससे पहले आप सुधर जाएं कि हमको किसान के बारे में क्या करना है। किसान आदमी बहुत परेशान है। आप गो के नाम पर राजनीति करते हैं, गो माता है, आपने क्या किया अब तक गो माता के लिए, कहीं गो शाला खोली है आपने, क्या किया है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गायों की इतनी बुरी दशा हो रही है, हम

(श्री गिर्राज सिंह)

लोग इतनी व्यवस्था करते हैं उनके लिए कहीं यार से, दोस्त से, मिलने वाले से, बिजनसमैन से, वे इतनी किसान के खेत में जाती हैं, उनको इतनी लाठी देते हैं किसान कि आप गिन नहीं सकेंगे, इतनी लाठी खाती हैं। उन्होंने तार पर पत्ती लगा दी, तार लगा दिए पत्ती वाले, जैसे ही गाय खेत में जाती है वैसे ही उसका शरीर वहां से फट जाता है, पूरा शरीर से खून निकल जाता है, उसके मवाद पड़ जाती है और वह गाय खतम हो जाती है, यह स्थिति हो रही है गायों की। किसान खेत पर पड़ा रहता है रात-रात भर। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप किसके पक्ष में बोल रहे हैं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम उस गाय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आप मेरे को मत सिखाओ, मैं जानता हूं कि किसके पक्ष में बोलना है। मैं जानता हूं कि मुझे किसके पक्ष में बोलना है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): रोजड़े से बचने के लिए तार नहीं लगाएगा किसान तो क्या करेगा?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं सब जानता हूं, आप मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दो, आप इतने ज्ञानी पंडित नहीं हो गए कि आपके यहां सब दुनिया जाए ज्ञान लेने के लिए। आप कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो गए हैं, आपसे ज्यादा बहुत लोग बुद्धिमान हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि गाय के लिए व्यवस्था की जाए तो किसान भी सुखी हो जाएगा। वह भी अपने घर चैन से सोए, रात-रात भर उनके डर से खेत में पड़ा रहता है। वह गायें परेशान हो रही हैं और भूख के मारे मर रही हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था कराई जाए, चाहे अपन गोशाला खोलें या और कोई व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे धौलपुर जिले में करीबन 20 से 25 हजार गायें हैं। दूध देने वाली गाय को तो लोग घर में बाँध लेते हैं, गाय के अलावा सांड हो गए हैं, पहले तो किसान आदमी बैल को खेती के काम में ले लेते थे, तो वह काम में आ जाते थे, अब तो वह वैसे ही घूम रहे हैं फालतू, उनको कोई नहीं चराता है। उनकी यह हालत हो रही है, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई व्यवस्था करे। सरकार किसान की समस्या का समाधान

(श्री गिर्राज सिंह)

करे, किसान आदमी बहुत परेशान है। किसान के लिए आपको काम करना चाहिए। किसान के दम पर यह सरकार बन कर आई है, सरकार किसान का नाम ले नहीं रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है। गो माता के नाम पर जिन्होंने वोट ले लिए, गोमाता को भी आप धोखा दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और तो आप सदन में कहते हैं कि पवित्र सदन, इस सदन में सबसे ज्यादा असत्य बोला जाता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे यहां आईं, मैं उनसे जाकर मिला, बाड़ी के अंदर आईं, मैंने उनको लिखकर दिया कि सोने के गुर्जा वाले पुल के लिए उन्होंने पुल को दिखवाया। भरतपुर में मीटिंग हुई कैबिनेट की, उस मीटिंग में घोषणा की कि आपके सोने के गुर्जा वाले पुल को बना देंगे, उसकी घोषणा कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में बजट पेश हुआ, बजट में भी घोषणा कर दी मुख्य मंत्रीजी ने, धन्यवाद दिया हमने। दुबारा फिर बजट हुआ, फिर दुबारा घोषणा हो गई, सिर्फ कागजों में घोषणा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पुल के टैंडर भी अभी तक नहीं कराए गए, पुल बनाना तो बहुत दूर की बात है। उस पुल के टैंडर भी नहीं कराए गए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): फोरेस्ट में है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): फोरेस्ट की भी मंत्री महोदय, परमीशन आ गई। आप मलहम मत लगाओ, वह भी आ गई, वह भी मुझे जानकारी है, वह भी आ गई, केन्द्र से भी आ गई, राज्य से भी हो गई, एमपी में चली गई आपके होने के लिए वह मुझे नहीं मालूम कि एमपी में सरकार आपकी है तो भी वहां से क्यों नहीं आई। आई या नहीं आई वह तो आपके मंत्री जवाब देंगे, वह मुझे मालूम नहीं है। मैंने तो तब भी आपकी मदद की जो मेरे से बोला मंत्रीजी ने, मैंने वह भी मदद की एमपी वालों से बोलकर, तो यह घोषणा ही घोषणा होती रहेगी, कोई काम करके नहीं बताएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्रीजी ने हमारे बाड़ी के अंदर जाम लगा रहता है, मैंने उनसे बात की। ...(व्यवधान)... कहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सबका जवाब दे दूंगा। कहने दो। सच्चे मुंह में बोले आप मंत्री महोदय, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जगह से बोलें। मैं रुक जाता हूं, बैठ जाता हूं, आप बोलें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके धौलपुर में सड़क की क्या व्यवस्था थी? सड़कों की व्यवस्था का आप देखो, करौली से लेकर आपके ठेठ धौलपुर और धौलपुर से राजाखेड़ा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या कर दिया?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेगा हाई वे बन गया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सिर्फ टैंडर हुए हैं अभी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेगा हाई वे बन भी गया है। रोड चल रहा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सिर्फ करौली वाला बना हुआ है। वह आपके पीरियड का नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): धौलपुर से भरतपुर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह तो माननीय सीपी जोशी करके गए हैं उसको। आप उसका श्रेय मत लो। आपने भी राजाखेड़ा के टैंडर कराए हैं। अभी आपने रोड बनाई नहीं है। अभी टैंडर कराए हैं आपने। ...(व्यवधान)... अब टैंडर करके नहीं, अभी टैंडर तो मैं करा दूं, टैंडर कराने से क्या होगा? तो असत्य घोषणा से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी, युनुस खान जी ने घोषणा की थी, मैंने बाड़ी में जाम के लिए उनको बोला कि बाड़ी में जाम लगा रहता है, उन्होंने घोषणा की कि मैं बाड़ी जाउंगा और वहां पर तीन दिन का कैम्प करूंगा और तीन दिन कैम्प करने के बाद में आपकी जो भी समस्या होगी वह आपको साथ लेकर देखूंगा।

आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या में अगर रिंग रोड बनेगी तो वो बनाऊंगा, बाइपास निकालना होगा तो वो निकालूंगा और आपका समाधान करके ही जाऊंगा। दो साल हो गई पर आज तक परिवहन मंत्री जी ने उसका जिक्र भी नहीं किया।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, ये परमाणु मंत्री बोल रहे हैं इसको हटवायें।

श्री उपाध्यक्ष: ये परिवहन मंत्री बोल रहे हैं। It should be understood as परिवहन मंत्री।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): परिवहन मंत्री ही बोल रहा हूं। अभी तक उन्होंने एक ही बात यह बात नहीं कही कि मैं धौलपुर चलूंगा। सिर्फ उप चुनाव में जरूर गये, उप चुनाव में जरूर गये और उप चुनाव में जाने के बाद में उन्होंने लौटकर यह नहीं देखा कि धौलपुर किधर है, बाड़ी किधर है, बसेड़ी किधर है। जब आपको जरूरत थी तब आपने लोगों से असत्य बोला कि हम यह करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वो वहां लिखा असत्य ही जाएगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, आपके मंत्री घोषणा कर रहे हैं और अभी आप ईमानदार बन रहे हैं। 15-15 लाख नौकरियों का आपने वादा किया, आपने 15 लाख नौकरी दे दी? कहां पर दे दी? बताओ कितनी भर्ती की है आपने? कहां लगा दी? आपके देश के प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि मैं साल में दो करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, दे दिया? काला धन आ गया वापस? आ गया काला धन? 15-15 लाख रुपये मिल गये। एक के बदले में एक सिर काटकर नहीं, हम दस सिर काटकर लायेंगे तो लाये क्या आप दस सिर काटकर? कहने और करने में, असत्य बोलने में बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ असत्य बोल सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ असत्य का पुलिंदा है, आप असत्य अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। आपके राज में घोटालों की कोई कमी है क्या? कौन-कौन से घोटाले नहीं हुए? आपके राज में आई.ए.एस. जेल में जा रहे हैं, आई.पी.एस. आपके राज में जेल में जा रहे हैं और यहां आपके गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश के अन्दर पूरे......

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तो आईएएस गये हैं पर इनके तो मंत्री अभी तक जेल में हैं। उनको तो देखिये एक बार।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री जी अपने कर्मों से गये हैं जेल में। मंत्री जी ने घोटाला नहीं किया है। मंत्री घोटाला करके नहीं गये हैं, कोई घोटाले करके नहीं गये हमारे। (व्यवधान) आप पर्सनल बात न करें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आप बता दें कि वो मंत्री फिर किसमें गये हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक बार स्पष्टीकरण तो दे दो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप पर्सनल किसी पर नहीं करेंगे और आपको पर्सनल लाइफ पर बोलने का अधिकार नहीं है चाहे कोई भी हो। (व्यवधान) जो उन्होंने किया वो भोगा। आपने तो घोटाला किया है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): हम पहली बार आये हैं, ध्यान नहीं है कि वो किसमें गये हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं पहली बार नहीं आया हूं, पहली बार आप आये हैं। मैं दूसरी बार आया हूं यह आप याद रखो। (व्यवधान) मैं तो आपसे एक ही चीज कर रहा हूं कि आपने घोटाले की सरकार बनाई, असत्य पर असत्य, कितना असत्य बोलेंगे। अभी आपके मंत्री जी घोषणा करेंगे कि इतनी रोड बनाएंगे, इतने......

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बार आये हो लेकिन असत्य, बोले जा रहे हो। यह शब्द असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपके यहां क्या है, हमारे यहां यही है, हम आपके कानून से नहीं चलते हैं। भरतपुर का कानून, धौलपुर का कानून अलग चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलते हम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं, सभी हॉस्पिटल खाली हैं। कॉलेजों में पद खाली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अध्यापक हमारे कॉलेज में लगाया है तब मंत्री जी से हमने कई बार सम्पर्क किया। पहले सर्राफ जी से किया, अब माननीय मंत्री महोदया बैठी हैं तो ये घोषणा करें कि हमारे बाड़ी में कॉलेज में कितने पद खाली हैं और उनको कब तक भरेंगे और भरेंगे या नहीं भरेंगे। आप नई कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं तो पहले जितनी कॉलेज आपकी हैं उनके आप पद भरें और उनको आप अच्छे तरीके से चलायें तभी इस प्रदेश का भला होगा। शिक्षा में आप बहुत पीछे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले मंत्री जी ने आपको पानी पिलाया था न वैसे ही कॉलेज के पद भरेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप पानी की तरह मत करना, यह बच्चों का मामला है, उनके जीवन की बात है। वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं है कॉलेज में। आप कितने साल का समझेंगे? कितने साल का बच्चा जाता है कॉलेज में? कॉलेज में 15 साल, 16 साल का बच्चा चला जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप? 11 साल का बच्चा है कॉलेज में अभी। यह आपकी समझ में नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय, जैसे आपने पानी पिलाया वैसे आप कॉलेज को मत पिला देना यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं। मेरे क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल हैं उन सब में डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, सब के पद खाली हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इनको जल्दी से जल्दी भरें, कैसे भी मेहरबानी करें और इन दो-तीन चीजों में तो आप राजनीति नहीं करें। बी.जे.पी. और कांग्रेस का तो आप चुनाव में कर लें, यहां कोई बात नहीं है। वैसे जनता ने आपको सबक सिखा दिया अगर फिर भी आपको अभी समझ में नहीं आये तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आईएएस और आईपीएस की तनख्वाह तो बढ़ा दी जाती है और एक पुलिस का जवान जाकर गोली खाता है, गुंडों और डकैतों से लड़ाई लड़ता है उसकी तनख्वाह में कटौती कर दी, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है कि उनको कोई अच्छी सुविधा दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिपाही लड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक पुलिस का जवान है उसकी कटौती की जा रही है, उसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अगर आपको तनख्वाह काटनी है तो आईएएस और आईपीएस की तनख्वाह काटो, इन छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह मत काटो। आज पुलिस का जवान परेशान हो रहा है और वो अपने घर-परिवार को छोड़कर पडा है। 24 घंटे की ड्यूटी पुलिस का जवान दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। आप रात को अपने घर में सोते हो और वो रात को गश्त करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपकी बैंक डकैती हो रही थी और उस बैंक डकैती में वो पुलिस वाला अगर फायरिंग नहीं करता तो आप ही बताओ कि प्रदेश की आज कितनी बदनामी होती। जयपुर में कोई गुंडों की कमी नहीं है।

(श्री गिर्राज सिंह)
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि पुलिस के जवानों की तनख्वाह डबल की जाए, जो भी सुविधा हो वह अच्छी से अच्छी ज्यादा सुविधा दी जाए और जो बड़े-बड़े आपने डकैत आईएएस और आईपीएस पाल रखे हैं उनकी आप कम करें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृत लाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे इस महामहिम के अभिभाषण पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे द्वारा उनके कुशल नेतृत्व और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर प्रदेश को ऊंचे स्तर पर ले जाने का बहुत बड़ा काम किया है। पिछले चार वर्षों में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो वायदे किये थे वो हमने करीब-करीब प्रदेश में पूरे कर दिये हैं और बाकी बचे वायदे हैं वो हम छह महीने में पूरे करेंगे यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी का वादा है। मुझे एक ही बात कहनी है कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं......

(19.00 बजे)

लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चार वर्ष में महिला, युवा और मजदूर-किसान और व्यापारी, 36 कौमों को साथ लेकर जो प्रदेश में विकास किया, उसके लिए मैं हमारी सरकार को, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे सभी मंत्रीगणों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस प्रकार का हमारे प्रदेश में विकास का काम किया। बिजली, पेयजल और कृषि और सड़क चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने पूरे एरिया में जोरदार काम किया है।

आपका जिला आपकी सरकार, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जो नाना-नाना प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा, हमारी मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, हमारे प्रभारी जितने भी मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा जो काम हुए हैं, उनको भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री अमृतलाल)

अपना खेत अपना काम के लिए आज हमारे केटेगरी-फोर में जितने भी काम, कैटलशैड है, भूमि समतलीकरण है, कुआ खोदने का काम है, मेड़बंदी का काम है, मैं पंचायती राज मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने सभी को साथ लेकर, हमारे उस क्षेत्र में छोटे-छोटे खेत है, उसके लिए सामान्य वर्ग के किसान भाई हैं, मध्यम वर्ग के हैं, खेत पहाड़ीनुमा है, किसान है, उनके लिए भी आपने कैटलशैड और पशुशैड और कुआ खोदने की इजाजत देंगे। इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को और देश के प्रधान मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जब हम नये-नये चुनकर आये थे, सर्दी का समय था, बारिश का सीजन था। ओलावृष्टि हुई थी और इसी सदन ने जब 50 परसेंट से ऊपर का जो खराबा था, जो राजस्थान के किसानों को मुआवजा मिलता था, उसको 33 परसेंट लाने में, आपने, सरकार ने और वहां मुख्य मंत्रीजी ने काम किया, एक देश के अन्दर मिसाल कायम करके और बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया।

इतना ही नहीं, सरकार आपके द्वार में जो काम हुए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का आज जो उस एरिया में जो 30,000 से तीन लाख तक का जो गरीब लोगों को, हर प्रकार की बीमारी का पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है, नि:शुल्क कर रही है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा।

मुख्य मंत्री आवास योजना और हमारी राजस्व लोक अदालतें, बरसों से, 60-70 साल से जो केस हमारे उस एरिया में और पूरे राजस्थान में रूके हुए थे, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्व मंत्रीजी ने, हमारी कैबिनेट ने कैम्प लगवाकर जितने भी मुकदमें थे, राजस्व अदालतें लगवाकर, जो वर्षों से केस लड़ रहे थे, उसको भी समाधान करने का काम किया।

इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा भण्डार है, जो 500 से अधिक है, उनका पूरे राजस्थान में, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, जो हमारे क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां बहुत बड़ी-बड़ी झीलें हैं। जयसमन्द जो विश्व की मीठे पानी की झील है, सोम कमला अम्बा, जो बहुत बड़ी फेमस है, माही डेम है, जहां 80,000 हैक्टेयर एरिया में पानी है और इसके अलावा कडाना डेम है, सोम कागदर है तो मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के जो छोटे-

(श्री अमृतलाल)

छोटे एनीकट, छोटी-छोटी मेड़बंदी बांधकर खापड़िया खोदकर जो बनाया, उससे पानी का स्तर धीरे-धीरे बहुत कुओं में ऊपर आया। हैण्डपम्पों में ऊपर आया।

मैं यह भी बात कहना चाहूंगा हमारे भारत के प्रधान मंत्रीजी को, जिन्होंने फसल बीमा योजना जो एक किसान को फसल का नुकसान हो जाये, खलिहान तक जाने से पहले ओलावृष्टि हो जाये, उस फसल को भी उसका बीमा करके हमें बहुत बड़ी राहत दी है।

भामाशाह पशु बीमा योजना, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारी कैबिनेट को। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति और कृषि बीमा, गरिमा बालिका संरक्षण का भी मैं सम्मान करता हूं।

इतना ही नहीं, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत एक जून, 2016 से जो लागू की है, जहां बेटी पैदा होते ही 2,500 रुपये, बेटी एक वर्ष की होते ही 2,500 रुपये और अगर बेटी पढ़ने जाती है तो 4,000 रुपये और अगर छठी क्लास करती है तो 11,000 रुपये और 12वीं कर लेती है तो 25,000 रुपये दिये जाते हैं। इस प्रकार बेटी को सम्मान देने के लिए जो काम किया है, एक बहुत बड़ा काम किया है।

खेल प्रतिभा खोज के लिए भी मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना, मुख्य मंत्री जन सहभागिता में विद्यालय विकास करना, मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, जो मुख्य मंत्रीजी का जो स्वच्छ ग्राम योजना के अन्दर मुक्तिधाम का विकास करना, दीनदयाल उपाध्याय का करना, बीपीएल अन्त्योदय अन्नपूर्णा का करना।

इतना ही नहीं, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री को, सरकार को और सरकार के मंत्रियों को और सभी विधायकों को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा जो हाड़ारानी राजकीय महाविद्यालय है, हमारी उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं। एक कागज देने के बाद, हमारे इस प्रकार का स्नातक का महाविद्यालय था, उसको पीजी तक खोला, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

(श्री अमृतलाल)

इतना ही नहीं, स्टेट हाइवे-32 उदयपुर से सलूम्बर, हमारे बीच में माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी युनुस खानजी और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो उदयपुर टू सलूम्बर स्टेट हाइवे-32 था, उसको 65 किलोमीटर का 240 करोड़ रुपये देकर एक इतिहास कायम किया है। वह एरिया जो दुर्घटना का था, उसमें डूंगरपुर भी आ रहा है, बांसवाड़ा भी आ रहा है, कम से कम 20 विधान सभा क्षेत्र आते थे। उसको चौड़ाईकरण करने का काम किया है।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को युनुस खानजी को धन्यवाद दूंगा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र को 706 करोड़ देकर एक इतिहास कायम किया और 400 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। मैं मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसका कारण सरकार आपके द्वार, जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप 10 दिन रहे और उन्होंने बहुत लाड़-प्यार करके, बहुत बड़ा पैसा दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। करीब 50-60 हमारे गौरव पथ का निर्माण किया। नोन-पैचेबल सड़कों का निर्माण किया और मिसिंग लिंक सड़कें जो थीं, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा।

साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें 22-23 करोड़ रुपये देकर उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने का काम किया।

मैं जल संसाधन मंत्रीजी को बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने उस क्षेत्र को जयसमन्द की नहर है, जो विश्व की मीठे पानी की झील है, उस झील के लिए, नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए, पाल को अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए और माइनर नहरों का विकास करने के लिए आपने 220 करोड़ 10 लाख रुपये देकर एक आपने मिसाल कायम की है। आप हमारी बात सुनने वाले मंत्री हैं।

इतना ही नहीं, मैं शिक्षा विभाग के मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा। शिक्षा मंत्रीजी हमारे बीच में कहीं विराजमान दिख नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी ने मुझे 55 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने का मेरे विधान सभा को गौरव इन्होंने दिया है।

इतना ही नहीं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रीजी हमारे बीच में

(श्री अमृतलाल)

विराजमान हैं। इन्होंने भी मेरे यहां 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के काम हमारे उस एरिया में दिया है। नगर पालिका क्षेत्र के कार्यों को छह करोड़ रुपये दिये हैं।

चिकित्सा मंत्रीजी हमारे बीच में विराजमान हैं। उनका ध्यान थोड़ा कम है लेकिन मेरा निवेदन है, हमारा जो सलूम्बर सामान्य अस्पताल है वह उदयपुर जिले के बाद दूसरा बहुत बड़ा अस्पताल है। पूरा जनजातीय एरिया है। अगर वह इलाज के लिए 70 किलोमीटर उदयपुर आना पड़ता है या सागवाड़ा जाना पड़ता है या डूंगरपुर जाना पड़ता है। अगर वहां सामान्य अस्पताल का थोड़ी दिक्कत है। दो लाख से ज्यादा वार्षिक मरीज होते हैं। वहां अगर एक्स्ट्रा वार्ड बनाये जाये तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा।

मुख्य मंत्री जननी सुरक्षा में 9 करोड़ रुपये मिले हैं। जल ग्रहण योजना में 33 करोड़ रुपये, कृषि अनुदान पर करीब 50 करोड़ रुपये मिले हैं। हमारे बीच में आपदा मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं। आपने भी उस एरिया को बहुत किसानों को राहत देकर ऐतिहासिक काम किया है। पैसा सीधा उनके खाते में भिजवाया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा।

थोड़ी वन मंत्रीजी से पीड़ा है। हमारे 2014 से कुछ सड़कें जो रूकी हुई हैं, 14 सड़कें हैं उस क्षेत्र में, जो वन विभाग द्वारा रुकी हुई है। उन अधिकारियों को बुलाकर, अगर उसकी स्वीकृति दे दें, वह 2014 से स्वीकृत हैं, लेकिन वह क्लीयर नहीं हो पा रही है। उनको भी आप क्लीयर करें।

इस प्रकार से मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1,472 करोड़ रुपयों का हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे मंत्रियों ने देकर एक मिसाल कायम की। यही मेरा कहना है। हमारे सिंचाई मंत्रीजी हमारे बीच में विराजमान हैं।

हमारा सारा काम हो गया, लेकिन एक मांग है जो माही या जाखम का पानी अगर...। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.10 बजे शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़ी की नवीन कालोनियों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति

56. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी की नई विकसित कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा पेयजल की आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका क्षेत्र, बाड़ी की नई विकसित कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विकासकर्ता/सोसायटी/रहवासी कल्याण समिति इत्यादि द्वारा आवेदन करने पर प्रचलित विभागीय नीति के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्धारित अंशदान जमा कराने, तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना का निर्माण किया जा सकता है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जमवारामगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

59. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्य सूचियों का पुनर्निरीक्षण कर कुछ व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए गए हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति का किस-किस कारण से नाम हटाया गया? व्यक्ति का नाम व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुनर्निरीक्षण के दौरान कई व्यक्तियों को जांच में सही पाए जाने के उपरान्त भी उनको अभी तक सूची में नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो किन कारणों से तथा क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को पुन: जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत किस-किस ग्राम पंचायत से कितने-कितने पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में कितना-कितना अनाज दिया जा रहा है? संबंधित व्यक्तियों का ग्राम पंचायतवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूचियों का पुनरीक्षण कर 7818 परिवारों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वंचित पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी को अपील/आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015, 29.09.2017 एवं 02.08.2017 की प्रति परिशिष्ट-2 पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

संलग्न है। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नवम्बर, 2015 से जनवरी, 2018 तक नाम जोड़ने हेतु अपीलीय प्रक्रिया के तहत सही पाये जाने पर विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में 5689 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 5177 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये है। खाद्य सुरक्षा सूचियों में नामों का समावेशन/निष्कासन सतत प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कुल 49 ग्राम पंचायतों में 217369 पात्र लाभार्थियों को (अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम एवं अन्य प्राप्त व्यक्तियों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट) गेहूं का वितरण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। लाभार्थियों की सूची विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी के भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

60. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक आंगनबाड़ी केन्द्र बिना भवन के, किराये के भवन में या किसी दूसरे विभाग के भवन में संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनके आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्रों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भवन-विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत करने व जर्जर अवस्था के भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 परियोजनाए क्रमश: बड़ी सादड़ी, डूंगला, भदेसर, प्रतापगढ़ द्‌वितीय (देवगढ़) तथा प्रतापगढ़ प्रथम संचालित है। परियोजना बड़ी सादड़ी के 144, डूंगला के 127, भदेसर के 47, प्रतापगढ़ द्‌वितीय (देवगढ़) के 123 तथा प्रतापगढ़ प्रथम के 20 कुल 461 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इनकी वर्तमान स्थिति एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 316 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 88 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य विभागीय भवनों में एवं 57 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 67 जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 11 आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं 66 आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में अवैध खनन के दर्ज प्रकरण

61. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर-शहर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में गत 04 वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण पाए गये? विधान सभा क्षेत्रवार पकड़े गये प्रकरणों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस द्‌वारा उक्त प्रकरणों में पकड़े गये दोषियों के विरुद्‌ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में कितने अपराधियों को सजा सुनाई गई? विधान सभावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले सहित प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में गत 4 वर्षों में अवैध खनन के कुल 3733 प्रकरण बनाये गये हैं। विधान सभावार बनाये गये प्रकरणों की संख्या परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पुलिस द्वारा उक्त प्रकरणों में पकड़े गये दोषियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 के कॉलम संख्या 7 पर अंकित है।

(3) उक्त प्रकरणों में कुल 88 अपराधियों को सजा सुनाई गई। विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में 19, अलवर ग्रामीण में 03, किशनगढ़बास में 01, बहरोड में 23, बानसूर में 11, मुण्डावर में 16 व रामगढ़ में 15 अपराधियों को संबंधित न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले सहित प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु खान, वन, राजस्व विभाग द्वारा राज्य पुलिस के साथ समय-समय पर जांच की जाती है एवं जिस क्षेत्र में भी अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होती है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खान विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की कमेटी बना रखी है, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आर.ए.सी. की 7 कम्पनियों के तहत 696 जवान भी लगाये गये हैं। अलवर जिले में अवैध खनन के संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित कर अब तक 28465 रनिंग मीटर पक्की दीवार बनाई जाकर खनन के रास्तों को अवरुद्ध किया गया है। वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज - शाहाबाद में पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की योजना

62. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किशनगंज - शाहाबाद में पशु चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुये व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चिकित्सों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में पशु चिकित्सकों (वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा अधिकारी) व नर्सिग स्टाफ (पशु चिकित्सा सहायक एवं पशुधन सहायक) के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में पशु चिकित्सकों व नर्सिग स्टाफ के भरे हुए व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद मे कोई भी पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सेन्दड़ा ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड बनाने की योजना

63. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से पिण्डवाडा फोरलेन पर सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज है?

(2) क्या यह भी सही है कि ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड बनाया जाना नियमानुसार आवश्यक है? यदि हां, तो सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास पाली से ब्यावर की ओर सर्विस रोड नहीं बनाने के क्या कारण हैं? ब्यावर से पिण्डवाडा फोरलेन पर किस- किस जगह ओवरब्रिज बनाये गये हैं तथा किस-किस जगह पर ओवर-ब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड नहीं बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकरसिंह रावत)

(3) क्या सरकार सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जोधपुर के पत्रांक 13045/2/ 2018/लो-वि.प./220 दिनांक 01.02.2018 द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार ब्यावर से पिण्डवाडा फोरलेन पर सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे ओवरब्रिजों में से एक है।

(2) ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड़ का साईट पर आवश्यकता के अनुसार बनाये जाने का प्रावधान है। सेन्दड़ा में बने रेलवे ओवरब्रिज की एक ओर बनी रोड़ पूर्व से ही मौजूदा सड़क है, जो कि सेन्दड़ा गांव में जाने के उपयोग में आ रही है। यहां रेलवे ब्रिज के पास सर्विस लेन बनाने का रियायतग्राही के अनुबन्ध के अनुसार कोई प्रावधान नहीं है।

ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोरलेन पर बनाये गये ओवर ब्रिज एवं सर्विस रोड़ का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य रेलवे ब्रिज के पास सर्विस लेन बनाने का कार्य केन्द्र सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं साईट की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायपुर पंचायत समिति में पेयजल हेतु संचालित पायलट प्रोजेक्ट

64. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पंचायत समिति रायपुर में पेयजल हेतु संचालित केंद्र सरकार की प्रमुख योजना 'पायलट प्रोजेक्ट' हेतु पंचायत समिति की किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी राशि का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं किस-किस ग्राम पंचायत में कार्य अपूर्ण है? वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों में

(डा. बाबू राम चौधरी)

से समिति द्वारा कितने प्रस्तावों पर अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग 'पायलट प्रोजेक्ट' जैसी योजना को सुचारु रूप से चालू रखने के लिये सहमत नहीं है? यदि हां, तो क्यों व नही तो अब कब तक उक्त योजना सुचारु रूप से चालू होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत भीलवाड़ा जिले के ब्लॉक रायपुर की समस्त 22 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा प्लान तैयार करने की स्वीकृति एस.एल.एस.सी.सी. (राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी) की बैठक दिनांक 17.02.2012 को जारी की गई। इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स स्टूडैन्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर को कार्यादेश दिनांक 19.06.2012 को जारी कर दिनांक 25.06.12 को अनुबन्ध सम्पादित किया गया।

इस पॉयलेट परियोजना के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक की समस्त 22 ग्राम पंचायतों के 92 ग्रामों में समुदाय आधारित आई.ई.सी. एक्टिविटी के साथ-साथ जल की मांग व आपूर्ति का आंकलन कर ग्राम जल सुरक्षा प्लान तैयार करने का कार्य सम्मिलित था।

उक्त परियोजना के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक की 8 ग्राम पंचायतों के 31 ग्रामों हेतु जल सुरक्षा प्लान के प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.सी.) की 13वीं बैठक दिनांक 03.09.2014 द्वारा जारी की गई। इस स्वीकृति के अनुरूप 31 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण की जाकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से इन्हें लाभान्वित किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इस प्रकार स्वीकृति अनुरूप समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कोई कार्य वर्तमान में शेष नहीं रहा है।

भारत सरकार के नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत वित्त पोषित इस कार्यक्रम के संशोधित दिशा-निर्देशों में यह कार्यक्रम विद्यमान नहीं होने के कारण, वर्ष 2016-17 में स्वीकृति हेतु दिनांक 17.05.2017 को आयोजित एस.एल.एस.सी.सी. की बैठक में ब्लॉक रायपुर के शेष ग्रामों की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

योजनाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) उपरोक्तानुसार। भारत सरकार के नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत वित्त पोषित इस कार्यक्रम के संशोधित दिशा - निर्देशों में यह कार्यक्रम विद्‌यमान नहीं होने के कारण ब्लॉक रायपुर के शेष ग्रामों की योजनाओं को वर्तमान परिपेक्ष्य में स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र

65. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1951-52 में सिंचाई एवं पेयजल हेतु इंदिरा गांधी नगर परियोजना प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो प्रारम्भ में कितनी राशि व्यय कर किस-किस क्षेत्र को सिंचित करना था तथा कितने लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित था?

(2) क्या यह भी सही है कि सिंधु जल समझौता 1960, भाखड़ा-नांगल परियोजना व्यास व सतलज नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज, रावी व व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में 8.6 एम.ए.एफ. पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु आवंटित किया गया था? यदि हां, तो क्या वर्तमान में राज्य को अपने हिस्से का निर्धारित पानी मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों व सरकार द्‌वारा अपने हिस्से का पानी लेने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में पेयजल की गंभीर समस्या एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सिंचाई क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई क्षेत्र व पेयजल हेतु उपलब्ध पानी के बंटवारे में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान नहर परियोजना (वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेतु केन्द्रीय जल एवं उर्जा आयोग द्‌वारा सिंचाई के उद्‌देश्य हेतु वर्ष 1951 में कार्य प्रारम्भ किया गया था।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

वर्ष 1957 में तैयार प्रथम परियोजना रिपोर्ट में परियोजना की लागत 66.463 करोड़ रुपये आंकी गई थी, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर के 3.36 मिलियन एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था।

(2) जी नहीं। वर्ष 1981 के अन्तर्राज्यीय जल समझौते के अनुसार रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल 17.17 एम.ए.एफ. में से राजस्थान राज्य के लिये 8.6 एम.ए.एफ. जल निर्धारित किया गया, जिसमें से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 7.59 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया था।

वर्तमान में राज्य को अपने हिस्से का निर्धारित जल 8.60 एम.ए.एफ. जल के विरुद्ध 8.0 एम.ए.एफ. पानी ही उपलब्ध हो रहा है।

राजस्थान के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिलने का कारण तथा शेष पानी प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) पेयजल हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से अतिरिक्त पानी की मांग प्राप्त होने पर परियोजना में जल उपलब्धता अनुसार गुणावगुण आधार पर निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में पौधे लगाने की योजना

66. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में पेड़-पौधे लगाने के प्रति गंभीर है? यदि हां, तो हनुमानगढ़ जिले में गत चार वर्षों में कितने पौधे लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पीलीबंगा रेंज व रावतसर रेंज में गत वर्ष में कितने पौधे लगाये गये एवं उनमें से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) साहवा लिफ्ट नहर पर एवं खोड़ा- हरदासवाली- धन्नासर दौलतावाली में गत वर्ष गुलाब के कितने फूलदार पौधे लगाये गये व उनमें से कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती द्रोपती)

(4) सरकार द्वारा रावतसर रेंज एवं पीलीबंगा रेंज के कितने कर्मचारियों को वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2017 तक सम्मानित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2013-14 में 3.27 लाख, वर्ष 2014-15 में 5.00 लाख, वर्ष 2015-16 में 2.92 लाख एवं वर्ष 2016-17 में 3.43 लाख पौधे लगाये गये।

(2) पीलीबंगा रेंज व रावतसर रेंज में वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगाये गये पौधे एवं वर्तमान में जीवित पौधे का साईटवार विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' अनुसार है।

(3) कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार में साहवा लिफ्ट नहर पर एवं खोड़ा हरदासवाली धन्नासर, दौलतावाली कार्यस्थलों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा किसी योजना में कोई वृक्षारोपण नहीं करवाया गया है। अत: विभाग द्वारा गुलाब के फूलदार पौधों का पौधारोपण नहीं करवाया गया है अपितु गुलाब के पौधे नर्सरियों से आम नागरिक को वितरित किये गये हैं।

(4) रावतसर रेंज एवं पीलीबंगा रेंज में राज्य सरकार स्तर पर वर्ष 2014 से दिसम्बर 2017 तक किसी भी कर्मचारी को सम्मानित नहीं किया गया है तथापि रेंज पीलीबंगा में स्वंत्रता दिवस 2017 को लेखूराम वनपाल को वृक्षारोपण संधारण में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के फलस्वरूप उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा द्वारा सम्मानित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन

67. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में उचित मूल्यों की दुकानों का आवंटन लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त जिले में अब तक कौन-कौनसी तहसीलों में उचित मूल्य की

(श्रीमती शिमला बावरी)

दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है व कौन-कौनसी तहसीलों में आवंटन प्रक्रिया लम्बित है? क्या सरकार उक्त अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) तहसील अनूपगढ़ व घड़साना में किस मानदण्ड से आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है व कितने आवेदन आये तथा साक्षात्कार में किस-किस आवेदनकर्ता का किस आधार पर चयन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अनूपगढ़ घडसाना में आवेदनकर्ताओं को कितने-कितने अंक दिये गए? क्या अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो दुकानों का आवंटन किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 एवं 13.04.2016 के क्रम में श्रीगंगानगर जिले में कुल 180 स्थानों पर उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। कुल 09 तहसीलों में से 08 तहसीलों में आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तहसील सादुलशहर में उचित मूल्य दुकान आवंटन की प्रक्रिया शीध्र ही पूर्ण करली जायेगी।

(2) श्रीगंगानगर जिले की 09 तहसीलों में से 08 तहसीलों (श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, घड़साना, विजयनगर, रायसिंहनगर, पदमपुर एवं करनपुर) में आवंटन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तहसील सादुलशहर में उचित मूल्य दुकान आवंटन की प्रक्रिया शीध्र ही पूर्ण करली जायेगी।

(3) उचित मूल्य दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण करने के संबंध में जारी मापदण्ड/दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं 26.04.2016 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर ही तहसील अनूपगढ़ व घड़साना में आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। तहसील घड़साना में 07 तथा तहसील अनूपगढ़ में 161 आवेदन आये। चयनित आवेदकों की

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आवेदनकताओं का चयन आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा के आधार पर किया गया है।

(4) उचित मूल्य दुकानदारों का चयन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार लेने के उपरान्त बहुमत की अभिशंषा के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

68. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिये निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में गत चार वर्षों में 02 आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमश: ग्राम गिरावडी तथा रामलालपुरा (शीथल) खोले गये हैं।

(3) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत किये जाते है। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद मे बजरी के अवैध खनन को रोकने की कार्ययोजना

69. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल नागर)

(1) क्या यह सही है कि बजरी की 50 हैक्टेयर से कम एरिया में निविदा जारी नहीं किये जाने से पर्यावरण क्लीयरेन्स प्राप्त नहीं हुई है तथा इससे प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकोष को हुए घाटे, आमजन को हुई परेशानी तथा बजरी के अवैध खनन के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2016 के परिशिष्ट 11 के पैरा 1 में बजरी सहित सभी लघु खनिजों में 5 हैक्टेयर से कम एरिया की भी खनन लीज आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बजरी के छोटे खनन पट्टों के आवंटन की नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद में बजरी के खनन के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार बडे एरिया के निविदा के लम्बे समय से लम्बित निविदाधारी द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण उनकी निविदा निरस्त कर छोटे-छोटे एरिया बनाकर वापस निविदा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय से लम्बित निविदाधारी के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो अवैध खनन को रोकने की सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। दीपक कुमार बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2012 से दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए बजरी के 12.33 हैक्टेयर एवं इससे अधिक विभिन्न क्षेत्रफल के खनन पट्टे स्वीकृत करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। प्रदेश

(राज्य मंत्री, खान)

में खनिज बजरी का खनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013, 24.02.2014 व 27.03.2014 के तहत अस्थाई कार्यानुमति के अन्तर्गत जारी रहा, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2017 से पर्यावरण क्लीयरेंस व रिप्लेनिशमेंट स्टडी के अभाव में खनन बंद करवा दिया गया। इस प्रकार खनिज बजरी के खनन पट्टे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दिये जाने की कार्यवाही की जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बजरी खनन बंद कराये जाने के पश्चात् 31.01.2018 तक बजरी अवैध खनन के 2447 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 55 प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं 12.48 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।

(2) जी हां। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में खनिज बजरी के खनन पट्टा अनुदान हेतु खातेदारी भूमि में न्यूनतम एक हैक्टेयर तथा नदी क्षेत्र के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर का क्षेत्रफल निर्धारित है। नियमों में राजकीय निर्माण कार्यों हेतु खातेदारी भूमि में खनिज बजरी की एस.टी.पी. जारी करने के लिए संशोधन कर प्रावधान किये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बजरी के संबंध में विभिन्न राज्यों के प्रचलित नियमों का अध्ययन किया जा रहा है।

(3) जी हां। यह सही है कि सांगोद विधान सभा क्षेत्र में बजरी खनन हेतु किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई है। इस क्षेत्र में बजरी का खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु मंशापत्र जारी किया गया है परन्तु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्लीयरेन्स जारी नहीं करने के कारण खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंशापत्र धारक द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात् ही उक्त क्षेत्र के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में बजरी के अवैध खनन को रोकने हेतु समय-समय पर जांच की गई। गत तीन वर्षो में अवैध खनन/निर्गमन के 16 प्रकरण बनाये गये जिनमें 15 प्रकरणों में रुपये 4,28,200/- शास्ती के रूप में वसूल किये गये व एक प्रकरण में संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर.

(राज्य मंत्री, खान)

दर्ज कराई गई। क्षेत्र में खान विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाकर अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। मंशापत्र धारक द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण पश्चात् उक्त क्षेत्र के खनन पट्टे के अनुदान के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसलों एवं जिंस की खरीद

70. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्यों पर फसलों की खरीद की जाती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी फसलें एवं जींस की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कई जिंसों की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जाती? यदि हां, तो कौन-कौनसे जिंसों की एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उपज का लागत मूल्य जोड़ मुनाफे के आधार पर समर्थन मूल्यों की दर तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य [MSP] निर्धारित किया जाता है एवं बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाता है, तो उन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, उन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण की योग्यता के लिए जिन्स की सेल्फ लाईफ पर्याप्त होना, इसका व्यापक एवं सामूहिक रूप से उपयोग होना तथा इसका पोषण सुरक्षा में सम्मिलित होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जिन फसलों का बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम नहीं होता है, उन फसलों की

(कृषि मंत्री)

भी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कराई जाती है। राज्य की मुख्य फसलें जिनका समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इनमें मुख्य रूप से मेहंदी, चौला, ग्वार, मोठ, धनियां, लहसून, ईसबगोल, जीरा, ग्वारपाठा, अरण्डी व कुछ वनोपज आदि है।

(3) विभिन्न फसलों की लागत मूल्य के आंकलन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य [MSP] का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (C.A.C.P.) की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रिडकोर टोल प्लाजा को भिवाड़ी-तिजारा की सीमा से हटाने की योजना

71. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोल प्लाजा नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों पर नहीं लग सकता हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि रिडकोर टोल प्लाजा नगरपरिषद भिवाड़ी सीमा व नगरपालिका तिजारा की सीमा में लगा हुआ है? रिडकोर टोल प्लाजा द्वारा कितनी सीमा तक के निवासियों को टोल कर से मुक्त रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिडकोर टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जारी फीस नोटिफिकेशन दिनांक 29.05.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य राजमार्ग का भाग, स्थाई पुल, बाईपास या सुरंग नगरपालिका या शहर क्षेत्र की सीमा के भीतर या ऐसी सीमा से 2 किमी. पर बनाया जाता है जो मुख्य रूप से इस नगरपालिका के निवासियों या शहर क्षेत्र के उपयोग के लिए हो तो टोल प्लाजा को नगर पालिका या शहर क्षेत्र की सीमा या सीमा से 2 किमी. दूरी के भीतर भी स्थापित किया जा सकता है। फीस नोटिफिकेशन दिनांक 29.05.2015 परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रिडकोर द्वारा अलवर-भिवाड़ी सड़क पर स्थापित तीन टोल प्लाजा (1) पापड़ी किमी. 163/000, (2) तिजारा टोल प्लाजा किमी. 193/000 एवं (3) भिवाड़ी टोल प्लाजा 221/480 में से दो टोल प्लाजा तिजारा व भिवाड़ी क्रमश: नगर पालिका तिजारा एवं नगर परिषद भिवाड़ी की सीमा में आते हैं।

अलवर-भिवाड़ी सड़क परियोजना की अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 को जारी की गई थी तत्समय टोल प्लाजा की नगर पालिका/नगर परिषद से दूरी के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था। अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

रिडकोर द्वारा संचालित टोल प्लाजा से 20 किमी. की परिधि में आने वाले स्थानीय ट्रेक्टर, ट्रोलियों को जो कृषि उत्पाद ले जा रही हो एवं कृषि कार्य हेतु पंजीकृत हो, को अधिसूचना दिनांक 07.06.2008 के अनुसार टोल दरों से मुक्त रखा गया है एवं अन्य श्रेणी के वाहनों को रियायती दरों पर मासिक पास जारी करने का प्रावधान है। अधिसूचना दिनांक 07.06.2008 परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। रिडकोर द्वारा संचालित मेगा हाईवे अलवर से भिवाड़ी सड़क मार्ग पर अधिसूचना दिनांक 18.06.2008 के अनुसार उपयोक्ता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है। उक्त परियोजना का अनुबन्ध पूर्व में ही हो जाने के कारण भिवाड़ी एवं तिजारा टोल प्लाजाओं को अन्यत्र स्थापित/स्थानान्तरित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले की हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना से लाभान्वित गांव

72. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी व उक्त लागत कौन वहन करेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) उक्त योजना में प्रति व्यक्ति औसत जल उपयोग क्या माना गया है और इससे सांगोद, लाडपुरा व पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे गांव लाभान्वित होंगे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार ने उक्त योजना के लिए भेजे गये प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो कब व किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कालीसिंध नदी स्थित हरिपुरा मांझी एनिकट से कोटा जिले के 207 ग्राम एवं 52 मजरों (विधान सभा क्षेत्र, सांगोद के 102 ग्राम व 20 मजरे, विधान सभा क्षेत्र, लाडपुरा के 61 ग्राम एवं 26 मजरे एवं विधान सभा क्षेत्र, पीपल्दा के 44 ग्राम एवं 6 मजरे) को लाभान्वित करने हेतु विभागीय तकनीकी समिति की 656वीं बैठक दिनांक 18.07.2017 द्वारा उक्त परियोजना हेतु राशि रुपये 297.48 करोड़ की तकनीकी क्लीयरेस जारी की जा चुकी है।

उक्त परियोजना अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमश: राशि रुपये 23.80 करोड़ एवं 273.68 करोड़ वहन किया जाना है।

(2) उक्त परियोजना के अंतर्गत उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र, सांगोद के 102 ग्राम व 20 मजरे, विधान सभा क्षेत्र, लाडपुरा के 61 ग्राम एवं 26 मजरे एवं विधान सभा क्षेत्र, पीपल्दा के 44 ग्राम एवं 6 मजरों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल मांग का प्रावधान समिमलित किया गया है।

उक्त परियोजना में विधान सभा क्षेत्र सांगोद, लाडपुरा एवं पीपल्दा के सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी की 17वीं बैठक दिनांक 17.05.2017 द्वारा उक्त परियोजना में भारत सरकार की हिस्सा राशि रुपये 23.80 करोड़ का अनुमोदन नेशनल वॉटर क्वालिटी सबमिशन के अंतर्गत किया जा चुका है। समिति के निर्णयों के सारांश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर में उदयसागर बांध के आउटलेट को चौड़ा करने की योजना

73. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयसागर बांध का आउटलेट सकड़ा होने से वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से आबादी एवं किसानों को नुकसान होता है? यदि हां, तो गत चार वर्ष में ऐसी स्थिति कब-कब उत्पन्न हुई तथा कितनी आबादी एवं किसान प्रभावित हुऐ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त आउटलेट को चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिवृष्टि की स्थिति में उदयसागर बांध का आउटलेट सकडा होने के कारण वर्ष 1973 तथा वर्ष 2006 में बांध के ओवरफ्लो से समुचित मात्रा में पानी नहीं निकलने के फलस्वरूप 13 गांवों की लगभग 25000 आबादी प्रभावित हुई थी। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त स्थिति के मध्यनजर उदयसागर बांध एवं नहर के सुदृढ़ीकरण एवं ओवरफ्लो की चौड़ाई बढ़ाने के राजस्थान वाटर सैक्टर लाईवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (जायका मद) द्वितीय चरण/बांधों के जीर्णोद्धार एवं सुधार योजना (DRIP) अन्तर्गत प्रस्तावित है। स्वीकृति उपरांत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर में टाइगर रिजर्व फाउंडेशन द्वारा व्यय राशि

74. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रणथम्भौर टाईगर रिजर्व बनने के बाद टाईगर फाउंडेशन का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब व उक्त फाउंडेशन का क्या कार्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) गत दो वित्तीय वर्षों में उक्त टाईगर रिजर्व में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यय टाईगर फाउंडेशन द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित होने के बाद किया गया? यदि हां, तो किस-किस मद में व कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विगत 2 वर्ष में बिना फाउंडेशन के अनुमोदन के बजट व्यय किया गया है? यदि हां, तो कितना व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रणथम्भौर बाघ परियोजना हेतु रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन का गठन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिनांक 25 फरवरी 2010 को करवाया गया है। संस्था के कार्यों का विवरण उसके विधान में अंकित है। जिसकी प्रति अनुबन्ध परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत दो वित्तीय वर्षों में टाईगर रिजर्व में निम्नांकित मदों मे राशि व्यय की गई है:-

क्र. सं.	मद	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1	सी.एस.एस.	2015-16	395.559
		2016-17	387.351
2	रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन	2015-16	437.82
		2016-17	448.40
3	कैम्पा	2015-16	79.971
		2016-17	70.539
4	नाबार्ड	2015-16	236.56
		2016-17	81.44
5	आर.एफ.बी.पी.	2015-16	2.563
		2016-17	2.74

(वन मंत्री)

रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन मद में वर्ष 2015 16 एवं 2016 17 की अवधि में व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 पर है।

(3) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना/कैम्पा/नाबार्ड/आर.एफ.बी.पी. योजनान्तर्गत व्यय की स्वीकृति भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसके अनुरूपक कार्य क्रियान्वित किए जाते है। रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन मद मे उपलब्ध राशि की वार्षिक कार्य योजना फाउण्डेशन के शासी निकाय से अनुमोदन होने पर व्यय की जाती है।

- वर्ष 2015-16 मे रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की वार्षिक कार्य योजना शासी निकाय से अनुमोदित है।
- वर्ष 2016-17 मे रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की वार्षिक कार्य योजना को फाउण्डेशन की कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2016-17 मे अनुमोदन किया गया है। इसके पश्चात शासी निकाय के अनुमोदन हेतु बैठक दिनांक 09.02.2017 मे प्रस्तुत किया गया है।

(4) जी नहीं। वर्ष 2015 16 मे केन्द्रीय प्रवर्तित योजना / कैम्पा/ नाबार्ड / आर.एफ.बी.पी. एवं फाउण्डेशन के सारे मदों का बजट विधिवत स्वीकृत होने के पश्चात ही व्यय किया गया है।

वर्ष 2016-17 मे केन्द्रीय प्रवर्तित योजना/ कैम्पा/नाबार्ड/ आर.एफ.बी.पी. मे बजट की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यय किया गया है। परन्तु रणथम्भौर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की वार्षिक कार्य योजना फाउण्डेशन का कार्यकारी समिति से उसी वित्तीय वर्ष मे अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। शासी निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त सभी योजनाओं में बिन्दु सं. 2 के अनुसार व्यय किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार

75. डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत

(डा. फूल चन्द भिण्डा)

कितने परिवार वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं? ग्राम पंचायतवार नाम व कुल लाभान्वितों के प्रतिशत का वितरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में उक्त योजना के निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप क्या स्थिति हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 4 वर्ष में कितने अपात्र लोगों के नाम हटाये गये तथा कितने पात्र लोगों के नाम जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों के पात्र लोगों के कितने आवेदन लम्बित हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पात्र लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस रूप में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 29432 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, ग्राम पंचायतवार नाम सहित विवरण विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in पर उपलब्ध है। लाभान्वितों के प्रतिशत का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतवार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्रतिशत की स्थिति परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(3) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में गत 04 वर्ष में 5178 अपात्र परिवारों के नाम हटाए गए हैं तथा 423 पात्र परिवारों के नाम जोड़े गये हैं। खाद्य सुरक्षा सूचियों में नामों का समावेशन/निष्कासन सतत प्रक्रिया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के पात्र लोगों के आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय में लम्बित नहीं है।

(5) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015 एवं 29.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की योजना

76. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 53357 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5633 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 53547 सहायिका कार्यरत है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बजरी खनन के पंचायत स्तर पर पट्टे देने की योजना

77. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजरी के खनन पर रोक से प्रदेश में 550 बहुमंजिला इमारतों के साथ 10 हजार से ज्यादा निर्माण कार्य ठप्प हो गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बजरी खनन के लिए छोटे स्तर पर लीज देने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश में पंचायत स्तर पर खनन के अधिकार देने के साथ ही नदी किनारे किसान-काश्तकारों को भी खनन के लिए छोटे स्तर पर लीज दी गयी है?

(3) क्या सरकार मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी पंचायत स्तर पर खनन का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2017 की अनुपालना में पूर्व में खनिज बजरी की जारी की गई 53 अस्थाई कार्यानुमतियों में खनन कार्य बंद कराया गया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं हेतु बजरी आपूर्ति की आवश्यकता के मध्यनजर सरकार द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51 में संशोधन करते हुए राजकीय कार्य, अर्धशासकीय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पंचायतीराज संस्थाओं और अन्य राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थानों के निर्माण कार्यों को संपादित करने के लिए संबंधित ठेकेदारों को खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के परमिट जारी करने हेतु प्रावधान किया गया है। संशोधन नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) मध्यप्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक पंचायत स्तर पर खनन के अधिकार देने के साथ नदी किनारे किसान-काश्तकारों को भी खनन के लिए छोटे स्तर पर लीज देने के संबंध में जानकारी करवाई जा रही है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बजरी के संबंध में विभिन्न राज्यों के प्रचलित नियमों का अध्ययन किया जा रहा है उसके पश्चात् शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केशवना (जालौर) में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

44. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जालोर के केशवना गांव में स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि अनुसंधान केन्द्र में पर्याप्त भवन व कृषि से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जालोर जिला कृषि आधारित है तथा यहां कृषि महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्रों को अन्य जिलों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जालौर जिले के निकट ही सुमेरपुर (पाली) में कृषि महाविद्यालय संचालित है।

(2) कृषि अनुसंधान केन्द्र में 126 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। वर्तमान में जो भवन उपलब्ध है वह बहुत ही पुराना और जीर्णशीर्ण अवस्था में है। महाविद्यलय के लिए पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि जालौर एक कृषि आधारित जिला है। जालौर के निकट ही सुमेरपुर (पाली) में कृषि महाविद्यालय संचालित है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों का देय मुआवजा

45. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना प्रीमियम जमा करवाया तथा सरकार की ओर से कितनी राशि जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से गत 2 वर्षों में कितना प्रीमियम लिया गया तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर कितनी सब्सिडी दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों की फसलों के नुकसान का सही आकलन नहीं कर कम मुआवजा दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। खरीफ 2016 से राज्य के 33 जिलों में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 में उक्त बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों द्वारा कृषक प्रीमियम राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

मौसम वर्ष	नाम योजना	कृषक प्रीमियम राशि (करोड़)	राज्यांश प्रीमीयम अनुदान राशि (करोड़)
खरीफ 2015	एन.सी.आई.पी.	239.44	166.21
रबी 2015-16		248.35	105.17
खरीफ 2016 (अनुमानित)	पीएमएफबीवाई	226.45	898.27
रबी 2016-17 (अनुमानित)		105.99	123.41
खरीफ 2017 (अनुमानित)		227.80	667.15
रबी 2017-18 (अनुमानित)		89.26	बीमा कार्य प्रक्रियाधीन है

(कृषि मंत्री)

(2) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से गत दो वर्षो में ली गई कृषक प्रीमियम राशि व राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा राज्यांश व केन्द्रीयांश प्रीमियम अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

मौसम वर्ष	कृषक प्रीमियम राशि (करोड़)	राज्यांश प्रीमीयम अनुदान राशि (करोड़)	केन्द्रीयांश प्रीमीयम अनुदान राशि (करोड़)
खरीफ 2016 (अनुमानित)	226.45	898.27	898.27
रबी 2016-17 (अनुमानित)	105.99	123.41	123.41
खरीफ 2017 (अनुमानित)	227.80	667.15	667.15
रबी 2017-18 (अनुमानित)	89.26	बीमा कार्य प्रक्रियाधीन है	

(3) जी नहीं। बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों की फसलों में हुए नुकसान का आकलन पटवार स्तर पर 4 एवं तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के उपरान्त प्राप्त औसत उपज समंकों का पूर्व निर्धारित गारण्टी उपज से तुलना कर उपज में कमी के आधार पर बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाता है।

प्रदेश में किसानों को नकली बीज एवं खराब कीटनाशक का वितरण

46. श्री धनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में प्रदेश के कई स्थानों पर किसानों को नकली बीज व खराब कीटनाशक का वितरण किया गया था? यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कहां-कहां से शिकायतें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कौन-कौनसी फर्म एवं कम्पनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत चार वर्षों में निम्न गुणवत्ता के कृषि आदानों यथा उर्वरक, बीज व कीटनाशी से सम्बन्धित शिकायतें सवाईमाधोपुर, बांरा, बाड़मेर, उदयपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, टोंक, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, चूरू, भरतपुर, जोधपुर व धोलपुर जिलों से प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत चार वर्षों में राज्य में कृषि आदानों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा के पशु चिकित्सालयों हेतु भवन का निर्माण

47. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त पशु चिकित्सालयों हेतु भवन भी स्वीकृत किये गये है? यदि हां, तो उनके निर्माण हेतु कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु जमीन का आवंटन कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 (माह जनवरी, 2018 तक) में कोई भी पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

उक्त अवधि मे स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (माह जनवरी, 2018 तक)
-	बागड़, माझावास, सांगवा, बरडोद	आशाहोली, कांगाणी, नेगडियाखेड़ा, गुन्दली, रामपुरिया	गुवारडी, सगरेव, धांगडास

(पशुपालन मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से माह जनवरी, 2018 तक कोई भी नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है। अत: इनके लिए भवन निर्माण स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से माह जनवरी, 2018 तक कोई भी नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है। अत: उनके भवन हेतु जमीन का आंवटन नहीं हुआ है।

कृषि विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि

48. श्री रमेश (सपोटरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में विभाग हेतु कुल कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई?

(2) सरकार द्वारा आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि दिसम्बर, 2017 तक किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि तय लक्ष्य के अनुसार व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग हेतु स्वीकृत राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग को आवंटित बजट की माह दिसम्बर, 2017 तक व्यय की गई राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(3) कृषि एवं उद्यान विभाग की अधिकतर योजनाओं में भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय प्रगति के प्रयास जारी हैं। वित्तीय प्रगति की कमी के निम्न कारण हैं:-

कृषि-

1. कृषि गतिविधियां मौसम आधारित होने एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं अन्तर्गत केन्द्रीयांश राशि किश्तों में प्राप्त होना।
2. पौध संरक्षण रसायन गतिविधि, आवश्यकता पर आधारित होना।

(कृषि मंत्री)

3. फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम के बीमा कवरेज आंकड़े विलम्ब से प्राप्त होने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में बीमा कम्पनियों को राज्यांश प्रीमियम अनुदान की स्वीकृति हेतु दर्शाये गये मापदण्डों को मध्य नजर रखते हुए राज्यांश प्रीमियम मद में प्रावधित बजट प्रावधान राशि का व्यय हुआ।
4. राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंक की प्रक्रियाओं तथा ग्रामीण बाजार (रूरल हाट), रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर हेतु एजेन्सी निर्धारण आदि के मध्य नजर प्रगति तुलनात्मक रूप से कम रही।
5. राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत कस्टम हायरिंग केन्द्रों के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों का क्रय क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी आधारित होने तथा बैंकों द्वारा वित्त पोषण आधारित होना।
6. राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन अन्तर्गत सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत मृदा नमूने एकत्रीकरण के उपरान्त, विश्लेषण होने व ऑनलाइन सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार करने एवं कृषकों तक इनके वितरण तक की विभिन्न प्रक्रियाओं के जारी रखे जाने के कारण।
7. किसानों द्वारा संवहन पाईप लाईन, फव्वारा, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्रदर्शन, मिनिकिट, फार्म स्कूल, कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि की मांग रबी मौसम में किया जाना।
8. परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत जैविक उत्पाद तैयार करने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने व कलस्टर निर्माण में समय लगने, ढेंचा बीज की अनुपलब्धता तथा जैविक अवशेष उत्पाद के नमूनों के परीक्षण हेतु एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला राज्य में स्थापित नहीं होना।
9. राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन अन्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्रों में राज्य में योजना नई होने के कारण एवं विभिन्न विभागों एवं उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता नहीं होने के कारणों से वित्तीय प्रगति कम रही।

(कृषि मंत्री)

उद्यानिकी-

उदयानिकी गतिविधियों में लक्ष्य के अनुसार व्यय में कमी के मुख्य कारण सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों में कृषकों के रूझान में कमी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द कर केवल पूर्व में रौपित पौधों के संधारण हेतु ही व्यय अनुमत, सौलर पम्प संयंत्र का क्रियान्वयन एजेन्सी में बदलाव रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत थाना (हिण्डोली) की वन भूमि पर अतिक्रमण

49. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली की ग्राम पंचायत थाना में कितनी वन भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वन भूमि के खसरा सं. 867 के संबंध में पूर्व में अतिक्रमण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर किस-किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी हैं? यदि हां, तो कब से व किस नियम के अन्तर्गत कनेक्शन जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वन भूमि में ट्यूबवैल खोदकर व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्या उक्त वन भूमि पर अतिक्रमी द्वारा ट्यूबवैल खोदकर व कनेक्शन लेकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत थाना के अंतर्गत वन भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।

(2) जी हां। वर्ष 2014 15 में राजस्व ग्राम बिसनपुरा अन्तर्गत वन भूमि खसरा नं. 867 में 1. श्री रामेश्वर आ. मोती मीणा 2. श्री कमलेश आ. मोती मीणा 3. श्री फूल सिंह आ. मोती मीणा 4. श्रीमती मन्नी पत्नि श्री लालाराम मीणा 5. श्री कैलाश मीणा आ. मोती मीणा द्वारा अतिक्रमण करने पर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, नैनवां में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12.09.2014 को बेदखली एवं शास्ति के आदेश जारी किये गये।

उक्त पांचों अतिक्रमियों द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वन अधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदनों में से श्री कैलाश मीणा आ0 मोती मीणा का आवेदन जिला वन अधिकार समिति द्वारा निर्धारित पात्रता नहीं होने से निरस्त कर दिया गया तथा शेष चारों के आवेदन प्रक्रियाधीन रखे गये हैं।

राजस्व ग्राम बिसनपुरा अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण का पुन: सर्वे कराया जाने पर श्री कैलाश मीणा आ. मोती मीणा का अतिक्रमण खसरा नं. 867 पर न होकर 878 एवं 869 पर पाया गया। उक्त अतिक्रमण के क्रम में अतिक्रमी श्री कैलाश मीणा आ. मोती मीणा के विरुद्ध नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, नैनवां में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। राजस्व ग्राम बिसनपुरा अन्तर्गत वन भूमि के खसरा संख्या 878 की लगभग 1261.98 वर्ग मी. पर श्री कैलाश मीणा आ. मोती मीणा निवासी बिसनपुरा, हाल संरपच, ग्राम पंचायत थाना द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर लिया गया है।

(4) जी हां। उक्त विद्युत कनेक्शन के लिए वन विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। विभाग द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से स्थापित विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, बून्दी

(वन मंत्री)

एवं सहायक अभियन्ता बून्दी से पत्राचार किया जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं। वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से स्थापित ट्यूबवेल को हटाये जाने बाबत कार्यवाही न्यायालय सहायक वन संरक्षक, नैनवां में एवं अवैध विद्युत कनेक्शन विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करने हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, बून्दी के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिला मुख्यालय पर फुटबाल एकेडमी की स्थापना

50. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिला मुख्यालय पर फुटबाल प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है जिसमें देश की प्रसिद्ध टीमें भाग लेती हैं?

(2) क्या सरकार दौसा मुख्यालय पर फुटबाल एकेडमी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिला मुख्यालयों पर स्थानीय क्लबों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें देश के प्रसिद्ध 8 से 10 टीमे भाग लेती है।

(2) जी नही। वर्तमान में दौसा जिला मुख्यालय पर फुटबाल एकेडमी खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

बर-बिलाड़ा-जोधपुर फोरलेन सड़क का निर्माण

51. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एन.एच.ए. द्वारा बर-बिलाड़ा-जोधपुर को फोरलेन द्वारा जोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(2) क्या उक्त सड़क पर बिलाड़ा शहर से बाईपास सड़क का निर्माण कराना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां से कहां तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति कर मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो मुआवजा देने हेतु राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तय किये गये एवं कितनी राशि प्रति बीघा/ प्रति हैक्टेयर देना तय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जोधपुर के पत्रांक 13045/2/ 2018/लो-वि.प./0199 दिनांक 31.01.2018 द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार बर-बिलाड़ा-जोधपुर 4 लेन का कार्य दिनांक 27.03.2017 से मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत राशि रु. 1248.58 करोड़ है।

(2) बर-बिलाड़ा-जोधपुर 4लेन में बिलाड़ा बाईपास का निर्माण किमी. 42.600 से किमी. 49.300 तक प्रस्तावित है।

(3) उक्त सड़क के निर्माण हेतु अधिकांश भूमि अवाप्त कर ली गई है तथा मुआवजा वितरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है। मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं -पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के मापदण्ड अनुसार तय किया गया है।

मुआवजा निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दर का उपयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 की शर्तो के अनुसार लागू गुणक के साथ तैयार किया गया है। डीएलसी दरें विभिन्न ग्रामों में भिन्न-भिन्न हैं तथा लागू गुणक भी भूमि की शहर से दूरी के अनुसार भिन्न है। अत: कोई एक निश्चित राशि प्रति बीघा तय नहीं है। मुआवजा निर्धारण सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा किया जाता है।

जयपुर एवं सीकर जिले में संचालित लोक परिवहन बस सेवा

52. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर एवं जयपुर जिले में लोक परिवहन सेवा के तहत कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में लोक परिवहन सेवा की बसों से दुर्घटनाओं के कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में हुई दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं कितने लोग घायल हुये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों के परिवारों को क्या-क्या सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में 225 एवं जयपुर जिले में 43 लोक परिवहन बसें संचालित हैं। (सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है)

(2) माह जनवरी 2017 से अब तक प्रदेश मे लोक परिवहन सेवा की बसों के एक्सीडेंट के कुल 90 प्रकरण दर्ज हुए हैं। (सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है)

(3) उक्त अवधि में प्रदेश में लोक परिवहन सेवा की बसों के एक्सीडेंट में कुल 80 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 207 व्यक्ति घायल हुए। (सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है)

(4) राजस्थान मुख्य मंत्री सहायता कोष से नियमानुसार देय सहायता राशि रुपये 50000/-प्रति मृतक, रुपये 10,000/- प्रति गंभीर घायल एवं रुपये 2500/- प्रति साधारण घायल के हिसाब से भुगतान किया जाता है। लोक परिवहन सेवा की बसों से हुई दुर्घटनाओं में मृत एवं घायलों के परिवारों को दी गई सहायता के संबंध में पृथक से कोई सूचना जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौरव पथ योजना के तहत सी.सी. सड़कों का निर्माण

53. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) "ग्रामीण गौरव पथ" योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में, कितनी राशि की, कितनी किलोमीटर लम्बी सी.सी. सड़कों का निर्माण किया गया है तथा शेष ग्राम पंचायतों में यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(2) जिन-जिन ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर "ग्रामीण गौरव पथ" नियमानुसार बनाना संभव नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा सड़कों की क्या व्यवस्था की गई है?

(3) क्या सरकार जिन-जिन ग्राम पंचायतों में ''ग्रामीण गौरव पथ'' नियमानुसार बनना संभव नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में "गौरव पथ" पय व्यय होने वाली राशि के बराबर की राशि से अन्य सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत प्रदेश में अब तक 6593 ग्राम पंचायतों में 3744.30 करोड़ राशि की 6570 किमी. लम्बाई की सी.सी. सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से माह दिसम्बर 2017 तक 3713 ग्राम पंचायतों में राशि रु. 1589.92 करोड़ व्यय कर 3568 किमी. सी.सी. सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। शेष ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

(2) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें ग्रामीण गौरव पथ बनाना सम्भव नहीं है, उनमें आवश्यकतानुसार मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें ग्रामीण गौरव पथ बनाना सम्भव नहीं है, उनमें आवश्यकतानुसार मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। राशि का प्रावधान राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

कोटा शहर के नयापुरा स्थित बस स्टैण्ड का विस्तार

54. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर के नयापुरा स्थित पुराने बस स्टैण्ड के विस्तार और विकास के लिए विभाग की एक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो टीम में कौन-कौनसे अधिकारी थे और उनके द्वारा निरीक्षण का कार्य कब पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त टीम द्वारा नयापुरा बस स्टैण्ड के विस्तार और विकास के लिए सरकार को क्या सिफारिशें की गई है तथा बस स्टैण्ड पर यात्रियों और कर्मचारियों की समस्या निराकरण के लिए कौन-कौनसे कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त बस स्टैण्ड के विस्तार एवं विकास कार्य को स्वीकृत कर राशि आवंटित कर दी गई है? यदि हां, तो कितनी व इससे कौन-कौनसे कार्य करवाये जायेंगे और कार्य कब से प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के नयापुरा-कोटा बस स्टैण्ड के विस्तार और विकास के लिए राजस्थान परिवहन निगम द्वारा गठित किसी भी टीम द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है।

12 दिसम्बर, 2017 को कार्यकारी निदेशक (यातायात), राजस्थान परिवहन निगम के साथ श्री अवधेश कुमार शर्मा, यातायात निरीक्षक एवं श्री दीपक कुमावत, सहायक यातायात निरीक्षक द्वारा कोटा क्षेत्र में वाहनों के निरीक्षण के समय कोटा शहर के नयापुरा बस स्टैण्ड का सामान्य निरीक्षण श्री आर.सी.जांगीड़, मुख्य प्रबन्धक कोटा की मौजूदगी में किया गया था। बस स्टैण्ड के विस्तार और विकास के लिए पृथक से किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया था।

(2) प्रश्न का उत्तर खण्ड '1' में दिया जा चुका है।

(3) राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान

(परिवहन मंत्री)

में उक्त बस स्टैण्ड के विस्तार एवं विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्रों में आर.ओ. प्लान्ट लगाने की योजना

55. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ग्रामीण क्षेत्र में खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम/पंचायत/ ढाणी में व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आर.ओ. संयंत्र स्थापित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, बांदीकुई के कुल 28 ग्राम एवं 1 ढाणी पेयजल गुणवत्ता प्रभावित पाये गये। इनमें से 15 ग्राम एवं 1 ढाणी हेतु कुल 16 आर.ओ. संयंत्र (प्रत्येक ग्राम / ढाणी में एक) के स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्माण पूर्व की जाने वाली स्थानीय भू-जल की पुन: रासायनिक जांच में उक्त 15 ग्रामों में से 5 ग्रामों की पेयजल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई जाने के कारण इन ग्रामों हेतु स्वीकृत आर. ओ. संयंत्रों का स्थापना कार्य नहीं किया जाना है। शेष 10 ग्राम एवं 1 ढाणी में से 4 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र स्थापित कर इनमें से 3 संयंत्र चालू कर दिये गये हैं तथा 1 संयंत्र को चालू करने हेतु विद्युत संबंध लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष 6 ग्राम एवं 1 ढाणी में आर.ओ. संयंत्र स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

बांदीकुई क्षेत्र के उक्तानुसार पेयजल गुणवत्ता प्रभावित शेष रहे 13 ग्रामों में से 10 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र के स्थापना कार्य हेतु बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति कार्यवाही की प्रक्रिया में हैं तथा शेष 3 ग्रामों में इन संयंत्रों के स्थापना कार्य हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

आर.ओ संबंधी पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में स्वीकृत कार्य

56. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में गत 4 वर्षों में कितने कार्य किस-किस मद में स्वीकृत किये गये हैं?

(2) उक्त प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यादेश कब-कब जारी किये गये?

(3) उक्त प्रत्येक कार्य की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय कार्य प्रगति क्या है और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिये भविष्य के लिए क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं तथा उन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, सूरसागर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में पेयजल संबंधी 24 योजनाओं की स्वीकृति विभिन्न मदों में जारी की गई। योजना / कार्यवार विवरण परिशिष्ट - अ पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्णित वित्तीय वर्षों में विधान सभा क्षेत्र, सूरसागर की योजना हेतु समय-समय पर जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यादेश संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट - अ में निहित है।

(3) उक्त वर्णित वित्तीय वर्षों में स्वीकृत 24 योजनाओं में से 17 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 4 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। शेष 3 योजनाओं में से 1 योजना के कार्य के निष्पादन हेतु निविदा प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया में है एवं 2 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

उक्त योजनाओं पर अब तक हुए व्यय एवं प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने की संभावित अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट - अ में निहित है।

(4) विधान सभा क्षेत्र, सूरसागर हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेयजल संबंधी 3 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

किसी भी योजना / कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 3 कार्यों में से 2 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा शेष 1 कार्य के क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। कार्यवार पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में एनिकट व चैक डैम का निर्माण

57. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल संरक्षण की क्या नीति एवं नियम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में बरसाती पानी के संरक्षण के लिए क्या योजना लागू की गई है व वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में इस हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बरसाती जल के संरक्षण हेतु कोई एनिकट एवं चैकडेम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु 10 फरवरी, 2010 में राज्य जल नीति स्वीकृत की गई है, प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बरसाती पानी के संरक्षण के लिए विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान/डब्ल्यू.एच.एस. योजनाओं में वर्तमान में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में बरसाती जल संरक्षण हेतु स्वीकृत/प्रगतिरत एनीकटों के निर्माण कार्यों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले मे अनियमितता करने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

58. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में पोश मशीन से खाद्यान्न वितरण के उपरान्त भी राशन डीलरों द्वारा भारी अनियमितताएं की जा रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दो वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में अनियमितता करने वाले राशन डीलरों के लाईसेंस निलम्बित कर वर्ष 2014 से मार्च, 2017 तक कितनी राशि वसूल की गई? डीलर का नाम व वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में पोश मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था सितम्बर, 2016 से लागू की गई है। पोश मशीन से वितरण के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनियमितता पाये जाने पर कुल 70 उचित मूल्य दुकानों को निलम्बित किया गया, 13 उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं 10 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में राशन डीलरों से वर्ष 2014 से मार्च, 2017 तक वसूली गई राशि का डीलरवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी

59. डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना कब से प्रारम्भ की गई तथा उक्त योजना में किन-किनको लाभान्वित किया जाता है? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) उक्त योजना के तहत वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक कितने लोगों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा करायी गई? यात्रा की पात्रता एवं लाभार्थियों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में वर्ष 2018-19 में कितने नागरिकों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा कराई जानी प्रस्तावित है तथा हवाई मार्ग से जाने वाले नागरिकों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गयी थी। जिसका नाम वर्ष 2016 में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रखा गया। इस योजना में जिन-जिन को लाभान्वित किया जाता है, उनकी पात्रता योजना के बिन्दू सख्ंया 7 पर उल्लेखित है। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) वर्ष 2016-17 से 2017-18 में कितने लोगों को किन-किन स्थानों की कब-कब धार्मिक यात्रा करायी गई में पात्रता एवं योजना का विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(3) आगामी वर्ष 2018-19 के लिए अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थाई करने की योजना

60. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्य करवाये जाते हैं?

(2) उक्त कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनियों को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त सभी के कार्य एवं श्रम को देखते हुये इनको स्थाई कर मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनियों को वर्तमान में दिया जाने वाले मानदेय की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनी पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है एवं वर्तमान में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

61. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में आंगनबाड़ी केन्द्र, उपकेन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्र कहां-कहां पर स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन कहां-कहां पर उपलब्ध हैं व कहां-कहां पर किराये के भवन में चल रहे हैं? सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक केन्द्र पर स्वीकृत तथा कार्यरत स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत 02 परियोजनाऐं क्रमश: ब्यावर शहर एवं जवाजा संचालित है, जिसके अन्तर्गत ब्यावर शहर में 108 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, 2 शिशु कल्याण केन्द्र (क्रेच) तथा जवाजा में 176 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की स्थिति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाल सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में प्रत्येक केन्द्र पर स्वीकृत तथा कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आं. कार्यकर्ता		साहायिका		आशा सह.		एनटीटी	
		स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.	स्वी.	कार्य.
1	ब्यावर शहर	117	114	108	107	108	82	0	0
2	जवाजा	212	211	176	176	176	157	3	2
कुल		**329**	**325**	**284**	**283**	**284**	**239**	**3**	**2**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित खानों मे खान अधिनियम के नियमों की पालना

62. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यशील खानों में खान अधिनियम, 1952 की धारा 17, धात्विक खान विनियम, 1961 के विनियम 34(1)(ए) तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के प्रावधान लागू होते हैं?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी खानें संचालित हैं तथा इनमें से कितनी खानों में उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने वाली खानों को खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति आवंटित की जा सकती है व उक्त को खनिज निर्गमन के लिये रवन्ना जारी किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने वाली खानों को सरकार द्वारा वैध खनन की श्रेणी में रखा जा सकता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्यशील खानों में खान अधिनियम 1952 की धारा 17,

(राज्य मंत्री, खान)

धात्विक खान विनियमन, 1961 के विनियम 34(1)(ए) तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के प्रावधान लागू होते हैं।

(2) प्रदेश में कुल 15241 खानें 17899 क्वारी लाईसेंस संचालित हैं। इनमें से उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने वाली खानों की संख्या 9167 व 17631 क्वारी लाईसेंस है, जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति आवंटित करने से पूर्व उपरोक्त नियमों की पालना अपेक्षित नहीं है। वस्तुत: खनन पट्टा प्रभाव में आने के पश्चात् उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विहित योग्यताधारी खान प्रबन्धक/योग्यताधारी व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक है। नियमों में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने पर खनिज निर्गमन हेतु रवन्ना रोके जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 2(1)(सी) तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 2(xxx) में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में नियमों की पालना नहीं कर किये गये खनन को वैध खनन की श्रेणी में माना गया है। वस्तुत: राज्य में स्वीकृत खानों की संख्या की तुलना में खान प्रबन्धक/ योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने की वजह से पूर्ण पालना संभव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में लागू नवीन खनन नीति

63. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नवीन खनन नीति बनाई गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत तीन वर्षों में खानें आवंटन हेतु कितने आवेदन कब-कब व किस-किस से प्राप्त हुए हैं? क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में गत तीन वर्षों में किन-किनको, कहां-कहां व

(श्री शुभकरण चौधरी)

कब-कब खनन पट्टे जारी किये तथा आगामी वर्षों में कितने खनन पट्टे कहां-कहां जारी किये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान खनिज नीति, 2015 बनाई गई जिसमें आदेश दिनांक 28.02.2017 व 20.06.2017 से संशोधन किया गया है। राजस्थान खनिज नीति, 2015 एवं संशोधन की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में विगत 03 वर्षों में खनन पट्टा चाहने हेतु 1128 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनका क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश में विगत 03 वर्षों में 533 खनन पट्टों हेतु स्वीकृतियां जारी की गई। नाम, क्षेत्र व स्वीकृति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। खनन पट्टे स्वीकृत किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। आगामी वर्षों में नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)